समृद्धि और प्रगति का वर्ष
Year of Prosperity and Growth

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2020 - 2021

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

वित्त वर्ष 2016-17, वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मुख्यमंत्री, तमिलनाडु सरकार से एमएसएमई श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ बैंकर का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारे एमडी एवं सीईओ

Our MD & CEO receiving award from Chief Minister, Government of Tamil Nadu as Best Banker - 1st Prize under MSME category for the years FY 2016-17, FY 2017-18 & FY 2018-19

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक व सीईओ
Shri Partha Pratim Sengupta
Managing Director & CEO

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक
Shri. Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

सुश्री एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक
Ms. S. Srimathy
Executive Director

सुश्री ऐनी जार्ज मैथ्यू
सरकारी नामिती निदेशक
Ms. Annie George Mathew
Government Nominee Director

श्री दीपक कुमार
भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक
Shri. Deepak Kumar
RBI Nominee Director

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
शेयरधारक निदेशक
Shri. Navin Prakash Sinha
Shareholder Director

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

श्रद्धांजलि

हम कोविड 19 महामारी के दौरान अपने करीबीयों को खोने वाले कर्मचारियों, ग्राहकों व अन्य हितधारकों के शोकसंतप्त पारिवारिक सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं ।

TRIBUTE

Heartfelt condolences to the bereaved family members of our employees, customers and other stakeholders who lost their near and dear ones due to COVID 19 pandemic.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट – 2020-21

निदेशक मंडल

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

ANNUAL REPORT 2020-21

BOARD OF DIRECTORS

श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Shri Partha Pratim Sengupta
Managing Director & CEO

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

Shri Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

सुश्री एस.श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

Ms. S.Srimathy
Executive Director

सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
सरकारी नामिती निदेशक

Ms. Annie George Mathew
Government Nominee Director

श्री दीपक कुमार
भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक

Shri. Deepak Kumar
RBI Nominee Director

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
शेयरधारक निदेशक

Shri Navin Prakash Sinha
Shareholder Director

श्री भुवन चन्द्र
महा प्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

Shri Bhuwan Chandra
General Manager & Chief Financial Officer

लेखाकार

1. मेसर्स पात्रो एंड कंपनी, भुवनेश्वर
2. मेसर्स एम श्रीनिवासन एंड एसोसिएट्स, चेन्नै
3. मेसर्स एस एन नंदा एंड कंपनी नई दिल्ली
4. मेसर्स योगानंद एंड राम एलएलपी, चेन्नै

AUDITORS

1. M/s. PATRO & CO Bhubaneswar
2. M/s. M. SRINIVASAN & ASSOCIATES, Chennai
3. M/s. S N NANDA & CO New Delhi
4. M/s. YOGANANDH & RAM LLP Chennai

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट
मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लि.

(यूनिट- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)
सुब्रमणियन बिल्डिंग

पांचवां तल, नं.1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002.

टेलि : 044 / 28460390 (छह लाइने) 044 - 28460395

फैक्स: 044 / 28460129

ई-मेल : cameo@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent
M/s Cameo Corporate Services Ltd

(Unit - IOB)

Subramanian Building

V Floor, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002.

Tel : 044 / 28460390 (Six Lines) 044 - 28460395

Fax : 044 / 28460129

e-mail : cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

ANNUAL REPORT 2020-21

विषय वस्तु	पृष्ठ सं.	Contents	Page No.
एक झलक में	3	At a Glance	3
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के डेस्क से	4	From the Managing Director & CEO's Desk	4
शेयरधारक के लिए सूचना	7	Notice to the Shareholder	7
निदेशकों की रिपोर्ट	28	Directors' Report	29
प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण	34	Management Discussion and Analysis	35
वर्ष 2020-21 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	80	Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2020-21	81
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	119	Auditors' Certificate on Corporate Governance	119
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	120	Secretarial Audit Report	121
वार्षिक लेखा	126	Annual Accounts	126
नकदी प्रवाह विवरण	128	Cash Flow Statement	128
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	218	Independent Auditors' Report	219
अतिरिक्त प्रकटीकरण	232	Additional Disclosure	233
व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2020-21	278	Business Responsibility Report 2020-21	279
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाभांश वितरण नीति	302	IOB Dividend Distribution Policy	303

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी रुपांतरण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा)

(In this Annual Report, in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

एक नज़र में

(रु. करोड़ में)

	मार्च-21	मार्च-20	मार्च-19	मार्च -18	मार्च-17	मार्च-16
कुल कारोबार	379885	357723	374530	3,67,831	3,68,119	3,97,241
वैश्विक जमाएं	240288	222952	222534	2,16,832	2,11,343	2,24,514
घरेलू जमाएँ	235545	218028	217963	2,10,388	2,05,154	2,18,556
घरेलू सकल अग्रिम	130267	127336	146001	1,38,516	1,42,651	1,55,429
वैश्विक निवल अग्रिम	127721	121333	132597	1,32,489	1,40,459	1,60,861
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	74579**	75887**	75393**	70040**	63984**	67615*
कृषि ऋण	33124*	30091*	31853*	29520*	29348*	30237*
निवल निवेश (वैश्विक)	95494	79415	66932	68,646	71,654	79,189
ब्याज आय	16966	17406	17631	17,915	19,719	23,517
गैर ब्याज आय	5559	3360	4206	3,746	3,373	2,528
परिचालनात्मक व्यय	5562	5129	4452	5,585	4,912	5,025
सकल लाभ	5896	3534	5034	3,629	3,650	2,885
निवल लाभ / निवल हानि	831	-8527	-3738	-6,299	-3,417	-2,897
इक्विटी शेयर पूंजी	16436.99	16436.99	9141.65	4890.77	2,454.73	1,807.27
सकल एनपीए (%)	11.69	14.78	21.97	25.28	22.39	17.40
निवल एनपीए (%)	3.58	5.44	10.81	15.33	13.99	11.89
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	15.32	10.72	10.21	9.25	10.50	9.66

* 31 मार्च तक बकाया

** प्राथमिकता क्षेत्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 से प्राथमिकता क्षेत्र लक्षय एवं अन्य उप लक्षय के तहत चार तिमाहियों का औसत निष्पादन दिया जा रहा है ।

जहां कहीं भी अपेक्षित है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है ।

At a Glance

(₹ in Crore)

	Mar-21	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17	Mar-16
Total Business	379885	357723	374530	3,67,831	3,68,119	3,97,241
Global Deposits	240288	222952	222534	2,16,832	2,11,343	2,24,514
Domestic Deposits	235545	218028	217963	2,10,388	2,05,154	2,18,556
Domestic Gross Advances	130267	127336	146001	1,38,516	1,42,651	1,55,429
Global Net Advances	127721	121333	132597	1,32,489	1,40,459	1,60,861
Priority Sector Advances	74579**	75887**	75393**	70040**	63984**	67615*
Agricultural Credit	33124*	30091*	31853*	29520*	29348*	30237*
Net Investments(Global)	95494	79415	66932	68,646	71,654	79,189
Interest Income	16966	17406	17631	17,915	19,719	23,517
Non-Interest Income	5559	3360	4206	3,746	3,373	2,528
Operating Expenses	5562	5129	4452	5,585	4,912	5,025
Gross Profit	5896	3534	5034	3,629	3,650	2,885
Net Profit/Net Loss	831	-8527	-3738	-6,299	-3,417	-2,897
Equity Share Capital	16436.99	16436.99	9141.65	4890.77	2,454.73	1,807.27
Gross NPA (%)	11.69	14.78	21.97	25.28	22.39	17.40
Net NPA (%)	3.58	5.44	10.81	15.33	13.99	11.89
Capital Adequacy Ratio (%)	15.32	10.72	10.21	9.25	10.50	9.66

* Outstanding as on 31st March

** Average of 4 quarters performance as per revised Priority Sector guidelines of RBI from FY 2016-17 onward for achievement of Priority Sector Target & Sub target for the financial year.

Previous year's figures are regrouped wherever necessary

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक - केन्द्रीय कार्यालय चेन्नै

INDIAN OVERSEAS BANK - CENTRAL OFFICE CHENNAI

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी से पत्र

Letter from Managing Director & Chief Executive Officer

श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Shri.Partha Pratim Sengupta, Managing Director & Chief Executive Officer

प्रिय शेयर धारकों,

मुझे वर्ष 2020-21 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है । पिछले दो साल भारत और उसके लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं । कोविड-19 महामारी ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया और राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से अस्थिर कर दिया है ।

बैंकिंग क्षेत्र, एक आवश्यक सेवा होने के कारण, जिसे आंशिक रूप से लॉक-डाउन आदेशों से छूट दी गई थी । हमारी शाखाएँ और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयाँ आम जनता के लिए निर्बाध बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए महामारी के चरन सीमा के दौरान भी 50% /30% कार्यबल को साथ काम कर रही थीं । महामारी के दौरान, हमारे बैंक के 61 कर्मचारियों के प्राण गए और कई स्टाफ संक्रमित हुए । हमारे मृत कर्मचारियों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक और गहरी संवेदना है और बैंक उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिकद्ध है ।

मैं अब आपके साथ वर्ष के दौरान बैंक के प्रदर्शन के मुख्य अंशों के साथ-साथ बैंक के आगे बढ़ने के दृष्टिकोण को साझा करना चाहता हूँ ।

आर्थिक परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

राजकोषीय सहायता में तेजी से हुई वृद्धि के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं क्योंकि, अर्थव्यवस्थाएं सामाजिक दूरी के प्रति अनुकूलन एवं टीकाकरण रोलआउट गति पकड़ रहा है । वैश्विक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण नकारात्मक जोखिमों के अधीन बना हुआ है, जिसमें नए वायरस के प्रकार के चलते बड़ी कोविड-19 लहरों की संभावना और उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के उच्च ऋण स्तरों के बीच वित्तीय तनाव शामिल हैं । वैश्विक स्तर पर महामारी को नियंत्रित करने के लिए, विशेष रूप से कम आय वाले देशों के लिए समान वैक्सीन वितरण की आवश्यकता है । हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों में रिकवरी का आकार महामारी की गंभीरता, नए प्रतिबंधों के प्रभाव और सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है ।

घरेलू अर्थव्यवस्था

देश में नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार की आशंका के बीच लगाए गए लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 24.4 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की । लॉकडाउन के हटने से वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में 0.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर के साथ जीडीपी वापस पटरी पर आ गई, जोकि अधिकांश राज्यों में वायरस के प्रसार की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन फिर से लागू हो जाने के कारण 2020-21 की चौथी तिमाही में 3.4 प्रतिशत तक नकारात्मक क्षेत्र में आ गई । कुल मिलाकर भारत की जीडीपी वित्त ने वर्ष 2019-20 में जीडीपी में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में 8.0 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज़

Dear Shareholders,

I have pleasure in presenting your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2020-21. The last two years have been challenging one for India and its people. The COVID-19 pandemic destroyed several lives and dealt a severe blow to the economic health of the nation.

Banking sector, being an essential service was partially exempted from lock-down orders. Our Branches and other critical units were operating with as much as 50% / 33% of the workforce even during peak of the Pandemic to ensure uninterrupted banking services to general public. Our Bank lost 61 employees and many more were infected during the Pandemic. My heartfelt and deepest sympathies go out to the bereaved families of our deceased employees and Bank is committed to extend all possible support to them.

Now, I would like to share with you the performance highlights of the Bank during the year as well as the outlook for the Bank going forward.

Economic Environment

Global Economy

The global economy is showing sign of improvement as fiscal support stepped up sharply, economies adapt to social distancing and vaccination rollout gathers momentum. The global outlook remains subject to significant downside risks, which include the possibility of large COVID-19 waves in the context of new virus variants and financial stress amid high debt levels of emerging markets and developing economies. To control the pandemic at the global level, there is need of equitable vaccine distribution, especially for low-income countries. However, shape of recovery across various regions depend on severity of pandemic, impact of new restrictions and government policies.

Domestic Economy

The Indian economy recorded a negative growth rate of 24.4 percent and 7.3 percent in Q1 and Q2 of FY 2020-21 respectively due to lockdown imposed amidst the fear of spread of Novel Corona virus in the country. Lifting of lockdown brought the GDP back on track with positive growth rate of 0.4 percent in Q3 FY 2020-21, which again fell into negative territory by 3.4 percent in Q4 2020-21 due to re-imposition of lockdown in most of the states amidst the second wave of spread of virus. Overall India's GDP remained in negative growth of 8.0 percent in the FY 2020-21 compared to 4.0 percent of growth in GDP in FY 2019-20.

की। सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के संदर्भ में, कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने वित्त वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न में रिकॉर्ड उत्पादन के साथ 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो 2020-21 में विस्तार क्षेत्र में रहा, जिसके परिणामस्वरूप समग्र जीवीए में कृषि की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बैंक ऋण वृद्धि पिछले वर्ष में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 12.3 प्रतिशत तक सुधरी है।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए परिदृश्य

वर्ष के दौरान भारत सरकार और आरबीआई ने इस महामारी की स्थिति में विकास और निवेश के पुनरुत्थान के लिए समीचीन उपाय करना जारी रखा। कॉरपोरेट टैक्स में 30 फीसदी से 22 फीसदी की कटौती से उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। तरलता सहायता और आपातकालीन ऋण सहायता, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों (एमएसएमई'यों) को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आरबीआइ द्वारा महत्वपूर्ण कदम था।

ऋण चुकतान पर स्थगन, लक्षित दीर्घकालिक संचालन (टीएलटीआरओ), आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) आदि जैसे अन्य निरंतर उपायों ने आजीविका की रक्षा की है और इस महामारी के दौरान व्यावसायिक गतिविधि को फिर से शुरू करने में मदद की है।

कोविड-19 महामारी की पहली लहर के बाद, व्यापार में सुधार हुआ था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर ने एक बार फिर व्यापार में मंदी ला दी है। व्यापार निरंतरता और ग्राहक सेवा के बीच संतुलन सुनिश्चित करना बैंकों पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है। वर्तमान महामारी के परिदृश्य में डिजिटल लेनदेन महत्वपूर्ण हो गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में सुधार के लिए, बैंक ने अपनी विकास रणनीति और अपनी बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल रूप में बदलने के लिए अर्न्स्ट एंड यंग को डिजिटल सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

वित्तीय निष्पादन – बैंक मुख्य बिन्द 2020-21

पिछले 6 वर्ष के दौरान लगातार निवल घाटा दर्ज करने के बाद, बैंक ने अब वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 831 करोड़ रुपये का वार्षिक निवल लाभ घोषित किया है।

बैंक ने सकल एनपीए को 19913 करोड़ रुपये से 16323 करोड़ रुपये तक कम किया है और इसके चलते बहुआयामी और केंद्रित वसूली पहल के माध्यम से जीएनपीए प्रतिशत को 14.78% से घटाकर 11.69% कर दिया है।

एनएनपीए को निरपेक्ष रूप से 6603 करोड़ रुपये से घटाकर 4578 करोड़ रुपये और प्रतिशत के रूप में 5.44% से 3.58% कर दिया गया है। 31.03.2021 को बैंक का एनएनपीए प्रतिशत पीसीए सीमा से नीचे है।

बैंक के पीसीआर में 31.03.2021 को 86.94% से 90.34% तक का सुधार हुआ है जो कि उद्योग में उच्चतम है।

परिणामस्वरूप, बैंक ने वित्तीय वर्ष -20-21 की चौथी तिमाही के लिए 350 करोड़ रुपये और पूरे वित्त वर्ष 20-21 के लिए 831 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्ज किया है।

बैंक ने रैम सेगमेंट अग्रिमों, विशेष रूप से आवास ऋण और आभूषण ऋण, के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है जो कि 31 मार्च-2021 तक घरेलू अग्रिमों के प्रति रैम शेयर की 73.81 % तक की वृद्धि से स्पष्ट है।

कॉरपोरेट पोर्टफोलियो के पुनर्संतुलन के परिणामस्वरूप समग्र अग्रिमों में कमी आई है। आधार दर, एमसीएलआर और आरएलएलआर में कमी के कारण समग्र ब्याज आय में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। कम लागत वाली जमाराशियों के तहत वृद्धि और उच्च लागत जमाओं की कमी ने जमा की लागत को नियंत्रण में रखा है।

31 मार्च 2021 को कासा 31 मार्च-2020 के 89751 करोड़ रुपये से बढ़कर 13.83% की वृद्धि के साथ 102165 करोड़ रुपये हो गया। कासा का प्रतिशत 31 मार्च 2020 के 40.26% से बढ़कर 31 मार्च-2021 तक 42.52% हो गया।

उच्च लागत वाली थोक जमा राशि को मार्च-2020 तक के 17092 करोड़ रुपये से घटाकर 52.87% की कमी के साथ मार्च-2021 तक 8055 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

In terms of Gross Value Added (GVA), agriculture and allied activities registered a growth of 3.0 percent in FY 2020-21, with record production in food grains. This was the only sector which remained in expansion zone in 2020-21, resulting in increase in the share of agriculture in overall GVA. Bank credit growth to agriculture and allied activities improved to 12.3 percent compared to 4.2 percent growth in previous year.

Outlook for Banking Sector

During the year GOI & RBI continued to take expedient measures to revive growth & investment in this pandemic situation. The reduction in corporate tax cut from 30% to 22% has given big relief & boost to the industries. The liquidity support and emergency credit support, especially to micro, small and medium units (MSMEs) was vital step by RBI to deal with CoVID-19 pandemic.

The other continued measures like moratorium on loan repayment, Targeted Long Term Operations (TLTRO), Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) etc. have safeguarded livelihoods and helped in seamless resumption of business activity during this pandemic.

After the first wave of COVID-19 pandemic, there was improvement in business, but the second wave of COVID-19 has once again resulted in slowdown of the business. There is an additional responsibility on the Banks to ensure a balance between business continuity and customer care. The digital transaction has become vital in the present pandemic scenario. For improvement in Digital Platform, the Bank has appointed Ernst & Young as digital consultant as part of its growth strategy and to transform its banking services into a digitalised form.

Financial Performance - Highlights of your Bank - 2020-21

After continuously posting net losses during last 6 years, Bank has now declared yearly net profit of Rs.831 crore for FY 2020-21.

Bank could reduce the gross NPA substantially from Rs.19913 Crores to Rs.16323 Crores and thereby brought down the GNPA% from 14.78% to 11.69% through multipronged and focused recovery initiatives.

NNPA has been brought down from Rs.6603 Crores to Rs.4578 Crores in absolute terms and from 5.44%to 3.58% in percentage terms. The NNPA% of the Bank as on 31.3.2021 is below PCA threshold.

PCR of the Bank has improved substantially as on 31.3.2021 from 86.94% to 90.34%. one of the highest in industry.

As a result, Bank could register a Net profit to the tune of Rs.350 Crores for Q4 FY -20-21 and Rs.831 crore for whole FY 20-21.

Bank concentrated in expansion of RAM segment advances especially housing loan and jewel loan which is evident in growth of RAM share to domestic advances reaching to 73.81% as of 31st March-2021.

Rebalancing of Corporate portfolio has resulted in reduction of overall advances. Overall interest income has recorded marginal decline due to reduction in Base Rate, MCLR and RLLR. Growth under low cost deposits and shedding of high cost deposits has kept the cost of deposit under control.

CASA has improved from Rs.89751 Crores as of 31st March-2020 to Rs.102165 Crores as of 31st March-2021 with a growth of 13.83%. CASA% has moved up from 40.26% as of 31st March -2020 to 42.52% as of 31st March-2021.

High Cost Bulk deposit has been brought down from Rs.17092 Crores as of March-2020 to Rs.8055 Crores as of March-2021with a reduction of 52.87%.

निवल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 19-20 के रु.5303 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 20-21 में रु.5899 करोड़ हो गई है।

ट्रेजरी आय में सुधार और बट्टे खाते में डाले जाने के कारण अन्य आय जो कि वित्त वर्ष-19-20 में रु.3306 करोड़ थी, वित्त वर्ष-20-21 में बढ़कर रु.5559 करोड़ हो गई है।

पूँजीगत स्थिति

भारत सरकार द्वारा पूँजी निवेश

31.03.2021 बैंक को 4,100 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश प्राप्त हुआ। राशि को शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट में रखा गया था। उक्त राशि को उनके दिनांक 30.04.2021 के पत्र द्वारा आरबीआई की मंजूरी के बाद बैंक की कॉमन इक्विटी कैपिटल (सीईटी -I) में शामिल किया गया था।

इसके अलावा, बैंक ने 02.06.2021 को भारत सरकार को 4,100 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश राशि के प्रति 246,54,23,932 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए।

पुरस्कार और प्रशस्तियाँ

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष है कि आइओबी को

- तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्तय वर्ष 2016-17, 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए "एमएसएमई श्रेणी के तहत बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंकर - प्रथम पुरस्कार" से सम्मानित किया गया ।
- सूचना सुरक्षा हेतु प्रमाणन के लिए आइएसओ 27001:2013 पुरस्कार की प्राप्ति
- जुलाई-अगस्त 2020 के दौरान शाइन एंड सक्सेस अभियान में योग्यता प्राप्त करने के लिए पीएफआरडीए से मान्यता।
- अनुकरणीय पुरस्कार और मान्यता के साथ "ओल्ड एज फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर्स" अभियान के लिए एक्सेम्पलरी पुरस्कार के लिए योग्यता प्राप्त करें और हमारे बैंक के 6 क्षेत्रीय प्रमुखों और नोडल अधिकारी के लिए पीएफआरडीए से मान्यता ।
- "मेकर्स ऑफ एक्सलेंस 4.0" अभियान में योग्यता प्राप्त करने के लिए पीएफआरडीए से मान्यता प्राप्त हुई ।

आगे की राह

असंख्य समर्पित ग्राहकों के व्यापक आधार और युवा , सशक्त एवं उर्जावान कार्यदल के विशाल आधार की सहायता से ब्रांड आइओबी बैंकिंग उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से निभाएगा ।

आभारोक्ति

मैं इस अवसर पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, उन देशों के मौद्रिक प्राधिकरणों जहां बैंक के विदेशी परिचालन हैं, भारत और विदेशों में अन्य सरकारी और नियामक एजेंसियों को उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ ।

मैं भारत और विदेशों में अपने ग्राहकों और अपने शेयरधारकों को ब्रांड आइओबी में उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि हम निरंतर आधार पर बैंक की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करते हैं और अपने हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध रहते हैं।

मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों को उनकी विशेषज्ञता और निर्देशन का लाभ प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी आइओबियंस को उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

शुभकामनाओं सहित ,
सादर ,

-ह/-

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Net interest income has improved from Rs.5303 Crores in FY19-20 to Rs.5899 Crores in FY-20-21.

Other Income has increased from Rs.3306 Crores in FY-19-20 to Rs.5559 Crores in FY- 20-21 due to improvement in Treasury income and recovery in written off account.

Capital Position

Capital Infusion by Government of India

The Bank received capital infusion amounting to Rs.4,100 crore on 31.03.2021. The amount was kept under share application money account. The said amount was included in Bank's Common Equity Capital (CET-I) after RBI approval vide their letter dated 30.04.2021.

Further, the Bank issued and allotted 246,54,23,932 equity shares to Government of India on 02.06.2021 against Capital Infusion amount of Rs.4,100 crore.

Awards and Accolades

I am pleased to inform you that IOB

- Was awarded "Best Banker under MSME category - 1st Prize" for the years FY 2016-17, FY 2017-18 & FY 2018-19 from Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu.
- Was awarded ISO 27001:2013 Certification for Information Security
- Recognition from PFRDA for qualifying in Shine and Succeed campaign during July-August 2020.
- Qualified for "OLD AGE Financial Freedom Fighters" Campaign with Exemplary award and Recognition from PFRDA for 6 Regional Heads and Nodal Officer of our Bank
- Qualified for "Makers of Excellence 4.0" Campaign and Recognition from PFRDA.

Going forward

With the support of huge base of several loyal customers and a large base of young, strong and energetic work force, Brand IOB is sure to play an important role in the Banking Industry.

Acknowledgement

I take this opportunity to thank the Government of India, Reserve Bank of India, the Monetary Authorities of countries where the Bank has overseas operations, other Government and Regulatory Agencies in India and abroad, for their valuable support and guidance.

I thank our customers in India and abroad and our shareholders for their faith in Brand IOB as we strive to improve the Bank's position on an ongoing basis and remain strongly committed to creating value for our stakeholders.

I thank my colleagues on the Board for the benefit of their expertise and direction. I also thank all IOBians for their dedication and commitment.

With warm regards,
Yours sincerely,

-Sd/-

Partha Pratim Sengupta
Managing Director & Chief Executive Officer

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय

763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए इक्कीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक का नोटिस

शनिवार, 7 अगस्त 2021 को सुबह 11.30 बजे

शेयरधारकों को सूचना

वार्षिक सामान्य बैठक का नोटिस

इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 57 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए **शनिवार दिनांक 07 अगस्त, 2021 को सुबह 11.30 (आईएसटी) बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से **अपने शेयरधारकों की इक्कीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन** आयोजित करेगा ।

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तुलन पत्र और खातों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए उस तिथि को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र एवं खातों पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण करने के लिए:

विशेष कार्य

मद संख्या 2 : आगे और शेयरों को ज़ारी करना ।

निम्नलिखित संकल्पों पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

"संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 **(अधिनियम),** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 **(विनियम)** 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआइ),** भारत सरकार **(जीओआइ)**, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(सेबी)** और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2018 **(आइसीडीआर विनियम)** जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशार्निदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 **(बीआर अधिनियम),** सेबी (सूची बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 **(एलओडीआर)** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं और विनियमन 4(ए) के प्रावधानों के अनुसार है, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे **"बोर्ड"** कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों

Indian Overseas Bank

Central Office

Investor Relations Cell

763, Anna Salai, Chennai – 600 002

NOTICE OF THE TWENTY FIRST ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Saturday, the August 7, 2021 at 11.30 a.m.

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 57 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) that the Twenty First **Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank** will be held on **Saturday, the August 07, 2021** at **11.30 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)** / **Other Audio Visual Means (OAVM) to** transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2021, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts:

SPECIAL BUSINESS

Item No.2: To issue further shares:

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 **(Act),** The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 **(Scheme)** and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended upto 2008 **(Regulations)** and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India **("RBI"),** the Government of India **("GOI"),** the Securities and Exchange Board of India **("SEBI"),** and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 **(ICDR Regulations)** as amended up to date/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 **(B R Act),** SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **(LODR) ,** Securities and Exchange Board of India Act, 1992 **(SEBI Act)** and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the **Regulations,** consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed

सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित **मूल्य रु.10 /-** प्रति शेयर होगा और किसी भी हालत में कुल शेयर **125,00,00,000** संख्या का अधिगमन नहीं होगा व यह बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में **अधिनियम** की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि **केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 51% से कम नहीं रहेगा,** चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों **("एनआरआइ"),** निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों **("क्यूआइबी")** जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक **("एफआइआइ"),** बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।"

" **यह भी संकल्प किया गया** कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम, सेबी के विनियम (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ), 2014 **("एसबीइबी विनियम")** के जरिए कर्मचारियों को इक्विटी शेयर या ऐसा अन्य निर्गम जो कि लागू विधि द्वारा उपलब्ध किया जा सके, अधिमान निर्गम के ज़रिए और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन अधिनियम, **आइसीडीआर विनियमन** और भा.रि. बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो ।"

"**यह भी संकल्प किया गया** कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहॉ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा ।"

to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/ prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of **Rs.10 each** and in any case not exceeding **125,00,00,000** equity shares as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the **Act** or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the **Central Government shall at all times hold not less than 51%** of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians **("NRIs"),** Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers **("QIBs")** like Foreign Institutional Investors **("FIIs"),** Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, issue of equity shares to employees through SEBI (Share Based Employee Benefits)Regulations, 2014 **("SEBI Regulations"),** preferential issue and/or private placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, **ICDR Regulations** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"**आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित** स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, ("एलओडीआर"), अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्तन विभाग और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 51% से कम न हो और यह प्लेसमेंट या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक प्लेसमेंट (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत प्रावधानित किया गया है और/ या संप्लेसमेंट प्लेसमेंट कार्यक्रम (आइपीपी) के अनुसरण में जैसा कि आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VIIIए में प्रदान किया गया है, किसी प्लेसमेंट दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो ।"

"**यह भी संकल्प किया गया कि** स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीबद्धता करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों व विनियमनों के नियम व शर्तों के अनुसार बोर्ड को एतद्द्वारा वैसे स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, को जारी किए गए एक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

"**यह भी संकल्प किया गया कि** स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूची करार के प्रावधानों के अनुसार आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के क्रम में योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI की परिभाषा के भीतर ही योग्यताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णत: प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर या समय- समय पर आईसीडीआर विनियमनों के अंतर्गत अनुमत ऐसे किसी भी नियत किए गए समय पर पूरा कर लिया जाएगा ।"

"**यह भी संकल्प किया गया कि** क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य पर पाँच प्रतिशत से अनधिक की छूट पर आइसीडीआर विनियमन के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक शेयर देने को प्राधिकृत है तथा प्रतिभूतियो के शुरुआती मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा ।"

"**यह भी संकल्प किया गया कि** बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं या ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, **("LODR")** the provisions of the Act, the provisions of Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department for promotion of Industry and Internal Trade and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Regulation 2 (ss) of the ICDR Regulations) such as Public financial Institution, foreign portfolio investor, mutual fund, venture capital fund etc. pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, and through a placement document and/ or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER** THAT in case of a QIP made pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time".

"**RESOLVED FURTHER** THAT in case of QIP issue, the Bank in pursuance to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount as prescribed by ICDR Regulations from time to time and relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI /

द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरियों, आबंटन और उनकी लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा तथा इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से कोई अन्य अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि अनिवासी भारतीय/एफआआइ तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि नए इक्विटी शेयरों /प्रतिभूतियों का निर्गम और आवंटन, समय-समय पर संशोधित विनियमों के अधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान रूप से रैंक करेगा, जिसमें घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो वैधानिक दिशानिर्देश जो इस तरह की घोषणा के समय लागू होते हैं, के अनुसार होगा ।

"यह भी संकल्प किया गया कि इक्विटी/ अधिमान्य शेयरों/ प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित किसी बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाज़िटरी(स), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में तथा उनके परामर्श से निर्गमों के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य,प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और / या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने,जैसे मंडल उचित समझे,के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक,उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव,निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्रवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों जो अभिदानित नहीं हैं, का निपटान बोर्ड द्वारा उसके परम विवेकाधिकार के तहत इस प्रकार किया जाए जैसा बोर्ड उचित समझे और जैसा कानून द्वारा अनुमत हो और यह कि बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए कि वह प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक/(कों) या बनी हुई/ अब से बनाई जाने वाली निदेशकों की समिति को प्रदत्त सभी या कोई एक अधिकार प्रत्यायोजित कर सके कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी हो सके । "

मद संख्या 3. आगे, कर्मचारियों को शेयर जारी करने पर विचार करना:

निम्नलिखित संकल्पों पर **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 **(अधिनियम),** राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन व विविध

SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities , shall be subject to the Regulations as amended from time to time and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration ".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies, to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like in consultation with them to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law and that the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted/hereafter constituted to give effect to the aforesaid Resolutions."

Item No.3: To consider further issue of shares to Employees:

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT subject to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 **(Act),** The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 **(Scheme),**

प्रावधान) योजना, 1970 **(योजना),** सेबी "(सूचीबद्ध बाध्यता व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर), 2008 तक संशोधित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियम 2003 **(विनियम)** और एलओडीआर के अनुसार बीएसई लिमिटेड व नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए यूनिफॉर्म लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों की शर्त पर (तत्संबंधी किसी संशोधन या उसके अधिनियमन) तथा **विनियमों** के विनियम 4ए तथा भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 (समय समय पर किसी भी सांविधिक संशोधन (ओं), संशोधन (ओं), अधिनियमन समेत) के प्रावधानों के अनुसार है । **(सेबी शेयर आधारित विनियम)** और **भा.रि.बैं. भारत सरकार, सेबी,** स्टॉक एक्सचेंज के अनुमोदन, सहमति व मंजूरी के अधीन जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं जहाँ कहीं लागू हों और किसी भी प्राधिकारी के किसी भी लागू अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंजूरी (यों), किसी भी स्तर पर और किसी भी शर्तो व संशोधनों जैसा कि एसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंज़ूरी (यों) को देते हुए निर्दिष्ट या लगाया गया हो और जो कि बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाए, बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों, बेशक वे भारत या विदेश में कार्यरत हों, को एक या अधिक बार में देने, ऑफर करने, निगमन, आबंटन करने के लिए, जो कि बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों **("कर्मचारियों"),** जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, उचित प्रीमियम के साथ **रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य के 82,18,00,000** तक इक्विटी शेयरों, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार लाभांश के भुगतान समेत सभी संदर्भो में बैंक के मौज़ूदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऐसे मूल्य या मूल्यों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार ऐसे निबंधन व शर्तों पर सहमति को इस प्रकार दर्ज़ किया जाता है कि किसी भी समय **भारत की केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बैंक की पूर्ण रूप से प्रदत्त एक्विटी पूंजी के 51%** से कम न हो ।"

"इसके अतिरिक्त संकल्प लिया जाता है कि बैंक भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों या किसी सांविधिक आशोधन(नों), संशोधन (नों) या उसके अधिनियमन का पालन करेगा ।"

"इसके अतिरिक्त बोर्ड को स्टॉक एक्सचेंज के साथ शामिल एकरूप सूचीबद्ध करार के निबंधन व शर्तो व अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैक के शेयर सूचीबद्ध हैं **"इण्डियन ओवरसीज़ बैंक – कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2021-22 (आइओबी -ईएसपीएस 2021-22)"** के तहत आबंटित इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।"

"इसके अतिरिक्त बोर्ड को ऐसे निबंधन व शर्तो, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, पर **"आइओबी -ईएसपीएस 2021-22"** के कार्यान्वयन, गठन, प्रभाव में लाने तथा समय-समय पर **"आइओबी -ईएसपीएस 2021-22"** के निबंधन व शर्तो में संशोधन, परिवर्तन करने के लिए, जिसमें कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड या **"आइओबी -ईएसपीएस 2021-22"** को इस तरीके से जैसे कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार में निर्णय करे, सस्पेंड, आहरण, निरस्त या संशोधित करना शामिल है , और साथ ही "आइओबी -ईएसपीएस

SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **(LODR),** the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) **Regulations,** 2003 as amended upto 2008 (Regulations) and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited **(Stock Exchanges)** as per LODR (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of **Regulation** 4A of the Regulations and the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) **("SEBI Regulations"),** and subject to the approval, consent and sanction of **RBI, GOI, SEBI, Stock Exchange(s)** in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank **("The Employees"),** as may be decided by the Board, up to **82,18,00,000 equity shares of face value of Rs. 10/-** (Rupees Ten only) each with appropriate premium, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that the **Central Government of India shall at all times hold not less than 51%** of the paid-up Equity capital of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares allotted under the **"Indian Overseas Bank – Employee Stock Purchase Scheme, 2021-22 (IOB-ESPS 2021-22)",** on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the **"IOB-ESPS 2021-22"** on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the **"IOB-ESPS 2021-22",** from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the **"IOB-ESPS 2021-22"** in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the

2021-22" के कार्यान्वयन तथा प्रस्तावित **"आइओबी -ईएसपीएस 2021-22"** के अनुपालन में ज़ारी शेयरों के संबध में उठे प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों के निपटान हेतु, जिसमें शेयरधारकों की अन्य सहमति या अनुमोदन अपेक्षित नहीं है या शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा अपना अनुमोदन दे दिया है, प्राधिकृत करने का **संकल्प लिया जाता है ।"**

"इसके अतिरिक्त यह सकंल्प लिया जाता है कि निदेशकों की समिति (यों), प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या बैंक के कुछ अन्य अधिकारी (यों) को इसमें प्रदत्त सभी या कुछ अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए जो कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 व अन्य लागू विधि के अनुपालन में उक्त संकल्प को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त माने जाए।"

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निदेशक मंडल के आदेश से
-ह/-
(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 14 जुलाई 2021

"IOB-ESPS 2021-22" and to the shares to be issued pursuant to the proposed **"IOB-ESPS 2021-22"** without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution in compliance to Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank
-sd/-
(Partha Pratim Sengupta)
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date : July 14, 2021

नोट्स

क. कोविड -19 महामारी के मद्देनज़र , एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, संख्या 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, संख्या 33/2020 दिनांकित सितंबर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 एवं सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 के माध्यम से कंपनियों को 31 दिसंबर 2021 की अवधि तक शेयरधारकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है । सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉंफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है । अत: शेयरधारक एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही प्रतिभागिता कर सकते हैं ।

बैंक ने **केंद्रीय डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को एजीएम हेतु वीसी/ ओएवीएम सुविधा प्रदान करने और एजीएम के आयोजन करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है ।

सेबी एवं एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 सहित एजीएम नोटिस की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं । शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि यह नोटिस बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर अपलोड किया गया है । वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 सहित नोटिस को स्टॉक एक्सचेजों यानि नेशनल स्टॉक़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com से प्राप्त किया जा सकता है एवं एजीएम नोटिस सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है ।

ख. भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक एजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु https://investors.cameoindia.com लिंक पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं । बैठक का आयोजन 763, अण्णा सालै , चेन्नै -600002 में स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में किया जाएगा ।

ग. व्याख्यात्मक विवरण :

बैठक की कार्रवाई के संबंध में भौतिक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है ।

घ. मताधिकार :

अधिनियम की धारा 3 के उपखंड 2ई के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा समवर्ती नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपनी कितनी भी शेयरधारिता के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों** के प्रयोग के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे ।

निर्धारित की गई अंतिम तिथि शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एजीएम में प्रतिभागिता के लिए पात्र होंगे । भौतिक अथवा अमूर्त रूप में शेयरों को धारण करने वाले बैंक के शेयरधारक अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं ।

NOTES

a) In view of the continuing Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated13th January, 2021 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 & circular no. SEBI/HO/CFD/CMD21/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM for period upto December 31, 2021 without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) and MCA circulars, the Bank is holding the Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

The Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** to provide VC/OAVM facility for the AGM and as the attendant enablers for conducting of the AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholder may note that Notice and Annual Report 2020-21 have been uploaded on the website of the Bank at www.iob.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

b) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link https://investors.cameoindia.com to get the soft copy of the Notice of AGM. The Central office of the Bank at No. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

c) EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

d) VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2-E) of Section 3 of the Act, **no shareholder** of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.**

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Friday, July 30, 2021 being the Cut-off Date** will be eligible to participate in AGM for the said purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार मतदान के संबंध में किसी भी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम पंजी में पहले दर्ज़ होगा उसे ही मूल धारक समझा जाएगा । अत: शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर होने की स्थिति में केवल पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और केवल वह ही दूसरस्थ माध्यम से कार्यसूची पर या तो ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा ।

ङ. दूरस्थ ई-वोटिंग

सेबी विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 (एलओडीआर) एवं एमसीसी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, सं 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020 एवं परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित सितम्बर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित दिसंबर 31, 2020 तथा सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 का संदर्भ लेते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के साथ एकीकृत सूचीबद्ध समझौते के अनुसार बैंक ने नोटिस में वर्णित मद पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रुप में मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए ने **केन्द्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रुप में नियुक्त किया है । रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है । शेयरधारकों / लाभार्थियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में ही उनके मताधिकारों को गणना के लिए शुक्रवार दिनांक 30 जुलाई 2021 को अंतिम के रूप में लिया जाएगा । बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रुप में हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रुप में डाल सकते हैं । बैंक ने मेसर्स आर. श्रीधरन एवं एसोसिएटस के श्री आर. श्रीधरन, कंपनी सचिव (एफसीएस सं. 4775) (सीपी. सं. 3239) को रिमोर्ट वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम के दिन ई-वोटिंग प्रक्रिया सही एवं निष्पक्ष रुप में आयोजित करने के लिए जाँचकर्ता के रुप में नियुक्त किया है ।

1. रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:

(i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि बुधवार, दिनांक 04 अगस्त 2021 को सुबह 09.00 (आईएसटी) बजे से शुरु होगी और शुक्रवार दिनांक 06 अगस्त 2021 को सायं 05.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान **निर्धारित की गई अंतिम तिथि शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021** तक भौतिक अथवा अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्टॉनिक मतदान कर सकते हैं । इसके बाद सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा ।

(ii) ऐसे शेयरधारक जो बैठक तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे इस बैठक में मतदान के हकदार नहीं होंगे ।

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत **सेबी परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 09.12.2020** के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है । तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है ।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं । इसके लिए

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to cast vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the AGM.

e) REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and MCA circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 & circular no. SEBI/HO/CFD/CMD21/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. Remote E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, July 30, 2021 being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner.

1. THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

(i) The remote e-voting period begins on Wednesday, August 04, 2021 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Friday, August 06, 2021 at 5:00 p.m. (IST). During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, **as on the Cut-off date on July 30, 2021** may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.

(iii) Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020,** under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/ retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in

शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है ।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, **सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइटों** के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु सक्षम करने का निर्णय लिया गया है । डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी ।

सेबी के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा परडीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है । ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें ।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड **सीडीएसएल/ एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है :

शेयर धारकों का प्रकार	लॉगइन प्रक्रिया
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल आसान/ सबसे आसान सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं । वहाँ बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा । उपयोगकर्ताओं के लिए ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login हैं अथवा वे www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगइन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम माईसी का चयन करें । 2. सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता जहां इवोटिंग चल रही है ऐसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे । ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा । इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं यानी सीडीएसएल/ एनएसडीएल/ कार्वी/ लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें ।

India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants.** Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method f**or e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/ NSDL** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.

	3. यदि उपयोगकर्ता ईज़/ ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/my-easi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है । 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं या https://evoting.cdslindia.com/Evoting/ पर क्लिक कर सकते हैं । ई-वोटिंग प्रणाली पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जोकि डीमैट खाते में दर्ज है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित कर सकेंगे । सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता उस ई-वोटिंग विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहां वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली को सीधे एक्सस करने में भी सक्षम होगा।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं । या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित **यूआरएल https://eservices.nsdl.com** टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें । एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आइडीएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी । आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे । ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा । 2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है । "आईडीईएएस" पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित URL टाइप करके https://www.evoting.nsdl.com/ एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है ।

	3) If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page or click on https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following **URL : https://eservices.nsdl.com** either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open.

	एक नई स्क्रीन खुलेगी । जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं ।	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं । सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे । एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा ।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें ।

डिपोजीटरी यानि सीएसडीएल या एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से संबन्धित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों हेतु हेल्पडेस्क ।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर या 022-23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं ।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं ।

2. **भौतिक शेयरधारकों और डीमैट रूप में वैयक्तिक धारक के अतिरिक्त शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक से जुड़ने हेतु लॉगइन पद्धति :

(i) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगऑन करना चाहिए ।

ii) शेयरधारक मॉड्यूल पर क्लिक करें ।

(iii) अब अपनी यूजर आइडी प्रविष्ट करें ।

	You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **NSDL**	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

2. Login method for e-Voting and joining virtual meetings for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**

(i) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(ii) Click on "Shareholders" module.

(iii) Now enter your User ID

क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 वर्णों की डीपी आईडी जिसके बाद 8 अंकीय ग्राहक आईडी जुड़ी हो

ग. भौतिक रूप से शेयरधारित करने वाले शेयरधारक को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए ।

(iv) इसके बाद प्रदर्शित किए गए इमेज वेरिफिकेशन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें ।

(v) यदि आपके पास शेयर डीमेट रुप में है और आप www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपके मौजूदा पासवर्ड का ही प्रयोग किया जाना है ।

(vi) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो निम्नलिखित का पालन करें :

	डीमेट और भैतिक रुप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमेट और भौतिक रुप से शेयर धारित करने वालों पर लागू) • शेयरधारकों जिन्होंने अपना पैन कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/ आरटीए द्वारा प्रेषित क्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/ आरटीए से संपर्क करें ।
लाभांश बैंक विवरण **अथवा** जन्मतिथि (डीओबी)	लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी) लॉगिन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसी कि आपके डीमेट खाते में दर्ज है । • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास दर्ज नहीं है तब कृपया लाभांश बैंक विवरण के खाली स्थान में में दिए अनुदेशों के (V) अनुसार सदस्य आइडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें ।

(vii) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें ।

(viii) भौतिक रुप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रिन पर पहुँच जाएंगे । हालंकि, डीमैट रुप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुँचेंगे यहाँ उन्हें अपना लॉगिन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रुप से प्रविष्ट करना होगा । कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट के पात्र हैं, इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफार्म का विकल्प चुनती है । यह जोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें ।

(ix) भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ।

(x) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के ईवीएसएन 210713007 पर क्लिक करें ।

(xi) मतदान पृष्ठ पर, आपको "संकल्प विवरण" दिखेगा और मतदान के लिए उसके प्रति हाँ / नहीं विकल्प उपलब्ध होगा । इच्छा अनुसार हाँ

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

(vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

(vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(viii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(ix) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(x) Click on EVSN 210713007 of Indian Overseas Bank.

(xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option

/ नहीं का चयन करें । विकल्प हाँ का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति प्रदान की और विकल्प नहीं का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति नहीं प्रदान की ।

(xii) यदि संकल्प का सम्पूर्ण विवरण देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें ।

(xiii) संकल्प के चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर "सबमिट" पर क्लिक करना है । एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा । यदि आप अपने मत को पुष्ट करना चाहते हैं तो "ओके" को क्लिक करें अन्यथा अपना मत बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत बदलें ।

(xiv) एक बार अपने मत की पुष्टि करने के बाद अपको मत में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(xv) आप मतदान पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं ।

(xvi) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो उसे फोरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा तथा वहाँ यूज़र आइडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा ।

ऐसे शेयरधारक जिनका ई-मेल एड्रेस डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, के लिए इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया :

भौतिक रुप में शेयर धारित करने की स्थिति में – कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे व पीछे) की स्कैनड प्रति, पैन (स्वत: प्रमाणित पैन कार्ड की स्कैनड प्रति), आधार (स्वत: प्रमाणित आधार कार्ड की स्कैनड प्रति) ई-मेल के माध्यम से investor@cameoindia.com ; agm@cameoindia.com पर प्रेषित करें ।

डीमेट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर संबंधित डिपोजिटरी भागीदारों (डीपी) के साथ अद्यतित करें ।

वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए - कृपया अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर संबंधित डिपोजिटरी भागीदारों (डीपी) के साथ अद्यतित करें, जो कि डिपोजिटरी के माध्यम से ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक से जुड़ने के दौरान अनिवार्य है ।

3. वीसी / ओएवीएम व ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम / ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नवत है:

1. एजीएम / ईजीएम के दिन बैठक एवं ई-वोटिंग में उपस्थित रहने का वही अनुदेश है, जो उपर्युक्त ई-वोटिंग के लिए उद्धृत है ।
2. ई-वोटिंग के लिए उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद, जहाँ बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा वही पर बैठक में भाग लेने हेतु वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा ।
3. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि बेहतर अनुभव के लिए बैठक में लैपटॉप / आइपैड के माध्यम से जुड़ें ।
4. आगे शेयरधारक को बैठक के दौरान कैमरा को अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी बाधा से बचने के लिए अच्छे स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें ।
5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लेपटॉप द्वारा हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागी उनके संबंधित नेटवर्क में उतार – चढ़ाव आने के कारण श्रव्य/ दृश्य संबंधी बाधा का अनुभव कर सकते हैं । इसलिए सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त किसी भी प्रकार

"YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiii) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

In case shares are held in physical mode- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **investor@cameoindia.com; agm@cameoindia.com**

For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

3. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM/EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM/ EGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
4. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due

गड़बड़ी से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का प्रयोग करें ।

6. शेयरधारक सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ईजीएम बैठक शुरूआत होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले या बाद में वीसी / ओएवीएम मोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं । वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता करने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1,000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगा । इसमें वृहत्त शेयरधारकों (शेयरधारकों जिन्होंने 2 % या उससे अधिक शेयरधारण कर रखा है), प्रमोटर, संस्थान निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबन्धन कार्मिक, लेखा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारकों संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि को नहीं जोड़ा जाएगा, जिन्हें ईजीएम में बिना किसी प्रतिबंध पहले आएँ -पहले पाएँ आधार पर भाग लेने की अनुमति है ।

7. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को मंगलवार, **दिनांक अगस्त 03, 2021** तक या उससे पहले स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने के लिए, अपना निवेदन investor@iobnet.co.in पर तथा investor@cameoindia.com को कॉपी मार्क करते हुए अपना नाम, डिमेट खाता संख्या / फोलिओ संख्या, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर भेजना है । वे शेयरधारक जो ईजीएम के दौरान बात नही करना चाहते हैं परंतु उनका कोई प्रश्न है, तो वे investor@iobnet.co.in पर तथा investor@cameoindia.com; agm@cameoindia.com को कॉपी मार्क करते हुए अपना नाम, डिमेट खाता संख्या / फोलिओ संख्या, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर लिखकर अग्रिम रूप से **मंगलवार, दिनांक अगस्त 03, 2021** तक या उससे पहले भेज सकते हैं । बैंक द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर ई-मेल द्वारा उपयुक्त ढंग से दी जाएगी ।

8. वे शेयरधारक जिन्होंने बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करने / प्रश्न पूछने तथा स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है को ही बैठक के दौरान अनुमति दी जाएगी ।

9. इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के नियम 58 के अंतर्गत वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों की गिनती कोरम के उद्देश्य से की जाएगी ।

10. सिर्फ वे शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो रहे हैं और वे जो अपना वोट संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं दे पाए हैं और वे जिन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे ही एजीएम के दौरान ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे ।

11. एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट कर देने के पश्चात, उसे सदस्य बाद में न ही बदल सकते हैं या न ही पुन: वोट दे सकते हैं ।

12. यदि कोई भी वोट शेयरधारकों द्वारा एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से दिया जाता है और यदि वह शेयरधारक वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में प्रतिभागिता नहीं किये हैं, तब ऐसे शेयरधारक द्वारा दिया गया वोट मान्य नहीं है जैसा कि ई-वोटिंग की सुविधा ईजीएम बैठक के दौरान उपस्थित होने वाले बैठक में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है ।

13. वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किये हैं, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे । तथापि वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे ।

to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/ OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before Tuesday, **August 03, 2021** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in with marking copy to **investor@cameoindia.com**/ agm@cameoindia.com The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **by Tuesday, August 03, 2021** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in with marking copy to **investor@cameoindia.com**/ agm@cameoindia.com. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.

8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

9. The shareholders attending the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003.

10. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

11. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

12. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility , then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

13. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

अवैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- अवैयक्तिक शेयरधारक (यानि वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और संरक्षक www.evotingindia.com पर लॉग इन करें और स्वयं को "कार्पोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करें ।
- पंजीकरण फार्म की स्कैंड प्रति जिस पर इकाई का स्टैंप और हस्ताक्षर अंकित होता है, उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें ।
- लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालित उपयोगकर्ता का सृजन करें । अनुपालित उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा, जिसके लिए वह वोट करना चाहता है ।
- लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करें और खातों के अनुमोदन मिलने पश्चात, वे अपना वोट डाल सकेंगे ।
- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैंड प्रति जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जाँच के लिए सिस्टम पर अपलोड करें ।
- वैकल्पिक रुप से, अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर उनके नमूना हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक को भेजें और यदि वे वोट वैयक्तिक टैब पर दिए हैं और सीडीएसएल ई-वोटिंग पद्धति में उसे संवीक्षक द्वारा सत्यापित करने के लिए अपलोड न किया गया हो तो बैंक को ई-मेल यानि investors@iobnet.co.in पर भेजें साथ ही कॉपी मार्क investor@cameoindia.com और **rsaevoting@gmail.com** को करें ।

यदि आपको ई-वोटिंग पद्धति से ईजीएम एवं ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या हैं तो आप www.evotingindia.com पर अक्सर पूछे गए प्रश्नों ("एफएक्यू") और सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या फोन पर श्री नीतीन कुंदर (022- 2305 8738) या श्री राकेश डाल्वी (022- 2305 8542) से संपर्क कर सकते हैं ।

वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सुविधा से संबंधित सभी शिकायत के लिए श्री राकेश डाल्वी, प्रबन्धक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि., ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्युचरेक्स, मोफटलाल मिल कंपाउंड, एन. एम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (पूर्वी), मुम्बई – 400 013 को प्रेषित करें या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें या टेलीफोन नं. 022 – 23058542/8738 पर संपर्क करें ।

च. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुरुप, इस एजीएम के लिए शेयरधारकों के पक्ष में वोट देने या प्रॉक्सी में भाग लेने की नियुक्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि वह वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित हो रहा है । तदनुसार, इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थिति स्लिप संलग्न नहीं है ।

छ. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बॉडी कार्पोरेट ईजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और उस समय भाग ले सकता है और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकता है । संस्थान / कार्पोरेट शेयरधारक (यानि वैयक्तिक / एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को अपने बोर्ड संकल्प या शासकीय निकाय संकल्प / प्राधिकरण आदि की स्कैंड प्रति (पीडीएफ / जेपीइजी प्रारूप) भेजना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने प्रतिनिधि को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से अतिरिक्त सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए आपकी ओर से और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; at investor@iobnet.co.in with marking copy to and **rsaevoting@gmail.com,** if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr.Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/8738.

f) APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to the aforesaid circulars, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders is not available for this AGM, as it is being held through VC/ OAVM. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

g) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. Institutional /Corporate Shareholders (i.e. other than individuals/HUF, NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to

लिए अधिकृत करते हैं । संवीक्षक को उक्त संकल्प / प्राधिकरण ई-मेल के द्वारा अपने पंजीकृत ई-मेल से rsaevoting@gmail.com को तथा investor@cameoindia.com एवं बैंक के ई-मेल आइडी investor@iobnet.co.in पर कॉपी मार्क करते हुए मंगलवार, **दिनांक अगस्त 03, 2021** तक शाम 4.00 बजे (आइएसटी) तक या उससे पहले भेज दें ।

ज. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है तो, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.
(आइओबी – यूनिट)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, प्रथम तल,
नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन : 044-2846 0390 (छः लाइनें) / 044-2846 0395
फैक्स : 044 – 2846 0129 ईमेल : investor@cameoindia.com

इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक के पंजीकृत पते में, कोई परिवर्तन होने पर, उसकी सूचना सिर्फ संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागी (यों) को देने के लिए निवेदन करते हैं ।

झ) एजीएम के दौरान हुई रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के परिणामः

संवीक्षक, वार्षिक सामान्य बैठक के ई-वोटिंग समापन के पश्चात, प्रथमतः एजीएम के दौरान दिये गए वोट की गणना करेंगे, उसके बाद एजीएम समापन के 48 घंटों के भीतर, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देना बंद करवाएंगे, पक्ष या विपक्ष में पड़े कुल वोट की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या अध्यक्ष, जो उसपर प्रति हस्ताक्षर करेंगे । बैंक अपने वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम का भी घोषणा करेगा और स्टॉक एक्स्चेंज को भी सूचित करेगा ।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निदेशक मंडल के आदेश से

-ह/-

(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 14 जुलाई 2021

participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to rsaevoting@gmail.com with copy marked to and to the Bank at investor@iobnet.co.in on or before 4.00 p.m. (IST) on Tuesday, August 03, 2021.

h) CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s.Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building,
V Floor, No.1 Club House Road,
Chennai – 600 002
Tel: 044 – 2846 0390 (Six Lines) / 044 – 2846 0395
Fax: 044 – 2846 0129 email: investor@cameoindia.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address only to their respective Depository Participant(s).

i) RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the AGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-

(Partha Pratim Sengupta)
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date : July 14, 2021

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद सं.2 :

1. वर्तमान में बैंक की अधिकृत पूंजी 25,000 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2021 को बैंक की प्रदत्त पूंजी रु. 16,437 करोड़ (31.03.2021 को प्राप्त रु. 4,100 करोड़ भारत सरकार की पूंजी निवेश राशि और आवंटन लंबित शेयर आवेदन धन खाते में रखा गया को छोड़कर) है । बेसल III के अनुसार 31 मार्च, 2021 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.32% और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9.00% (सीसीबी को छोड़कर) से अधिक है । हालांकि, पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने और आने वाले वर्षों में बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाने की आवश्यकता बढ़ रही है।

2. प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 3(2बी) (सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा । तथापि, केन्द्रीय सरकार की धारणा, बैंक की प्रदत्त पूंजी में किसी भी समय में 51 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

3. एलओडीआर विनियम 2015 का विनियम 41 प्रावधान करता है कि बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जाता है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में कोई दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है तो वर्तमान शेयरधारकों को भी समानुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए। यह संकल्प यदि पारित हो तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक रूप से करने के अलावा, प्रतिभूति आबंटित व जारी करने हेतु बैंक की ओर से मंडल को अनुमति है।

4. संकल्प बैंक को समर्थ करता है कि वह सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम और/या निजी स्थानन के आधार पर आबंटन के ज़रिए ईक्विटी शेयरों / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों के प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सके । निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं सुदृढ़ हो जाए ।

5. संकल्प यह भी अपेक्षित करता है कि आइसीडीआर विनियमन में उल्लिखितानुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत स्थानन करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए । शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के तहत उल्लिखित इस प्रणाली को बैंक के लिए निधि जुटाने के लिए अपनाएं ।

   आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के संदर्भ में क्यूआइपी इश्यू के मामले में , क्यूआइपी के आधार पर प्रतिभूतियों के इश्यू ,केवल एक मूल्य पर बनाया जा सकता है , जो "प्रासंगिक तिथि" से पहले दो सप्ताह के दौरान साप्ताहिक स्टॉक एक्सचेंज में उद्त किए गए शेयरों के उच्च और निम्र औसत से कम नहीं होगा । बशर्ते कि जारीकर्ता गणना की गई कीमत पर पाँच प्रतिशत से अधिक की छूट की पेशकश नहीं कर सकता है , जो विनियमों के विनियमन 172 के खंड (क) में निर्दिष्ट शेयरधारकों के मंजूरी के अधीन है । "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ उस बैठक की तिथि से होगा जिसमें बैंक या समिति क्यूआइपी इश्यू को खोलने का निर्णय लेती है ।

6. 31.03.2021 को बैंक की प्रदत्त पूँजी का 95.84% भारत सरकार व 4.16% पब्लिक धारण करती है । इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी जुटाने से बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता को बढ़ाने में मदद मिलेगी जो वर्तमान में प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19ए में निर्धारित न्यूनतम आवश्यक सार्वजनिक शेयरधारिता 25% से कम

Explanatory Statement

Agenda item No. 2

1. The Authorized capital of the Bank is, at present, Rs.25,000 Crore. The paid up capital of the Bank as on 31st March, 2021 is Rs.16,437 Crore (Excluding GOI's Capital Infusion amount of Rs.4,100 crore received on 31.03.2021 and kept in Share Application Money Account pending allotment). The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2021, as per Basel III is 15.32% and above the 9.00% (excluding CCB) stipulated by the Reserve Bank of India. However, with a view to comply with Basel III requirements relating to capital adequacy, there is an increasing need to raise capital to shore up the capital adequacy of the Bank and fund the general business needs of the Bank in coming years.

2. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Act will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid – up equity capital of the Bank.

3. Regulation 41 of the LODR Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

4. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

5. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutions Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

   In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the equity shares of the same class quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". Provided that the issuer may offer a discount of not more than five per cent on the price so calculated, subject to approval of shareholders as specified in clause (a) of regulation 172 of the regulations. "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

6. As on 31.03.2021, the GOI holds 95.84 % and the public holds 4.16% of the paid up capital of the Bank. Raising of capital through issue of equity shares would help in increasing the public shareholding in the Bank which is at

है । संकल्प के मद संख्या 2 में निर्धारित एक या एक से अधिक किश्तों में इक्विटी शेयर बनाने, ऑफ़र करने, जारी करने और आवंटित करने के लिए बैंक शेयरधारकों के समक्ष एक सक्षम प्रस्ताव का प्रस्ताव कर रहा है ।

7. प्रस्ताव के विस्तृत निबंधन व शर्तें वर्तमान बाज़ार स्थितियों व अन्य नियंत्रक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और हामीदारों और ऐसे अन्य प्राधिकार या प्राधिकारों जैसे आवश्यक है, के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे ।

8. चूंकि प्रस्ताव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की तारीखों के अलावा नहीं लिया जा सकता, अत: जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना नामुमकिन है। तथापि यह आइसीडीआर विनियमन, अधिनियम और विनियमनों के प्रावधानों, जो समय समय पर संशोधित हैं या अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमनों / सहमतियों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा ।

9. पूर्वोक्त कारणों से, एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया जा सकेगा ।

10. आंबटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे ।

उपर्युक्त कारणों के मद्देनज़र , जैसा कि वर्णित है, बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है । तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 2 में रखे गए प्रस्ताव हेतु विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति माँगी जा रही है।

निदेशक मंडल नोटिस में वर्णित संकल्पों को पास करने की संस्तुति देते हैं । बैंक के किसी भी निदेशक की, बैंक में उनकी शेयरधारिता के सीमा की हद के अलावा, पूर्वकथित संकल्प (पों) में कोई दिलचस्पी नहीं है न ही वे उससे संबंधित हैं ।

कार्यसूची सं.3 :

दीर्घ अवधि के संसाधनों द्वारा कारोबार के विस्तार हेतु निधियों की बढ़ती आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया, साथ ही पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए व पूँजी जुटाने की योजना के अनुसार, बैंक अपने कर्मचारियों को **''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22''** के अंतर्गत शेयर जारी करने के लिए प्रस्तावित करता है । उक्त प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार/ भा.रि.बैं./ सेबी / स्टॉक विनिमयों व अन्य नियामक निकायों से अनुमोदनों के अधीन होता है ।

अब, बैंक ने उन शर्तों व निबंधन पर जैसा कि **''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22''** '' के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या ''इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति'' (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों (''पात्र कर्मचारियों'') को इक्विटी शेयर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है जो कि निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ-साथ लागू विधि, नियमों, विनियमों व दिशानिर्देशों के अधीन होगी :

i. बैंक की वृद्धि व लाभप्रदता में सहयोग देने के लिए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना, बेहतर निष्पादन के लिए उनके प्रयत्नों को बढ़ावा देना;

ii. बैंक की वृद्धि के लिए पात्र कर्मचारियों को उनके लगातार समर्थन व सहयोग हेतु पुरस्कार देना;

present below the Minimum required Public Shareholding of 25% as stipulated in Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. Bank is proposing an enabling resolution before the shareholders to create, offer, issue and allot equity shares in one or more tranches as set out in the Item No.2 of the Resolution.

7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Act and the Regulations as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

10. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

In the light of the reason as stated above, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution. Accordingly, the consent of the shareholders through a Special Resolution is being sought for the proposal as contained in item no. 2 of the Notice.

The Board of Directors recommends passing of the Resolution as mentioned in the notice. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Agenda No. 3

In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources as may be decided by the Board, as also to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, the Bank proposes to issue shares under **"IOB-ESPS 2021-22"** to its employees. The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

Now, the Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under **"IOB-ESPS 2021-22"** or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

(i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank;

(ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth;

iii. बैंक में स्वामित्व हित को प्राप्त करने के लिए पात्र कर्मचारियों द्वारा इक्विटी स्वामित्व को बढ़ावा देना।

आबंटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे ।

एलओडीआर विनियमों का नियम 41 बताता है कि जब कभी भी बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त इश्यू या ऑफर किया जा रहा है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर वही प्रदान किया जाना चाहिए जबतक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक निर्णय अन्यथा नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पास हो जाता है तो वह बैंक की ओर से बोर्ड को वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ प्रदान करने के बजाए प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करने के लिए अनुमति देगा ।

इसके अतिरिक्त, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (सेबी विनियम) के विनियम 6 व 14 के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों की लाभ योजना सेबी विनियमों व इस संबंध में सेबी द्वारा तैयार किए गए अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी ।

सेबी द्वारा परिपत्र सं. सीआइआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांकित 16 जून, 2015 में वर्णितानुसार, निम्नलिखित **''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22''** के व्यापक निबंधन व शर्तों के साथ होगा :

1. योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक, उन निबंधन व शर्तों पर जैसा कि **''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22''** के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या ''इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति'' (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों (''पात्र कर्मचारियों'') को इक्विटी शेयर प्रदान करने की इच्छा रखता है , इसके साथ ऑफर के समय, उपयुक्त प्रीमियम के साथ रु.10 के अंकित मूल्य पर 82.18 करोड़ के इक्विटी शेयरों से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2. प्रदान किए जाने वाले शेयरों की कुल

संख्या 82,18,00,000 इक्विटी शेयरों को **''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22''** के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि, **''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22'** 'के अनुसार, किसी पात्र कर्मचारी को प्रदान किए गए शेयर, यदि वे गैर-सब्सक्राइब रहते हैं तो वे इच्छुक पात्र कर्मचारियों को उसी कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड या समिति द्वारा निर्णय लिया जाए ।

3. आइओबी-ईएसपीएस 2021 - 20 में भाग लेने व लाभार्थी बनने के हक़दार कर्मचारियों के वर्ग की पहचान

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी ।

4. निहितीकरण की आवश्यकता तथा निहितीकरण की अवधि

लागू नहीं

5. अधिकतम अवधि (विनियमों के विनियम 18(1) व 24(1),जैसा भी मामला हो, के अधीन) जिसके भीतर विकल्प/एसएआरएस/लाभ प्रदान किया जाएगा

लागू नहीं

(iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SEBI Regulations) all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated by SEBI through Circular No. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated 16th June, 2015 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the **"IOB-ESPS 2021-22"**

1. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under **"IOB-ESPS 2021-22"** or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not exceeding 82.18 crore equity shares at a face value of Rs 10 each with appropriate premium, at the time of offer.

2. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED

Up to 82,18,00,000 equity shares are proposed to be offered to the eligible employees under the **"IOB-ESPS 2021-22".** However, the portion of shares offered, pursuant to the **"IOB-ESPS 2021-22",** to any eligible employees, if remains unsubscribed, shall be made available to interested eligible employees at such price, as may be decided by the Board or Committee.

3. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE "IOB-ESPS 2021-22"

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank

4. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

Not Applicable.

5. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTIONS / SARs / BENEFIT SHALL BE VESTED

Not Applicable

6. **विकल्प प्रयोग मूल्य,एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला**

इक्विटी शेयरों के निर्गमन हेतु क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मुला का निर्धारण ऑफर के समय सेबी (एस.बी.ई.बी) विनियम के अनुसार निदेशकों की समिति द्वारा किया जाएगा ।

7. **विकल्प प्रयोग अवधि तथा विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया**

निर्गमन / ऑफर की तारीख से एक माह ।

8. **''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22'' के लिए कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया**

शेयरों की ऑफरिंग / निर्गमन की तारीख तक बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी लागू विनियामक अपेक्षाओं व दिशानिदेर्शों के अधीन भाग लेने के हक़दार होंगे ।

9. **प्रति कर्मचारी व समग्रता में ज़ारी विकल्प, एसएआर 'ओं, शेयरों, जैसा भी मामला हो, की अधिकतम संख्या**

बैंक समग्रता में अधिकतम 82,18,00,000 इक्विटी शेयरों को ज़ारी करने का प्रस्ताव रखता है और प्रति कर्मचारी ज़ारी किए जाने वाले शेयर ज़ारी पूँजी के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

10. **योजना के तहत प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम प्रमात्रा**

चूँकि नए शेयरों का **''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22''** के तहत निर्गमन प्रस्तावित है, पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

11. **क्या योजना(ओं) को सीधे कंपनी या न्यास के ज़रिए द्वारा कार्यान्वित तथा क्रियान्वित किया जाना है**

''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22'' का सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित तथा क्रियान्वित किया जाएगा।

12. **क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन अथ्व न्यास द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों शामिल है**

''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22'' के ज़रिए बैंक नए इक्विटी शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को ज़ारी करेगा।

13. **कंपनी द्वारा न्यास को योजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोग, चुकतान निबंधन आदि:**

चूँकि बैंक द्वारा **''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22''** के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास के गठन या न्यास को ऋण प्रदान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

14. **द्वितीयक अधिग्रहण की अधिकतम प्रतिशतता (विनियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जोकि न्यास द्वारा योजना (ओं) कार्यान्वयन के लिए अपनाया जा सकता है**

चूँकि बैंक द्वारा **''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22''** के तहत शेयरो को सीधे पात्र कर्मचारियों को ज़ारी किया जाता है, न्यास के द्वारा द्वितियक अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता ।

6. **EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA**

Purchase price or pricing formula will be determined by the Committee of Directors for Issue of Equity Shares as per SEBI Regulations at the time of offer.

7. **EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE**

One month from the date of issue / offer.

8. **THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE "IOB-ESPS 2021-22"**

All permanent employees including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/ issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

9. **MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE**

The Bank proposes to issue maximum of 82,18,00,000 equity shares in aggregate and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the issued capital.

10. **MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME**

As the new shares are proposed to be issued under **"IOB-ESPS 2021-22",** no other benefits will be provided to eligible employees.

11. **WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST**

"IOB-ESPS 2021-22" will be implemented and administered directly by the Bank.

12. **WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH**

Under the **"IOB-ESPS 2021-22",** the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

13. **THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.;**

As the shares are directly issued to the eligible employees under the **"IOB-ESPS 2021-22"** by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.

14. **MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)**

As the shares are directly issued to the eligible employees under the **"IOB-ESPS 2021-22"** by the Bank, secondary acquisition by the trust does not arise.

15. कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी, इस आशय का वक्तव्य

बैंक विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी।

16. प्रक्रिया जिसे कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयोग करेगी।

चूँकि **''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22''** के तहत सिर्फ शेयर ज़ारी किए जाते हैं, एसएआर के मूल्य निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

17. निम्नलिखित विवरणी, यदि लागू हो:

यदि कंपनी यथार्थ मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विकल्प को नहीं चुनती है तो परिकलित कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत व उचित मूल्य के उपयोग पर आने वाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के अंतर को निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा और इस अंतर की वजह से कंपनी के लाभ व प्रति शेयर अर्जन (''ईपीएस'') पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

बैंक उक्त अपेक्षाओं का आवश्यकता पड़ने पर पालन करेगा ।

लॉक-इन अवधि:

''आइओबी -ईएसपीएस 2021-22'' के तहत ज़ारी इक्विटी शेयरों को सेबी सेबी विनियमों के अनुसार आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा । इसलिए बैंक को विशेश संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करनी होगी । अत: उक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध है ।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प के पारित होने को संस्तुत करता है । बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कोई हो, को छोड़कर, बैंक का कोई भी निदेशक उक्त संकल्प (पों) के प्रति इच्छुक / संबंधित नहीं है ।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निदेशक मंडल के आदेश से

-ह/-

(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 14 जुलाई 2021

15. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15

16. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

As only the shares are issued under the **"IOB-ESPS 2021-22",** the valuation of options or SARs does not arise.

17. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

'In case the company opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the company shall also be disclosed in the Directors' Report.

The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

Lock in period:

The equity shares issued under **"IOB-ESPS 2021-22"** shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank, if any.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-

(Partha Pratim Sengupta)
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date : July 14, 2021

निदेशक रिपोर्ट 2020-21

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र और लाभ-हानि खाते के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है ।

वैश्विक व्यापार निष्पादन

नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप के कारण 2019 में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 3.3 प्रतिशत की कमी दर्ज़ की गई जो कि सबसे खराब वित्तीय संकटों में से एक है । घातक वायरस से लड़ने और जीवन को सामान्य गति पर वापस लाने के लिए दुनिया भर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा पर्याप्त वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहन पैकेज जारी किए गए हैं । भारतीय अर्थव्यवस्था भी इस घटना से अछूती नहीं है । वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप, भारत ने वित्तीय वर्ष के दौरान बड़े आर्थिक व्यवधानों को देखा, जिससे सरकार को सख्त लॉकडाउन उपायों को लागू करने के लिए विवश होना पड़ा, जिससे विनिर्माण और व्यापार गतिविधियां लगभग शून्य हो गईं । निरंतर लॉकडाउन ने आवागमन प्रतिबंधों को लागू करने हेतु मजबूर किया और सामाजिक दूरी ने अद्वितीय आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा किया और उपभोक्ता मांग में गिरावट आई । इसने वित्त वर्ष 2019-20 में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 8.0% तक घटने के लिए विवश किया ।

वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक का मुख्य फोकस सभी स्टाफ सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए वायरस के प्रसार के बीच ग्राहक को निरंतर सेवा प्रदान करना था । बैंक ने ग्राहक, कर्मचारियों और सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोविड 19 प्रोटोकॉल का विधिवत पालन करते हुए व्यवसाय निरंतरता योजना का पालन किया ।

31 मार्च 2021 तक बैंकों का वैश्विक कारोबार 31 मार्च 2020 के 3,57,723 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में 3,79,885 करोड़ रुपये था । 31 मार्च 2021 तक बैंक की जमा और अग्रिम 31 मार्च 2020 की जमाओं तथा अग्रिम क्रमशः 2,22,952 करोड़ रुपये और 1,34,771 करोड़ रुपये की तुलना में क्रमशः 2,40,288 करोड़ रुपये और 1,39,597 करोड़ रुपये थे ।

जमा के मोर्चे पर, बैंक ने थोक जमा राशियों के संकेंद्रण को और कम किया तथा कम लागत वाली जमा राशियों की हिस्सेदारी में सुधार किया । 31 मार्च 2020 की तुलना में कासा जमा में 13.83 प्रतिशत की वृद्धि की गई और 31 मार्च 2021 को यह 1,02,165 करोड़ रुपये हो गया, जो बैंक के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है । कासा अनुपात 42.52 प्रतिशत पर रहा ।

वर्ष के दौरान बैंक की परिचालन क्षमता में और सुधार हुआ । पूंजीगत बाध्यताओं ने बैंक को क्रेडिट पोर्टफोलियो का विस्तार करने से रोक रखा है । गिरती ब्याज दर व्यवस्था के तहत ब्याज सृजित आय को बनाए रखने के लिए बैंक ने आवास और आभूषण ऋण जैसे पूंजीगत हल्के अग्रिमों के बढ़ावा देना जारी रखा है । वर्ष के दौरान बेहतर गैर-ब्याज सृजित आय ने बैंक की परिचालन क्षमता को और मजबूत किया है । कम ब्याज व्यय के चलते बैंक अपने व्यय को नियंत्रित कर सका । परिणामस्वरूप, बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रुपये 5896 करोड़ परिचालन लाभ अर्जित किया है ।

बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां रुपये 19,913 करोड़ से घटकर रुपये 16,323 करोड़ हो गई हैं और इस तरह बहु-आयामी और केंद्रित वसूली पहल के माध्यम से जीएनपीए प्रतिशत 14.78% से घटकर 11.69 % हो गया है । एनएनपीए निरपेक्ष रूप से रुपये 6603 करोड़ से घटाकर रुपये 4578 करोड़ हो गया है जो कि प्रतिशतवार 5.44% से घट कर 3.58% हो गया है । बैंक का पीसीआर 31.03.2020 को 86.94% से बढ़कर 31.03.2021 तक 90.34% हो गया है, जो अन्यों की तुलना में सर्वाधिक है ।

इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 हेतु रुपये 831 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है ।

आय एवं व्यय विश्लेषण

अग्रिमों पर ब्याज पिछले वर्ष प्राप्त 11513 करोड़ रुपये की तुलना में 10834 करोड़ रुपये तक सीमित रहा । निवेश पर ब्याज वित्त वर्ष 2019-20 में 5208 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 5712 करोड़ रुपये हो गया । हालांकि, मुख्य रूप से गिरती ब्याज दर व्यवस्था के कारण वर्ष के दौरान समग्र ब्याज आय में गिरावट दर्ज़ की गई है । इसके अलावा, ब्याज आय जिसमें एनपीए खातों से वसूला गया ब्याज शामिल है, वित्त वर्ष 2020-21 में वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में कम था ।

कम लागत वाली जमाराशियों के तहत वृद्धि और थोक जमाराशियों की कमी ने जमा की लागत को नियंत्रित करने में मदद की है । कासा 31 मार्च-2020 के 89751 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च-2021 तक 13.83% की वृद्धि के साथ 102165 करोड़ रुपये हो गया है । कासा प्रतिशत 31 मार्च-2020 तक 40.26% से बढ़कर 31 मार्च-2021 तक 42.52% हो गया है । इसके अलावा, बचत बैंक जमा और सावधि जमा में गिरती ब्याज दरों ने ब्याज व्यय को नियंत्रित रखा है ।

अग्रिमों पर ब्याज में कमी के बावजूद, शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 2019-20 में 5303 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 5899 करोड़ रुपये हो गई है । ग्यारहवें द्विपक्षीय निपटान के कारण प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन और पेंशन कम्यूटेशन बकाया के प्रावधान के कारण परिचालन व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5129 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में मामूली रूप से बढ़कर 5562 करोड़ रुपये हो गया है ।

वित्त वर्ष 2019-20 में अग्रिम लाभ 8.62 प्रतिशत के स्तर से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 8.00 प्रतिशत हो गया । वित्त वर्ष 2019-20 में जमा की लागत 5.33 प्रतिशत से कम हो कर वित्त वर्ष 2020-21 में 4.70 प्रतिशत रह गई है । परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 9 बीपीएस बढ़कर 2.39 प्रतिशत हो गया, जबकि यह वित्त वर्ष 2019-20 में 2.30 प्रतिशत था ।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त पूँजी

भारत सरकार के द्वारा निवेशित पूँजी

बैंक को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार के निवेश के रूप में बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आवंटन में केंद्र सरकार से योगदान के रूप में भारत सरकार से 4,100 करोड़ रुपये (चार हजार

DIRECTORS' REPORT 2020-21

The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2021.

Global Business Performance

Outbreak of novel Corona virus (COVID-19) pandemic resulted in contraction of global economy growth by 3.3 percent in 2020 as against 2.8 percent growth witnessed in 2019, marking one of the worst financial crises. Substantial fiscal and monetary stimulus packages are released by the Governments and Central Banks across the globe to fight the deadly virus and bring life to normal. Indian Economy is no exception to this event. In line with global economy, India witnessed major economic disruptions during the Financial Year forcing the Government to impose strict lockdown measures, bringing the manufacturing and trade activities to almost zero. Continuous lockdown forced mobility restrictions and social distancing led to unparalleled supply chain disruption and fall out in consumer demand. This forced Indian GDP growth to contract by 8.0% in FY 2020-21 as against the growth of 4.0 percent in FY 2019-20.

Financial Performance

During FY 2020-21, the major focus of the Bank was to impart continuous service to the customer amidst the spread of virus while keeping in place the interest of all the staff members. Bank followed Business Continuity Plan duly adhering to COVID Protocol to serve the interest of the Customer, Staff and all stakeholders.

Bank's global business stood at Rs.3,79,885 Crores as of 31st March 2021 as compared to Rs.3,57,723 Crores as of 31st March 2020. Deposits and Advances stood at Rs.2,40,288 Crores and Rs.1,39,597 Crores as of 31st March 2021 as compared to Rs.2,22,952 Crores and Rs.1,34,771 Crores as of 31st March 2020 respectively.

On Deposits front, Bank further reduced the concentration of Bulk deposits and improved the share of low cost deposits. CASA deposits grew by 13.83 percent over 31st March 2020 and stood at Rs. 1,02,165 Crores as on 31st March 2021, a milestone achievement in the history of the Bank. CASA ratio remained at 42.52 percent.

The operational efficiency of the Bank improved further during the year. Constraints on capital has restricted the Bank to expand the credit portfolio. Bank continued to accelerate the growth under Capital light advances such as Housing and jewel loan in order to protect the interest income under a falling interest rate regime. The improved non-interest income during the year has further strengthened the operating efficiency of the Bank. Bank could contain its expenditure on account of lower interest expenses. As a result, Bank could achieve operating profit to the extent of Rs.5896 Crores for FY 2020-21.

Bank could reduce the Gross Non Performing Assets substantially from Rs 19913 Crores to Rs 16,323 Crores and thereby brought down the GNPA percent from 14.78 percent to 11.69 percent through multi-pronged and focused recovery initiatives. NNPA has been brought down from Rs 6603 Crores to Rs 4578 Crores in absolute terms and from 5.44 percent to 3.58 percent. PCR of the Bank has improved substantially from 86.94 percent as on 31.03.2020 to 90.34 percent as on 31.03.2021, one of the highest in industry.

As a result of this approach, Bank could register Net profit to the tune of Rs 831 Crores for FY 2020-21.

Income and Expenditure Analysis

The Interest on advances was limited to Rs.10834 Crores as compared to Rs.11513 Crores received previous year. Interest on investments has improved from Rs.5208 Crores in FY 2019-20 to Rs.5712 Crores in FY 2020-21. However, overall interest income has recorded decline during the year mainly due to falling interest rate regime. Besides, the Interest Income which includes interest recovered from NPA accounts stood lower in FY 2020-21 as against in FY 2019-20.

Growth under low cost deposits and shedding of bulk deposits has helped in controlling the cost of deposit. CASA has improved from Rs.89751Crores as of 31st March-2020 to Rs.102165 Crores as of 31st March-2021 with a growth of 13.83%. CASA% has moved up from 40.26% as of 31st March-2020 to 42.52% as of 31st March-2021. Further, the falling interest rates in Savings Bank deposit and term deposits has kept interest expenditure in control.

Despite reduction in interest on advances, Net Interest Income has improved from Rs.5303 Crores in FY 2019-20 to Rs 5899 Crores in FY 2020-21. Operating expenses has gone up marginally from Rs 5129 Crores in FY 2019-20 to Rs.5562 Crores in FY 2020-21 due to provision for performance linked incentives and pension commutation arrears on account of the XIth Bipartite settlement.

Yield on Advances has decreased from the level of 8.62 percent in FY 2019-20 to 8.00 percent in FY 2020-21. Cost of deposits has been brought down from 5.33 percent in FY 2019-20 to 4.70 percent in FY 2020-21. As a result, Net Interest Margin (NIM) stood higher by 9 bps at 2.39 percent in FY 2020-21 as against 2.30 percent in FY 2019-20.

Capital Raised during FY 2020-21

Capital Infusion by Government of India

The Bank received a capital infusion of Rs.4,100 Crores (Rupees Four Thousand One Hundred Crores only) from Government of India towards contribution of Central

एक सौ करोड़ रुपये मात्र) की पूंजी प्राप्त हुई । 31.03.2021 को बैंक द्वारा प्राप्त 4,100 करोड़ रुपये (चार हजार एक सौ करोड़ रुपये मात्र) की राशि को भारत सरकार को शेयरों के आवंटन के लिए 31.03.2021 को शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट में रखा गया है ।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल III मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2021 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.32% था ।

शाखा नेटवर्क

31 मार्च 2021 को बैंक की 3,217 घरेलू शाखाएँ हैं, जबकि 31 मार्च 2020 को 3,270 शाखाएँ थीं, जिनमें 903 ग्रामीण शाखाएँ (28.07%), 960 अर्ध शहरी शाखाएँ (29.84%), 653 शहरी शाखाएँ (20.30%) और 701 महानगरीय शाखाएँ (21.79%) शामिल हैं । बैंक के पास 48 क्षेत्रीय कार्यालय, 3 विस्तार काउंटर, 1 सैटेलाइट कार्यालय, 3 सिटी बैक ऑफिस और 6 नोडल लेखा परीक्षा कार्यालय भी हैं। समीक्षाधीन वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21) के दौरान, बैंक ने 53 शाखाओं का अन्य मौजूदा शाखाओं में विलय कर दिया है और 7 क्षेत्रीय कार्यालयों और 1 सैटेलाइट कार्यालय को बंद कर दिया गया है ।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस बैंक के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के संचालन में अंतर्निहित मूल्य प्रणाली को दर्शाता है । बैंक प्रभावी कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व की महत्ता को बैंक की सुरक्षित और सुदृढ़ कार्यप्रणाली लिए मान्यता देता है और बैंक और उसके हितधारकों के हितों की सेवा के लिए रणनीतिक उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए संरचनाएं, प्रक्रियाओं और प्रणालियां को स्थापित करने पर ज़ोर देता है जो प्रभावी निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है ।

सेबी (सूचीबद्ध आपेक्षाएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियमन), 2015 (एलओडीआर)

सेबी (एलओडीआर) के अनुसार

- बैंक अपने शेयरधारकों को सामान्य वार्षिक बैठकों/ असाधारण सामान्य बैठकों में मतदान के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है ।
- आचार संहिता बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात बैंक के महाप्रबंधकों) पर लागू होती है ।
- बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक तिमाही अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बीएसई और एनएसई, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रस्तुत करता है ।
- बैंक बीएसई और एनएसई को त्रैमासिक निवेशक शिकायत रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहा है ।

वर्तमान दौर में चल रही कोविड 19 महामारी के मद्देनजर, बैंक ने सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में वर्चुअल मोड के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम 2020) आयोजित की है ।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक ने अपने नामित व्यक्ति के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध के लिए IOB आचार संहिता तैयार की है ।

निवेशक शिक्षण तथा संरक्षण निधि

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने सितंबर, 2020 के दौरान वर्ष 2012-13 से संबंधित आदत्त लाभांश राशि आईईपीएफ को अंतरित किया था । वर्ष 2013-14 से संबंधित आदत्त लाभांश डेटा एमसीए वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और यह www.iob.in पर भी उपलब्ध है। तदनुसार, बैंक ने आईईपीएफ को अवैतनिक लाभांश के अंतरण के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है ।

बैंक नियामक प्राधिकरणों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए सभी दिशानिर्देशों/विनियमों का अनुपालन कर रहा है । बैंक बिना किसी विलंब के शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण करता है ।

निदेशक मण्डल

बैंक का व्यवसाय निदेशक मंडल के पास निहित है । कार्यपालक निदेशक एवम मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक मण्डल का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करते हैं । आज की तारीख में छह निदेशक हैं जिनमें तीन पूर्णकालिक निदेशक, एक भारत सरकार नामित निदेशक, एक आरबीआई नामित निदेशक तथा एक शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक शामिल हैं जो उनके हित का विधिवत प्रतिनिधित्व करते हैं । एमडी और सीईओ अध्यक्ष के रूप में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं ।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशकों की शर्तों की स्थिति इस प्रकार है:

नाम	ज्वाइन होने की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि	पदनाम
श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020	31.12.2022	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017	08.10.2022 ^	कार्यपालक निदेशक
सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	09.03.2024	कार्यपालक निदेशक
सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016	***	सरकार द्वारा नामित निदेशक
डॉ. दीपक कुमार	18.09.2019	***	आरबीआइ द्वारा नामित निदेशक
श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	08.12.2017 29.01.2021 #	07.12.2020 28.01.2024	शेयरधारक निदेशक

Government in the preferential allotment of equity shares of the Bank during the Financial Year 2020-21, as Government's Investment. The amount of Rs.4,100 Crores (Rupees Four Thousand One Hundred crores only) received by the Bank on 31.03.2021 is kept in Share Application Money Account as on 31.03.2021 for allotment of shares to Government of India.

Capital Adequacy Ratio

The Bank's capital adequacy ratio as on 31st March 2021 stood at 15.32 % as per Basel III norms.

Branch Network

The Bank has 3,217 domestic Branches as on 31st March 2021 as against 3,270 Branches as on 31st March 2020, comprising of 903 Rural Branches (28.07%), 960 Semi Urban Branches (29.84%), 653 Urban Branches (20.30%) and 701 Metropolitan Branches (21.79%). The Bank also has 48 Regional Offices, 3 Extension Counters, 1 Satellite Office, 3 City Back Offices and 6 Nodal Audit Offices. During the year under review (FY 2020-21), the Bank has merged 53 Branches with other existing branches and closed 7 Zonal Offices and 1 Satellite Office.

Corporate Governance

Corporate Governance reflects the built in value system of the Bank in conducting its day to day affairs. The Bank recognizes the critical importance of effective Corporate Governance for the safe and sound functioning of the Bank and lays emphasis on ensuring that structures, processes and systems are put in place to establish strategic objectives to serve the interest of the Bank and its stakeholders with a view to facilitate effective monitoring.

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations), 2015 (LODR)

As per SEBI (LODR),

- The Bank is providing remote e-voting facility to its shareholders, in all Annual General Meetings/ Extraordinary General Meetings.
- The Code of Conduct is applicable to all members of the Board and the Senior Management (i.e., General Managers of the Bank).
- The Bank is submitting a quarterly compliance report on Corporate Governance to the Audit Committee of the Board and to BSE & NSE, where the shares of the Bank are listed.
- The Bank is also submitting Quarterly Investor Grievance Report to BSE & NSE.

In view of ongoing Covid19 pandemic, the Bank has conducted Annual General Meeting (AGM 2020) through virtual mode i.e. in compliance with SEBI guidelines.

Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Bank has formulated IOB Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading for its Designated Person.

Investor Education & Protection Fund (IEPF)

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, the Bank transferred Unpaid Dividend amount pertaining to the year 2012-13 to IEPF during September, 2020. The unpaid dividend data pertaining to the years 2013-14 has been uploaded in MCA website and is also available at www.iob.in. Accordingly, the Bank has complied with the guidelines of Government of India in respect of transfer of unpaid dividend to IEPF.

Bank is complying with all guidelines/regulations laid down by the Regulatory Authorities and Government of India from time to time. The Bank redresses the shareholders grievances without any delay.

Board of Directors

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on date is six directors comprising three whole time Directors, one GOI Nominee Director, one RBI nominee director, one director elected from amongst the shareholders to duly represent their interest. The MD & CEO presides over the meetings of the Board as Chairman.

The position of the terms of directors during the FY 2020-21 is as under:

Name	Date of Joining	Term Ended on	Designation
Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020	31.12.2022	Managing Director & Chief Executive Officer
Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017	08.10.2022 ^	Executive Director
Ms S Srimathy	10.03.2021	09.03.2024	Executive Director
Ms Annie George Mathew	22.07.2016	***	Govt. Nominee Director
Dr. Deepak Kumar	18.09.2019	***	RBI Nominee Director
Shri Navin Prakash Sinha	08.12.2017 29.01.2021 #	07.12.2020 28.01.2024	Share Holder Director

^ - श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल 09.10.2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है ।

- श्री नवीन प्रकाश सिन्हा को 29.01.2021 से 28.01.2024 तक दूसरे कार्यकाल के लिए शेयर धारक निदेशक के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है ।

*** आगामी आदेशों तक

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, निम्नलिखित निदेशक का कार्यकाल निम्नानुसार समाप्त हुआ:

नाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि	पद
श्री कर्नम शेखर	15.04.2019 (01.04.2019 से प्रभावी)	30.06.2020	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री संजय रूंगटा	08.12.2017	07.12.2020	शेयरधारक निदेशक

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और सभी विदेशी नियामकों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी हैं । निदेशक मंडल मूल्यवान ग्राहकों, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को उनके मूल्यवान समर्थन और बैंक के साथ निरंतर संरक्षण हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता है ।

मण्डल बैंक के सभी स्टार के स्टाफ सदस्यों के मूल्यवान योगदान के लिए प्रशंसा को दर्ज़ करता है एवं भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनके निरंतर योगदान एवं प्रतिबद्धता कि अपेक्षा करता है ।

कृते निदेशक मण्डल की ओर से

-ह/-

चेन्नै — **पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता**

14 जून 2021 — प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

^ - Shri Ajay Kumar Srivastava, term of office extended for a period of two years with effect from 09.10.2020.

- Shri Navin Prakash Sinha has been re-elected as Share Holder Director for the second term from 29.01.2021 till 28.01.2024

*** Until Further Orders

During the FY 2020-21, the following directors' tenure ended as below:

Name	Date of Joining	Term Ended on	Designation
Shri Karnam Sekar	15.04.2019 (w.e.f. 01.04.2019)	30.06.2020	Managing Director & Chief Executive Officer
Shri Sanjay Rungta	08.12.2017	07.12.2020	Share Holder Director

Acknowledgement

The Board of Directors are grateful for the valuable guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions and all Overseas Regulators. The Board of Directors acknowledge with thanks the valued Customers, Employees Union, Officers Association, domestic and international banking group, the shareholders & other stake holders for their valued support and continued patronage with the Bank.

The Board also wishes to place on record its profound appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all levels and looks forward to their continued involvement with commitment towards achieving the future goals.

For and on behalf of the Board of Directors

-Sd/-

Partha Pratim Sengupta

Managing Director & Chief Executive Officer

Chennai

14th June, 2021

प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

i. आर्थिक एवं बैंकिंग वातावरण

देश में नोवेल कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के बीच लगाए गए लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 24.4 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज़ की । लॉकडाउन के हटने से वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में 0.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर के साथ जीडीपी वापस पटरी पर आ गई, जो 2020-21 की चौथी तिमाही में पुनः 3.4% नकारात्मक क्षेत्र में आ गई क्योंकि वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर के कारण अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन फिर से लागू कर दिया गया । वित्त वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में 4.0 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में कुल मिलाकर भारत की जीडीपी में 8.0% की नकारात्मक वृद्धि में दर्ज़ की गई । सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) के संदर्भ में, कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने वित्त वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न में रिकॉर्ड उत्पादन के साथ 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की । यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां 2020-21 के दौरान विस्तार दर्ज़ किया गया, जिसके परिणामस्वरूप समग्र जीवीए में कृषि की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई ।

गैर-खाद्य बैंक ऋण में वित्त वर्ष 2019-20 के 6.7 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में 4.9% की वृद्धि दर्ज़ की गई । कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बैंक द्वारा आबंटित ऋण में पिछले वर्ष में 4.2% की तुलना में 12.3% की वृद्धि दर्ज़ की है गई है । उद्योग (एमएसएमई और बड़े) और सेवा क्षेत्र में बैंक ऋण में महज़ 0.4% और 1.4% की वृद्धि दर्ज़ की गई वृद्धि जिसका प्रमुख कारण लॉकडाउन के उपाय थे, जिसके परिणामस्वरूप मांग और आपूर्ति दोनों में संकुचन हुआ । व्यक्तिगत ऋण खंड के तहत ऋण हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 में 10.2% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में 15.0% की वृद्धि हुई थी ।

ii. बैंक की पृष्ठभूमि

इण्डियन ओवरसीज बैंक (आइओबी) की स्थापना अपने क्षेत्र में अग्रणी श्री एम. सीटी. एम. चिदंबरम चेट्टियार द्वारा 10 फरवरी 1937 को की गई थी । आइओबी उन 14 प्रमुख बैंकों में से एक था जिनका 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था । 1969 में राष्ट्रीयकरण की पूर्व संध्या पर आइओबी की भारत में 195 शाखाएँ थीं, जिनमें कुल जमा रुपये 67.70 करोड़ और अग्रिम रुपये 44.90 करोड़ थे ।

वर्तमान में बैंक की विदेशी उपस्थिति 4 देशों सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और श्रीलंका में है ।

बैंक ओडिशा में ओडिशा ग्रामीण बैंक का प्रायोजक भी है ।

iii. प्रमुख विशेषताएँ

- बैंक के पास बैंकिंग सेवा में 84 वर्षों की उत्कृष्ट अनुभव है ।
- 3271 शाखाओं और 3145 एटीएम और 2739 व्यापार प्रतिनिधियों की मजबूत घरेलू उपस्थिति ग्राहकों तक विस्तृत पहुंच प्रदान करती है ।
- 58% शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं और गहन वित्तीय समावेशन को बढ़ाती हैं ।
- दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में एक मजबूत ब्रांड नाम ।
- 39 मिलियन सक्रिय ग्राहकों का विश्वास ।
- 4 शाखाओं, एक विप्रेशण केंद्र और एक जेवी सहायक के साथ विदेशी उपस्थिति ।
- कम लागत वाली कासा जमाराशियों में निरंतर वृद्धि, खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन, घरेलू अग्रिमों में 73.81% का योगदान ।

बैंक का परिचालन :

क) घरेलू जमाएँ :

31 मार्च 2021 को बैंक की कुल घरेलू जमा राशि रुपये 2,35,545 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2020 को यह रुपये 2,18,028 करोड़ थी । जमा में वृद्धि मुख्य रूप से कासा में सुधार की दिशा में बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण हुई । घरेलू कासा 31 मार्च 2020 को 88,671 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2021 तक 1,00,588 करोड़ रुपये हो गया है । यह उल्लेखनीय है कि घरेलू बचत बैंक जमा 31 मार्च 2020 से 13.65% बढ़कर रु 85,661 करोड़ हो गया । मार्च 2021 तक घरेलू कासा में 42.70% की वृद्धि दर्ज़ की गई ।

ख) घरेलू अग्रिम

वित्तीय वर्ष के दौरान जोखिम में विविधता लाने और मार्जिन में सुधार करने के लिए, बैंक ने खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया । 31 मार्च, 2021 को घरेलू सकल अग्रिम 31 मार्च 2020 को 1,27,336 करोड़ रुपये की तुलना में 1,30,267 करोड़ रुपये था ।

ग) विदेशी परिचालन

31 मार्च, 2021 को बैंक के विदेश में 6 प्रतिष्ठान हैं, जिनमें 4 विदेशी शाखाएं, 1 विप्रेषण केंद्र और 1 संयुक्त उद्यम सहायक कंपनी शामिल हैं । बैंक की सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक और कोलंबो में एक-एक शाखा और सेरंगून, सिंगापुर में एक प्रेषण केंद्र है । इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद- बैंक ऑफ बड़ौदा, इण्डियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक संयुक्त उद्यम, मलेशिया में काम कर रहा है ।

31 मार्च 2020 को रुपये 12,359 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 तक विदेशी कारोबार (जेवी-आइआइबीएमबी को छोड़कर) रुपये 14,073 करोड़ था । जेवी-आइआइबीएमबी का कारोबार 31 मार्च 2021 तक रुपये 225 करोड़ था ।

घ) विदेशी विनिमय

2020-21 के दौरान निवेश की बिक्री पर रुपये 1820 करोड़ (2019-20 के दौरान रुपये 601 करोड़) का लाभर्जन हुआ, इससे पहले पिछले वर्ष की रूपये 121 करोड़ की लेखा श्रेणी अंरण की हानि की तुलना में इस वर्ष यह हानि रुपये 0.14 करोड़ रही । विदेशी मुद्रा कारोबार से विनिमय पर पिछले वर्ष के रुपये 544 करोड़ के लाभ की तुलना में इस वर्ष रुपये 603 करोड़ का लाभ हुआ ।

ङ) निवेश

बैंक का शुद्ध निवेश 31 मार्च, 2020 को रुपए 78358 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2021 को रूपये 94686 करोड़ हो गया [इसमें 31.03.2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हमारे बैंक को 4100 करोड़ रुपए मूल्य

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic and Banking Environment

The Indian economy recorded a negative growth rate of 24.4 percent and 7.3 percent in Q1 and Q2 of FY 2020-21 respectively due to lockdown imposed amidst the fear of spread of Novel Corona virus in the country. Lifting of lockdown brought the GDP back on track with positive growth rate of 0.4 percent in Q3 FY 2020-21, which again fell into negative territory by 3.4 percent in Q4 2020-21 due to re-imposition of lockdown in most of the states amidst the second wave of spread of virus. Overall India's GDP remained in negative growth of 8.0 percent in the FY 2020-21 compared to 4.0 percent of growth in GDP in FY 2019-20. In terms of Gross Value Added (GVA), agriculture and allied activities registered a growth of 3.0 percent in FY 2020-21, with record production in food grains. This was the only sector which remained in expansion zone in 2020-21, resulting in increase in the share of agriculture in overall GVA.

Growth in Non-food bank credit was by 4.9 per cent in FY 2020-21 compared to 6.7 percent in FY 2019-20. Bank credit growth to agriculture and allied activities improved to 12.3 percent compared to 4.2 percent growth in previous year. Bank credit growth in Industry (MSME & Large) and Services sector remained low at 0.4 percent and 1.4 percent respectively mainly due to lockdown measures imposed which resulted in both contraction of demand and supply. Credit under Personal loan segment however shows a growth of 10.2 percent in FY 2020-21 as against the growth of 15.0 percent in FY 2019-20.

Background of the Bank

Indian Overseas Bank (IOB) was founded on 10th February 1937 by Shri. M. Ct. M. Chidambaram Chettiyar, a pioneer in many fields. IOB was one of the 14 major banks that were nationalized in 1969. On the eve of Nationalisation in 1969, IOB had 195 Branches in India with aggregate deposits of Rs.67.70 Crore and advances of Rs.44.90 Crore.

Presently the Bank has its overseas presence in 4 countries Singapore, Hongkong, Thailand and Srilanka.

The Bank has also sponsored Odisha Gramya Bank in Odisha.

Key Highlights

- The Bank has 84 years of service excellence in Banking.
- Strong Domestic presence of 3217 Branches & 3145 ATMs and 2739 Business Correspondents provides extended reach to customers.
- 58% of Branches catering to the needs of Rural and Semi Urban centres enhancing deeper Financial Inclusion.
- A strong Brand name in South India especially in the State of Tamil Nadu.
- Trust of 39 million active customers.
- Overseas Presence with 4 Branches, one Remittance Centre and one JV subsidiary.
- Sustained Growth in Low cost CASA deposits , Improved performance in Retail, Agri and MSME Segments contributing to 73.81% of Domestic Advances.

Bank's Operations

a. Domestic Deposits

The Bank's total domestic deposits stood at Rs.2,35,545 Crores as on 31st March 2021 as against Rs.2,18,028 crores as on 31st March 2020. The increase in deposits was mainly on account of steps taken by the Bank towards improving the CASA. The domestic CASA has increased from Rs. 88,671 crores as on 31st March 2020 to Rs. 1,00,588 Crores as on 31st March 2021. It is noteworthy to mention that the domestic savings bank deposits have grown by 13.65% over 31st March 2020 to end at Rs. 85,661 Crores. The domestic CASA% also improved to 42.70 % as of March 2021.

b. Domestic Advances

With a view to diversify the risk and to improve the margins, the Bank focused more on Retail, Agri and MSME sectors during the fiscal year. The Domestic Gross Advances stood at Rs.1,30,267 Crores as on 31st March 2021 as against Rs. 1,27,336 Crores as on 31st March 2020.

c. Overseas Operations

The Bank has 6 establishments abroad, including 4 Overseas Branches, 1 Remittance Center and 1 Joint Venture Subsidiary as on 31st March 2021. The Bank has one Branch each at Singapore, Hong Kong, Bangkok and Colombo and one Remittance Centre at Serangoon, Singapore. India International Bank (Malaysia) Berhad- a Joint Venture of Bank of Baroda, Indian Overseas Bank and Union Bank of India, is functioning at Malaysia.

The Overseas Business (except JV-IIBMB) stood at Rs. 14,073 Crores as of 31st March 2021 as compared to Rs. 12,359 Crores as of 31st March 2020. Business of JV-IIBMB stood at Rs. 225 Crore as of 31st March 2021.

d. Forex Operations

The profit on sale of investments was at Rs.1820 Crores during 2020-21 (Rs.601Crores during 2019-20) before accounting category transfer loss at Rs.0.14 Crores as against Rs.121 Crores in the previous year. The profit on exchange from Forex business stood at Rs.603Crores as against Rs.544 Crores in the previous year.

e. Investments

Net investments of the Bank increased to Rs.94686 Crores [includes allotment of GOI Recap Bonds worth Rs.4100 Crores by RBI to our Bank on 31.03.2021] as of 31st March

के भारत सरकार के रिकैप बांड का आवंटन शामिल है]। प्रतिभूतियों की बिक्री और विनिमय पर लाभ वर्ष 2019-20 के दौरान रूपये रुपये 1145 करोड़ के लाभ की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ रुपये 2423 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान 10-वर्षीय बेंचमार्क लाभ 6.14% से बढ़कर 6.18% हो गया है।

च) एमएसएमई

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रचार और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का निर्माण किया गया है। (एमएसएमईडी अधिनियम 2006), अधिनियम 02.10.2006 से लागू हुआ तथा इसे राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-26062020-220191 दिनांक 26 जून 2020 के माध्यम से अधिसूचित कर नए मानदंड लागू किए गए।

आरबीआइ ने इसकी सूचना अपने पत्र सं. आरबीआइ/ 2020-21/ 10 एफआईडीडी. एमएसएमई. एवं एनएफ़एस. बीसी. सं. 3/06.02.31/2020-21 दिनांकित 2 जुलाई, 2020 के माध्यम से सूचित किया है कि एमएसएमई के रूप में एक उद्यम के वर्गीकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों संबंधी सूचना दी थी, जो 1 जुलाई 2020 से लागू हो गए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न श्रेणियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

वर्ग	संयंत्र और मशीनरी/उपकरण लागत में निवेश	टर्नओवर
अतिलघु	रू.1.00 करोड़ तक	रू. 5.00 करोड़ तक
लघु	रू. 1.00 करोड़ से अधिक एवं	रू. 5.00 करोड़ से अधिक एवं
	रू.10.00 करोड़ तक	रू. 50.00 करोड़ तक
मध्यम	रू. 10.00 करोड़ से अधिक एवं	रू. 50.00 करोड़ से अधिक एवं
	रू. 50.00 करोड़ तक	रू. 250.00 करोड़ तक

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण की हिस्सेदारी 31 मार्च 2021 को रुपये 26849 करोड़ थी।

बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 2,700 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 31 मार्च 2021 तक के 378177 ऋण 3722 करोड़ रुपये की राशि के ऋण स्वीकृत और 3688 करोड़ रुपये संवितरित किए गए। मुद्रा सुविधा डेस्क की स्थापना की गई तथा सभी शाखाओं में मुद्रा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 36 करोड़ रुपये की ऋण राशि के 159 ऋण अनुमोदित किए हैं।

बैंक ने पीएम स्वनिधि योजना के शुरू होने की तारीख 02.07.2020 से 31.03.2021 तक 42079 आवेदनों के प्रति रुपये 42 करोड़ की राशि के ऋणों को मंजूरी दी है तथा योजना के शुभारंभ से 38 करोड़ रुपये के ऋणों का संवितरण किया है।

बैंक ने ईसीएलजीएस योजना के तहत रुपये 3916 करोड़ के 165758 ऋण स्वीकृत किए हैं और रुपये 3488 करोड़ संवितरित किए हैं।

31 मार्च, 2021 तक बैंक द्वारा सीजीटीएमएसई गारंटी कवर योजना के तहत स्वीकृत संपार्श्विक सुरक्षा रहित सूक्ष्म और लघु ऋणों की संख्या बढ़कर 109579 हो गई जिनकी बकाया राशि रुपये 4066 करोड़ थी। सीजीएफ़एमयू गारंटी कवर योजना के अधीन मुद्रा योजना (10.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि) के तहत स्वीकृत सभी खुदरा व्यापार अग्रिमों को सुरक्षित करने के लिए बैंक को एनसीजीटीसी के साथ सदस्य ऋण संस्थान के रूप में नामांकित किया गया है। 31 मार्च, 2021 तक बैंक ने अब तक सीजीएफ़एमयू योजना के तहत 1198 करोड़ रुपये के जोखिम वाले 94012 खातों को कवर किया है।

बैंक ने आरबीआई के परिपत्र डीबीआर. सं. बीपी. बीसी. 34/ 21.04.048/ 2019-20 दिनांकित 11 फरवरी, 2020 के माध्यम प्राप्त सूचना, जहां आरबीआई ने बैंकों को एमएसएमई रूप में वर्गीकृत मौजूदा ऋणों को एक बारगी पुनर्संरचना के तहत वर्गीकरण में परिसंपत्ति को डाउनग्रेड किए बिना 'मानक' रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं तथा इसकी वैधता अवधि को 31.12.2020 तक विस्तारित करने के संबंध में सूचना दी थी, के अनुपालन में संशोधित निर्देश के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाई है।

पुनः कोविड -19 के नतीजों के कारण व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं का समर्थन करने की निरंतर आवश्यकता को देखते हुए आरबीआई ने अपने परिपत्र संदर्भ डीओआर सं. बीपी. बीसी/ 4/ 21.04.048/ 2020-21 दिनांकित 6 अगस्त, 2020 के माध्यम से इस अवधि को 31.03.2021 तक के लिए बढ़ा दिया। बैंक ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू की और क्षेत्र के पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाया, सभी तनावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों की पहचान की और दिशानिर्देशों को लागू किया।

बैंक ने आरबीआइ के नए ढांचे के तहत "एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर नीति" को भी लागू किया है और तनावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों को राहत देने पर विचार करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समितियों का गठन सुनिश्चित किया है।

क) ऑनलाइन एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण केंद्र

बैंक ने रु. 10.00 लाख तक की ऋण राशि के लिए एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण को स्वचालित कर दिया है और इसे आरंभ से अंत तक समाधान सहित सीबीएस सिस्टम (फिनेकल) के साथ एकीकृत किया है। प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ता को डेटा शीट में केवल आवश्यक बुनियादी जानकारी का कुंजीयन करके रेटिंग, निरीक्षण रिपोर्ट, प्रसंस्करण नोट, स्वीकृति, दस्तावेज़ीकरण, ऋण मास्टर निर्माण आदि में समर्थित करता है। यह उधार देने के संरचित तरीके की सुविधा प्रदान करता है और नीति दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कम टर्नअराउंड समय (टीएटी) के साथ प्रस्तावों का त्वरित निपटान करता है। बैंक आवश्यक जांच एवं संतुलन की शुरुआत करते हुए शीघ्र ही 500.00 लाख रुपये तक की ऋण सीमा को संशोधित करने की प्रक्रिया में है।

ख) ई-ट्रैकिंग के साथ ऋण आवेदन पंजी

बैंक ने ई-ट्रैकिंग सुविधा के साथ ऋण आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। प्रणाली के माध्यम से सभी ऋण आवेदनों को दर्ज करना अनिवार्य है। प्रणाली एक अद्वितीय आईडी नंबर सृजित करती है जिसका प्रयोग सभी प्रस्तावों की स्थिति को देखने लिए किया जाता है। प्रणाली अस्वीकृति की स्थिति के अलावा सघन अनुवर्ती/निगरानी के लिए प्राधिकरण के सभी स्तरों हेतु एसएमएस अलर्ट, ई-मेल अनुस्मारक प्रेषित कर टीएटी में सुधार करने की सुविधा प्रदान करता है।

2021 from Rs.78358 Crores as on 31st March 2020. Total Profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs.2423 Crores during the year 2020-21 as against Rs.1145 Crores during the year 2019-20. 10-year Benchmark yield has moved up from 6.14% to 6.18% during the year.

V. MSME

In order to facilitate the promotion and development of Micro, Small and Medium Enterprises, the Government of India enacted THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT ACT 2006. (MSMED ACT 2006), the Act became operational from 02.10.2006 and further notified the new criteria vide Gazette Notification No. CG-DL-E-26062020-220191 dated June 26, 2020.

RBI vide their communication RBI letter no. RBI/2020-21/10 FIDD. MSME &nfs.bc.no3/06.02.31/2020-21, dated July 2, 2020 regarding Credit flow to Micro, Small & Medium Enterprises have advised the revised guidelines for classification of an Enterprise as MSME which have come into force w. e. f July1, 2020.

Various categories of Micro, Small and Medium Enterprises are defined as under:

Category	Investment in Plant and Machinery/ Equipment Cost	Turnover
Micro	Up to Rs.1.00 Crore	Up to Rs.5.00 Crore
Small	Above Rs.1.00 Crore &	Above Rs.5.00 crore &
	Up to Rs.10.00 Crore	Up to Rs.50.00 Crore
Medium	Above Rs.10.00 crore &	Above Rs.50.00 crore &
	Up to Rs.50.00 Crore	Up to Rs.250.00 Crore

The share of credit to Micro, Small and Medium Enterprises stood at Rs.26849 Crores as on 31st March 2021.

Bank has sanctioned 378177 no. of loans amounting to Rs.3722 Crores and disbursed Rs 3688 Crore as on 31st March 2021 vis-à-vis target of Rs.2,700 Crores under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) during the FY 2020-21. MUDRA facilitation desk is created and Mudra Nodal Officer is designated at all Branches. Bank has sanctioned 159 no. of loans amounting to Rs.36 Crores under Stand Up India Scheme during the FY 2020-21.

Bank has sanctioned 42079 no. of PM SVANidhi applications amounting to Rs 42 Crores and disbursed Rs 38 Crores from the launch of the scheme i.e. 02.07.2020 to 31.03.2021.

Bank has sanctioned 165758 no of loans amounting to Rs.3916 Crores and disbursed 3488 Crores under ECLGS Scheme.

As on March 31st, 2021, collateral free loans to Micro and Small Sector sanctioned by the Bank increased to 109579 no. of loans with outstanding amount of Rs.4066 Crores under the guarantee cover from CGTMSE scheme.

Bank is enrolled as Member Lending Institution with NCGTC to secure all Retail Trade advances sanctioned under MUDRA Scheme (Loan amount upto Rs.10.00 lakh) under the guarantee cover from CGFMU Scheme. As on March 31st, 2021, bank has covered 94012 accounts with an exposure of Rs.1198 Crores under CGFMU Scheme till now.

Bank has put in place Board approved policy as per the revised direction from RBI, vide Circular DBR.No.BP. BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020, wherein RBI has permitted Banks' a one-time restructuring of existing loans to MSMEs classified as 'standard' without downgrade in the asset classification and extend the validity date till 31.12.2020.

Again in view of the continued need to support viable MSME entities on account of the fallout of Covid-19 RBI vide circular reference DOR No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020. RBI has extended the period upto 31.03.2021. Bank introduced Standard Operating Procedure (SOP) and sensitized the field functionaries, identifying all the stressed MSME units and implementing the guidelines.

Bank has also implemented the "Policy on Revival and Rehabilitation of MSMEs" under the New Frame work of RBI and ensured formation of committees at all Regional Offices to consider extending Relief to MSME units under stress.

a. Online MSME Loan Processing Centre:

Bank has automated the MSME loan processing for loan amount up to Rs.10.00 lakh and integrated it with the CBS system (Finacle) with end to end solution. The platform supports the user for generating Rating, Inspection Reports, Process Note, Sanction, Documentation, Loan Master creation etc., simply by keying in the required basic information in the data sheet. This facilitates structured way of lending and ensures compliance of the policy guidelines, quick disposal of proposals with reduced Turnaround Time (TAT). Bank is also in the process of revising the loan limit up to Rs.500.00 lakh very shortly, by introducing the necessary checks and balances.

b. Loan Application Register with e-Tracking:

Bank has introduced online registration of loan applications with e-tracking facility. It is mandatory to enter all loan applications through the system. The system generates a Unique ID number, which is to be incorporated in all proposals to track the status of the proposals. The system generates SMS alerts, e-mails reminders to all layers of authority for close follow up /monitoring and facilitates to improve the TAT besides containing the rejections.

ग) Psbloansin59minutes.com

बैंक को www.psbloansin59minutes.com पोर्टल में वित्तीयक के रूप में शामिल किया गया है । यह प्लेटफॉर्म रु. 500.00 लाख तक के एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को स्वीकार करता है । इसके अलावा मंच 10 लाख रुपये तक के मुद्रा ऋण आवेदन भी स्वीकारता है । बैंक सभी मौजूदा और साथ ही नए ग्राहकों को जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और उनकी ऋण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए मंच भी उपलब्ध करवाता है ।

घ) समूह वित्तीयन

बैंक ने पूरे भारत में नौ संभावित समूहों की पहचान की है, एमएसएमई ऋण को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की हैं और ऐसे और भी समूहों की पहचान करने की प्रक्रिया में है

चीनीमिट्टी उद्योग	मोरवी, गुजरात राज्य
कपड़ा उद्योग	कोयंबत्तूर, तमिलनाडु राज्य
अभयांत्रिकी उपकरण	कोयंबत्तूर, तमिलनाडु राज्य
वाहन कलपुर्ज़े	चेन्नै/ काँचीपुरम तमिलनाडु राज्य
वाहन कलपुर्ज़े	एनसीआर दिल्ली
अभियांत्रिकी एवं पैकेजिंग	एनसीआर दिल्ली
प्लायीवुड उद्योग	पेरंबवूर, केरल राज्य
होज़री/ कपड़ा	लुधियाना, पंजाब राज्य
वाहन/ साइकिल के कलपुर्ज़े	लुधियाना, पंजाब राज्य

ङ) विशिष्ट एवं एमएसएमई केन्द्रित शाखाएँ

नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने पूरे भारत में 28 विशिष्ट एसएमई शाखाएं और उच्च सघन 22 एमएसएमई शाखाएं खोली हैं । इसके अलावा, हमने एमएसएमई विकास क्षमता वाली 136 एमएसएमई शाखाओं की पहचान की है और उन्हें एमएसएमई केंद्रित शाखाओं के रूप में नामित किया है ।

1. ये शाखाएं आवश्यक बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की उचित व्यवस्था से पूर्ण हैं ।
2. बैंक ने एमएसएमई ऋण देने के संबंध में शाखा प्रमुखों/ऋण अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है ।
3. बैंक ने सभी शाखाओं में एक एमएसएमई संबंध अधिकारी नामित किया है ।
4. विशेष लक्ष्य सौंपे गए हैं तथा नियमित रूप से प्रगति की निगरानी की जा रही है ।

च) लीड जनरेशन

शाखाओं को स्टैंडअपमित्र/उद्यमीमित्र पोर्टल में बैंक हेतु चिह्नित किए गए लीड यानी आवेदनों को देखने और उन पर कार्रवाई करने के लिए लॉगिन एक्सेस प्रदान किया गया है । शाखाओं को जीएसटी लीड के प्रसंस्करण तथा उन्हें चिन्हित किए जाने की आइओबी में ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है ताकि वे आवेदनों का त्वरित प्रसंस्करण और निपटान सुनिश्चित कर सकें । बैंक मौजूदा ग्राहक आधार के माध्यम से अपने आपूर्तिकर्ताओं/ रिश्तेदारों/ मित्रों आदि से संपर्क करके और हमारी सेवाओं की पेशकश कर व्यापार का अनुरोध कर रहा है ।

बैंक ने मेसर्स भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी), मेसर्स अशोक लीलैंड, मेसर्स अतुल ऑटो लिमिटेड आदि के साथ समझौता ज्ञापन / टाई-अप व्यवस्था में प्रवेश किया है और मुद्रा/स्टैंड अप इंडिया योजनाएं के तहत अच्छी संख्या में पहचाने गए लाभार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

बैंक तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैले 12 आरसेटी में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण / सहायता प्रदान करता है और मुद्रा / स्टैंड-अप इंडिया के तहत क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से उनकी वित्तीय जरूरतों के लिए उनका समर्थन करता है तथा उन्हें उनके उद्यमशीलता कौशल का प्रदर्शन कर लाभकारी रोजगार प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रहा ।

बैंक ने आरएक्सआईएल और ए-ट्रेड के साथ एक टाई अप व्यवस्था की है और स्वयं को एक सदस्य के रूप में नामांकित किया है । बैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एमएसएमई की प्राप्तियों के प्रति वित्तपोषण के लिए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर भाग ले रहा है ।

एमएसएमई पर नवीनतम जानकारी के साथ शाखाओं/ क्षेत्रों की सुविधा के लिए एमएसएमई से संबंधित बैंक/ विनियामक दिशानिर्देशों के सभी नवीनतम अद्यतनों के साथ ऑनलाइन पर एक विशेष एमएसएमई पोर्टल बनाया गया है ।

बैंक ने सभी स्तरों पर एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और टर्नअराउंड समय को कम किया है । बैंक ने एमएसएमई ऋणों की त्वरित स्वीकृति और एनपीए खातों की अनुवर्ती कार्रवाई की सुविधा के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई नोडल अधिकारी नामित किए हैं ।

सभी शाखाओं (एकल व्यक्ति शाखाओं को छोड़कर) में एमएसएमई विपणन अधिकारियों की पहचान की गई है । क्षेत्रीय कार्यालयों के विपणन अधिकारी/ एमएसएमई नोडल अधिकारी सभी शाखाओं/ ग्राहकों के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं ।

स्टाफ सदस्यों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रतिष्ठित संगठनों जैसे एनआईबीएम, और बी क्यू ग्लोबल के साथ टाई-अप व्यवस्था की है । बैंक पूरे भारत में कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रहा है और एमएसएमई नियामक दिशानिर्देशों तथा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं जैसे, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, पीएमईजीपी आदि नियमित आधार पर आरबीआई द्वारा आयोजित एनएएमसीएबीएस कार्यशालाओं में कर्मचारियों को नामित कर कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है ।

vi) खुदरा बैंकिंग:

खुदरा ऋण योजनाओं के तहत मार्च 2020 तक कुल बकाया 30,423 करोड़ से बढ़कर मार्च 2021 तक रुपये 34,196 करोड़ हो गया, इसमें वित्त वर्ष 2019-2 के दौरान प्राप्त 5.39% की तुलना में 12.40% की वृद्धि दर्ज की गई । घरेलू अग्रिमों में कुल खुदरा हिस्सेदारी 23.89% से बढ़कर 26.25% हो गई है ।

c. psbloansin59minutes.com:

Bank has been on-boarded as financier in the www. psbloansin59minutes.com portal. The platform handles MSME loan proposals up to Rs.500.00 lakh. Further the platform handles Mudra Loan up to Rs.10 lakhs. Bank is encouraging all the existing as well as new customers for registration under GST and also for on boarding the platform to support their credit needs.

d. Cluster Finance:

Bank has identified nine potential clusters Pan India, formulated special schemes to promote MSME credit and also is in the process of identifying more such Clusters.

Ceramic Industry	Morvi, Gujarat State
Textiles Industry	Coimbatore, Tamil Nadu State
Engineering goods	Coimbatore, Tamil Nadu State
Auto components	Chennai / Kancheepuram, Tamil Nadu State
Auto components	NCR Delhi
Engineering & Packaging	NCR Delhi.
Plywood Industry	Perumbavoor, Kerala State
Hosiery / Textiles	Ludhiana, Punjab State
Auto / Bicycle components	Ludhiana, Punjab State

e. Specialized MSME and Focused Branches:

As per the Regulatory guidelines, Bank has opened 28 Specialized SME Branches and 22 MSME high intensive Branches across Pan India. In addition to that, we have identified 136 MSME Branches with MSME growth potential and designated them as MSME Focused Branches.

1. These Branches are equipped with necessary infrastructure and proper manning of staff.
2. Bank has imparted training to the Branch Heads / Credit Officers on MSME lending.
3. Bank has nominated one MSME Relationship Officer in all the Branches.
4. Assigned special targets and monitoring the progress regularly.

f. Lead Generation:

Branches have been provided with login access to view and capture the leads i.e., applications marked to the Bank in Standupmitra / Udyamimitra portal. Processing and marking of GST leads has been provided to Branches in IOB online and thereby ensure quick processing and disposal of the applications. Bank is soliciting business through the existing client base by approaching their Suppliers/Relatives/Friends etc., and offering our services.

Bank has entered MOU/Tie-Up arrangements with M/s Bharatiya Yuva Shakti Trust (BYST), M/s Ashok Leyland,M/s Atul Auto Ltd. etc. and providing necessary financial assistance to good number of identified beneficiaries under Mudra / Stand Up India Schemes.

Bank has been organizing Special Training Camps at 12 RSETIs spread across Tamil Nadu and Kerala states, providing necessary training / hand hold support to SC, ST, Women beneficiaries and also supporting them for their financial needs through credit linkage under Mudra /Stand-Up India Schemes and facilitating them to take up gainful employment by exhibiting their entrepreneurial skills.

Bank has entered a Tie up arrangement with RXIL and A-Trade and enrolled as member, participating in the TReDS platform for financing against receivables of MSMEs in the online platform.

An exclusive MSME portal has been created ONLINE with all the latest updates on Bank/Regulatory guidelines related to MSME, to facilitate Branches/Regions with the latest information on MSME.

Bank has taken various steps and reduced the turnaround time for processing the MSME credit proposals at all layers. Bank has designated MSME Nodal Officers at all Regional Offices to facilitate quick sanction of MSME loans and follow up of NPA accounts.

MSME Marketing Officers have been identified / designated in all the Branches (excluding single man Branches). Marketing Officers/MSME Nodal Officers at Regional Offices have been coordinating with all the Branches/ customers.

Bank has entered into Tie-Up arrangements with reputed organizations viz., NIBM and B Q Global for providing training to the staff members regularly. Bank is also conducting workshops in Staff Training Centres across Pan India and creating awareness among the Staff on MSME Regulatory guidelines, Schemes and Govt. sponsored Schemes viz., Mudra, Stand Up India, PMEGP etc. nominating staff to the NAMCABS workshops organized by RBI on a regular basis.

Retail Banking

The total outstanding under Retail credit schemes increased from Rs.30,423 Crores as of March 2020 to Rs.34,196 Crores as of March 2021 registered Y-o-Y growth of 12.40% as compared to 5.39% growth achieved during FY2019-20. The overall Retail share to domestic advances has increased from 23.89% to 26.25%.

- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान हासिल की गई 8.84% की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आवास ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17.07% की वृद्धि दर्ज की गई है । समीक्षा अवधि के दौरान 18540 नए ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी मंजूरी राशि रु. 4288 करोड़ है, कुल संवितरण 4000 करोड़ रुपये था ।
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वाहन ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.66% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान या प्राप्त 4.40% की वृद्धि दर्ज की गई थी ।
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बंधक ऋण और किराए के विरुद्ध दिए गए ऋण में क्रमश: 6.12% और 7.42% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है ।
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आभूषण ऋण पोर्टफोलियो में 87.39% की वृद्धि दर्ज़ की गई है । समीक्षा अवधि के दौरान की गई कुल स्वीकृतियां रुपए 2297 करोड़ थीं । अनुमोदनों की संख्या में साल-दर-साल 42.67% की वृद्धि हुई है ।

वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान नए खुदरा उत्पादों/ किए गए संशोधन

➢ पुष्पका योजना के तहत कार ऋण की सोर्सिंग के लिए प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों (डीएसए)/वाहन ऋण परामर्शदाताओं (वीएलसी) का पैनल शुरू किया गया था । नवंबर 2020 में योजना की शुरुआत के बाद से कुल 83 वाहन ऋण सलाहकार (वीएलसी)/ प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों (डीएसए) को सूचीबद्ध किया गया है और रुपये वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 5.80 करोड़ का कारोबार किया गया ।

➢ नए उत्पाद का परिचय-आईओबी होम एडवांटेज: यह आवास ऋण योजना सीआरई-आवासीय घर (आरएच) श्रेणी के तहत नए एचएनआइ ग्राहकों को हमारे साथ जोड़ने के लिए दिनांक 21.11.2020 से शुरू की गई थी । उद्देश्य- ऐसे आवेदक या सह-आवेदक हेतु तो फ्लैट/ घर की खरीद/ निर्माण, जिनके पास पहले से ही हमारे बैंक या किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थाओं के साथ 2 आवास ऋण हैं ।

➢ नई योजना का परिचय- आइओबी इंस्टा पेंशन (कोविड-19 राहत)- कोरोना के प्रकोप के कारण आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और मदद के लिए हाथ बढ़ाने उद्देश्य से पेंशनभोगियों/ वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय समस्याओं का समाधान करने के लिए बैंक ने आइओबी इंस्टा पेंशन (कोविड-19 राहत) नाम की एक नई ऋण योजना की शुरुआत की है । वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 373 करोड़ रुपये के कुल 14654 ऋण स्वीकृत किए गए हैं ।

➢ एलएपी योजना में संशोधन और मास्टर परिपत्र जारी करना: ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं बंधक ऋण बाजार में प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए हमारी मौजूदा एलएपी योजना में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए गए:

  - स्व-अधिकृत वाणिज्यिक संपत्तियों पर ऋण के संबंध में विचार किया जा सकता है । अधिकतम योजना सीमा रु.2.00 करोड़ से संशोधित कर 3.00 करोड़ की गई ।
  - स्टाफ सदस्यों के लिए एलएपी पर आम जनता के समान **25.00 लाख रुपये** की अधिकतम सीमा के अधीन विचार किया जा सकता है ।

➢ आवास ऋण लेने वालों को कई रियायतें दी गई हैं - कुछ स्लैब और शर्तों के अधीन रहते हुए प्रसंस्करण शुल्क में छूट, महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष ब्याज रियायत, सिबिल, दस्तावेज़ीकरण शुल्क में छूट आदि उपलब्ध कारवाई गईं ।

➢ **"डिजिटल ऋण पहल"** अभियान के तहत पहला उत्पाद **"जमा के प्रति ऋण"** लॉन्च किया गया जो मौजूदा जमा धारकों के लिए उपलब्ध है । यह सुविधा सभी चैनलों यानी बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप पर उपलब्ध है ।

➢ **लीड जनरेशन के लिए डिजिटल चैनल:** वर्तमान बाजार के चलन के अनुरूप डिजिटल लीड पहल के कई अन्य तरीकों के माध्यम से हमारे बैंक ने आवास ऋण, वाहन ऋण और स्वच्छ ऋण सुविधाओं के लिए मिस्ड कॉल, एसएमएस और आईवीआरएस (कॉल सेंटर) के माध्यम से लीड जनरेशन लॉन्च किया है ।

पैरा-बैंकिंग उत्पादों की दिशा में निष्पादन

बैंक ने वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान बैंकाश्योरेंस तथा म्यूचुअल फंड्स व्यापार के माध्यम से बैंक ने रू. 26 करोड़ की आय का सृजन किया है । बैंक की पैरा-बैंकिंग आय को बढ़ावा के लिए शाखाओं में विभिन्न अभियान और सीएसआर गतिविधियां चलाई गईं ।

➢ **कोविड 19 विशेषीकृत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद**

बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समन्वय में इरडा के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ग्राहकों के लिए कोरोना कवरेज विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा उत्पाद कोरोना कवच (क्षतिपूर्ति नीति) और कोरोना रक्षक (लाभ नीति) लॉन्च किए हैं जो 20.07.2020 से प्रभावी हैं ।

➢ **जनरल इन्श्यूरेंस कंपनी के साथ टाईअप**

बैंक ने मेसर्स एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ भागीदारी की है और 25.02.2021 को सामान्य बीमा व्यवसाय के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ।

➢ **स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा श्रेणी के तहत नया टाईअप:**

बैंक ने मेसर्स मैक्स बूपा स्वास्थ्य बीमा के साथ है और 22.03.2021 को स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं

VIII. कॉर्पोरेट ऋण

वर्ष के दौरान बैंक ने कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो को प्रतिबंधित करने का एक सचेत निर्णय लिया है और इसलिए केवल चयनित खातों और ज्यादातर निवेश ग्रेड खातों और/या राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत खातों के लिए नई सीमा या वृद्धि पर विचार किया गया है ।

इस वर्टिकल के तहत, बैंक के पास रुपये 28278 करोड़ के निधि आधारित एक्सपोजर और 31 मार्च 2021 को 9756 करोड़ रुपये का गैर-निधि आधारित एक्सपोजर विभिन्न प्रमुख उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है । बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 8254 करोड़ रुपये की नई/ विस्तारित मंजूरी पर विचार किया है ।

- Housing Loan has registered Y-o-Y growth of 17.07% during FY 2020-21 as compared to 8.84% growth achieved during FY 2019-20. Fresh Loans sanctioned during the review period are 18540 accounts, amounting to Rs. 4288 Crores. Total disbursement stood at Rs.4000 Crores.
- Vehicle Loan has registered Y-o-Y growth of 11.66% during FY 2020-21 as compared to 4.40% growth achieved during FY 2019-20.
- Mortgage loan and Liquirent loan has shown positive growth of 6.12% and 7.42% respectively during FY 2020-21.
- Jewel loan portfolio has grown by 87.39% during FY 2020-21. Total sanctions made during the review period was Rs.2297 Crores. Number of sanctions has grown by 42.67% Y-o-Y.

New Retail Products/Modifications introduced during the FY 2020-21:

➢ Empanelment of Direct Selling Agents (DSAs)/Vehicle Loan Counselors (VLCs) for sourcing of Car Loans under Pushpaka Scheme was introduced. Total 83 Vehicle Loan Counsellors (VLCs)/ Direct Selling Agents (DSAs) have been empanelled since inception of the scheme in November 2020 and have canvassed business of Rs. 5.80 Crores during FY 2020-21.

➢ Introduction of New product-IOB HOME ADVANTAGE: To rope in new HNI customers to our fold this Housing Loan scheme under CRE- Residential Housing (RH) category was introduced from 21.11.2020. Purpose- Purchase/construction of flat/house if applicant or co-applicant is already having 2 housing loans with our bank or any other bank/FIs.

➢ Introduction of New scheme- IOB INSTA PENSION (COVID-19 RELIEF)- To overcome the difficulties faced due to CORONA outbreak and to extend helping hand, Bank has introduced a new scheme - IOB INSTA PENSION (COVID-19 RELIEF) loan-for addressing financial woes of Pensioners/Senior Citizens. Total 14654 loans amounting to Rs.373Crores have been sanctioned during FY 2020-21.

➢ Modifications in LAP Scheme and issuance of Master Circular: To cater the needs of customers and competition in the mortgage loan market following value additions to our existing LAP Scheme was introduced:

  - Loan can be considered against Self-Occupied commercial properties. Maximum Scheme limit revised from Rs.2.00 Crores to 3.00 Crores.
  - LAP can be considered for Staff members at par with general public subject to upper cap of **Rs.25.00 lakhs.**

➢ Host of concessions have been offered for Housing Loan Borrowers – Waiver of Processing Charges, Special Interest Concession for Women Borrowers, Waiver of CIBIL, Documentation Charges etc for certain slabs & conditions.

➢ Under **"Digital Loan Initiative"** drive first product **"Loan against deposit"** was launched which is available to existing deposit holders. This facility is available across all the channels i.e. Bank website, Internet banking and Mobile Banking App.

➢ **Digital channel for lead generation:** To facilitate several other modes of Digital Lead initiative in line with present market offering, Bank has launched lead generation through Missed call, SMS and IVRS (Call center) for our Housing loan, Vehicle loan and Clean loan facilities.

VII.Performance on Para-banking Products:

Under Bancassurance and Mutual Fund Business, Bank has earned income of Rs.26 Crores during the year 2020-21. Various campaigns and CSR activities across Branches were carried out in promoting and increasing Bank's para-banking Income.

➢ **COVID-19 Specific Health Insurance Products:**

The Bank has launched Corona coverage Specific Health Insurance products Corona Kavach(Indemnity Policy) and Corona Rakshak (Benefit Policy) effective from 20.07.2020 for the Bank's customers as per IRDAI guidelines in coordination with Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.

➢ **New tie up under General Insurance Category:**

The Bank has partnered with M/s SBI General Insurance Co and has signed the Corporate Agency Agreement for General Insurance Business on 25.02.2021.

➢ **New tie up under standalone Health Insurance category:**

The Bank has partnered with M/s Max Bupa Health Insurance and has signed the Corporate Agency Agreement for Health Insurance Business on 22.03.2021.

VIII. Corporate Credit

During the year the Bank has taken a conscious decision to restrict the Corporate Credit portfolio and hence fresh limits or enhancements have been considered for selected accounts and mostly in investment grade accounts and/or accounts guaranteed by State Governments.

Under this vertical, Bank has Fund based exposure of Rs.28278 Crores and Non Fund based exposure of Rs.9756 Crores as on 31st March 2021 spread over various core industries and other segments. The Bank has considered Fresh/Enhancement sanctions of nearly Rs.8254 Crores in the financial year 2020-21.

प्राप्तियों की देरी से वसूली के परिणामस्वरूप अस्थायी तरलता बेमेल होने के कारण कोविड -19 महामारी से प्रभावित परिचालन वाले कॉरपोरेट उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए अप्रैल 2020 के महीने में IOB कोविड 19 –डबल्यूसीडीएल नाम की एक नई योजना शुरू की गई थी । इस योजना के तहत पात्र कॉरपोरेट कर्जदारों के लिए 160 करोड़ रुपये मंजूर किए गए ।

IX. प्राथमिक क्षेत्र को ऋण

वित्त वर्ष 2020-21 की चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 63,788 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 74,579 करोड़ रुपये रही और बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के तहत पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 48.19% की उपलब्धि के मुकाबले **2020-21 के दौरान 46.78% की बढ़त हासिल करके एएनबीसी के 40% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है ।**

चूंकि बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के तहत आरामदायक मार्जिन के साथ 40% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है, बैंक ने रुपये वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 6,028 करोड़ पीएसएलसी एसएफ/एमएफ - 4,000 करोड़ रुपये और पीएसएलसी जनरल - 2,028 करोड़ रुपये) का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) बेचा और अन्य आय के रूप में 95 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया । वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के तहत एएनबीसी की 46.78 प्रतिशत की औसत उपलब्धि उपर्युक्त पीएसएलसी बिक्री में कमी के बाद है ।

X. कृषि:

कृषि अग्रिमों के तहत वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 28,700 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 32,334 करोड़ रुपये रही और यहां तक कि एसएफ/एमएफ श्रेणी के तहत पीएसएलसी के 4,000 करोड़ रुपये की बिक्री के बाद **बैंक ने कृषि अग्रिमों के तहत 20.28% की बढ़त हासिल करके एएनबीसी के 18% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है** । बैंक ने इस वर्ष के दौरान 36,000 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के तहत 40,505 करोड़ रुपये के ऋण संवितरित किए ।

➢ लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 12,734 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 19,556 करोड़ रुपये रही और **बैंक ने छोटे / सीमांत किसानों को ऋण के तहत 12.27% हासिल करके एएनबीसी के 8% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है ।** यह उपलब्धि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 4,000 करोड़ के पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ की बिक्री को कम करने के बाद हासिल की गई है ।

➢ गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 19,357 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 25,928 करोड़ रुपये रही और **बैंक ने गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण के तहत 16.26% की बढ़त हासिल करके एएनबीसी के 12.14% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है ।**

➢ कमजोर वर्ग को ऋण

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 15,944 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 24,599 करोड़ रुपये रही और बैंक ने कमजोर वर्ग को ऋण के तहत 15.43% प्राप्त करके एएनबीसी के 10% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है ।

➢ सूक्ष्मवित्त

वर्ष के दौरान, बैंक ने 48830 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 1339 करोड़ रुपये के क्रेडिट परिव्यय के साथ क्रेडिट-लिंक्ड किया । मार्च 2021 तक बैंक द्वारा लिंक किए गए और 93490 करोड़ रुपये कुल संवितरण के साथ एसएचजी क्रेडिट की संचयी संख्या 830423 है ।

➢ विशेष एसएचजी ऋण कक्ष

बैंक ने नजदीकी शाखाओं से एसएचजी ऋणों के प्रसंस्करण के लिए 19 क्षेत्रों में एक क्लस्टर में 5 शाखाओं के आधार पर 30 शाखाओं का गठन विशेष एसएचजी क्रेडिट सेल के रूप में किया है । वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, विशेष एसएचजी क्रेडिट सेल द्वारा 2839 एसएचजी समूहों को 147 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है ।

➢ कोविड 19 राहत पैकेज:

बैंक द्वारा विशेष एसएचजी उधार योजनाएं शुरू की गई हैं और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 12646 एसएचजी समूहों को 101 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण संवितरण किया गया है ।

➢ महिलाओं को ऋण प्रवाह:

महिलाओं के लिए बैंक का ऋण 31 मार्च 2021 तक रु.25309 करोड़ था, जो बैंक के समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 16.01% है ।

बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएं तैयार की हैं आइओबी सागर लक्ष्मी: मछली व्यापार से जुड़ी महिलाओं को ऋण, आइओबी भूमि शक्ति: कृषि से संबन्धित सभी गतिविधियों के लिए महिलाओं को ऋण और आइओबी एसएमई महिला प्लस: विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के तहत महिला उद्यमियों को ऋण । आईओबी स्वर्णलक्ष्मी - महिलाओं के लिए एक विशेष आभूषण ऋण योजना ।

बैंक **आईओबी भूमि शक्ति योजना** के तहत महिला लाभार्थियों को 50,000/- रुपये तक की सीमा के लिए 0.50% और 50,000/- रुपये से अधिक की सीमा के लिए 0.25% की दर से ब्याज में रियायत प्रदान कर रहा है तथा **विद्या ज्योति शैक्षिक ऋण योजना और आईओबी-स्कॉलर योजना** के तहत छात्राओं को 0.50% की ब्याज रियायत प्रदान कर रहा है ।

84वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में महिला आवास ऋण लाभार्थियों को ब्याज में 0.10% से 0.15% तक की विशेष रियायत दी गई ।

XI. वित्तीय समावेशन

बैंक ने वैयक्तिक बीसी मॉडल के तहत 2,739 कारोबार संवादियों को नियुक्त किया है । बैंक ने आवंटित एसएसए में 2,606 बीसी, गैर-आवंटित एसएसए में 92 बीसी और 41 शहरी बीसी लगाए हैं। बीसी खाते खोलने, छोटे मूल्य की जमा राशि के संग्रह, एपीवाइ, पीएमजेजेबीवाइ और पीएमएसबीवाइ जैसी जन सुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों का नामांकन, एनपीए खातों सहित ऋण खातों में वसूली, खातों को आधार से जोड़ा जाना, जमा राशि जुटाने और आवर्ती जमा किस्त एकत्र करने में लगे हुए हैं ।

उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार के समन्वय से, आइओबी स्मार्ट कार्ड बैंकिंग लगभग 3.30 लाख वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को उनकी मासिक पेंशन और लगभग 0.25 लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को 61 शिविरों में परेशानी मुक्त तरीके से उनके दरवाजे पर उनकी मासिक पेंशन प्राप्त करने में मदद कर रहा है ।

In order to provide relief to the corporate borrowers whose operations are affected by Covid-19 pandemic due to delayed realization of receivables, resulting in temporary liquidity mismatch, a new scheme – **IOB Covid 19 – WCDL** was introduced in the month of April 2020. Under this scheme, Rs.160 Crores were sanctioned for the eligible corporate borrowers.

IX. Priority Sector Credit:

The average achievement of four quarters for the FY 2020-21 stood at Rs.74,579 Crores against the target of Rs.63,788 Crores and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 40% of ANBC by achieving 46.78% under Total Priority Sector Advances** during FY 2020-21 as against the achievement of 48.19% during the previous FY 2019-20.

As the Bank has surpassed the mandatory norm of 40% with comfortable margin under Priority sector advances, the Bank sold Priority Sector Lending Certificate(PSLC) of Rs. 6,028 Crores (PSLC SF/MF – Rs.4,000 Crores and PSLC General – Rs.2,028 Crores) during the FY 2020-21 and earned a profit of Rs.95 Crores as Other Income. The average achievement of 46.78% of ANBC under priority sector advances during the year is after reduction of the above mentioned PSLC sale.

X. Agriculture:

The average achievement of four quarters for FY 2020-21 under agri advances stood at Rs.32,334 Crores against the target of Rs.28,700 Crores and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 18% of ANBC by achieving 20.28% under Agriculture advances,** even after sale of Rs.4,000 Crores of PSLC under SF/MF category. The Bank disbursed Rs.40,505 Crores under Special Agriculture Credit Plan (SACP) as against the set target of Rs.36,000 Crores during the year.

➢ **Loans to Small and Marginal farmers:**

The average achievement of four quarters for the FY 2020-21 stood at Rs.19,556 Crores against the target of Rs.12,734 Crores and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 8% of ANBC by achieving 12.27%** under loans to **Small/ Marginal farmers.** This achievement is arrived at after reducing the sale of PSLC – SF/MF of Rs. 4,000 Crores during FY 2020-21.

➢ **Loans to Non-Corporate farmers:**

The average achievement of four quarters for the FY 2020-21 stood at Rs.25,928 Crores against the target of Rs.19,357 Crores and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 12.14% of ANBC by achieving 16.26% under loans to Non- Corporate farmers.**

➢ **Loans to Weaker Section:**

The average achievement of four quarters for the FY 2020-21 stood at Rs.24,599 Crores against the target of Rs.15,944 Crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 10% of ANBC by achieving 15.43% under loans to Weaker Section.

➢ **Microfinance:**

During the year, the Bank credit-linked 48830 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs.1339 Crores. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank is 830423 and with aggregate disbursement of Rs.93490 Crores as of March 2021.

➢ **Special SHG Credit Cell:**

30 Branches with 5 Branches in a Cluster in 19 Regions of the Bank have been formed as Special SHG Credit Cell for processing of SHG loans from nearby Branches. During the FY 2020-21, Rs.147 Crores to 2839 SHG groups have been disbursed by the Special SHG Credit Cell.

➢ **Covid -19 relief package to SHGs:**

Special SHG lending schemes have been launched by the Bank and disbursement was made to 12646 SHG groups to the extent of Rs.101Crores during FY 2020-21.

➢ **Credit flow to women**

Bank's credit to women stood at Rs.25309 Crores as of 31st March 2021 which constitutes 16.01 % of the Bank's Adjusted Net Bank Credit.

Bank has formulated the following Special schemes exclusively for women namely **IOB Sagar Lakshmi:** Loans to Fisher women, **IOB Bhoomi Shakti:** Loans to women for all activities under Agriculture, **IOB SME Mahila Plus:** Loan to women entrepreneurs under manufacturing and service sectors and **IOB Swarnalakshmi** -An exclusive Jewel Loan Scheme for women.

The Bank is providing Interest concession at the rate of 0.50% for limits up to Rs.50,000/- and 0.25% for limits above Rs.50,000/- to women beneficiaries under **IOB Bhoomi Shakti scheme** and interest concession of 0.50% to the Girl student under **Vidya Jyothi Educational Loan scheme & IOB-Scholar scheme.**

Special concession for housing loan to Women Borrowers to commemorate 84th foundation day was given to the extent of 0.10% to 0.15%.

XI. Financial Inclusion:

Bank has engaged 2,739 Business Correspondents under Individual BC model. Bank has engaged 2,606 BCs in allotted SSAs, 92 BCs in un-allotted SSAs and 41 Urban BCs. BCs are engaged in opening of accounts, collection of small value deposits, enrolment of customers under JanSuraksha Schemes like APY, PMJJBY and PMSBY, recovery in loan accounts including NPA accounts, Aadhaar seeding, mobilizing deposits and collecting RD instalment.

It is noteworthy to state that in coordination with Government of Tamil Nadu, IOB Smart Card Banking has been enabling about 3.30 lakh old age pensioners to get their monthly pension and about 0.25 lakh Sri Lankan Tamil Refugees in 61 camps to obtain their monthly dole at their doorstep in a hassle free manner.

➢ **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाइ):**

बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार पीएमजेडीवाइ लागू किया है । यह योजना भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी । बैंक ने 52,78,720 पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं, जिनमें से 45,25,771 खाते सक्रिय हैं । बैंक ने 31 मार्च 2021 तक 39,10,738 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं और इस योजना के तहत संचालित पीएमजेडीवाई खातों में 29,98,210 कार्ड (77.6%) सक्रिय किए हैं ।

➢ **आधार विनियमन, 2016 के अनुसार आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केन्द्र**

आधार विनियम, 2016 के अनुसार, यूआडीएआइ ने बैंकों को शाखा परिसर में आधार नामांकन/अद्यतन केंद्र स्थापित करने की सलाह दी है । एईसी शाखाओं के स्टाफ सदस्यों को यूआइडीएआइ द्वारा आधार नामांकन/अपडेशन के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है । 31 मार्च 2021 तक, बैंक ने 355 शाखाओं के परिसर में आधार नामांकन/अद्यतन केंद्रों का संचालन किया है ।

➢ **जन सुरक्षा योजना**

जनसुरक्षा योजनाएं भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 1 जून 2015 को शुरू की गई थीं । बैंक जन सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई, और पेंशन योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों का नामांकन कर रहा है । 31 मार्च 2021 तक, जन सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन की संख्या नीचे दी गई है :

योजनाएँ	31 मार्च 2021 तक पंजीकरण की स्थिति (संचयी)	वर्ष 2020-21 के दौरान पंजीकरण की स्थिति
पीएमजेजेबीवाइ	12,28,764	1,42,759
पीएमएसबीवाइ	33,51,473	2,51,822
कुल	45,80,237	3,94,581

➢ चूँकि "एन्हांसड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस" (ईज़) फ्रेमवर्क सूक्ष्म बीमा कवरेज़ में वृहत विस्तार को अधिदेशित करता है , अतः बैंक ने एमएसएमई/ कृषि /रिटेल के तहत पंजीकरण के साथ साथ ऋण मंजूरी को भी स्वचालित कर दिया है । बैंक ने नेट बैंकिंग और एसएमएस / मिस्ड कॉल के ज़रिए पीएमजेजेबीवाइ / पीएमएसबीवाइ पंजीकरन के लिए प्रावधान किए हैं ।

➢ **अटल पेंशन योजना :** वर्ष के दौरान एपीवाइ के तहत प्रदर्शन निम्नवत है :

वित्त वर्ष	पंजीकरण
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
2020-21	1,79,081
कुल एपीवाइ पंजीकरण (संचयी)	**6,23,385**

➢ **ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआइ) :**

ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक ने सभी अग्रणी जिलों में 12 आरएसईटीआइ स्थापित किए हैं ताकि किसानों , स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों , एसजीएसवाइ के लाभार्थियों , शिक्षित बेरोज़गार युवाओं , कारीगरों और कमज़ोर तबके के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए । इन आरएसईटीआइ का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित स्नेहा ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है । समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान, आरएसईटीआइ ने 487 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं जिससे 5775 बेरोज़गार युवाओं को लाभ पहुँचा है जबकि लक्ष्य 318 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और 9010 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का था | बैंक ने 70% संचयी निपटान और 52% संचयी क्रेडिट निपटान हासिल किया है जो कि राष्ट्रीय औसत क्रमशः 68% व 43% से अधिक है । ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सभी आरएसईटीआइ को एए रेटिंग प्रदान की गई है ।

➢ **वित्तीय साक्षरता :**

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत 24 स्थानों पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्र (स्नेहा) के जरिए वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाती है । इन केंद्रों के परामर्शदाता लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वित्तीय उत्पादों और औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध सेवाओं के बारे में बताने के साथ- साथ वित्तीय परामर्श सेवा और कर्ज़ में डूबे व्यक्तियों को ऋण के संबंध में परामर्श प्रदान करते हैं । वे विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर शिविर भी लगाते है । अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2021 तक एफएलसी ने 74102 ऋण परामर्श आयोजित किए हैं । अस्तित्व में आने के बाद बैंकिंग के विभिन्न पहलूओं पर 11445 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए हैं । स्थापना के बाद से 96636 बचत खाते खोले गए । वित्तीय प्रणाली में नव पदार्पण करने वाले व्यक्तियों के लिए 1295 विशेष शिविर लगाए गए जिसके तहत 147208 लाभार्थियों को कवर किया गया । लक्षित समूह जैसे स्वयं सेवी समूह , छात्रों , वरिष्ठ नागरिकों , किसानों एवं सूक्ष्म व लघु उद्यमियों के लिए 1834 शिविर आयोजित किए गए जिनमें 228307 उद्यमियों को कवर किया गया ।

➢ यूआइडीएआइ कक्ष :

यूआइडीएआइ कक्ष , एनपीसीआइ के जरिए ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार से प्राप्त डीबीटी व डीबीटीएल फाइलों का संसाधन कर रहा है । एनपीसीआइ डेटा बेस में आवश्यक अद्यतन करने हेतु आधार मैप्ड फाइल का सृजन किया जाता है । एनपीसीआइ से प्राप्त खाता वैद्यता फाइलों का सत्यापन किया जाता है । वर्ष 2020-21 के दौरान

- **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):**

The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 52,78,720 PMJDY Accounts out of which 45,25,771 are operative accounts. Bank has issued 39,10,738 RuPay Debit Cards till 31st March 2021 and activated 29,98,210 cards (77.6%) in the operative PMJDY accounts under this scheme.

- **Aadhaar enrolment and update centres as per Aadhaar Regulations, 2016:**

As per Aadhaar Regulations, 2016, UIDAI has advised Banks to establish Aadhaar enrolment/update Centres in Branch premises. Staff members from the AEC Branches have been trained and certified by UIDAI as Supervisors for Aadhaar Enrolment/Updation. As on 31st March 2021, Bank has operationalized Aadhaar Enrolment/Update centres in the premises of 355 Branches.

- **Jansuraksha Schemes**

The Jansuraksha Schemes were launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015. The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes viz PMJJBY and PMSBY, and Pension schemes viz Atal Pension Yojana. As on 31st March 2021, the enrollment count under Jan Suraksha schemes is as below:

Schemes	Status of enrolment as on 31st March 2021 (Cumulative)	Status of Enrolment during the year 2020-21
PMJJBY	12,28,764	1,42,759
PMSBY	33,51,473	2,51,822
Total	45,80,237	3,94,581

- As "Enhanced Access & Service Excellence" (EASE) framework - mandates massive expansion in micro insurance coverage, Bank has automated enrolments along with loan sanction under MSME /Agri/Retail. Bank has also enabled provision for enrolling PMJJBY/PMSBY through net banking and SMS/missed call.

- **Atal Pension Yojana:** Performance under APY over the years is as follows:

Financial Year	Enrolments
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
2020-21	1,79,081
Total APY Enrolments (Cumulative)	**6,23,385**

- **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):**

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Govt of India, the Bank had set up total 12 RSETIs in all Lead Districts, to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, educated unemployed youths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. The RSETIs are managed by SNEHA Trust established by the Bank. During the year under review, the RSETIs have conducted 487 training programs benefiting 5775 unemployed youths against the target of 318 training programmes and 9010 trainees. Bank has achieved cumulative settlement of 70% and cumulative credit settlement of 52% which are well above the national average of 68% and 43% respectively. All the RSETI are rated AA by MoRD.

- **Financial Literacy:**

Financial Literacy is imparted through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 24 locations under Corporate Social Responsibility. The counsellors of these centers are educating the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial institutions, provide face-to-face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places. As on 31st March 2021, 74,102 credit counselling have been conducted by the FLCs since inception. 11445 Financial Literacy camps were conducted on various aspects of Banking since inception. 96,636 SB accounts have been sourced and opened since inception. 1,295 Special camps for newly included people in the financial system were conducted by covering 1, 47,208 beneficiaries. 1,834 camps were conducted for the target group viz. SHGs, Students, Senior Citizens, Farmers and Micro & small entrepreneurs by covering 2,28,307 beneficiaries.

- **UIDAI Cell:**

UIDAI Cell is processing DBT & DBTL files received from Ministry of Rural Development, GOI received through NPCI. Aadhaar Mapped files are generated for making necessary updation in the NPCI data base. Account validation files

रु.12168.77 करोड़ के 5.96 करोड़ लेन-देन किए गए और बैंक को रु. 19.21 करोड़ का लाभ हुआ ।

XII. अग्रणी बैंक की पहल

बैंक, तमिलनाडु के 15 जिलों में और केरल के 1 जिले में अग्रणी बैंक की भूमिका में है । बैंक तमिलनाडु की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का भी संयोजक है । वर्ष के दौरान , एसएलबीसी , तमिलनाडु के संयोजक बैंक के रूप में एसएलबीसी की चार मुख्य बैठकें आयोजित की हैं ।

इसके अतिरिक्त , एसएलबीसी , तमिलनाडु के संयोजक के तौर पर बैंक ने 12 विशेष बैठकें / कोर समिति बैठकें / उप- समिति की बैठकें आयोजित की हैं ।

उनमें से उल्लेखनीय राज्य में कृषि और एमएसएमई ऋणों की प्रगति की समीक्षा करने और वार्षिक ऋण योजना 2020-21 को अंतिम रूप देने के लिए तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 30.05.2020 को आयोजित विशेष एसएलबीसी बैठक थी ।

18.01.2021 को ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा हुआ जिसमें चेन्नई में एसएलबीसी और इंडियन बैंक, चेंगलपट् जिले में अग्रणी बैंक के साथ विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में तमिलनाडु सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी की पहल:

- एसएलबीसी द्वारा पहचाने गए सभी 451 बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों को बैंकिंग सुविधाएं/आउटलेट प्रदान किए गए हैं।
- 31.03.2021 तक तमिलनाडु राज्य में, जन सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकरण 139.92 लाख तक पहुंच गया है, जिसमें पीएमजेजेबीवाई के तहत 36.64 लाख पंजीकरण और पीएमएसबीवाई के तहत 103.28 लाख पंजीकरण शामिल हैं।
- तमिलनाडु राज्य के लिए आधार संतृप्ति 104% है।

तमिलनाडु में ऋण प्रवाह के लिए एसएलबीसी की पहल:

दिसंबर 2020 तक तमिलनाडु की बैंकों ने निम्न उपलब्धि दर्ज की है :

- राज्य में बैंक का सीडी अनुपात 100% से ऊपर बना हुआ है और दिसंबर 2020 तक सीडी अनुपात 106.33% है।
- 40% के राष्ट्रीय पैमाने की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र में 50.03% रहा ।
- 18% के राष्ट्रीय पैमाने की तुलना में कृषि अग्रिम 23.97% रहा ।
- 10% के राष्ट्रीय पैमाने की तुलना में कमजोर तबके को दिया गया अग्रिम 10.47% रहा ।

XIII. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

बैंक ने सिर्फ एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ही प्रायोजित किया है जिसका नाम है ओडिशा ग्राम्य बैंक और यह ओडिशा में स्थित है । 31 मार्च 2021 तक ओडिशा ग्राम्य बैंक की मौजूदगी ओडिशा के 13 जिलों में है जिसका 549 शाखाओं का नेटवर्क है और इसके 2375 स्टाफ सदस्य हैं । 31 मार्च 2021 को 42.41% सीडी अनुपात के साथ ओजीबी का कारोबार मिश्रण रु. 19212 करोड़ रहा। आरआरबी में 50% स्वामित्व भारत सरकार का , 35% प्रायोजक बैंक का और 15% ओड़िशा सरकार का है ।

XIV. मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियाँ:

- **एएसबीए (बैंकर से लेकर निर्गम गतिविधि):** भारत में सभी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को एएसबीए समर्थित शाखा बना दिया गया है ताकि वे आईपीओ, एफपीओ और राइट्स निर्गम हेतु एएसबीए आवेदन स्वीकार कर सकें। हमारे ग्राहकों द्वारा ई-एएसबीए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है । 97 मामलों के लिए एएसबीए आवेदनों को स्वीकार किया गया और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 561 करोड़ रुपये की राशि को अवरुद्ध कर दिया गया। एएसबीए को यूपीआइ प्रक्रिया के माध्यम से भी सक्षम किया गया है।
- **मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत अन्य गतिविधियां:** बैंक लाभांश/ब्याज वारंट आदि के लिए भुगतानकर्ता बैंकर के रूप में कार्य कर रहा है। बैंक ने अपनी मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेबी द्वारा जारी डिबेंचर ट्रस्टी लाइसेंस को सरेंडर करने की प्रक्रिया आरंभ की है।
- **डिपॉज़िटरी परिचालन :** बैंक एनएसडीएल और सीडीएसएल के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के रूप में कार्य कर रहा है और सेवा केंद्र शाखाओं के माध्यम से डिपॉजिटरी संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहा है। 23562 खाते एनएसडीएल सेटअप के अंतर्गत हैं और 72 खाते सीडीएसएल सेटअप के अंतर्गत हैं।
- **इंस्टा डीमैट खाते :** बैंक अपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग के माध्यम से डीमैट खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है।
- शुल्क आधारित आय में सुधार के लिए एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ मिलकर 3 इन 1 ई ट्रेडिंग सुविधा, जो डीमैट ग्राहकों को ई-ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करती है , शुरू की गई है। अब तक लगभग 4300 ई-ट्रेडिंग खाते खोले जा चुके हैं।

XV. ग्राहक सेवा:

बैंक सभी निर्धारित सर्वोत्तम अभ्यास कोड का पालन करते हुए पहले ग्राहक सेवा के आदर्श वाक्य के साथ अपनी सेवाएँ प्रदान करता है और हम शिकायतों का निपटान तय समयावधि के भीतर करने का प्रयास करते है और त्वरित समाधान के लिए शिकायत प्रणाली को अपनाते है।

मानकीकृत लोक शिकायत निवारण तंत्र (एसपीजीआरएस) नामक एक वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली मौजूद है जिसके माध्यम से ग्राहक स्टेटस ट्रैकिंग सुविधा के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आंतरिक प्रणाली के अंतर्गत एसपीजीआरएस बैंक को कई सुविधाएं/ एमआईएस प्रदान करता है जैसे एस्केलेशन मैट्रिक्स, शिकायतों के छोटे से छोटे विवरण को दर्ज़ करना ताकि बैंक सुधारात्मक कार्रवाई कर ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार कर सके । शिकायतों के निवारण पर भविष्य की कार्रवाई और नीतियां इन एमआईएस के विश्लेषण के आधार पर बनाई जाती हैं। शिकायत विवरण वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध हैं और कार्यालय के विभिन्न स्तर के अधिकारियों तक इनकी पहुँच समाधान/ निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाती है ।

which are received from NPCI are validated. During the year 2020-21, 5.96 crores transactions amounting to Rs. 12168.77 Crores were processed and Bank earned a profit of Rs. 19.21 Crores.

XII. Lead Bank Initiatives

The Bank has Lead Bank responsibility in 15 districts in Tamil Nadu and 1 district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu (SLBC). During the year, as Convenor of SLBC, Tamil Nadu, the Bank has conducted four main meetings of SLBC.

In addition, the Bank as convenor of SLBC, Tamil Nadu convened 12 special meetings / core committee / sub-committee meetings during the year.

Notable among them was the Special SLBC meeting held on 30.05.2020 presided by Hon'ble Chief Minister and Hon'ble Dy Chief Minister of Tamil Nadu to review the progress of Agriculture and MSME loans in the State and finalization of Annual Credit Plan 2020-21.

Study visit of the Parliamentary Standing Committee on Rural Development took place on 18.01.2021 wherein discussions were held with the officials of different departments of GoTN regarding implementation of various schemes along with SLBC and Indian Bank, Lead Bank in Chengalpattu district at Chennai.

SLBC Initiatives for Financial Inclusion:

- All the 451 Unbanked Rural Centers identified by SLBC have been provided banking facilities/outlets.
- In the state of Tamil Nadu, the enrolments under Jansuraksha Schemes have reached 139.92 lakhs as on 31.01.2021, which includes 36.64 lakhs enrolments under PMJJBY and 103.28 lakhs enrolments under PMSBY.
- The Aadhaar saturation for the State of Tamil Nadu is 104%.

SLBC initiatives on Credit Flow in Tamil Nadu:

- Banks in Tamil Nadu have achieved the following as of December 2020:
- CD ratio of Banks in the State continues to be above 100% and as of Dec 2020, the CD ratio stands at 106.33%.
- 50.03% under Priority Sector against the national norm of 40%.
- 23.97% of Agricultural Advances against the national norm of 18%.
- 10.47% of advances to weaker sections against the national norm of 10%.

XIII. Regional Rural Banks:

Bank has sponsored only one Regional Rural Bank, viz. Odisha Gramya Bank in Odisha. As on 31st March 2021 Odisha Gramya Bank has presence in 13 districts of Odisha with a network of 549 Branches and staff strength of 2375 members. As on March 31, 2021, OGB had a Business mix of Rs.19212 Crores with a CD ratio of 42.41%. The ownership in RRB is 50% by GoI, 35% by Sponsor Bank and 15% by Govt of Odisha.

XIV. Merchant Banking Activities:

- **ASBA (Banker to Issue activity):** All the general Banking Branches in India have been made ASBA enabled Branches to accept ASBA applications for IPO, FPO and Rights Issues. E-ASBA continued to be in usage effectively by our Customers. ASBA applications were handled for 97 issues and an amount of Rs.561 Crores were blocked during the reporting period. ASBA through UPI process has also been enabled.
- **Other activities under Merchant Banking:** The Bank continues to act as Paying Banker for Dividend / Interest Warrants etc. Bank has initiated the process of surrendering the Debenture Trustee License issued by SEBI in order to concentrate on core activities of the Bank.
- **Depository Operations:** The Bank continues to act as Depository Participant (DP) of NSDL and CDSL and is extending depository related services through service centre Branches. 23562 accounts are under NSDL setup and 72 accounts are under CDSL setup.
- **Insta Demat Account:** Bank has developed a software to open demat accounts to customers through net banking.
- 3 in 1 E Trading facility in tie up with Emkay Global Financial Services Limited & SMC Global Securities Ltd., E-trading facility for demat clients has been implemented to improve the fee based income. Around 4300 e-trading accounts have been opened so far.

XV. Customer Service:

Bank serves with a motto of customer service first by following all laid down best practice codes and try to resolve the complaints within TAT and support the complaint mechanism for a speedy resolution.

A web-based online system called Standardized Public Grievances Redressal Mechanism (SPGRS) is in place, enabling customers to lodge complaint online with status tracking facility. As far as the internal mechanism, SPGRS provides number of utilities / MIS to the Bank, like escalation Matrix, granular details of the complaints are captured, enabling the Bank to take corrective action, to improve the services to the customers. Future course of actions and policies on grievances Redressal are made based on the analysis from these MIS. Complaint details are available on real time basis and access by various layer of offices enable effective redressal mechanism.

➢ **मूल कारण विश्लेषण पर आधारित प्रणाली का आरंभ:**

- ईसीएस मैनडेट हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया
- बेंचमार्क ब्याज में परिवर्तन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया
- ग्राहक के आवासीय पते पर वैयक्तिकृत चेक की सुपुर्दगी

➢ **अन्य गतिविधियाँ :**

- **डोर स्टेप बैंकिंग :** पीएसबी एलायंस डोर स्टेप बैंकिंग की शुरुआत बैंक द्वारा यूको बैंक के नेतृत्व तहत यूनिवर्सल टच पॉइंट के माध्यम से 09.09.2020 को आरंभ की गई । गैर-वित्तीय लेनदेन (वर्तमान में नकद निकासी) 09.09.2020 को शुरू किया गया था और वित्तीय लेनदेन 15.10.2020 से शुरू हुआ था। डीएसबी के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की भी सुविधा प्रदान की जाती है।
- **आईवीआरएस का कार्यान्वयन:** बैंक ने सितंबर 2020 में आईवीआरएस सुविधा का आरंभ किया । वर्तमान में इसमें 36 सुविधाएँ उपलब्ध हैं। आईवीआरएस चरण॥। के आरंभ के साथ बैंक जल्द ही और अधिक सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा ।.
- **बैंक के टोल फ्री कॉल सेंटर का प्रबंधन:** शिकायतों को प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए बैंक का 24x7 टोल फ्री कॉल सेंटर उपलब्ध है । सेवा प्रदाता अनुरोधों से संबंधित डेटा को रिकॉर्ड भी बैंक को अग्रेषित करता है जिसकी सहायता से शिकायत का कुशल निपटान किया जाता है ।
- बैंक एसपीजीआरएस और टोल फ्री टेली सेवाओं के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के अलावा बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिजर्व बैंक (वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधन और बैंकिंग सेवा विभाग), वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों और भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग, आदि से भी प्राप्त शिकायतों का निवारण करता है ।

वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त ग्राहक शिकायतों और उनके निवारण का विवरण निम्नवत है :

वर्ष की शुरुआत में शिकायतों की संख्या	3272
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	151084
वर्ष के दौरान निवारण किए गए शिकायतों की संख्या	152330
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2026
प्रभावी समाधान दर	98.68%

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 24 घंटे के भीतर लगभग 40% शिकायतों का समाधान किया गया। 24 घंटे के भीतर निपटाई गई शिकायतों को शिकायत के रूप में नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें यहां शामिल नहीं किया गया है।

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए शिकायतों के वर्ग निम्नवत हैं:

शिकायतों की प्रकृति	शिकायतों की संख्या	कुल शिकायतों की प्रतिशतता
गैर-डिजिटल		
अग्रिम	1363	0.91
ग्राहक सेवा	892	0.61
डीमैट सेवाएँ	61	0.04
जमाएँ	1091	0.72
सामान्य बैंकिंग	3640	2.40
सरकारी लेन-देन	342	0.22
बीमा	335	0.22
एनआरआइ सेवाएँ	67	0.05
पेंशन	202	0.15
विप्रेषण	1353	0.88
अन्य	1550	1.02
उप योग	**10896**	**7.22**
शिकायतों की प्रकृति	**शिकायतों की संख्या**	**कुल शिकायतों की प्रतिशतता**
डिजिटल		
गैर एटीएम	78710	52.09
एटीएम	61478	40.69
उप योग	**140188**	**92.78**
कुल	**151084**	**100**

XVI.तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन:

पीसीए से जल्दी बाहर निकलने और लाभ के स्तर में सुधार के इरादे से एनपीए स्टॉक को कम करने हेतु बैंक लगातार सक्रिय प्रयास कर रहा है। हालांकि एनपीए वसूली का मुख्य उद्देश्य लाभ के मोर्चे को प्रभावित किए बिना संविदागत बकाए की पूर्ण वसूली है, लेकिन वास्तव में, विभिन्न कारकों के कारण, बैंक को एनपीए वसूली की रणनीति में बदलाव कर अन्य मार्गों जैसे विधिक तरीकों को अपनाने के स्थान पर समझौता समाधान अपनाना पड़ा है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने यह पाया है कि क्षेत्रीय स्तर पर विशेष ओटीएस योजना सबसे अच्छी वसूली साधनों में से एक है । विशेष ओटीएस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इस तरह से संशोधित और विस्तारित किया गया है कि गैर एनसीएलटी खाते में शाखा अधिकार के तहत 10.00 लाख रुपये तक, आरएलसीसी अधिकार के तहत रु. 10.00 लाख से अधिक और एचएलसीसी (जीएम) अधिकारके तहत रु. 3.00 करोड़ से अधिक 25.00 करोड़ रुपये तक बिना किसी परेशानी के निपटारा किया जा सकता है और ऐसे गैर एनसीएलटी खातों के लिए ओटीएस को मंजूरी देने और इसे उधारकर्ताओं/गारंटरों को बताने के लिए कोई लंबी प्रक्रिया नहीं की जानी है । अवधि के दौरान रु. 278 करोड़ के 25682 खातों में ओटीएस स्वीकृत किए गए और 204 करोड़ रुपए की वसूली हुई।

➢ **System introduced based on Root Cause Analysis:**

- SOP for ECS Mandate
- SOP for Changes in benchmark interest.
- Delivery of Personalized Cheque to the Customer's Residential Address

➢ **Other Activities:**

- **Door step Banking:** PSB Alliance Door Step Banking is introduced by the Bank through Universal touch point under the anchor ship of UCO Bank from 09.09.2020. Non-financial Transaction (Currently Cash withdrawal) was started on 09.09.2020 and financial transaction started from 15.10.2020. Submission of Digital Life certificate through DSB is also made live.
- **Implementation of IVRS:** Bank has launched IVRS facility in September 2020. Currently 36 functions are available. Bank will be introducing more functionalities with the launch of IVRS Phase III shortly.
- **Management of Bank's Toll Free Call Centre:** The Bank has dedicated 24x7 toll free call center to receive the complaints and redress them. Service provider also records and pushes the data related to service requests to the Bank, facilitating efficient redressal of the same.
- Apart from SPGRS and Toll Free Tele Services, Bank also handles complaints received from Banking Ombudsman, Reserve Bank of India (Senior Supervisory Management and Department of Banking Services), Ministry of Finance and other Ministries and Consumers' Education and Protection Department of RBI, etc.

Details of Customer Complaints received and redressed during the year 2020-21 is given below:

Number of complaints at the beginning of the year	3272
Number of complaints received during the year	151084
Number of complaints resolved during the year	152330
Number of complaints pending at the end of the year	2026
Effective Resolution Rate	98.68%

For FY 2020-21 around 40% complaints resolved within 24 hours. The complaints redressed within 24 hours are not treated as complaints and hence are not included here.

Categories of Complaints for the year ended 31.03.2021 is as follows:

Nature of Complaints	No. of Complaints	% of Total Complaints
NON- DIGITAL		
Advances	1363	0.91
Customer Service	892	0.61
Demat Services	61	0.04
Deposits	1091	0.72
General Banking	3640	2.40
Government Business	342	0.22
Insurance	335	0.22
NRI Services	67	0.05
Pension	202	0.15
Remittances	1353	0.88
Others	1550	1.02
Sub total	10896	7.22

Nature of Complaints	No. of Complaints	% of Total Complaints
Digital		
Non ATM	78710	52.09
ATM	61478	40.69
Sub total	140188	92.78
Grand Total	151084	100

XVI. Stressed Asset Management:

Bank is continuously adopting various dynamic efforts in reducing the NPA stock with the intention of early exit from PCA and improving the profit level. Though the core objective in NPA recovery is recovery of the entire contractual dues without any hit on the profit front, in practice, due to various factors, the Bank has to shift the strategy for NPA recovery by other means including compromise settlements apart from taking other legal measures as a resort.

During the period under review, Bank has realised that at the field level, one of the best recovery tools that has received very well is the Special OTS Scheme. The special OTS scheme is modified and extended for the FY 2020-21 in a such a way that the Non NCLT accounts upto Rs 10.00 Lakh under Branch power, above Rs 10.00 Lakh and upto Rs3.00 Crores under RLCC power and Above Rs 3.00 Crores and upto Rs 25.00 Crores under HLCC (GM) power can be settled in hassle free and without taking any long process for sanctioning the OTS for such non NCLT accounts and conveying the same to the borrowers/guarantors. Total no. of OTS sanctioned during the period at field level is 25682 accounts for amounting of Rs. 278 Crores and recovered Rs 204 Crores.

बैंक ने चेक बॉक्स प्रणाली के तहत ओटीएस ऑनलाइन प्रणाली के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लागू और लोकप्रिय किया है, जिसमें एनपीए उधारकर्ता अपना ओटीएस आवेदन आईओबी ऑनलाइन पर जमा कर सकते हैं जिसके माध्यम से निपटारा होने तक उधारकर्ता अपने प्रस्तावों की स्थिति जानने के लिए उचित ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं । इसके द्वारा उधारकर्ता के साथ-साथ बैंक भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करेगा ।

लॉक डाउन में ढील के बाद बैंक ने ई-बिक्रे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्च 2021 तक हर महीने सरफेसी अधिनियम के तहत संपत्तियों के लिए पैनइंडिया स्तर पर मेगा ई-नीलामी आयोजित की है। बैंक 2924 संपत्तियों की ई नीलामी करने में सक्षम था जिसमें से 737 नई संपत्तियों की नीलामी अक्टूबर 2020 से अब तक की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में ई नीलामी के तहत 314 करोड़ रुपये में 174 संपत्तियां बेची गईं।

सरफेसी के तहत ई नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के कारण ओटीएस, उन्नयन और एनपीए खातों को पूर्ण रूप से बंद करने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सरफेसी कार्रवाई शुरू करने के कारण 379 करोड़ रुपये के 414 खातों का समाधान हुआ। अधिक खरीदार लाने के लिए बैंक ने आईओबी ऑनलाइन में सभी योग्य संपत्तियों के विवरण उपलब्ध कराए हैं जहां संभावित खरीदार संपत्ति के विवरण की खोज कर सकते हैं और नीलामी में भाग ले सकते हैं।

वाद दायर खाते में वसूली बहुत प्रभावशाली है जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1843 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल एनपीए वसूली लगभग 4037 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल वसूली लक्ष्य से अधिक है ।

XVII. आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त याचिकाओं का निस्तारण:

बैंक में आरटीआई के तहत मिलने वाले आवेदनों और अपीलों की देख-रेख के लिए एक पृथक और विशेषीकृत कक्ष है जिसका नाम आरटीआई कक्ष है । यह आरटीआई कक्ष सहायक महा प्रबन्धक, विधि विभाग के नियंत्रण व देखरेख में कार्य करता है जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के तौर पर भी पदनामित हैं । बैंक ने क्षेत्रीय प्रबन्धकों को भी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के तौर पर पदनामित किया है ताकि आरटीआई आवेदनों को निर्धारित समयावधि (आरटीआई आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर) में निपटाने में केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) की मदद कर सकें । हमारे बैंक में अभी 48 सीएपीआईओ हैं ।

बैंक ने महा प्रबन्धक, विधि विभाग को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के तौर पर पदनामित किया है ताकि सीपीआईओ और सीएपीआईओ के उत्तर से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं द्वारा दाखिल अपील का निपटान कर सकें ।

वर्ष 2020-21 में आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत बैंक को सूचना प्राप्ति हेतु 1621 आवेदन प्राप्त हुए हैं । सभी आवेदनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधान के तहत विधिवत रूप से निर्धारित समयावधि में सीपीआईओ और सीएपीआईओ द्वारा निस्तारित किया गया ।सीपीआईओ और सीएपीआईओ के उत्तर से जो लोग असंतुष्ट थे उनसे बैंक को 255 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं और एफएए द्वारा उनका निपटान आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत और मेरिट के आधार पर समुचित आदेश द्वारा किया गया।

सीपीआईओ/ सीएपीआईओ और एफएए के उत्तर से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं द्वारा द्वितीय अपील माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष की गई। सूचना आयुक्त के समक्ष सुनवाई के लिए बैंक को सीआईसी सुनवाई के लिए 53 समन प्राप्त हुए। सभी द्वितीय अपीलों को सूचना आयुक्त द्वारा मेरिट के आधार पर समुचित आदेश पारित कर विधिवत रूप से किया गया और बैंक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई।

XVIII. जोखिम प्रबंधन:

जोखिम लेना बैंकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। बैंक द्वारा अपनी जोखिम क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते समय अपनी गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के जोखिम लिए जाते हैं। बैंक द्वारा किया गया प्रत्येक लेनदेन उसके जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करता है। बैंक की सामान्य व्यापार कार्यप्रणाली में क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम सहित विभिन्न जोखिम शामिल रहते है। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम लेने की गतिविधि को रोकना या मना करना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों को सचेत रूप से पूर्ण ज्ञान, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ लिया जाए ताकि इसे मापा और कम किया जा सके। इस तरह के जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और अपने जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों और पद्धति को रखा है, जिसमें नीतियां, उपकरण, तकनीक, निगरानी तंत्र और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) शामिल हैं ।

बैंक, निरंतर आधार पर, जोखिम और रिटर्न के बीच उचित टेड ऑफ प्राप्त करने के माध्यम से शेयरधारक मूल्यों की वृद्धि करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के समग्र जोखिम धारणा को प्रस्तुत करने के लिए जोखिमों की उचित पहचान, माप, निगरानी, नियंत्रण और कमी को कवर करना बैंक के जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है । बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन रणनीति जोखिमों की समझ और बैंक की जोखिम क्षमता के स्तर पर आधारित है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के निर्देशों के माध्यम से बैंक की जोखिम क्षमता का व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जाता है।

बैंक में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना स्थापित है । जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी), बोर्ड की उप-समिति, का गठन किया गया है जो बैंक में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बैंक ने आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों का गठन भी किया है जैसे क्रेडिट रिस्क के प्रबंधन के लिए क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (सीआरएमसी) आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए फंड्स कमेटी, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (ओआरएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए प्रोडक्ट / प्रोसेस रिस्क मिटीगेशन कमेटी(पीआरएमसी), और सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए सूचना सुरक्षा समिति का गठन किया है ।

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कि बैंक में सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रथाओं को लागू करने के लिए व्यावसायिक विभागों से स्वतंत्र है। बैंक के महाप्रबंधक के रैंक में एक मुख्य जोखिम अधिकारी उस विभाग का प्रभारी होता है जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों का संयोजक होता है। विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन और ट्रेज़री के साथ -साथ सामान्य रूप से कार्यरत अन्य विभाग / शाखाएँ भी जोखिम प्रबंधन का कार्य करती हैं और नीतियों, जोखिम सीमा ढांचे और आंतरिक अनुमोदन के पालन / अनुपालन की निगरानी करती हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्रेडिट

Bank has implemented and popularized the digital platform for OTS online mechanism under the check box system wherein NPA borrowers can submit their OTS application in IOB online which will enable proper tracking system for the borrower to know the status of their proposals till it is resolved. The same also enable to adhere Covid-19 protocol of maintaining the social distancing to the advantage of the Borrower as well as to Bank.

Bank has conducted Mega PAN INDIA E-Auctions for the properties possessed under SARFAESI Act till March 2021 every month after easing of lock down through E-Bikray platform. And Bank was able to put E auction of 2924 properties, out of which 737 new properties are brought to auction since October 2020. 174 Properties were sold fetching Rs.314 Crores under E auction in FY 2020-21.

Due to initiation of E auction procedure under SARFAESI, the same had paved the way in resulting in OTS, upgradation and full closure of NPA accounts. There was a resolution in 414 accounts involving Rs.379 Crores due to initiation of SARFAESI action. In order to bring more buyers, Bank has made available all the eligible properties details in IOB Online where prospective buyer can search the property details and participate in auction.

The recovery in suit filed account is very much impressive which amounting to Rs 1843 Crores for the FY 2020-21. The total NPA recovery is approx. Rs 4037 Crores for the FY 2020-21 which surpassed the total recovery budget for the FY 2020-21.

XVII. Disposal of petitions received under RTI Act:

RTI applications and appeals are handled by a separate and specialized cell called RTI Cell in the Bank. The RTI Cell is working under the control and supervision of Assistant General Manager, Law Department, who is designated as Central Public Information Officer (CPIO). Bank has also designated Regional Managers as Central Assistant Public Information Officer (CAPIO) to assist CPIO in disposing RTI applications within the prescribed time frame (i.e. 30 days from the receipt of RTI application). There are 48 CAPIOs in our Bank.

Bank has designated General Manager, Law Department as First Appellate Authority (FAA) for disposing appeals filed by the appellants who were aggrieved with the reply of CPIO and CAPIOs.

Bank has received 1621 applications filed under RTI Act, 2005 for seeking information in the year 2020-21. All applications were duly disposed as per the provision of RTI Act, 2005 by CPIO and CAPIOs. Bank has received 255 first appeals from those who were not satisfied with the reply of CPIO and CAPIO and the same have been duly disposed by FAA by passing appropriate order on merit and as per the provision of RTI Act, 2005.

The appellants who were aggrieved with the reply of CPIO/ CAPIO and FAA have preferred second appeal before Honorable Central Information Commission (CIC). Bank has received 53 summons for CIC hearing before Information Commissioner. All the second appeals were duly disposed by Information Commissioner by passing appropriate order on merits without any adverse remarks against the Bank.

XVIII. Risk Management:

Risk taking is an integral part of the Banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate tradeoff between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The Bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing operational risk and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management , Treasury, in particular, and other

जोखिम के आकलन हेतु जोखिम प्रबंधकों को नामित किया जाता है। विभिन्न एमआईएस प्रस्तुत करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय के साथ समन्वय करने के अलावा वे क्षेत्रीय और अंचल स्तर क्रेडिट अनुमोदन समितियों में भाग लेते हैं।

जोखिम का प्रबंधन करने के लिए मूल दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रूप से उसकी उत्पत्ति के बिंदु पर जोखिम को नियंत्रित करने पर निर्भर है। 31.3.2008 को बेसल- III दिशानिर्देशों को लागू किया गया था और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहा है । आरबीआई द्वारा बेसल III में 9% की न्यूनतम पूंजी व 2.5% की पूंजी संरक्षण बफर सहित 11.50% समग्र सीआरएआर निर्धारित किया गया है। पूंजी संरक्षण बफर की - 0.625% की अंतिम किश्त को 1 अक्टूबर, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके लिए प्रभावी रूप से बैंक को 31.03.2021 तक 10.875% का सीआरएआर रखना आवश्यक है। बेसल-III फ्रेमवर्क तीन परस्पर सुदृढ़ करने वाले स्तंभों पर आधारित है। जबकि संशोधित ढांचे का पहला स्तंभ ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता को संबोधित करता है, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया का दूसरा स्तंभ यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास अपने जोखिम प्रोफ़ाइल और नियंत्रण के साथ-साथ व्यवसाय के सभी जोखिमों से बचाव के लिए पर्याप्त पूंजी है। आरबीआई परिपत्र के अनुसार, बैंक ने दूसरे स्तंभ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य उन सभी भौतिक जोखिमों का आकलन करना है जिनके लिए बैंक पहले स्तंभ जोखिमों के तहत नियामक निर्देशों से बढ़कर उजागर करते हैं, और निरंतर आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी संरचना सुनिश्चित करते हैं।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 दिसंबर 2013 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में असाधारण लेकिन प्रशंसनीय घटनाओं के संभावित जोखिम का आकलन करने के लिए एक "तनाव परीक्षण रूपरेखा" तैयार की है । तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेष रूप से बैंक के महत्वपूर्ण जोखिम एक्सपोजर के संदर्भ में , आर्थिक मंदी के समय एक पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिमों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और उसी के अनुसार उपयुक्त सक्रिय कदम उठाता है। नीति में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में बैंक आवधिक रूप से अपने तुलन पत्र व विशिष्ट विभागों पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और रिपोर्ट अल्को / आरएमसीबी /बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करता है।

बोर्ड ने व्यापार सततता योजना और आपदा वसूली योजना प्रभावी है । सभी 3 डेटा केंद्रों पर मल्टीपल एमपीएलएस-वीपीएन उच्च बैंडविड्थ कनेक्शन, विभिन्न वैकल्पिक सेवा / वैकल्पिक प्रदाताओं से दोहरी कनेक्टिविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना के लिए शून्य डेटा हानि हेतु, 3 तरह के डेटा केंद्रों को लागू किया गया है। फ़ायरवॉल और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम को कार्यान्वित किया गया है । सूचना सुरक्षा विभाग द्वारा सुधारात्मक कदम उठाने के लिए निगरानी व विश्लेषण करने के लिए एक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की गई है जबकि आईएस ऑडिट अनुभाग बैंक के विभाग और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा का ध्यान रखता है। बैंक ने सूचना सुरक्षा प्रणालियों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार ठीक किया है । हर तिमाही में नियमित डी आर अभ्यास किए जा रहे हैं। नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाह्य विशेषज्ञों द्वारा आवधिक भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को अद्यतन करने और उन्हें बेसल III ढांचे के तहत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों में माइग्रेट करने की भी प्रक्रिया में है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी तरलता जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देश में विभिन्न पैमानों पर पृथक रूप से घरेलू परिचालन और विदेशी परिचालन सहित समेकित बैंक परिचालनों को तैयार व प्रस्तुत करना शामिल है। बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में प्रणाली और प्रक्रिया को लागू किया है।

तरलता कवरेज अनुपात और निवल स्थिर निधिपोषण अनुपात पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के संबंध में, बैंक जनवरी 2015 से आरबीआई को एलसीआर के संबंध में रिपोर्ट कर रहा है। एलसीआर के कार्यान्वयन को 1 जनवरी, 2015 से 60 प्रतिशत की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता के साथ चरणबद्ध किया गया है, जिसे 1 जनवरी, 2019 तक धीरे-धीरे बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआई / 2019-20 / 217 डीओआर .बीपी .बीसी.संख्या.65 / 21.04.098 / 2019-20 दिनांकित 17.04.2020 के माध्यम से एलसीआर की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया। आवश्यकता धीरे-धीरे दो चरणों में में बहाल किया गया है - 1 अक्टूबर, 2020 तक 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल, 2021 तक 100 प्रतिशत है। बैंक का एलसीआर न्यूनतम निर्धारित स्तरों से अधिक है।

आरबीआई ने अपने परिपत्र आरबीआई / 2018-19 / 84 डीबीआर. बीपी. बीसी संख्या 08 / 21.04.098 / 2018-19 दिनांकित 29 नवंबर 2018 के माध्यम से एनएसएफ़आर के कार्यान्वयन की तिथि 01.04.2020 करने हेतु सूचित किया है । इसके अलावा, आरबीआई ने अपनी सातवीं द्वि-मासिक मौद्रिक नीति विवरण , 2019-20, दिनांकित 27.03.2020 में, एनएसएफ़आर के कार्यान्वयन को छह माह 1 अक्टूबर, 2020 तक, जिसे 1 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाया गया है , के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। तदनुसार बैंक आरबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार एनएसएफ़आर को रिपोर्ट करेगा।

बेसल III ने एक सरल, पारदर्शी और गैर-जोखिम आधारित लीवरेज अनुपात पेश किया है जिसे जोखिम आधारित पूंजी आवश्यकता के लिए एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। बैंक विनियामक की लीवरेज अनुपात की आवश्यकता के अनुपालन कर रहा है और 31 मार्च , 2019 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर आरबीआई को रिपोर्ट कर रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून, 2013 को समाप्त तिमाही से बेसल III पूंजी अनुपात का खुलासा करने वाले बैंकों के साथ 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत में बेसल III पूंजी विनियमनों के कार्यान्वयन के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं । बैंक उनका अनुपालन कर रहा है ।.

बेसल- III ढांचे का तीसरा स्तंभ बाजार अनुशासन को संदर्भित करता है। बाजार अनुशासन का उद्देश्य स्तंभ 1 के तहत विस्तृत न्यूनतम

functional departments/ branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/ compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been nominated at Regional Offices to oversee the credit risk of the respective regional offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committees.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines. Minimum Capital of 9% and Capital Conservation Buffer of 2.5% with overall CRAR of 11.50% have been prescribed by RBI in their BASEL III. The Last tranche of the Capital Conservation Buffer - 0.625% has been deferred up to October 1, 2021 which effectively requires the bank to keep the CRAR of 10.875% as on 31.03.2021. The Basel-III Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI Circular, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The Bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests periodically on bank's balance sheet and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3-way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/ alternate providers and alternate media for branches have been established.Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyses the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel III framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

With regard to the RBI guidelines on Liquidity Coverage ratio and Net Stable funding ratio, Bank is reporting LCR to RBI from Jan. 2015 onwards. The implementation of the LCR has been phased in from January 1, 2015 with a minimum mandatory requirement at 60 per cent, which was to be gradually increase to 100 per cent by January 1, 2019. RBI Vide their Circular number RBI/2019-20/217 DOR.BP.BC. No.65/21.04.098/2019-20 dated 17.04.2020 brought down the LCR requirement from 100 per cent to 80 per cent with immediate effect. The requirement shall be gradually restored back in two phases – 90 per cent by October 1, 2020 and 100 per cent by April 1, 2021. The bank is maintaining LCR well above the minimum prescribed levels.

RBI Vide their Circular RBI/2018-19/84 DBR.BP.BC. No.08/21.04.098/2018-19 dated November 29, 2018 advised the implementation date of NSFR as 01.04.2020. Further RBI, in its Seventh Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2019-20, dated 27.03.2020, decided to defer the implementation of NSFR by six months to October 1, 2020 again revised to October 1, 2021. The bank shall accordingly report NSFR as and when advised by RBI.

Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter ending March 31,2019

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-III framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1

पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना है और स्तंभ 2 के तहत विस्तृत पर्यवेक्षणीय समीक्षा प्रक्रिया है। इस संदर्भ में और बैंक में जोखिम प्रबंधन के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्देशित प्रकटीकरण का एक सेट (गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों) डीएफ़ 1 एस से 11 (अनुगलक) में प्रकाशित किया जाता है, जो बाजार सहभागियों को महत्वपूर्ण जानकारी का आकलन करने में सक्षम करेगा (ए) आवेदन के गुंजाइश (डीएफ -1), (बी) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ -2), (ग) क्रेडिट जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ़ -3), (डी) क्रेडिट जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ़-4) के अधीन पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण, (ई) क्रेडिट जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के प्रकटीकरण (डीएफ़-5), (एफ़) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण(डीएफ़-6), (जी) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ़ -7), (एच) परिचालन जोखिम (डीएफ़ -8), (आई) ब्याज दर जोखिम बैंकिंग बुक में (आईआरआरबीबी) (डीएफ़ -9), (जे) एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण संबंधित काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क (डीएफ़ -10), (के) पूंजी की संरचना (डीएफ (11) और (एल) लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डीएफ -18)। यह विभिन्न मापदंडों में बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बाजार सहभागियों को आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा ।

XIX. क्रेडिट निगरानी

बैंक ने एसएमए खातों के अनुवर्तन और वसूली के लिए और क्रेडिट की निकट निगरानी के लिए कई रणनीतियों को लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्लिपेज को न्यूनतम संभव स्तर पर रखा जाए ।

खातों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लागू किए गए उपाय:: वित्त वर्ष 2020-21 कोविड 19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों से अभिभूत था जिसके कारण न केवल इससे लड़ने बल्कि इसके परिणाम को संभालने के लिए भी एक बड़ी चुनौती सामने थी । इतने कठिन काल में संपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखना एक बड़ी और गंभीर चुनौती थी। आरबीआइ द्वारा प्रदत्त अधिस्थगन वित्तीय संस्थानों के लिए एक अस्थायी राहत देने वाला निर्णय था। बढ़े हुए स्लिपेज़ों के संभावित जोखिम को दूर करने के लिए बैंक ने निम्नलिखित रणनीतियों के साथ विकास की राह चुनी |

- एसएमए खातों की ऑन-लाइन निगरानी के एक भाग के रूप में शाखाएं रेड टू ग्रीन ड्राइव के तहत एसएमए खातों की निगरानी कर रही हैं जहाँ वसूली होने पर किसी भी शाखा के लिए लाल रंग में दर्शाए गए एसएमए 2 खाते हरे रंग में बदल जाते हैं। शाखाएँ लाल को हरे में बदलने हेतु सार्थक प्रयास करती हैं।
- किसी भी माह हेतु एसएमए और प्रणाली चिन्हित अनुमानित स्लिपेज़ (सिनपा) उस माह की पहली तिथि को सृजित होता है और दैनिक आधार पर अनुवर्तन हेतु सभी स्टाफ सदस्यों को अद्यतन सूची उपलब्ध करवाई जाती है ।
- एक नवीनीकृत एसएमए पोर्टल का विकास जिसके माध्यम से अनुवर्तन व वसूली के लिए स्टाफ सदस्यों को एसएमए खातों का आवंटन किया जाता है जो खातों के साथ -साथ किए गए अनुवर्तन का इतिहास भी दर्शाता है । एसएमए पोर्टल एसएमए खातों की प्रभावी अनुवर्तन के आधार पर शाखा/क्षेत्र को रैंकिंग प्रदान करता है और प्राप्त स्कोर को सदस्यों के एपीआर (वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा) से जोड़ा जाता है। विशेष रूप से चिन्हित खाता (एसएमए) पोर्टल सभी एसएमए खातों के आंकड़े , आयु प्रोफ़ाइल का विवरण और दैनिक वसूली स्थिति प्रदान करता है। शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को आवंटित सभी एसएमए खातों की शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालयों द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है।
- एसएमए उधारकर्ताओं को अतिदेय के चुकतान के लिए अनुस्मारक के रूप में नियमित अंतराल पर एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं। इसके अलावा शाखाओं के सभी कर्मचारियों को भी अनुवर्तन और वसूली के लिए एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं।
- 15 दिनों के भीतर टेलीफोनिक अनुवर्तन पर प्रतिक्रिया नहीं देने वाले एसएमए उधारकर्ताओं से निजी / व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुवर्तन किया जाता है ।
- रु. 50 लाख और उससे अधिक के बकाए वाले एसएमए खातों की समीक्षा प्रत्येक माह के दौरान केंद्रीय कार्यालय की महाप्रबंधक समिति द्वारा की जाती है ।
- महाप्रबंधक समिति द्वारा विदेशी शाखाओं के एसएमए खातों की भी मासिक आधार पर समीक्षा की जाती है।
- शाखाओं द्वारा प्रत्येक माह एसएमए उधारकर्ताओं को प्रणाली सृजित पत्र भेजे जाते हैं जिनमें अतिदेय का उल्लेख होता है और शीघ्र नियमितीकरण का अनुरोध किया जाता है।
- कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में जेएडब्ल्यूएस (जॉब एक्सेस विद स्पीच) कार्यक्रम की सहायता से दृष्टिबाधित कर्मचारियों द्वारा संचालित कॉल सेंटरों द्वारा भी एसएमए /सिनपा खातों में वसूली के लिए अनुवर्तन किया जाता है ।
- खुदरा ऋण और एमएसएमई के एसएमए/सिनपा खातों में अनुवर्तन और वसूली हेतु आउटबाउंड कॉल सेंटर की सेवाएं उपलब्ध है। कॉल के अलावा वॉयस ब्लास्ट सुविधा का उपयोग अतिदेय उधारकर्ताओं को पूर्व-रिकॉर्डेड संदेश भेजने के लिए भी किया जाता है ताकि वे बकाए का भुगतान जल्द से जल्द कर दें ।
- पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस): बैंक के पास एक मजबूत ईडब्ल्यूएस समाधान मौजूद है। क्रिसिल से खरीदा गया समाधान उधार व्यवस्था से इतर बैंक के स्तर पर रु. 3.00 करोड़ या उससे अधिक (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) के एक्सपोज़र वाले सभी खातों को कवर करता है। क्रिसिल समाधान को कई स्रोतों (आंतरिक और बाहरी) से ट्रिगर्स प्राप्त हैं जिसमें आरबीआइ , डीएफएस व विशिष्ट बैंक शामिल हैं । बाहरी स्रोतों के लिए बैंक ने डेटा एग्रीगेटर क्रेडिवॉच क्रेडीवाच के साथ करार किया है। ईडब्ल्यूएस समाधान को खातों की रेड फ्लैगिंग की अवधारणा के हिस्से के रूप में खरीदा गया था जिसे आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/590/ डीबीएस. सीओ. सीएफएमसी .बीसी.सं. 007/23.04.001/2014-15 दिनांकित 7 मई 2015 के माध्यम से धोखाधड़ी जोखिम नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किया गया था।

उपरोक्त उपायों को अपनाकर बैंक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने स्लिपेज़ों पर बेहतर नियंत्रण करने और विशेष रूप से चिन्हित खातों में अधिकतम वसूली और नियमितीकरण करने में सक्षम है ।

XX. ऋण समीक्षा प्रणाली:

- रु. 5 करोड़ और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) वाले सभी खातों के लिए स्टॉक ऑडिट प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया है। स्टॉक ऑडिट समीक्षा नोट केंद्रीय कार्यालय में महाप्रबंधक समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और समिति की टिप्पणियों को क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं को सूचित किया जाता है। स्टॉक ऑडिट प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है।

and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF (11) and (l) Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

XIX. Credit Monitoring:

Bank has implemented several strategies for follow-up and recovery of SMA accounts and for closer monitoring of credit to ensure that slippages are kept at the minimum possible levels.

Measures implemented during FY 2020-21 for effective monitoring of accounts: FY 2020-21 was overwhelmed by the COVID-19 repercussions and it posed a greater challenge not only in fighting with it but also to handle its aftermath. A bigger and severe challenge was to maintain asset quality in such a difficult tenure. RBI's moratorium was a decision giving a temporary relief for the financial institutions. In order to address potential risk of increased slippage, Bank tried to evolve with following strategies.

- As a part of On-line monitoring of SMA accounts Branches are continuing to monitor SMA accounts under the Red to Green Drive, wherein the SMA 2 accounts depicted in RED for any branch turns GREEN in colour when recovery is made. Branches strive for turning Red in to Green.
- SMA and System Identified Projected Slippage(SINPA) for the month is generated on the first day of every month and updated report is made available to all the Staff for follow-up on daily basis.
- A renewed SMA portal for allocation of SMA accounts to staff members for follow up and recovery, depicting accounts' as well as follow up history. SMA portal facilitates Branch/Region ranking based on effective follow up of SMA accounts and the score obtained is further linked to APR (Annual Performance Review) of the members. The Special Mention Accounts (SMA) portal provides data on all SMA Accounts, details of age profile and daily recovery status. All SMA accounts allotted to all Staff members of the branches are being monitored by Branches/RO and CO on a daily basis.
- SMS Alerts to SMA borrowers are sent at regular frequencies as a reminder for repayment of overdues. Besides, SMS Alerts are also sent to all the staff of Branches for follow-up and recovery.
- SMA Borrowers not responding to telephonic follow-up within 15 days are followed up through personal visits.
- SMA accounts with the outstanding of Rs.50 lakhs and above are being reviewed every month by GMs committee at C.O.
- SMA accounts of overseas Branches are also reviewed by GMs Committee on a monthly basis.
- System generated Letters to SMA borrowers are sent every month by branches, mentioning overdues and requesting early regularization.
- Follow up for recovery in SMA/SINPA accounts also done by Visually impaired Staff operated Call Centres with the help of JAWS(Job Access With Speech) programme from some of the Regional Offices.
- Services of an Outbound Call Centre is also engaged in order to follow up and recovery in SMA/SINPA accounts of Retail credit & MSME. Apart from the calls Voice Blast facility is also used to send pre-recorded messages to the overdue borrowers persuaded them for paying their dues at the earliest.
- Early Warning Signals (EWS): Bank has a robust EWS solution in place. The solution purchased from CRISIL covers all accounts with exposure of Rs. 3.00 Crores or more (both fund and non-fund based) at the level of a bank irrespective of the lending arrangement. CRISIL Solution has triggers (including RBI, DFS, and Bank Specific) from multiple sources (internal and external). For external sources Bank has tied up with data aggregator CREDIWATCH. EWS Solution was purchased as part of the concept of Red Flagging of Accounts that was introduced as an important step in fraud risk control, as per RBI guidelines, vide Circular No. RBI/2014-15/590/ DBS.CO. CFMC. BC.No.007/23.04.001/2014-15, dated 7th May 2015.

By adopting the above measures the Bank has been able to administer better control on its slippages for FY 2020-21 and maximize recovery and regularization of Special Mention Accounts.

XX. Loan Review Mechanism:

- Stock Audit procedures have been strengthened for all accounts with working capital limits (both fund based and non-fund based) Rs.5 crores and above. Stock Audit review notes are being placed to the GMs Committee at Central Office and observations of the Committee are being advised to RO/Branches. Stock Audit process has been automated.

- विशेष निगरानी विभाग के लिए एजेंसी ने एएसएम को उन खातों के लिए आवंटित किया है जिनकी स्वीकृतियों में सीसीडी/एमएसएमई ने एएसएम की नियुक्ति अनुबद्ध की है। आईबीए एएसएम पैनलबद्ध सूची से सीलबंद कोटेशन प्राप्त करने के पश्चात आवंटन किया जाता है।
- 50 लाख रुपये और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले घरेलू खातों के लिए और 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले विदेशी खातों के लिए क्रेडिट अनुपालन लेखा परीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा प्रति वर्ष की जाती है । खाते को निम्न/मध्यम/उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए हाल ही में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप को संशोधित किया गया है। वर्ष के दौरान सीसीए स्वचालित है। लेखापरीक्षक रिपोर्ट को ऑनलाइन माध्यम से जमा करते हैं और शाखाएं सिस्टम के माध्यम से ही अपने उत्तर प्रस्तुत करती हैं।

XXI. अनुपालन:

- मुख्य अनुपालन अधिकारी बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी और/या बोर्ड/बोर्ड समिति (एसीबी) को रिपोर्ट करते हैं और विभिन्न नीतियों की मंजूरी और पीसीए सहित अन्य प्रशासनिक बैठकों में प्रभावी रूप से सहभागिता करते हैं ।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की अपनी परिभाषित अनुपालन नीति है और अनुपालन कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रणाली और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। विनियामक दिशा-निर्देशों पर आवश्यक परिपत्र/अनुदेश जारी किए जाते हैं। केंद्रीय कार्यालय के सभी विभागों में एक अनुपालन अधिकारी है जो अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।
- परिपत्र के माध्यम से शाखाओं को उपलब्ध कराए गए सांविधिक/ नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन स्तर की जांच करने के लिए और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शाखाओं के अनुपालन के भौतिक सत्यापन (पीवीआरओ) और स्वयं-मूल्यांकन अनुपालन प्रमाणपत्र (एसएसीसी) के माध्यम से आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। शाखाओं का समग्र अनुपालन स्तर एसएसीसी द्वारा 99.54% और पीवीआरओ द्वारा 99.30% है।
- समग्र अनुपालन स्तर बोर्ड की समिति /लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है। बैंक ने अपने इंट्रानेट पर नॉलेज मैनेजमेंट टूल नामक एक वेब पोर्टल प्रदान किया है जिसके माध्यम से आरबीआई, सेबी आदि जैसे विभिन्न विनियामकों के सभी विनियम व दिशानिर्देशों को एक ही स्थान पर एक्सेस किया जा सकता है।
- केंद्रीय कार्यालय में विभिन्न विभागों के अनुपालन कार्यों की निगरानी स्वचालित उपकरणों, अर्थात् अनुपालन प्रमाणन और निगरानी प्रणाली (सेर्मो+) और टीएएससी+ के माध्यम से की जाती है।

XXII. अनुशासनात्मक कार्रवाई

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण बैंक ने 912 मामलों का निपटारा किया है जिसमें 536 सतर्कता और 376 गैर-सतर्कता मामले शामिल हैं | समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 726 नए आरोप पत्र जारी किए।

31.03.2021 तक 303 मामलों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति पर जिनमें से 231 सतर्कता मामले हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाता है। 31.03.2020 को 107 मामलों की तुलना में 31.03.2021 तक 39 निलंबन मामले बकाया हैं। जहां सदस्य निलम्बित हैं वहां अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

कोविड संकट के बीच अनुशासनात्मक कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल मोड जैसे वेबएक्स , वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि माध्यम का उपयोग कर जाँच की कार्यवाही की जा रही है।

सी-डैक द्वारा दो व्यापक हैंडबुक तैयार किया गया है जिनमें से एक अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के लिए और दूसरी पूछताछ अधिकारियों/ प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के लिए है। 195 जांच अधिकारियों/ प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के लिए वेबएक्स के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया गया है जिससे जांच कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।

तीन बैठकों के माध्यम से अनुशासनात्मक प्राधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही को पूरा करने हेतु प्रेरित किया गया है। एक दिन के टर्नअराउंड समय के साथ कर्मचारियों के लिए अनुमति प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है ।

XXIII. निरीक्षण

वर्ष के दौरान, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आंतरिक निरीक्षण) में लेखापरीक्षा बिंदुओं की समीक्षा की गई और उन्हें वर्तमान परिपत्रों और दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए संशोधित किया गया । लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुपालन स्तर में सुधार करने,नियंत्रण क्षेत्रों में सुधार करने के लिए और जीरो टॉलरेंस क्षेत्रों को 9 से बढ़ाकर 12 करने के लिए लेखापरीक्षा पैकेज को संशोधित किया गया । अनियमितताओं के लिए नकारात्मक अंक दिए जा रहे हैं जो इकाई के अंतिम जोखिम रेटिंग को प्रभावित करता है। नियंत्रण प्रणाली के अधिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए ऑफसाइट कंट्रोल एंड सर्विलांस (ओसीएएस) अलर्ट बढ़ाए गए ।

प्रत्येक गतिविधि में दृष्टिकोण के संरचित तरीके के साथ विभाग के कामकाज की दक्षता बढ़ाने के लिए, विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों स्टॉक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, आय रिसाव, लेखा परीक्षा कार्यालयों / विभागों के कामकाज के संबंध में नियमित रूप से मानक परिचालन प्रक्रिया का पुनरीक्षण करता है। संशोधित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप विभिन्न कार्यों जैसे कि विशेष रिपोर्टों में पर्याप्त कमी, आय रिसाव, लेखा परीक्षा रिपोर्ट समाप्ति और ओसीएस अलर्ट में सुधार हुआ।

वर्ष के दौरान परिपत्रों / दिशानिर्देशों के अनुसार फिनैकल बैचों में सेट पैरामीटर की जांच के साथ-साथ सीबीएस से संबंधित नियंत्रणों के सत्यापन के लिए आईटीडी में कार्यात्मक लेखापरीक्षा में वृद्धि की गई और साथ ही निष्पादन पर वांछित परिणाम भी प्राप्त होता है। निष्कर्षों के परिणामस्वरूप परिचालन स्तर पर विसंगतियों/त्रुटियों को समाप्त किया गया है और केंद्रीय कार्यालय /विनियामक द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है ।

बैंक ने समवर्ती लेखापरीक्षा करने के लिए 474 शाखाओं का चयन किया है जो 49.44% जमाराशियों और 68.40% कुल अग्रिमों को कवर करती हैं । वर्ष के दौरान समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली की ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए खरीदे गए सॉफ्टवेयर ('ईटीएचआईसी पैकेज') को लागू किया गया था। अभिविन्यास प्रदान करने के लिए बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में समवर्ती लेखा परीक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं। शाखा लेखा परीक्षा आयोजित करते समय समवर्ती लेखा परीक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए बैंक ने 'समवर्ती लेखा परीक्षा नियमावली' जारी की है। जोखिम मूल्यांकन में सुधार और रिपोर्टिंग पहलूओं में दोहराव

- Agency for Specialised Monitoring Department has allocated ASM for accounts wherever CCD/MSME has stipulated ASM appointment in the sanctions. Allotment is done by calling for sealed quotations from IBA ASM empanelled list.
- Credit Compliance Audit is done for accounts with an exposure of Rs.50 lakhs and above for domestic accounts and for accounts with exposure Rs.1 crore and above for overseas accounts. Audit is done every year. The Audit report format is recently revised to classify the Account as Low/Moderate/High Risk. CCA is automated during the year. Auditors are submitting the report online and branches are submitting the reply through system.

XXI. Compliance:

- Chief Compliance Officer reports to MD & CEO and/or Board/Board Committee (ACB) of the Bank and effectively participate in various policies clearance and governance meetings including PCA.
- The Bank has well defined Compliance Policy as per Reserve Bank of India guidelines and has in place systems and procedures for managing Compliance functions. Necessary circulars/instructions on the regulatory guidelines are being issued. All Central Office department has one Compliance Officer who is submitting compliance certificates.
- In order to check Compliance level of the statutory/regulatory guidelines that are made available to branches by way of circulars and necessary compliance ensured through Self-Assessment Compliance Certificate (SACC) and Physical Verification of Compliance of Branches by Regional Office (PVRO). Overall compliance level of the branches by SACC is 99.54% and PVRO is 99.30%
- The overall compliance level is submitted to Board/Audit Committee of the Board. The Bank has provided a Web Portal viz., Knowledge Management Tool in Bank's intranet wherein all the regulations, guidelines of the various regulators like RBI, SEBI etc., can be accessed at a single point.
- Compliance function of various departments at Central Office is monitored through automated tools, namely Compliance Certification and Monitoring System (Cermo+) and TasC+.

XXII. Disciplinary Proceedings

During the Financial Year 2020-21 due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases, the Bank has disposed of 912 cases comprising of 536 Vigilance and 376 Non-Vigilance cases. During the year under review, the Bank issued 726 new charge sheets.

The disciplinary proceedings are in various stages of progress in respect of 303 cases as on 31.03.2021, out of which 231 are Vigilance cases. Efforts are made to complete the disciplinary proceedings within the stipulated time frame. There are 39 Suspension cases outstanding as on 31.03.2021 compared to 107 cases as on 31.03.2020. Utmost priority is being given to complete the disciplinary proceedings where the members are under suspension.

Enquiry proceedings are being conducted through Digital modes like Webex, Video conferencing etc., to speed up the Disciplinary proceedings amidst Covid crisis.

CDAC has prepared two comprehensive Hand books of which one is for Disciplinary Authorities and the other is for Inquiring Authorities/Presenting Officers. Training has been conducted through Webex for 195 Inquiring Authorities/Presenting Officers thus ensuring smooth conduct of enquiry proceedings.

Disciplinary Authorities have been sensitized through three meetings to complete the Disciplinary proceedings within the stipulated time. Clearance process for staff had been made online with turnaround time of one day.

XXIII. Inspection:

During the year, audit points in the Risk Based Internal Audit (Internal Inspection) was revisited and were revised to reflect the present circulars and guidelines in force. To improve the compliance level on audit observations, the audit package was further modified to improve control areas and for increased Zero Tolerance areas from 9 to 12. Negative marks were continued to be awarded for persisting irregularities, which impacts final risk rating of the unit. Offsite Control and Surveillance (OCAS) alerts were increased to cover more areas of control mechanism.

To enhance efficiency of the department functioning with structured way of approach in each activity, the department revisits Standard Operating Procedure regularly on various activities viz., Stock Audit, Forensic Audit, Income Leakage, functioning of audit offices/departments. The revised approach had resulted in improvement on various functions like substantial reduction in special reports, Income Leakage, audit reports closure and OCAS alerts.

During the year, functional audit at ITD was enhanced in scope for verification of CBS related controls along with checking of parameter set in FINACLE matches with circular/guidelines and also the output on execution provides desired results. The findings have resulted in elimination of anomalies/errors at operational level and achievement of compliance to CO/regulatory guidelines.

The Bank has selected 474 Branches for conducting concurrent audit having coverage of 49.44% in deposits and 68.40% on total advances. The software procured ('eTHIC package') for online report submission of concurrent audit system was implemented during the year. The Bank conducted workshops to concurrent auditors at various zones in order to provide orientation. The Bank has issued 'Concurrent Audit Manual' to guide Concurrent Auditors while

से बचाव करते हुए ऑनलाइन पैकेज आरबीआईए (आंतरिक निरीक्षण) और समवर्ती लेखापरीक्षा के तहत भविष्य में रिपोर्टिंग के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, आंतरिक ऑडिट के संचालन के लिए बैंक ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की है। समवर्ती लेखापरीक्षा के लिए 62 पैनल्ड नामिकायित सेवानिवृत्त अधिकारी (ईआरओ) विभिन्न केंद्रों पर तैनात हैं । ये ईआरओ कमियों की पहचान करने के अलावा स्टाफ सदस्यों को सुधार के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं।

विभाग ने सभी इकाइयों के जोखिम आधारित प्रबंधन के लेखा परीक्षण के संचालन को पुनः डिजाइन किया है । लेखापरीक्षा सभी इकाइयों में प्रबंधन कार्यों की प्रभावकारिता का आकलन करेगी और पहचानी गई किसी भी कमी / अंतर को दूर करने के लिए कार्य योजना का सुझाव देगी।

जून 2017 से कार्यपालक लेखा परीक्षा समिति (एसीई) की बैठक मासिक आधार पर आयोजित की जा रही है । वर्ष के दौरान, बैंक के सभी नियंत्रण क्षेत्रों को कवर करने के लिए मानकीकृत कार्यसूची को संशोधित किया गया है। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को एसीई बैठक के कार्यावृत्त की जानकारी दी जाती है । वर्तमान वर्ष में 10 बैठकों का आयोजन किया गया ।

वर्ष के दौरान, ऑफसाइट निगरानी ईकाई के कामकाज को बढ़ाया गया है और अपवाद रिपोर्ट की नियंत्रण उन्मुख सृजन की पहचान की गई है । अनुपालन के लिए रिपोर्टों को शाखाओं / क्षेत्रों / अंचलों साथ साझा किया जाता है । लेखा परीक्षा पूर्व जानकारी प्रदान करने हेतु अंचल लेखापरीक्षा कार्यालयों के साथ रिपोर्टों के परिणाम साझा किए जाने हैं ताकि ऑनसाइट लेखापरीक्षा के संसाधनों को कम और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके ।

सीबीएस परिचालन की लेखापरीक्षा निरंतरता से बाहरी सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा फर्म द्वारा की जाती है । सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा को मजबूत करने के लिए, बैंक ने अनुभवी और पेशेवर आईएस लेखापरीक्षक नियुक्त किए हैं। उन्हें सामान्य बैंकिंग और आईएस लेखापरीक्षा के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । लेखापरीक्षा योजना के अनुसार ये सभी आइएस लेखा परीक्षक केंद्रीय कार्यालय के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का संचालन करते हैं।

XXIV. सतर्कता:

1. वर्ष 2020-21 के दौरान "कारोबार पहले , निवारक सतर्कता हमेशा" विषय के साथ बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर निवारक सतर्कता और सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठाए हैं ।

   क. कोविड महामारी के कारण, शाखा के दौरे/ निरीक्षण हेतु अधिकारियों की आवाजाही पर प्रतिबंध के मद्देनजर, आरआइवीए (जोखिम आधारित आंतरिक आभासी लेखा परीक्षा) नामक एक प्रणाली की शुरूआत की गई है और बैंक द्वारा इसे मौजूदा संसाधनों के साथ निगरानी स्तरों को बनाए रखने और प्रतिरोध नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है ।

   ख. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, डीएफएस, सीवीसी, आरबीआई, सीबीआई और अन्य सहित विभिन्न स्रोतों से कुल 301 शिकायतें प्राप्त हुईं। जहां कहीं भी अत्यधिक सतर्कता देखी गई ऐसी शिकायतों का निवारन सीवीसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार तार्किक उपाय मिलने के बाद ही किया गया और कोई भी शिकायत 3 महीने से अधिक लंबित नहीं है।

   ग. आइओबी प्रायोजित ओडिशा ग्राम्या बैंक में उचित सतर्कता तंत्र सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता निरीक्षण किया गया और बेहतरी के लिए विभिन्न सुझावों दिए गए ।

   घ. बैंक के स्वामित्व वाली सभी अचल संपत्तियों का निरीक्षण बैंक द्वारा शुरू कर दिया गया है जिसमें संपत्ति की पहचान, ऋणभार का सत्यापन, मूल्यांकन, सीमांकन, अतिक्रमण, संपत्ति की स्थिति, बीमा और कर भुगतान आदि शामिल हैं।

   ङ. विभाग ने 14 सीटीई प्रकार के निरीक्षणों की संवीक्षा की है और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और सहायक आरआरबी-ओजीबी द्वारा दिए गए विभिन्न खरीद आदेशों / सेवा आदेशों की जांच की है।

   च. सतर्कता विभाग ने कार्यपालक सहित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा 31.03.2020 तक प्रस्तुत किए गए संपत्ति और देनदारियों के वार्षिक विवरणों की जांच की है और प्रेक्षण को महा प्रबंधक - मानव संसाधन के संज्ञान में लाया है ताकि अधिकारियों को गलत रिपोर्टिंग के परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके और एचआरएमडी को उपयुक्त परिपत्र जारी करने के संबंध में सूचित किया जा सके ।

   छ. विभिन्न मामलों जैसे कि शिक्षा ऋण सब्सिडी, एमएसएमई ज्वेल लोन पोर्टफोलियो, ट्रेजरी विभाग की लेखा परीक्षा, त्योहार अग्रिम के रूप में कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम, अभियान अवधि के दौरान स्वीकृत आवास ऋणों का अनुपालन और सत्यापन, अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के दौरान उच्च अग्रिम वृद्धि वाली शाखाएं , आदि पर विषयगत निरीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की गई।

   ज. वित्तीय वर्ष के दौरान सीवीओ ने बैंक के 12 क्षेत्रों का दौरा किया है ताकि जमीनी स्तर पर सतर्कता तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

   झ. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों हेतु प्रणालियों /प्रक्रियाओं के महत्व को उजागर करने के लिए और अनुशासनात्मक कार्यवाही को समय पर पूरा करने के लिए दस आभासी संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

   ञ. कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और अनुशासनात्मक कार्यवाही को समय पर पूरा करने के लिए सीवीसी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए 27.01.2021 को मुख्य सतर्कता अधिकारी ने प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों, अनुशासनिक अधिकारियों, क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों और क्षेत्रीय लेखा परीक्षा कार्यालयों के साथ एक बैठक आयोजित की थी ।

   ट. विभागों द्वारा जीएल शीर्षों का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए सामान्य लेजर खातों के मानचित्रण की हाउसकीपिंग गतिविधि शुरू की गई ताकि सभी कार्यालय खातों की उचित निगरानी की जा सके।

conducting Branch Audits. The online package facilitates future integration of reporting under RBIA (Internal Inspection) and Concurrent audit with avoidance of duplication of reporting aspects and improving the risk assessment.

The Bank appointed Retired Officers for conducting Internal Audit, in line with guidelines issued by Reserve Bank of India. There are 62 Empaneled Retired Officers (ERO) and deployed at various centres for conducting audit. These EROs, apart from identifying deficiencies, they guide and provide support to the staff members for rectification.

The department had redesigned in conducting Risk Based Management Audit of all Units. The audit shall assess efficacy of management functions at all units and suggest action plans to overcome any shortcomings/gaps identified.

Audit Committee of Executives (ACE) meeting is being held on monthly basis since June' 2017. During the year, standardized agenda was modified in order to cover all control areas of the Bank. The minutes of ACE meetings were appraised to Audit Committee of the Board. For the current year 10 such meetings were held.

During the year, Offsite Monitoring Unit functioning was enhanced and control oriented generation of exception reports were identified. The reports were shared with Branches/Regions/Zones for compliance. The results of the reports to be shared with Zonal Audit Offices in order to provide pre-audit information and thus resources of onsite audit are expected to reduce and the quality of audit enhances.

CBS operations are continuously audited by external Information Systems Audit firm. In order to strengthen Information System (IS) Audit, the Bank has appointed experienced and professional IS Auditors. They were given training on General Banking and IS Audit environments. These IS Auditors continue to conduct critical Central Office applications as per the Audit Plan.

XXIV. Vigilance:

With the theme of "Business First, Preventive vigilance always" during the Year 2020-21, the Bank continued to take various effective steps for Preventive Vigilance and speedy disposal of Vigilance Disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission.

1. Preventive Vigilance Activities: The following Preventive Vigilance initiatives were conducted during the year 2020-21:

    a) In view of the restrictions on movement of officials for branch visits, due to COVID pandemic, a system of RIVA (Risk Based Internal Virtual Audit) has been initiated and the same was introduced by the bank for sustenance of monitoring levels and promulgate control deterrence, with existing resources

    b) During the FY 2020-21, total 301 complaints received from various sources including DFS, CVC, RBI, CBI & Others. Wherever vigilance overtone observed such complaints were handled until the logical end as per the timeframe fixed by CVC and no complaint is pending more than 3 months.

    c) To ensure proper Vigilance Mechanism in IOB Sponsored Odisha Gramya Bank, Vigilance Inspection was conducted and various suggestions were advised for betterment.

    d) Inspection of all immovable properties owned by the Bank has been initiated and the same was conducted by the bank, which includes identification of property, verification of encumbrance, valuation, demarcations, encroachments, condition of property, insurance and tax payment etc.

    e) Department has scrutinized 14 CTE type inspections and examined various procurement orders/ service orders placed by Information Technology Department, General Administration Department and Subsidiary RRB-OGB.

    f) Vigilance Department has scrutinized the Annual Statements of Assets & Liabilities submitted by Officer Employees including Executives as on 31.03.2020 and observations thereon were brought to the notice of GM-HR, to sensitize the officers about the consequences of wrong reporting and advised HRMD to issue suitable circular.

    g) A series of thematic inspections on various matters, such as Education loan subsidy, MSME Jewel Loan Portfolio, Audit of Treasury Department, Advance extended to Staffs as Festival Advances, Compliance & verification of Housing loans sanctioned during the campaign period, high advance growth branches during April 2020 to September 2020, etc. were conducted.

    h) CVO has visited 12 Regions of the Bank during the financial year to ensure compliance to vigilance mechanism at the ground level.

    i) During the Financial year 2020-21, TEN virtual sensitization programmes to different categories of staff to highlight the systems/procedures and the importance of timely completion of disciplinary proceedings.

    j) To enhance the morale of the employees, and in view of CVC guidelines for timely completion of disciplinary proceedings, CVO along with MD&CEO conducted a meeting on 27.01.2021 with all Regional Managers, Disciplinary Authorities, Regional Vigilance Officers, and Zonal Audit Offices.

    k) A housekeeping activity of Mapping of General Ledger Accounts was undertaken to ensure owning up the GL heads by the departments so that all office accounts can be properly monitored.

2. संभावित सतर्कता: वर्ष 2020-21 के लिए सभी उच्च और मध्यम जोखिम वाली शाखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्टों और कें. का निरीक्षण रिपोर्टों की वास्तविक समय के आधार पर जांच की जाती है और बैंक द्वारा सतर्कता दृष्टि वाली घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उनके संबंध में उचित कार्रवाई की जाती है । जांच की गई रिपोर्टों का विवरण इस प्रकार है:

- वर्ष 2020-21 के दौरान 3654 समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच की गई ।
- वर्ष 2020-21 के दौरान 2223 केंद्रीय कार्यालय निरीक्षण रिपोर्टों की जांच की गई ।
- वर्ष 2020-21 के दौरान 1436 सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच की गई।
- वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारियों को ऋण, पासपोर्ट, विदेश यात्राओं, प्रथम पंक्ति पोस्टिंग आदि के लिए कुल 13,250 स्वीकृतियां दी गई हैं।

3. दंडात्मक सतर्कता: बैंक द्वारा अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सतर्कता मामलों में 43.33 प्रतिशत की कमी और गैर-सतर्कता मामलों में 24.89 प्रतिशत की कमी आई है। अवशोषण मामलों (सीबीआई) से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है और अदालत के आदेश के कारण केवल 13 मामले लंबित हैं। 31.03.2020 को निलंबन के मामले 107 थे जो कि 31.03.2021 तक घटकर 39 रह गए ।

4. सहभागी सतर्कता: सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के दौरान "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया गया, जिसमें हमने निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया है :

- वीएडब्ल्यू2020 के हिस्से के रूप में और हाउसकीपिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमने निवारक सतर्कता पर वर्चुअल मोड के माध्यम से संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 23.10.2020 को पूरे भारत में हाउस कीपिंग के संबंध में 48 शाखाओं का औचक निरीक्षण किया है ।
- सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा: बैंक ने ग्राहक आईडी निर्माण (सीआईएफ आईडी) और सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा को एकीकृत किया है और पूरे भारत में हमारी शाखाओं के माध्यम से 06 मार्च 2019 से 17 नवंबर 2020 के दौरान दो मिलियन से अधिक ग्राहकों (2,032,888) के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने की व्यवस्था की गई है जो कि 81.24 प्रतिशत ग्राहकों के बराबर है ।
- सामूहिक शपथ : केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को प्रात: 11.00 बजे सामूहिक शपथ लिया गया, जहाँ कोविड-19 दिशानिर्देशों को पालन करते हुए बैंक के एमडी व सीईओ ने सीवीओ और अन्य कार्यपालकों के उपस्थिति में शपथ ग्रहण की । इसी प्रकार से शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी कार्मिक द्वारा पूरे भारत में उसी समय शपथ ली गई ।
- एफएम – रोडियो पर संवाद कार्यक्रम : सीवीओ के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम दिनांक 30 अक्टूबर 2020 को प्रात: 9.00 बजे एफएफ रेनबो (101.04), जिसकी पहुँच पूरी तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान और श्रीलंका के कुछ भाग पर है, के माध्यम से प्रचारित किया गया ।
- ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता : दिनांक 13 अक्टूबर 2020 और दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को आयोजित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में बैंक के 8875 कार्मिकों ने प्रतिभागिता की ।
- निबंध लेखन प्रतियोगिता : "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" विषय पर आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता में दिनांक 05 अक्टूबर 2020 से 27 अक्टूबर 2020 तक बैंक 1513 कार्मिकों ने प्रतिभागिता की ।
- एमडी व सीईओ द्वारा निवारक सतर्कता संवेदीकरण विषय पर सभी कार्मिकों को वेबकास्ट के जरिए संबोधन : एमडी व सीईओ ने बैंक के सभी कार्मिकों को दिनांक 02.11.2020 को शाम 04.30 बजे आइओबी को नं. 1 सत्यनिष्ठ संस्थान और भ्रष्टाचार के प्रति कोई ढिलाई नहीं, रख – रखाव व अनुपालन, निवारक सतर्कता, ऑनलाइन लेखा परीक्षा, जीएल का मेपिंग व कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया । वेबकास्ट के दौरान, सीवीओ ने जनजीवन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की प्रासंगिकता पर बल दिया ।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ सहिष्णुता, हाउस कीपिंग और अनुपालन, निवारक सतर्कता, वर्चुअल ऑडिट, जीएल की मैपिंग और कर्मचारियों का मनोबल। वेबकास्ट के दौरान, सीवीओ ने सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।
- सीबीआई कार्मिकों के साथ आइओबी के कार्यपालकों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम : वीएडब्ल्यू 2020 के समापन दिवस पर, पुलिस अधीक्षक, एसीबी, सीबीआई चेन्नई के साथ अपने बैंक के कार्यपालकों के लिए "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" विषय पर एक विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और साथ ही सीबीआई / पुलिस अधिकारियों के साथ प्रश्न और उत्तर सत्र भी आयोजित किया गया । भ्रष्टाचार रोकने, विधिक समस्याओं के संबंध में और सतर्कता निवारक का अन्य मामलों पर चर्चा और समाधान किया गया ।
- ग्राहक शिकायत निवारण दिवस : 15 अक्टूबर 2020 को – ग्राहक सेवा विभाग द्वारा 48 क्षेत्रों के लिए पूरे भारत में वीएडब्ल्यू विषय "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" पर ग्राहक शिकायत निवारण दिवस आयोजित किया ।
- कारोबार संवादियों के साथ बैठक : वित्तीय समावेशन विभाग द्वारा चयनित क्षेत्रों के 1097 कारोबार संवादियों के लिए ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई ।
- चयनित उधारकर्ता के साथ बैठक : हमारे एमएसएमई विभाग द्वारा पूरे भारत वर्ष से चयनित शाखाओं के चयनित उधारकर्ताओं के लिए सत्यनिष्ठता संवेदीकरण विषय पर बैठक आयोजित की गई ।

2. Predictive Vigilance: CO Inspection Reports, Audit reports of all the high and medium risk branches for the year 2020-21 were scrutinized on a real time basis and cognizance of incidents of Vigilance angle were brought on record for appropriate action by bank. The details of reports scrutinized are as follows:

- Scrutinized 3654 concurrent audit reports during the year 2020-21
- Scrutinized 2223 Central office inspection reports during the year 2020-21
- Scrutinized 1436 Statutory Audit reports during the year 2020-21.
- During the year 2020-21 total of 13,250 clearances/status given to employees for availing loans, passport, foreign visits, first line posting etc.

3. Punitive Vigilance: Due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases by the Bank, 43.33% reduction in Vigilance cases and 24.89% reduction in non-vigilance cases observed during the FY 2020-21. Disciplinary proceedings pertaining to Absorption cases (CBI) were almost completed and only 13 cases are pending due to court orders. Suspension cases were brought down from 107 as on 31.03.2020 to 39 as on 31.03.2021.

4. Participative Vigilance: Vigilance Awareness Week 2020 was observed from 27th October to 2nd November 2020 as per CVC guidelines with theme **"सतर्क भारत, समृद्ध भारत"** Satark Bharath, Samriddh Bharat (Vigilant India, Prosperous India), wherein we have conducted following activities:

- As part of VAW2020 and to focus on Housekeeping, we have organized sensitization programs through virtual mode on Preventive Vigilance and conducted Surprise Branch Visits on House Keeping across India in 48 Branches on 23.10.2020.
- Integrity Pledge: The Bank has integrated the integrity pledge to Customer ID Creation (CIF ID) and arranged for Integrity Pledge of more than TWO MILLION customers (2,032,888) which amounts to 81.24% of customers while opening Accounts with us from 06th March 2019 to 17th November 2020 through our Branches across India.
- Mass Pledge: Mass Pledge was taken at11:00 AM on 27th October 2020 in Central Office, Chennai, wherein Bank's MD&CEO administered the pledge in presence of CVO and other executives adhering to COVID-19 guidelines. Similarly, all the employees of Branches and administrative offices took pledge at the same time across India.
- Interactive program through FM-Radio: A special interactive programme with the CVO was aired at 09:00 AM on 30th October 2020 through FM Rainbow (101.4) which has an outreach of entire Tamilnadu, Pondicherry, Andaman and some part of Srilanka.
- Online Quiz Contest: 8875 employees of the Bank participated in Online Quiz Contest held on 13th October 2020 and 20th October 2020.
- Essay Writing Contest: 1513 employees of the Bank participated in Essay Contest on theme **"सतर्क भारत, समृद्ध भारत"** – Satark Bharat, Samriddh Bharat (Vigilant India, Prosperous India) held during 05th October 2020 to 27th October 2020.
- Web Cast Address to all Employees on Preventive Vigilance sensitization by MD & CEO : MD & CEO addressed all employees of Bank on 02.11.2020 from 04.30 p.m. to 05.00 p.m. about the importance of focused areas to make our IOB as No.1 Integrity Institution and Zero Tolerance against Corruption, House Keeping & Compliance, Preventive vigilance, Virtual Audit, mapping of GLs & Morale of employees. During webcast, CVO highlighted the relevance of Integrity and probity in public life.
- Sensitization Programme to executives of IOB with CBI Officials: On the concluding day for the VAW 2020, a Video Conference with Superintendent of Police, ACB, CBI Chennai was arranged to address the executives of our Bank on the theme "Satark Bharat, Samriddh Bharat (Vigilant India, Prosperous India) followed by Question and Answer session with CBI/Police authorities. Issues with regard to prevention of corruption, legal issues and other matters of preventive vigilance were discussed and clarified.
- Customer Grievance Redressal Day: On 15th October 2020 – Customer grievance rederssal day was organized by the Customer Service Department in 48 Regions across India with VAW theme **"सतर्क भारत, समृद्ध भारत"** – Satark Bharat, Samriddh Bharat (Vigilant India, Prosperous India).
- Meeting with Business Correspondents: Select Regions conducted Virtual Meeting with 1097 Business Correspondents/facilitators which was organized by Financial Inclusion Department.
- Meeting with Vendors: Arranged for Meeting with Vendors through our General Administration Department (GAD) to sensitize the Vendors associated with Bank.
- Meeting with selected Borrowers: Arranged for meeting with selected borrowers through our MSME Department in selected branches across the country to sensitize the borrowers on Integrity.

XXV. सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक के पास मजबूत सूचना एवं डिजिटल बुनियादी ढांचा है, जिसके परिणामस्वरूप आईटी और डिजिटल आकांक्षाओं के साथ बेहतर व्यवसाय किया जा रहा है ।

➢ **प्रमाणन :**

प्रक्रिया उत्कृष्टता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने मार्च 2020 के दौरान आईएसओ / आईईसी 27001 का प्रतिष्ठित प्रमाण – पत्र हासिल किया, जो कि आईएसओ मानक के तहत आवश्यक है ।

➢ **नेटवर्क उपलब्धता :**

- **डाटा केन्द्रों के कोर ढांचा में नयापन :** अक्टूबर 2020 में एसीआई ढांचा, आंतरिक एफटीडी फायरवाल और जीईटीवीपीएन प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के साथ नेटवर्क कोर बुनियादी ढांचा के मुख्य भाग में सुधार किया गया और सभी डाटा केन्द्रों और केंद्रीय कार्यालय के कोर राउटर को बदला गया है ।
- **नेक्स्ट जेनरेशन का फायरवाल :** बैंक ने पुराने फ़ायरवॉल को बदलकर डीसी और डीआरएस के परिधि स्तर पर नए फ़ायरवॉल को रखा है, जिससे बढ़ी हुई सुरक्षा मिलती है ।
- **रिमोट पहुँच के लिए वीपीएन :**

बैंक ने जनवरी 2021 में अपने मौजूदा अगली पीढ़ी के फ़ायरवॉल के माध्यम से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) समाधान को एकीकृत किया है और उपयोगकर्ताओं को नए समाधान में स्थानांतरित कर दिया गया है । वीपीएन के माध्यम से, उपयोगकर्ता (क्लाइंट / समापन बिंदु) इंटरनेट लिंक के द्वारा विशिष्ट बैंक एप्लिकेशन तक पहुंचने में सक्षम हैं । वीपीएन बैंक के गेटवे और बाहरी उपयोगकर्ताओं (क्लाइंट/समापन बिंदु) के बीच के मार्ग को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है । यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए किया गया है जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को संभाल रहे हैं।

➢ **हैदराबाद में बीसीपी साइट :**

बैंक के बीसीपी के हिस्से के रूप में, अप्रत्याशित स्थितियों के मामले में निर्बाध कार्य प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, हैदराबाद में आईटी सेवा विभाग की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय कार्यालय में आईटी विभाग के समानांतर काम कर रहा है । इस व्यवस्था ने मार्च 2021 के अंत तक परिचालन शुरू कर दिया है। वर्तमान में उस केंद्र में 15 सदस्य कार्यरत हैं ।

XXVI. डिजिटल बैंकिंग:

क) मोबाइल बैंकिंग :

➢ वर्ष 2020 में ग्राहक अनुकूल और उन्नत सुविधाओं के साथ नया संस्करण जारी किया गया ।

➢ **उत्पाद में सभी उन्नत विशेषताएं हैं जैसे कि:**

1. बिना शाखा गए स्व – पंजीकरण ।
2. बढ़ी हुई सुरक्षा और पहुंच के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके लॉगिन करना।
3. देखने और विवरण डाउनलोड करने के लिए एमपासबुक सुविधा का उपलब्ध होना ।
4. वायस सहायता सुविधा ।
5. जमा खोलना, नवीकरण, पूर्व समापन और समापन ।
6. भारत बिल भुगतान पद्धति (बीबीपीएस) एकीकरण
7. पीएमजेबीवाई / पीएमएसबीवाई बीमा नामांकन ।
8. बाद में भुगतान / स्थायी अनुदेश सुविधा ।
9. 10 क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग आवेदन ।

➢ 31.03.2021 तक कुल 36.26 लाख पंजीकरण किए गए हैं ।

ख) भीम आइओबी यूपीआई

➢ वर्ष 2016 से शुरू की गई है ।

➢ बचत या चालू खाता को लिंक करके, ग्राहक कर सकते हैं:

क) वीपीए, खाता सं और आईएफएससी कोड, क्यूआर कोड का उपयोग कर राशि भेजना ।

ख) वीपीए प्रेषक का उपयोग कर राशि एकत्र करना ।

➢ बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए प्रत्येक खाते के लिए अलग 6 अंकों के पिन की शुरुआत की गई ।

➢ इसमें एकबारगी अधिदेश तैयार करना और एएसबीए की सुविधाएं हैं।

➢ 31.03.2021 तक कुल 39.64 लाख पंजीकरण किए गए हैं ।

ग) इंटरनेट बैंकिंग:

➢ वर्ष 2003 में निर्मित गृह सॉफ्टवेयर की शुरुआत किया गया ।

➢ राशि की पूछताछ, लेनदेन का विवरण, एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस आदि का प्रयोग कर निधि अंतरण, ऑनलाइन कर और यूटिलिटी भुगतान बील भुगतान, आईपीओ, प्रीपेड कार्डों का टॉप ऑफ और क्रेडिट कार्ड भुगतान की कुछ विशेषताएँ उपलब्ध है ।

➢ 10 क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन उपलब्ध है ।

➢ 31.03.2021 तक कुल 22.06 लाख पंजीकरण किए गए हैं ।

घ) डेबिट कार्ड :

➢ वीसा, रुपे और मास्टर कार्ड के तहत कार्ड विभिन्न प्रकार (गोल्ड, प्लेटिनम और सिग्नेचर) के जारी किए जाते हैं।

➢ ग्राहकों को इंस्टा और वैयक्तिक कार्ड जारी किए गए ।

➢ डेबिट कार्डों के लिए ग्रीन पिन (पेपर पिन के स्थान पर) शुरू की गई ।

➢ कार्ड धारकों को बैंक वेब साइट, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल

XXV. Information Technology

The Bank has a robust Information and Digital infrastructure architecture, resulting in perfect alignment of Business with Information Technology and Digital Aspirations.

➢ **Certifications:**

In its pursuit for process excellence, Information Technology Department had achieved the coveted certificate of ISO/ IEC 27001 during March 2020 and as required by ISO Standards.

➢ **Network Availability:**

- Core Infra Refresh in Data Centers: The major part of the Network Core infrastructure has been revamped in October 2020 with the implementation of ACI infra, Internal FTD firewall and GETVPN technology and the replacement of core routers for all the Data Centers and Central Office.
- Next Generation Firewall: Bank has placed Next Generation Firewall at Perimeter level of DC and DRS by replacing the old generation firewall, thereby providing enhanced security.
- VPN for remote access:

Bank has integrated Virtual Private Network (VPN) solution through its existing next generation firewall in January 2021 and users have been migrated to the new solution. Through VPN, users (clients/endpoints) are able to access specific Bank applications over internet links. VPN provides security by encrypting the traffic between Bank's gateway and outside users (clients/endpoints). This has been done for the users who are handling critical applications.

➢ **BCP site at Hyderabad:**

As part of Bank's BCP, in order to ensure uninterrupted work flow in the case of unexpected situations, IT Services Department has been set up in Hyderabad, which is working in parallel with the IT Department in Central Office. The setup has commenced operations by the end of March 2021. At present there are 15 members operating in the center.

XXVI. Digital Banking:

a. Mobile Banking:

➢ New version with customer friendly and enhanced features released in the year 2020.

➢ **Product has all the advanced features such as:**

a. Self-registration without visiting Branch

b. Login using Biometric authentication for enhanced security and access

c. mPassbook facility available to view and download statements

d. Voice assistance facility

e. Deposit opening, renewal, pre-closure and closure

f. Bharat Bill Payment System (BBPS) integration.

g. PMJJBY/PMSBY insurance enrolment

h. Pay Later/Standing Instructions facility

i. Mobile Banking application in 10 regional languages

➢ Number of registrations made till 31.03.2021 are 36.26 lakhs

b. BHIM IOB UPI:

➢ Introduced from the year 2016

➢ By Linking Savings or Current account, customer can:

a. Send money using VPA, A/c No and IFSC Code, QR Code

b. Collect money using remitters VPA

➢ Introduced separate 6 digit PIN for each account for enhanced security.

➢ Has the facilities of One Time mandate creation and ASBA.

➢ Number of registrations made till 31.03.2021 are 39.64 lakhs.

c. Internet Banking:

➢ The software developed in house introduced in the year 2003

➢ Some of features are Balance Enquiry, Transaction details, Funds Transfer using NEFT/RTGS/IMPS etc, Online Tax and Utility Payments Bill Payments, IPOs, Top Up of Prepaid Cards and Credit Card Payments

➢ Internet banking application in 10 regional languages.

➢ Total registrations till 31.03.2021 are 22.16 lakhs

d. Debit Cards:

➢ Cards are issued in different flavours (Gold, Platinum and Signature) under VISA, Rupay and Master Card.

➢ Both Insta and Personalized cards are issued to customers.

➢ Green Pin (in place of Paper pin) for Debit Cards introduced.

➢ Facility has been provided to card holders for blocking

बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा प्रदान की गई है।

- इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पीओएस/एटीएम/ईकॉम लेनदेन/संपर्क रहित लेनदेन पर सभी प्रकार के लेनदेन - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, के लिए कार्ड धारकों को चालू/बंद करने और लेनदेन सीमा, यदि कोई हो, सेट/संशोधित करने का विकल्प दिया गया है।
- नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) को रुपे श्रेणी में पेश किया गया जिसका उपयोग संपर्क रहित लेनदेन के लिए भी किया जा सकता है।

ङ) एटीएम / कैश रिसाइकलर / पासबुक कियोस्क का प्रबन्धन:

- 31.03.2021 तक बैंक के पास 3145 मशीनें हैं, जिनमें से 1927 एटीएम और 1218 कैश रिसाइकलर हैं ।
- कुल 3145 मशीनों में से 2720 ऑनसाइट और 425 ऑफसाइट हैं ।
- कुल 3145 मशीनों में से 2700 शाखा प्रबंधित (सीएपीईएक्स मॉडल) और 445 विक्रेता प्रबंधित (ओपेक्स मॉडल) हैं ।
- बैंक के पास चार विक्रेताओं से संबंधित 2109 पासबुक कियोस्क हैं, जो पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं ।

च) बैंक ऑन व्हील्स:

- ईज़ (एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस) के तहत बैंक की प्रतिबद्धता के रूप में, हमारे बैंक ने तमिलनाडु के 13 जिलों और केरल का एक जिले, जहां IOB अग्रणी बैंक है वहाँ पर "बैंक ऑन व्हील्स" (मोबाइल एटीएम) लॉन्च किया है और साथ ही आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा) के जिले में भी लॉन्च किया ।
- प्रत्येक बैंक ऑन व्हील पर बैंक विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए एक कैश डिस्पेंसर, एक पासबुक कियोस्क और 55" एलईडी स्क्रीन से लैस है । इन स्क्रीन का उपयोग आम जनता को वित्तीय समावेशन का संदेश या कोई शिक्षाप्रद श्रृंखला देने के लिए भी किया जाता है ।
- बैंक योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए वाहन में एक कारोबार संवादी भी उपलब्ध होंगे ।

छ) आइओबी पे:

- वर्ष 2017 में शुरू किया गया ।
- स्वयं द्वारा विकसित और एग्रीगेटर्स के साथ एकीकृत है ।
- यह उत्पाद एक एकीकृत ऑनलाइन भुगतान है जिससे शुल्क भुगतान, व्यापारी भुगतान, दान किया जा सकता है । व्यापारियों द्वारा भुगतान एकत्र करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है ।
- मर्चेंट वेब साइट के साथ या उसके बिना विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए ऑनलाइन भुगतान सक्रिय करने का लक्ष्य है।
- आइओबी पे में 470 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं ।

XXVII. प्रबंधन सूचना पद्धति:

बैंक ने विभिन्न वैधानिक और तदर्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपयोगकर्ता विभागों को डेटा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के अलावा बैंक की रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को संभालने के लिए एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निर्णय समर्थन प्रणाली लागू की है ।

ओरेकल विश्लेषणात्मक सर्वर (OAS), बैंक द्वारा विकसित एक विश्लेषणात्मक उपकरण, हमारे इंट्रानेट आइओबी ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 300 रिपोर्ट, डेटा माइनिंग और शीर्ष प्रबंधन, नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं द्वारा एक्सेस किए गए एनालिटिक्स प्रदान करता है।

उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर रिपोर्ट, ग्राफ, क्या- यदि विश्लेषण, डेटा माइनिंग, तदर्थ रिपोर्ट के विकास और तैनाती के लिए एमआईएस की गृह टीम द्वारा उपकरण का उपयोग किया गया है। इस टूल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे प्रदर्शन निगरानी, नियामक रिपोर्टिंग, ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण, अभियानों का पालन करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जाता है। एमआईएस की कुछ प्रमुख गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

क) कार्यक्रम का विकास और संसोधन :

- ओरेकल विश्लेषणात्मक सर्वर (OAS 5.5) का प्रतिष्ठापन, विन्यास और उन्नयन ।
- कारोबार बुद्धिमता में एकीकरण के लिए एकल चिन्ह ।
- इन्फोर्मेटिका (ईटीएल उपकरण) का 10.2 एचएफ 2 में उन्नयन ।
- एसएलबीसी रिपोर्ट स्वचालित – विकसित ।
- वित्तीय समावेशन रिपोर्ट स्वचालन की प्रगति की निगरानी ।
- ईडब्ल्यूएस प्रोग्राम का विकास, कार्यप्रवाह और डाटा जेनरेशन ।
- मनी लॉन्ड्रिंग / टीएफ डेटा जनरेशन - डेटा टेम्प्लेट

ख) कारोबार बुद्धिमता रिपोर्ट :

- एससीए – लेखा परीक्षक रिपोर्ट – 42 रिपोर्टें
- अभिभावक म.प्र समीक्षा डैशबोर्ड
- वर्टिकल वार अग्रिम
- कोविड – कार्यशील पूंजी पुनर्मूल्यांकन का रिपोर्ट – 7 रिपोर्टें
- एडीएफ रिपोर्टें – 10 रिपोर्टें
- ओवरसीज़ जीएलपीएल रिपोर्ट

घ) दैनिक गतिविधियां

एमआईएसडी द्वारा की जाने वाली अन्य नियमित गतिविधियों में दैनिक व्यवसाय के आंकड़े, खोले और बंद किए गए खातों की सूची, प्रत्येक क्षेत्र के तहत किए गए दैनिक मंजूरी और संवितरण, केवाईसी संबंधित रिपोर्ट, अतिरिक्त नकद रिपोर्ट, डेटा गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट, आभूषण

Debit Cards through Bank Web Site, Internet Banking and Mobile Banking.

- Option given to card holders to switch ON/Off and set/modify transaction limit, if any, for all types of transactions - Domestic and International, at POS/ ATMs/Ecom transactions/contactless transactions through Internet banking and Mobile banking.
- National Common Mobility Card (NCMC) introduced in RUPAY category which can also be used for contactless transactions.

e. Management of ATMs/Cash Recyclers/Passbook Kiosks:

- The Bank is having 3145 machines as on 31.03.2021 of which 1927 are ATMs and 1218 are Cash Recyclers.
- Of the total 3145 machines 2720 are Onsite and 425 are Offsite.
- Out of total 3145 machines, 2700 are Branch Managed (CAPEX model) and 445 are vendor managed (OPEX model).
- Bank is having 2109 Passbook Kiosks belonging to four vendors, functioning PAN INDIA.

f. Bank on Wheels:

- As part of Bank's Commitment under EASE (Enhanced Access and Service Excellence), Our Bank has launched "Bank on Wheels" (Mobile ATMs) in 13 districts of Tamil Nadu and one district of Kerala where IOB is the Lead Bank besides one district in Andhra Pradesh (Vijayawada)
- Each Bank on Wheel is equipped with one Cash Dispenser, one Passbook Kiosk and 55" LED Screens for marketing of various products of the Bank. These Screens are also utilized for delivering Financial Inclusion messages or any educative series to the general public.
- A Business Correspondent will also be available in the vehicle to popularize the Bank schemes.

g. IOB PAY:

- Introduced in the year 2017
- Developed in house and integrated with Aggregators
- The product is an integrated on line payment which offers fee payments, merchant payments, donations. An easy and effective way of collecting payments by the merchants.
- Targeted to enable Online Payments for different type of merchants with or without merchant web site.
- 470 Institutions have been registered in IOB Pay.

XXVII. Management Information System:

Bank has implemented a robust Management Information System (MIS) and Decision Support System to handle Reporting and analytical requirements of the Bank apart from ensuring flow of data to User Departments for submission of various statutory and ad-hoc reports.

Oracle Analytic Server (OAS), an analytical tool deployed by the bank provides around 300 reports, Data Mining and analytics accessed by Top Management, Controlling Offices and Branches through our intranet IOBONLINE.

The tool has been utilized by the In-house team of MIS for development and deployment of Reports, Graphs, What-if analysis, Data Mining, Ad-hoc Reports based on user requirements. The tool is effectively used for various purposes such as Performance Monitoring, Regulatory Reporting, Analysis of historical data, follow up of campaigns. Some of the major activities of MIS are furnished below:

a. Program Development and Modifications:

- Oracle Analytic Server (OAS 5.5) installation, configuration and Upgradation
- Single Sign on Integration in Business Intelligence
- Informatica (ETL tool) Upgradation to 10.2 HF2
- In-house ADF ETL and Reports Development
- SLBC Reports Automation – Development
- Monitoring Progress of Financial Inclusion Reports Automation
- EWS Program Development, Workflow and Data Generation
- Money Laundering / TF Data Generation - Data Templates

b. Business Intelligence Reports:

- SCA – Auditor Reports – 42 Reports
- Guardian GM Review Dashboard – 60 Reports
- Vertical wise Advances
- COVID – Reports on Working Capital Reassessments – 7 Reports
- ADF Reports – 10 Reports
- Overseas GLPL Report

c. Routine activities:

Other routine activities performed by MISD include providing Daily business figures, List of Accounts opened and closed, daily sanctions and disbursements made under

ऋण प्रदर्शन रिपोर्ट, व्यापक शाखा प्रोफ़ाइल, एसएमए निगरानी के लिए रिपोर्ट, अग्रिमों पर एमआईएस रिपोर्ट, वित्तीय समावेशन रिपोर्ट, डिजिटल पंजीकरण और लेनदेन निगरानी रिपोर्ट, अनुमानित स्लिपेज पर रिपोर्ट, शाखाओं की मासिक प्रदर्शन रैंकिंग, साप्ताहिक और मासिक सिबिल डेटा जेनरेशन, सिबिल अस्वीकृत सूची पर रिपोर्ट प्रदान करना, एनईएसएल को डेटा कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के संबंध में, के.का के विभागों को डेटा स्टोर प्रदान करना, आरबीआई को डेटा स्टोर प्रदान करना, संसदीय प्रश्नों के संबंध में डेटा प्रदान करना, डेटा बिंदुओं को आसान बनाना, ओएसएमओएस विवरणियों के लिए के.का के उपयोगकर्ता विभागों के साथ समन्वय करना और आरएक्यू डेटा सत्यापन आदि प्रदान करना ।

XXVIII. सरकारी खाते:

क) प्रत्यक्ष कर वसूली: बैंक पूरे भारत में 354 शाखाओं द्वारा ऑनलाइन कर लेखा परीक्षा पद्धति (ओएलटीएएस) के माध्यम से भौतिक रूप में आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों को एकत्र करने के लिए अधिकृत है। बैंक प्रत्यक्ष करों का ई-भुगतान प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत है। वर्ष के दौरान, बैंक ने 8144 करोड़ रुपये के लेनदेन को संभाला और 0.94 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया ।

ख) अप्रत्यक्ष कर वसूली: बैंक उत्पाद शुल्क और सेवा कर का ई-भुगतान, सीमा शुल्क का ई-भुगतान और शुल्क वापसी का ई-रिफंड प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। जीएसटी के आगमन के बाद, हमारी सभी शाखाओं को जीएसटी संग्रह के लिए सक्षम किया गया है। वर्ष के दौरान बैंक ने 12939 करोड़ रुपये के लेनदेन को संभाला और 0.75 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया ।

ग) पेंशन का भुगतान: बैंक केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा, रेलवे, टेलीकॉम, राज्य सरकार के कर्मचारी, ईपीएफओ, टीएनईबी, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई डॉक लेबर बोर्ड, तमिलनाडु के स्थानीय फंड ऑडिट और मलेशियाई सरकारी पेंशन से संबंधित पेंशनभोगियों को सेवा दे रहा है ।

घ) केंद्रीकृत पेंशन संसाधन केंद्र (सीपीपीसी) : सीपीपीसी 60952 सक्रिय खातों के लिए केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार पेंशनभोगियों को केंद्रीकृत आधार पर पेंशन वितरित करता है। बैंक ने वर्ष के दौरान 1707 करोड़ रुपये का वितरण किया है और वितरण की तारीख से 2-3 दिनों के भीतर केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार पेंशन के लिए योजना के तहत प्रतिपूर्ति प्राप्त की है । वर्ष के दौरान बैंक ने 5 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया है ।

बैंक 17 शाखाओं में तमिलनाडु सरकार के ट्रेजरी व्यवसाय को भी संभालता है, जिसका टर्नओवर 1294 करोड़ रुपये की प्राप्तियों और भुगतानों के साथ है। बैंक योजना आयोग और दूरसंचार विभाग के खाते में काम करता है और क्रमशः 735 करोड़ रुपये और 254 करोड़ रुपये की प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंधन करता है। डाकघर संग्रह (आहरण और जमा) खाता तमिलनाडु में 77 शाखाओं में बनाए रखा जाता है, जिसमें 590 करोड़ रुपये की रसीदें और भुगतान होते हैं।

बैंक भारत सरकार की बचत योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और लगभग 880 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

ङ) सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना : वर्ष के दौरान बैंक ने इस योजना के तहत 88 करोड़ रुपये एकत्र किए और 0.88 करोड़ रुपये की आय अर्जित की ।

च) राष्ट्रीय पेंशन योजना : एनपीएस की सदस्यता के लिए 3270 शाखाओं को सक्रिय किया गया है । वर्ष के दौरान शाखाओं ने 2099 एनपीएस खाते खोले हैं ।

XXIX: निर्यात क्रेडिट – ईसीजीसी कवरेज : बैंकों के लिए निर्यात कवर बीमा (ईसीआईबी) के तहत संपूर्ण टर्नओवर-पैकिंग क्रेडिट (डब्ल्यूटी-पीसी) और पूरे टर्नओवर-पोस्ट शिपमेंट (डब्ल्यूटी-पीएस) के लिए प्रीमियम का भुगतान हर महीने के अंत में किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके । बैंक वर्ष 2019-20 से ईसीजीसी को एक महीने के अग्रिम प्रीमियम के भुगतान के एवज में कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने की प्रणाली अपना रहा है ।

XXX. मानव संसाधन विभाग:

क) भर्ती व स्टाफ की संख्या:

31 मार्च, 2021 तक बैंक के कर्मचारियों की संख्या 23579 थी, जिसमें 12946 अधिकारी, 8351 लिपिक और 2282 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल थे। वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के कारण कोई भर्ती नहीं की है। हालांकि, आंतरिक लोकपाल के लिए संविदात्मक अवधि समाप्त हो गई है, अनुबंध के आधार पर एक नया आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया गया था ।

कुल कर्मचारियों की संख्या में से 4668 सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग, 1704 अनुसूचित जनजाति वर्ग और 7127 सदस्य ओबीसी श्रेणी के थे । कर्मचारियों की संख्या में 8320 महिला कर्मचारी, 959 भूतपूर्व सैनिक और 519 शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य शामिल हैं ।

ख) अभिप्रेरणा :

- कर्मचारी दिवस : कर्मचारी बैंक की पहली और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं और बैंक हमेशा कर्मचारियों का विश्वास हासिल करने के लिए उन्हें निरंतर प्रेरित करने में विश्वास रखता है।

बैंक कर्मचारियों ने हमेशा अपने प्रिय संगठन के प्रति त्रुटिहीन प्रतिबद्धता और समर्पण प्रदर्शित किया है, और "कर्मचारी दिवस" आयोजित करना सभी कर्मचारियों को सक्रिय रूप से शामिल करने, उनके मुद्दों और शिकायतों को जानने और हल करने का एक तरीका है, जिससे उन्हें अपने पेशे के प्रति सम्मान महसूस कराता है। व्यक्तिगत उपलब्धियों के रूप में, और इस तरह, अपनेपन की भावना को फिर से स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि वे प्रदर्शन के उच्च स्तर की ओर अग्रसर हों । महीने के हर तीसरे शनिवार को पूरे देश में कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

each sector, KYC Related Reports, Excess cash Reports, Data Quality Monitoring Reports, Jewel Loan Performance Report, Comprehensive Branch profile, Report for SMA monitoring, MIS Reports on Advances, Financial Inclusion Reports, Digital registrations and transaction monitoring reports, Reports on projected slippages, Monthly performance ranking of Branches, Weekly and Monthly Cibil data generation, Providing reports on Cibil rejected list, Data to NESL in respect of Corporate borrowers, providing Data dumps to CO Departments, Data Dumps to RBI, providing Data in respect of Parliamentary Questions, EASE Data points, Coordinating with CO user departments for OSMOS returns and RAQ data validation etc.

XXVIII. Government Accounts:

a. Direct Tax Collections: The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct taxes in physical mode through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 354 Branches all over India. The Bank is also authorized to receive e-payment of Direct Taxes. During the year, the Bank has handled transactions amounting to Rs.8144 Crores and earned commission of Rs.0.94 Crore.

b. Indirect Tax Collections: The Bank is authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax, E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty Drawback. After the advent of GST, all our branches have been enabled for collection of GST. During the year the Bank has handled transactions amounting to Rs.12939 Crores and earned commission of Rs.0.75 Crore.

c. Payment of Pension: The Bank is serving pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, EPFO, TNEB, Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of Tamil Nadu and Malaysian Government Pension.

d. Centralised Pension Processing Centre(CPPC): CPPC disburses pension on a centralised basis to Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensioners for 60952 active accounts. The Bank has disbursed Rs.1707 Crores during the year and received reimbursement under scheme for Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensions within 2-3 days from the date of disbursement. During the year bank has earned commission of Rs.5 Crores.

Bank also handles Treasury Business of the Government of Tamil Nadu at 17 Branches with the turnover of Rs.1294 Crores of receipts and payments. Bank serves the account of Planning Commission and Department of Telecommunications and handled receipts and payments of Rs.735 Crores and Rs.254Crores respectively. Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 77 Branches in Tamil Nadu handling receipts and payments of Rs.590 Crores.

Bank has been actively participating in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, Public Provident Fund and Sukanya Samriddhi Yojana schemes and have contributed subscriptions of about Rs.880 Crores.

e. Sovereign Gold Bond Scheme: During the year Bank has collected Rs.88 Crores under the scheme and earned an income of Rs.0.88 Crore.

f. National Pension System (NPS): 3270 Branches have been enabled for subscription of NPS. During the year branches have opened 2099 NPS accounts.

XXIX: Export Credit-ECGC coverage: Premium under Export Cover Insurance for Banks (ECIB) for Whole Turnover-Packing Credit (WT-PC) and Whole Turnover -Post Shipment (WT-PS) is being paid at the end of every month to mitigate the risk of any eventual loss to the bank. Bank is adopting the system of providing Corporate Guarantee in lieu of payment of one month advance premium to ECGC from the year 2019-20 onwards.

XXX. Human Resources Development:

a. Recruitment & Staff strength:

The Bank's staff strength stood at 23579 Comprising 12946 Officers, 8351 Clerks and 2282 Sub-staff as of 31st March, 2021. During the year 2020 - 21, the Bank has not done any recruitment due to Prompt Corrective Action. However, as the contractual period for Internal Ombudsman has expired, a new Internal Ombudsman was appointed on contract basis.

Of the total staff strength, 4668 members belonged to SC category, 1704 to ST Category, and 7127 to OBC Category. Staff Strength includes 8320 Women employees, 959 Ex-servicemen and 519 physically challenged members.

b. Motivation:

- Employee Day: Employees are the first and foremost assets of the Bank and Bank always believes in continuous motivation to gain confidence of employees.

Bank employees have always displayed impeccable commitment and dedication to their esteemed organization, at all times and conducting “EMPLOYEE DAY” is one way of actively involving all employees, knowing and resolving their issues and grievances, making them feel appreciated for their professional as well as personal achievements and thereby re-instilling a sense of belongingness and ensuring that they propel towards higher levels of performance. Every 3rd Saturday of the month is celebrated as Employee Day across the country.

- **हमसे पूछें :** बैंक अपने कर्मचारियों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में हमेशा सक्रिय रहा है और "हमसे पूछें - ऑनलाइन हेल्प डेस्क" बैंक द्वारा शुरू की गई एक ऐसी ही पहल है । यह एक रियल टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो स्टाफ सदस्यों को उनकी बैंकिंग संबंधी शंकाओं को दूर करने के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि कर्मचारी अपने दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों का निर्वहन करने में अधिक आश्वस्त हो जाएं और इस तरह कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करें ।

कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास के प्रति बैंक का प्रयास और दृष्टिकोण हमेशा मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार करना, ज्ञान की कमी को दूर करके और स्टाफ सदस्यों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करके, बैंक में बेहतर बैंकिंग सेवा प्रदान करने की क्षमता का निर्माण करना रहा है ।

सभी क्षेत्रीय कार्यालय और के.का के विभागों ने अपने कार्यस्थल से संसाधन व्यक्तियों की पहचान की हैं । बदले में ये संसाधन व्यक्ति "हमसे पूछें- ऑनलाइन हेल्प डेस्क" के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर स्टाफ सदस्यों को उनके संदेहों को स्पष्ट करने में मदद करते हैं ।

- **सभी विचार मायने रखते हैं (एआईएम) :** कर्मचारी बैंक की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं । इसलिए उनके सुझावों से बैंक को बेहतर नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार करने में मदद मिलती है । इसे ध्यान में रखते हुए बैंक ने " सभी विचार मायने रखते हैं " नाम से एक कर्मचारी सुझाव योजना शुरू की है - जिसमें सभी स्टाफ सदस्यों को अपने मूल्यवान सुझावों और विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

त्रैमासिक आधार पर स्टाफ सदस्यों से प्राप्त सुझावों को जांच के लिए महा प्रबंधकों की एक चयन समिति के समक्ष रखा जाता है और सर्वसम्मति पर सर्वोत्तम सुझावों का चयन किया जाता है । जिन स्टाफ सदस्यों के सुझावों को सर्वोत्तम सुझावों के रूप में माना जाता है, उन्हें एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है और सुझाव को संबंधित विभाग के साथ व्यवहार्यता अध्ययन के लिए साझा किया जाता है ।

ग) पुरस्कार और मान्यता नीति:

पुरस्कार और मान्यता नीति का मुख्य उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना है । सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए, प्रदर्शन, दृष्टिकोण और उपलब्धियों के संदर्भ में कर्मचारी द्वारा किए गए प्रयासों को पहचानना महत्वपूर्ण हो जाता है ।

पुरस्कार और मान्यता नीति का उद्देश्य कार्यस्थल में प्रेरणा को बढ़ावा देना और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है जो संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल हो और कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से या टीमों के माध्यम से किए गए उनके अच्छे काम के लिए मूल्यवान और सराहना महसूस कराती है ।

इस संबंध में अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले स्टाफ सदस्यों को विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रशंसा पत्रों से पुरस्कृत किया जा रहा है ।

घ) क्षमता निर्माण :

उत्तराधिकार की योजना बनाने और पहचाने गए महत्वपूर्ण पदों के लिए पहचान किए गए अधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए, बैंक ने कर्मचारियों के सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप "क्षमता निर्माण" पर एक नीति बनाई है । इस संबंध में, बैंक ने निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान की है

क) भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ़), मुंबई

ख) राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबंधन संस्थान, पुणे

ग) मूडी की एनालिटिक्स

घ) एनआईएसएम

ङ) एनएसईटीआई – यूआईडीएआई प्रमाणन

च) आईएसएसीए – सीआईएसए प्रमाणन

छ) एसएचआरएम (सोसाइटी फॉर ह्मन रिसोर्स मैनेजमेंट) – एचआर प्रमाणन

ज) सीएचआरएमपी (सर्टिफाइड ह्मन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल) – एचआर प्रमाणन

पहचाने गए क्षेत्रों के लिए प्रमाणन उपलब्ध करवा रहे हैं, निम्नलिखित हैं :

क) ट्रेजरी परिचालन

ख) विदेशी विनिमय

ग) ऋण प्रबंधन

घ) जोखिम प्रबंधन

ङ) लेखांकन एवं लेखा परीक्षा प्रबंधन

च) वित्तीय समावेशन

छ) केवाईसी/ एएमएल

ज) विधिक दृष्टिकोणों सहित अनुपालन

झ) साइबर सुरक्षा

ञ) संपत्ति प्रबंधन एवं तृतीय पक्षीय उत्पादों का विपणन

ट) मानव संसाधन प्रबंधन

स्टाफ सदस्यों को सूचित किया गया है कि वे बैंक में क्षमता निर्माण के लिए उक्त क्षेत्रों में प्रमाणपत्र प्राप्त करें । उन सदस्यों के लिए जो वर्तमान में किसी भी पहचाने गए क्षेत्र के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें दो साल के भीतर अपेक्षित प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा ।

प्रेरक उपाय के हिस्से के रूप में, बैंक क्षमता निर्माण के तहत चिन्हित सभी प्रमाणपत्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति कर रहा है एवं पदोन्नति प्रक्रिया में भी इसके लिए उचित महत्व दे रहा है ।

ङ) अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाएँ सीखे :

अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं सीखे" नामक एक नई पहल शुरू की गई और बैंक ने इसे लागू किया है, ताकि सभी स्टाफ सदस्य उस क्षेत्रीय भाषा को बोलने के कौशल में कुशल बन सकें, जहां वे तैनात हैं ।

पहल के अनुसार, तमिल भाषा सीखने का पहला बैच - बोलने में कौशल सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसमें 172 स्टाफ सदस्यों ने मद्रास

- ASK US: The Bank has always been proactive in providing its employees with ample learning opportunities and the "ASK US – Online Help Desk" is one such initiative introduced by the Bank. It is a Real Time Online Platform provided for staff members for clarifying their banking related doubts, in order that the staff become more confident in discharging their day to day duties and thereby, render efficient customer service.

Bank's endeavour and approach towards training and developing employees has always been to improve on the current processes, build capacity in the Bank to offer better banking service by addressing the knowledge gap and by providing staff members with ample learning opportunities.

All Regional Offices and CO Departments identify Resource Persons from their respective workplace. These Resource persons in turn help the staff members in clarifying their doubts on a real time basis through the "ASK US- Online Help desk".

- All Ideas Matter (AIM): Employees form the most important component for the progress of the Bank. Hence suggestions from them help the Bank in framing better policies and procedures. Keeping this in mind Bank has introduced a Staff Suggestion Scheme name "ALL IDEAS MATTER" –wherein all staff members irrespective of the cadre are encouraged to pour in their valuable suggestions and ideas.

On a quarterly basis the suggestions received from the staff members are placed before a select Committee of GMs for scrutinization and the best suggestions are selected on consensus. Those staff members whose suggestions are adjudged as best suggestions are provided with an appreciation letter and the suggestion is shared with the concerned Department for a feasibility study.

c. Reward and Recognition Policy:

The major aim of reward and recognition policy is to attract and retain the best talent. In order to attract and retain best talent, it becomes important to recognize the efforts put in by the employee in terms of performance, attitude, and achievements.

The objective of reward and recognition policy is to promote motivation in the workplace and to build a culture that is conducive for achieving organizational objectives and to make employees feel valued and appreciated for their good work done, either individually or through teams.

In this connection the staff members with exemplary performance are being rewarded with appreciation letters under various categories.

d. Capacity Building:

In order to plan the succession and equip the identified officers for identified critical positions, Bank has drawn a Policy on "Capacity Building" in tune with RBI guidelines to build up the capacity of the staff members. In this regard, Bank has identified the following accredited institutes namely

a) Indian Institute of Banking & Finance (IIBF), Mumbai
b) National Institute of Banking Management (NIBM), Pune
c) Moody's Analytics
d) NISM
e) NSEIT – UIDAI Certification
f) ISACA - CISA Certification
g) SHRM (Society for Human Resource Management) – HR Certification
h) CHRMP (Certified Human Resource Management Professional) – HR Certification

Who are providing certifications for the identified areas i.e.

a) Treasury Operations,
b) Foreign Exchange,
c) Credit Management,
d) Risk Management,
e) Accounting & Audit Management
f) Financial Inclusion
g) KYC/ AML
h) Compliance including Legal aspects
i) Cyber Security
j) Wealth Management and Marketing of third party Retail products
k) Human Resource Management

Staff members have been advised to obtain the certifications in those areas in order to build up the capacity in the Bank. For the members who are currently working under any of the identified areas have to obtain the requisite certification within two years.

As a part of motivational measure, Bank is reimbursing the course fees for all the identified certifications under capacity building and also giving due weightage for the same in the Promotion process.

e. Learning additional regional languages:

A new initiative named "Learning Additional Regional Languages" was introduced and the Bank has implemented the same, to enable all staff members to become proficient in speaking skills of the regional language where they are posted.

As per the initiative, the First Batch of Learning Tamil Language – Speaking Skills was successfully completed

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मूल्यांकन प्रक्रिया को लगातार 5 रविवार तक एक ऑनलाइन कार्यशाला के माध्यम से पूरा किया ।

च) नैतिकता नीति :

सार्वजनिक आचरण के संबंध में कर्मचारियों के बीच सहयोग की संस्कृति बनाने, बैंक के साथ संचार, मीडिया सहित बाहरी संस्थाओं के साथ बातचीत और सहकर्मियों के साथ व्यवहार करने के लिए बैंक के सभी कर्मचारियों को कवर करते हुए नैतिकता की नीति प्रस्तुत की गई थी । नीति उस आचरण के मानकों को परिभाषित करती है जो सभी कर्मचारियों से अपेक्षित है कि बैंक में विभिन्न कार्यों के दौरान भूमिका और जिम्मेदारियां निभाने के लिए सही निर्णय लिए जाएं ।

उक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए, एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाया गया है जिसमें आचार नीति में वर्णित आचार संहिता के पालन की पुष्टि करने वाले सभी कर्मचारियों से वार्षिक आधार पर ऑनलाइन पुष्टि प्राप्त की जाती है ।

छ) जॉब फैमिली :

जॉब फैमिली को हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2019 - 20 में पेश किया था जिसमें 10 क्षेत्र शामिल हैं । एक ही क्षेत्र के तहत समान प्रकार के कार्य / कारोबार वर्टिकल और संबंधित विभागों/ कक्षों/ क्षेत्रों आदि को समूहीकृत करने के बाद एक क्षेत्र के अधीन लाया गया था । जिन दस जॉब फ़ैमिली की पहचान की गई है, वे यहां प्रस्तुत हैं:

1) ट्रेजरी एवं विदेशी विनिमय

2) जोखिम प्रबंधन

3) लेखांकन

4) ऋण प्रबंधन

5) एचआर प्रबंधन

6) आईटी क्षेत्र

7) विपणन एवं खुदरा

8) नियंत्रण

9) परिचालन

10) तकनीकी विशेषज्ञ

संबंधित विभागों/ कारोबार वर्टिकल्स में काम करने वाले सभी अधिकारियों को, जिसमें वे कार्य कर रहे हैं, समूहीकृत/ वर्गीकृत किए गए क्षेत्र के संबंध में उनके पास अपेक्षित योग्यताएं हैं ।

ज) प्रशिक्षण:

बैंक के कॉर्पोरेट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक और बाहरी मोड के माध्यम से बैंकिंग के बुनियादी क्षेत्रों के अलावा बैंकिंग के समकालीन मुद्दों पर ग्राहक केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

क्रेडिट मूल्यांकन / ऋण निगरानी / लघु व माध्यम उद्योग को वित्त, सतर्कता के क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों एवं लिपिकों के लिए बैंकिंग विषय पर नियमित प्रशिक्षण दिया गया है । मौजूदा महामारी स्थिति में, प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पंक्ति के प्रबन्धकों के लिए भी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीएच सदस्यों, जो जेएमजीएस । से एमएमजीएस ॥, एमएमजीएस ॥ से एमएमजीएस ॥। और एमएमजीएस ॥। से एसएमजीएस ।V में पदोन्नति के लिए पात्र हैं, उनके लिए पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था । वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों के लिए प्री – रिटायरमेंट काउनसेलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

- आंतरिक प्रशिक्षण : बैंक का आंतरिक प्रशिक्षण पद्धति एक स्टाफ कॉलेज और 12 स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र पर आयोजित होती है । वि.वर्ष 2020-21 के दौरान दिए गए आंतरिक प्रशिक्षण का आकड़ा निम्नलिखित है:

विवरण	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	कुल	एससी (कुल में से)	एसटी (कुल में से)
वि. वर्ष 2020-21 के दौरान वैयक्तिक रूप से स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया (भले ही कितने भी प्रशिक्षणों में भाग लिया हो)	8438	3219	630	**12287**	2411	1192
वि. वर्ष 2020-21 के दौरान स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया (सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिए गए कुल संख्या के आधार पर)	12195	3491	641	**16327**	3315	1812

- **वाह्य प्रशिक्षण:** बैंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), आईडीआरबीटी-हैदराबाद, एनआईबीएम-पुणे, सीएबी-पुणे, आरबीआई, इंफोसिस, बीक्यू ग्लोबल, आईआईबीएंडएफ-मुंबई, केयर प्रशिक्षण संस्थान, एसआईबीईएसटीसी - बैंगलोर, सीएएफआरएएल - मुंबई, एफआईएमएमडीए - मुंबई, फेडाई - मुंबई, आईबीए जैसे प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 597 कार्यकारी अधिकारियों/अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की है ।

  सामान्य और विषय से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, बैंक ने स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप (एसबीआईएल), कोलकाता के संकाय समर्थन के साथ 20 कार्यकारी अधिकारियों के लिए नेतृत्व पर एक ऑनलाइन प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया है ।

with 172 staff members clearing the assessment process conducted by University of Madras on completion of an online workshop for 5 consecutive Sundays.

f. Ethics Policy:

Ethics policy was introduced covering all the employees of the Bank, to create a culture of cooperation among the employees in respect of public conduct, communication with the Bank, interactions with external entities including the media and dealing with colleagues. The policy defines the standards of the conduct that is expected of all employees in order that the right decisions are taken in performing roles and responsibilities across various functions in the Bank.

For implementation of the said policy, a Standard Operating Procedure (SOP) has been adopted wherein online affirmation from all the employees confirming adherence to the code of conduct as detailed in the Ethics policy is obtained on an annual basis.

g. Job Family:

Job Family was introduced by Bank in FY 2019 – 20 which comprises of 10 families. The same was arrived at after grouping similar nature tasks/ business vertical and related Depts./ cells/ areas etc. under one family. The ten Job families that has been identified are furnished hereunder:

1) Treasury & Foreign Exchange
2) Risk Management
3) Accounting
4) Credit Management
5) HR Management
6) IT Area
7) Marketing and Retail
8) Control
9) Operations
10) Technical Specialists

All Officers having exposure/ working in the related depts./ business verticals and having requisite qualifications in the areas falling under the above Job Families have been grouped/ classified under the given Job Family.

h. Training:

Keeping in view the corporate goal of making the Bank, customer centric training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through the internal and external mode.

Regular training on Banking topics have been imparted to officers and clerks in the field of Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Small & Medium Enterprises Financing, Vigilance. Also Programmes for First Line and Second line managers were conducted for all staff members through online mode due to the prevailing pandemic situation.

Pre Promotion Training for SC/ST/ OBC/ PH members who are eligible for promotion from JMGS I to MMGS II, MMGS II to MMGS III and MMGS III to SMGS IV was conducted through online mode. The Pre-Retirement counseling programme was conducted for Officers and Award Staff Members who retired during the year.

- Internal Training: Bank's internal training system comprises of One Staff College and Twelve Staff Training Centers (STCs). The statistics of Internal Trainings imparted for the FY 2020 – 21 is furnished hereunder:

Particulars	Officers	Clerical	Substaff	Total	SC (Out of Total)	ST (Out of Total)
Training imparted to Individual Staff members during FY 2020-21 (irrespective of no. of trainings attended)	8438	3219	630	**12287**	2411	**1192**
Training imparted during FY 2020 - 21 (based on total no. of trainings attended by members)	12195	3491	641	**16327**	3315	**1812**

- **External Training:** The Bank has also deputed 597 Executives/ Officers for training programmes conducted by reputed external institutes like Indian Institute of Management (IIMs), IDRBT – Hyderabad, NIBM – Pune, CAB – Pune, RBI, Infosys, BQ Global, IIB&F – Mumbai, CARE Training Institute, SIBSTC – Bangalore, CAFRAL – Mumbai, FIMMDA – Mumbai, FEDAI – Mumbai, IBA.

  Apart from the general and subject concerned training programmes Bank has also conducted an Online Management Development Programme on Leadership for 20 of the Executives with the faculty support from State Bank Institute of Leadership (SBIL), Kolkata.

झ) पदोन्नतियाँ :

स्टाफ सदस्यों को एक वर्ग से अगले वर्ग में पदोन्नत किया गया है । विवरण निम्नलिखित है :

ग्रेड	वि.वर्ष 2020-21
पदोन्नत प्रक्रिया पूर्ण करने की – समय सीमा	अक्तूबर 2020
टीएम VIसेटीएम VII	6
एसएम V सेटीएम VI	18
एसएम IV सेएसएम V	62
एमएम III सेएसएम IV	82
एमएम IIसेएमएम III	234
जेएम Iसेएमएम II	1149
कुल	**1551**

ञ) ई-पाठशाला – ऑनलाइन ई – लर्निंग पोर्टल:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के ऑनलाइन मॉड्यूल में सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ई-पाठशाला उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें क्रेडिट, एनपीए, ट्रेजरी, विदेशी विनिमय आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर 48 मॉड्यूल शामिल थे । इन मॉड्यूल को बढ़ाने और अद्यतन करने के लिए लक्षित किया गया था। स्टाफ सदस्यों का ज्ञान जिससे बैंक की ऑनलाइन शिक्षण पहल (ई-पाठशाला) को बढ़ाया जा सके। उक्त पोर्टल को बैंक के स्टाफ कॉलेज संकाय द्वारा नियमित आधार पर अद्यतन और अनुरक्षित किया जाता है। कुल 10608 स्टाफ सदस्यों (82%) ने ई-पाठशाला के तहत सभी दस अनिवार्य मॉड्यूल (48 उपलब्ध मॉड्यूल में से) को पूरा किया ।

XXXI. औद्योगिक संबंध:

संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक में औद्योगिक संबंधों का वातावरण पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण और अनुकूल रहा ।

बैंक के सभी कार्यालयों / शाखाओं में अच्छे औद्योगिक संबंधों के माहौल की निगरानी और रखरखाव के लिए अनुशासन लागू करने, पालन की जाने वाली नीतियों आदि के संबंध में समय-समय पर परिपत्र / दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं ।

उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जिनके खिलाफ आईआर संबंधी शिकायतें / मामले बैंक में अनुशासन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को लागू करने के लिए रिपोर्ट किए जाते हैं ।

आगे, स्टाफ मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों को हमारे कर्मचारियों के लाभ के लिए परिपत्र जारी करके यथाशीघ्र लागू किया जाता है ।

एचआरएमडी-आईआर अनुभाग, केंद्रीय कार्यालय पदोन्नति, लाभ, अन्य मुद्दों आदि के संबंध में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ समझौता करता है । बैंक स्टाफ सदस्यों की शिकायतें, यदि कोई हो, तो उसका निवारण के लिए अधिकारी संघ / कर्मचारी संघ के साथ भी विचार-विमर्श करता है ।

वित्तीय वर्ष के दौरान, स्टाफ सदस्यों के लिए वेतन संशोधन के लिए यूनियन / एसोसिएशन के साथ आईबीए द्वारा हस्ताक्षरित 11वां द्विपक्षीय समझौता / आठवां संयुक्त नोट सफलतापूर्वक लागू किया गया ।

कोविड महामारी ने बैंकरों सहित सभी जनता के सामान्य जीवन को प्रभावित किया है । बैंक ने स्टाफ सदस्यों के लिए कई कल्याणकारी उपाय लागू किए हैं –

1) स्टाफ सदस्यों और उनके परिवारों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना और टीकाकरण पर उनके द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

2) सभी स्टाफ सदस्यों को मास्क/दस्ताने आदि खरीदने के लिए 1000/- रुपये की स्वीकृति अप्रैल 2020 में दी गई थी और बाद में स्टाफ सदस्यों को 2500/- रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई थी ।

3) हमारे स्टाफ सदस्यों के अलावा, हाउसकीपिंग के लिए लगे अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों, ड्राइवरों, गहनों के मूल्यांककों और व्यापार संवाददाताओं को भी टीकाकरण की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

4) एकबारगी उपाय के रूप में, सभी स्टाफ सदस्यों को एक राहत ऋण स्वीकृत किया गया, जिसमें ऋण की मात्रा एक महीने का सकल वेतन 24 किश्तों में चुकाने योग्य थी ।

5) कोविड से प्रभावित स्टाफ सदस्यों / उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कोविड चिकित्सा सहायता ऋण स्वीकृत किया गया था । ऋण की मात्रा सदस्य का एक महीने का सकल वेतन था, जिसे 4% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर दिया गया था ।

6) कोविड 19 के कारण मरने वाले मृत स्टाफ सदस्य के कानूनी वारिसों को प्रति कर्मचारी 20 लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है ।

प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में सभी स्टाफ सदस्यों से उनकी 'चल, अचल और मूल्यवान संपत्तियों' के संबंध में एक विवरण प्राप्त किया जाता है । 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए, सभी स्टाफ सदस्यों ने अपनी रिटर्न जमा कर दी है, जिनकी जांच भी की गई थी ।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केंद्रीय / क्षेत्रीय कार्यालयों) में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया ।

वर्ष 2020-2021 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विवरण इस प्रकार है :

i. Promotions:

Promotions were given to staff members from one cadre to next cadre. The statistics are as under:

GRADE	FY 2020 – 21
Completion of Promotion process – Time line	**Oct 2020**
TM VI TO TM VII	6
SM V TO TM VI	18
SM IV TO SM V	62
MM III TO SM IV	82
MM II TO MM III	234
JM I TO MM II	1149
Total	**1551**

j. E-Paatashala – Online e-Learning portal:

E-Paatashala was made available for all the staff members in the Bank's online module consisting of 48 modules on various areas like Credit, NPA, Treasury, Foreign Exchange etc., during the FY 2020 - 21. These modules were targeted at enhancing and updating the knowledge of the staff members thereby scaling up Bank's online learning initiative (E-Paatashala). The said portal is updated and maintained by Staff College Faculty of the Bank on a regular basis. A total of 10608 staff members (82%) completed all TEN Mandatory modules (out of 48 available modules) under E-Paatashala.

XXXI. Industrial Relations:

The Industrial relations environment in the Bank remained cordial and conducive throughout the year for achieving organization's objectives.

In order to monitor and maintain good Industrial Relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed, etc.

Action is taken against staff members against whom complaints/matters of IR nature are reported to enforce discipline and harmonious industrial relations in the Bank.

Further, all the guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees.

HRMD-IR Section, Central Office enters into settlement with the recognized Union for award staff, regarding promotion, benefits, other issues etc. Bank also holds discussions with Officer Association / Workmen Union for redressal of grievances of staff members, if any.

During the Financial year, 11th Bipartite Settlement / 8th Joint Note signed by IBA with Union / Association for wage revision for staff members was successfully implemented.

The COVID Pandemic has affected the normal life of all the public, including bankers. Bank has implemented several welfare measures to the staff members viz.

1) Encouraging staff members and their families to get vaccinated and the cost incurred by them towards vaccination is reimbursed to them.

2) Sanction of Rs.1000/- to all staff members was made in April 2020 to enable them purchase masks / gloves etc. and subsequently staff were also sanctioned an amount of Rs.2500/-.

3) Besides our staff members, other outsourced employees engaged for house keeping, security staff, drivers, jewel appraisers and business correspondents are also reimbursed cost of vaccination.

4) As a one time measure, a Relief Loan to all staff members was sanctioned with the quantum of loan being one month's gross salary repayable in 24 instalments.

5) COVID Medical Assistance Loan was sanctioned to staff members/ their dependent family members who were affected by COVID. The quantum of loan was one month's gross salary of the member with 4% simple interest p.a.

6) A compensation amount of Rs.20 lacs per employee is paid to the legal heirs of deceased staff member who died due to COVID 19.

A statement from all staff members regarding their 'Movable, Immovable and valuable properties' as at the end of March every year is obtained. For the year ended 31.03.2020, all the staff members have submitted their returns which were also scrutinized.

To prevent sexual harassment of women at workplace, Internal complaints committees were constituted at all Administrative offices (Central / Regional offices) as per the provisions of Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.

The details of the Sexual Harassment Complaints received and disposed during the year 2020 – 2021 is as follows:

वर्ष (01.04.2020) के शुरुआत से लंबित शिकायत	वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायत	वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायत	वर्ष (31.03.2021) के समापन तक लंबित शिकायत
2	2	4	0

वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा शीर्ष स्तर पर सहायक श्रम आयुक्त सहित विभिन्न न्यायालयों के समक्ष स्टाफ सदस्यों द्वारा दर्ज औद्योगिक विवाद / न्यायालय के मामलों की समीक्षा की जाती है और अदालती मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रयास किए जाते हैं । जहां भी संभव हो, मामलों को बातचीत के जरिए निपटाने का प्रयास किया जाता है ।

XXXII. आचरण एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण, बैंक ने 912 मामलों का निपटारा किया है जिसमें 536 सतर्कता और 376 गैर-सतर्कता मामले शामिल हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 726 नए आरोप पत्र जारी किए ।

31.03.2021 तक 303 मामलों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति के विभिन्न चरणों में है, जिनमें से 231 सतर्कता मामले हैं । अनुशासनात्मक कार्यवाही को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाता है ।

31.03.2020 को 107 मामलों की तुलना में 31.03.2021 तक 39 निलंबन मामले बकाया हैं । जहां सदस्य निलम्बित हैं वहां अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ।

कोविड संकट के बीच अनुशासनात्मक कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल मोड जैसे वीबेक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से जांच कार्यवाही की जा रही है ।

सी-डैक ने दो व्यापक हैंडबुक तैयार की हैं जिनमें से एक अनुशासनात्मक अधिकारियों के लिए है और दूसरी पूछताछ अधिकारियों / प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के लिए है। 195 जांच अधिकारियों / प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के लिए वीबेक्स के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया गया है जिससे जांच कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।

तीन बैठकों के माध्यम से अनुशासनात्मक प्राधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही को पूरा करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है ।

एक दिन के टर्नअराउंड समय के साथ कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है ।

XXXIII. सुरक्षा:

सुरक्षा उपायों, अनिवार्य और अनुशंसात्मकता, को हमारी सभी शाखाओं में सही ढंग से और सख्ती से लागू किया गया था, एटीएम और प्रशासनिक कार्यालयों की समय-समय पर स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए जिससे ग्राहकों और स्टाफ के लिए एक सुरक्षित कारोबारी माहौल तैयार हुआ । जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए निवारक उपायों और कर्मचारियों के बीच आग की रोकथाम और सुरक्षा जागरूकता पैदा करने पर जोर देना जारी रखा । बैंक ने सुरक्षा जागरूकता के बारे में स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाया है और सभी शाखाओं में निष्क्रिय इन्फ्रा रेड (पीआईआर) सेंसर और कंपन सेंसर को शामिल करते हुए 24x7x365 दिनों तक काम करने वाले सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सीसीटीवी और बर्गलर अलार्म की स्थापना सुनिश्चित की है और मामले के आधार पर शाखाएँ कमजोर एटीएम पर आउटसोर्स चौकीदार / सशस्त्र गार्ड की तैनाती की है । केंद्रीय कार्यालय में सुरक्षा विभाग ने पूरे भारत में क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा विधिवत सहायता और सहायता प्राप्त कैश वैन (ओं) के संचालन की निगरानी और विनियमन किया ।

XXXIV. राजभाषा:

बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार के राजभाषा नीति की कार्यान्वयन का सभी प्रयास किया गया है । इस वर्ष के दौरान 1224 प्रवीणता प्राप्त स्टाफ सदस्यों को सामान्य हिन्दी कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया । भारत सरकार के निर्देशानुसार, बैंक ने सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के कंप्यूटर को हिन्दी यूनिकोड फॉन्ट समर्थित बनाया । हिन्दी पत्रिका "वाणी के चार अंक प्रकाशित हुए और उसे डिजिटल रूप में भी प्रदर्शित किया गया । इस वर्ष के दौरान लेखमाला – IV और विशेष बुकलेट "साहित्य का सफरनामा" के नाम से भी प्रकाशित किया गया ।

नराकास द्वारा केंद्रीय कार्यालय सहित 20 क्षेत्रीय कार्यालयों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं । बैंक की तिमाही पत्रिका को बिजनेस कम्युनिकेटर्स इंडिया एसोसिएशन, मुंबई से भाषा प्रकाशन वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त हुआ । राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन विषय पर क्षेत्रीय कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया गया था । राजभाषा कार्यान्वयान के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं को राजभाषा शील्ड दिया गया ।

बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं केंद्रीय कार्यालय में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया । स्टाफ सदस्यों के लिए अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता दिनांक 09 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया । बैंक ने माह दिसंबर 2020 के दौरान अखिल भारतीय अंतर बैंक निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था । केंद्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन दिनांक 08 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया । इस अवसर पर, विभिन्न प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

सभी राजभाषा अधिकारियों के लिए दिनांक 30 जनवरी 2021 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें श्री नगेन्द्र कुमार, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, दिल्ली ने सभी राजभाषा अधिकारियों को ऑनलाइन रिपोर्टों की प्रस्तुति के लिए तकनीकी निर्देश प्रदान किए थे ।

Complaints pending as at the beginning of the year (01.04.2020)	Complaints received during the year 2020-21	Complaints disposed off during the year	Complaints pending as at the end of the year (31.03.2021)
2	2	4	0

Industrial Disputes/Court Cases filed by staff members before various Courts including those before Assistant Labour Commissioner are reviewed by the Bank at Apex level as per Ministry of Finance guidelines and efforts are taken to settle/get the Court cases disposed of expeditiously. Wherever possible efforts are made to conclude the cases through negotiated settlement.

XXXII. CONDUCT & DISCIPLINARY ACTION:

During the Financial Year 2020-21 due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases, Bank has disposed of 912 cases comprising of 536 Vigilance and 376 Non-Vigilance cases. During the year under review, the Bank issued 726 new charge sheets.

The disciplinary proceedings are in various stages of progress in respect of 303 cases as on 31.03.2021, out of which 231 are Vigilance cases. Efforts are made to complete the disciplinary proceedings within the stipulated time frame.

There are 39 Suspension cases outstanding as on 31.03.2021 compared to 107 cases as on 31.03.2020. Utmost priority is being given to complete the disciplinary proceedings where the members are under suspension.

Enquiry proceedings are being conducted through Digital modes like Webex, Video conferencing etc., to speed up the Disciplinary proceedings amidst Covid crisis.

CDAC has prepared two comprehensive Hand books of which one is for Disciplinary Authorities and the other is for Inquiring Authorities/Presenting

Officers. Training has been conducted through Webex for 195 Inquiring Authorities/Presenting Officers thus ensuring smooth conduct of enquiry proceedings.

Disciplinary Authorities have been sensitized through three meetings to complete the Disciplinary proceedings within the stipulated time.

Clearance process for staff has been made online with Turnaround time of one day.

XXXIII. SECURITY:

Security measures, mandatory and recommendatory, were correctly and strictly implemented in all our branches, ATMs and administrative offices were reviewed periodically keeping in view the local law and order situation and necessary steps were taken to fortify security thereby creating a safe business environment for customers and staff. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire safety arrangements and inculcation of fire prevention and security consciousness among staff to ensure safety to life and property. Bank has sensitized staff members regarding security awareness and ensured installation of security electronics viz., CCTV and Burglar Alarm functioning 24x7x365 days incorporating Passive Infra Red (PIR) sensors and vibration sensors in all branches and deployment of outsourced Watchmen/ Armed Guards at vulnerable ATMs and branches on case to case basis. The Security Department at Central Office monitored and regulated the Cash Van(s) operation, duly facilitated and aided by the team of Regional Security Officers pan India.

XXXIV. Official Language

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2020-21. 1224 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year. As per the directives of Govt. of India Bank has enabled Hindi Unicode font in all Branches and administrative Offices. Four issues of quarterly Hindi Magazine “VANI" in print as well as in digital form have been published. Lekhmala – VI and a special booklet named “Sahitya ka Safarnama” were also published during the year.

20 Regional Offices / Branches including Central Office received awards from respective TOLICs. Bank's quarterly Hindi magazine has received bronze award from Association of Business communicators India, Mumbai in language publication category. Annual inspection of Regional Offices on O L implementation was conducted by Official Language Department, Central Office through online mode. Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches doing good work in the area of Official Language Implementation.

Bank has conducted Hindi competitions in all Regional Offices and Central Office on the occasion of Hindi Day Celebrations. An All India Hindi Essay Writing competition was held on 09th September 2020 for the staff members. Bank has also conducted an All-India Inter-Bank Hindi Essay Writing competition during the month of December 2020. World Hindi Day was observed in Central Office and Regional Offices on 08th January 2021. On this occasion various Hindi competitions, seminars and workshops were held.

A seminar was held for all official language officers on 30th January 2021 in which Mr Nagendra Kumar, Senior Technical Officer from Department of Official Language, MOH, Delhi provided technical guidance all OL officers with regard to online submission of reports.

20 फरवरी, 2021 को केंद्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया । इस अवसर पर, केंद्रीय कार्यालय के स्टाफ सदस्यों के लिए तमिल – हिन्दी शब्दावली ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था । अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं / कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

XXXV. हमारे बैंक में आईएनडीएएस के कार्यान्वयन की स्थिति:

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से आईएनडीएएस (भारतीय लेखा मानक) कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की है । आरबीआई ने अपनी अधिसूचना आरबीआई/2018-2019/146 डीबीआर.बीपी.बीसी. सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के तहत आईएनडीएएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए स्थगित किया है ।

फरवरी 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक संचालन समिति की स्थापना की थी जिसमें चार (4) महा प्रबंधकों से मिलाकर एक कार्य समूह बनाया गया था जो आईएनडीएएस कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करते हैं । बैंक ने आईएनडीएएस के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यात्मक विभागों से लिए दस (10) सदस्यों और ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट लॉस) से सात (7) सदस्यों के टीम की एक कोर टीम भी बनाई गई थी ।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुरूप, बैंक ने 31 दिसंबर 2020 तक प्रो-फॉर्मा में वित्तीय विवरण दाखिल किया है । इसके अलावा, आईएनडीएएस के कार्यान्वयन की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट पहले ही बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और साथ ही बैंक के बोर्ड को प्रस्तुत की जा चुकी है । बैंक ने विभिन्न क्षेत्रीय और अंचल कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों को अखिल भारतीय प्रशिक्षण प्रदान किया है । साथ ही बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय और अंचल कार्यालयों से जुड़े कार्यपालकों द्वारा आईएनडीएएस जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया ।

बैंक ने आईएनडीएएस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा प्रणाली में कमियों की पहचान की है जिसमें स्टाफ अग्रिम, स्टाफ जमाएँ, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की गणना आदि का उचित मूल्यांकन शामिल है । बैंक ने विभिन्न विभागों जैसे ट्रेजरी, क्रेडिट वर्टिकल, जोखिम प्रबंधन विभाग आदि के कार्यप्रवाह को आईएनडीएएस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतराल को पाटने की दिशा में कदम उठाए हैं।

वस्तु एवं सेवा कर

मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने, जीएसटी के भुगतान से संबंधित कार्य केंद्रीकृत कर दिया गया है और यह कर अनुपालन एवं भुगतान कक्ष, केंद्रीय कार्यालय द्वारा किया जा रहा है । बैंक ने जीएसटी के तहत सभी रिटर्न को विधिवत रूप से दाखिल किया है ।

XXXVI. पीएसबी 'यों – सुधारात्मक कार्यसूची – ईज़ - एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस:

सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए और स्वतंत्र रूप से किए गए सुधारों के लिए पीएसबी सुधार एजेंडा को जनवरी 2018 में एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (ईज़) के रूप में लॉन्च किया गया था । ईज कार्यक्रम ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रमुख क्षेत्रों में उद्देश्यपूर्ण और बेंचमार्क प्रगति को सक्षम बनाया है। आईबीए ने ईज़ सुधार एजेंडा के तहत पीएसबी की प्रगति की निगरानी के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की सेवाएं लीं ।

ईज 3.0 - वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सुधार एजेंडा 26 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के बीच सभी पीएसबी के पूर्णकालिक निदेशकों की उपस्थिति में माननीय वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था । ईज 3.0 – वि. वर्ष 2020-21 के लिए सुधार एजेंडा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सभी ग्राहक अनुभवों में बैंकिंग की आसानी को बढ़ाने का प्रयास करता है ।

ईज 3.0 एजेंडा में फिनटेक, वैकल्पिक डेटा और एनालिटिक्स, डोरस्टेप लोन सुविधा के लिए डायल-ए-लोन, एंड-टू-एंड डिजिटल लेंडिंग के लिए क्रेडिट@क्लिक, बार-बार आने वाले स्थानों पर ऑन-द-स्पॉट ईज बैंकिंग आउटलेट, पाम बैंकिंग, डिजिटल शाखा अनुभव, एनालिटिक्स-आधारित इंस्टेंट क्रेडिट ऑफर, कैश फ्लो-आधारित क्रेडिट और तकनीक-सक्षम कृषि ऋण। हमारे बैंक ने ईज 3.0 के तहत पहल की है और सक्रिय रूप से भाग लिया है ।

XXXVII. प्रायोजना व आर्थिक डेस्क:

योजना कार्य क्षेत्रवार मासिक लाभ और हानि आंदोलन की निगरानी, कॉर्पोरेट स्तर के बजट, अनंतिम दैनिक एमआईएस को शीर्ष प्रबंधन और विभिन्न अध्ययन विश्लेषण की रिपोर्ट करने के लिए उपयोगी परिणाम प्राप्त करना जारी रखता है । आर्थिक डेस्क नियमित अंतराल पर सरकार/आरबीआइ की नीतियों का विश्लेषण करने के अलावा, अर्थव्यवस्था में दिन-प्रतिदिन के विकास के साथ शीर्ष प्रबंधन का समर्थन करता है ।

XXXVIII. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व:

- केंद्र और राज्य सरकारों की कोविड देखभाल गतिविधियों के लिए अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान पीएम केयर्स और सीएम राहत कोष में योगदान के लिए बैंक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार के माध्यम से जोर दिया गया ।
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सभी ग्राहक शिकायतों पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया गया और 48 घंटों के भीतर उनका समाधान किया गया ।
- वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के निर्देशानुसार, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के लिए जन आंदोलन अभियान के तहत ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस, पोस्टर आदि पर साप्ताहिक रिपोर्ट डीएफएस को भेजी गई ।
- डिजिटल भुगतान मोड पर प्रत्येक शाखा द्वारा कम से कम 100 अतिरिक्त ग्राहकों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से 'डिजिटल अपने' अभियान पर व्यापक प्रचार की व्यवस्था की गई । वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा इस अभियान की पहल की गई ।
- भारतीय बैंकिंग संघ द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग उपलब्ध कराए गए क्रिएटिव्स हर सप्ताह बैंक के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते थे ।

On 20th February 2021 International Mother Tongue Day was observed in Central Office and Regional Offices. On this occasion an online competition on Tamil-Hindi glossary was conducted for the staff members of Central office. Regional offices also conducted various competitions / programmes on the occasion of International Mother tongue Day.

XXXV. Status of Implementation of IndAS in our Bank:

Bank has commenced the process of IndAS (Indian Accounting Standards) implementation from FY 2016-17. RBI vide their notification RBI/2018-2019/146 DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019 has deferred the implementation of Ind AS till further notice.

In line with the guidance issued by the Reserve Bank of India in February 2016, the Bank had set up a Steering Committee headed by the Executive Director along with a Working Group consisting of four (4) General Managers which monitors the progress of IndAS implementation. Bank had also formed a Core team of ten (10) members and ECL (Expected Credit Loss) team of seven (7) members drawn from various functional departments for taking forward the implementation of Ind AS.

In line with direction of Reserve Bank of India, Bank has filed the Pro-forma financial statements up to 31st Dec 2020. Further, the status report on progress of implementation of Ind AS has already been placed to the Audit Committee of the Board and also to the Board of the Bank. The Bank has imparted pan India training to officers attached to various Regional and Zonal Offices. Also IndAS awareness program was undertaken by the Executives attached to the various Regional and Zonal Offices of the Bank.

Bank has identified the gaps in the existing system for meeting IndAS requirement which includes fair valuation of staff advances, staff deposits, computation of Effective Interest Rate (EIR) etc. Bank has initiated steps towards streamlining the workflow of various departments viz., Treasury, Credit verticals, Risk Management Dept etc by bridging the gaps for meeting IndAS requirements.

Goods and Service Tax

Work related to filing of monthly GST Returns, payment of GST has been centralized and is being made by Tax Compliance and Payment Cell at Central office. Bank has duly filed all the Returns under GST up to date.

XXXVI. PSBs – Reform Agenda – EASE – Enhanced Access & Service Excellence:

The PSBs Reforms Agenda was launched as Enhanced Access and Service Excellence (EASE) in January 2018 for publicly reported and independently measured reforms. The EASE program has enabled objective and benchmarked progress on key areas in Public Sector Banks. IBA engaged the services of Boston Consulting Group (BCG) to monitor the progress of PSBs under EASE reform agenda.

EASE 3.0 - The Reforms Agenda for FY2020-21 was launched by Hon'ble Finance Minister in the presence of Whole Time Directors of all PSBs among other dignitaries on February 26, 2020 at New Delhi. EASE 3.0 - The Reforms Agenda for FY2020-21 seeks to enhance ease of banking in all customer experiences using technology.

EASE 3.0 agenda includes FinTech, alternate data and analytics, Dial-a-loan for doorstep loan facilitation, Credit@click for end-to-end digitalised lending, on-the-spot EASE Banking Outlets at well-frequented places, palm banking, digitalised branch experience, analytics-based instant credit offers, cash flow-based credit and tech-enabled agriculture lending. Our Bank has taken initiative and actively participated under EASE 3.0.

XXXVII. Planning & Economic Desk:

The Planning function continues to derive useful results towards monitoring region wise monthly Profit & Loss movement, Corporate level Budgeting, reporting provisional Daily MIS to Top Management & various study analysis. The economic desk supports Top Management with day-to-day developments in the economy, apart from analyzing the Government/ RBI policies at regular intervals.

XXXVIII. Corporate Social Responsibility:

- Thrust was given through publicity on Social Media platform of the Bank for contribution towards PM Cares & CM Relief Funds during April 2020 – June 2020 for COVID care activities of the Central and State Governments.
- During FY 2020-21, all the customer complaints received through Social Media were meticulously attended and resolved within 48 hours.
- As directed by Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, weekly reports were furnished to DFS on SMS sent to customers, posters displayed etc., under the Campaign on Jan Andolan for COVID19 Appropriate Behaviour which was launched by Prime Minister.
- Wide publicity was arranged on 'Digital Apnayen' Campaign through Social Media to onboard at least 100 additional customers by every branch on digital payment mode. The campaign was initiated by Department of Financial Services.
- Creatives supplied by Indian Banks' Association on Door Step Banking was posted in the Social Media of the Bank every week.

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, समय-समय पर जमा और अग्रिम के तहत बैंक द्वारा पेश किए गए नए उत्पादों पर प्रेस विज्ञप्तियां प्रकाशित की गईं । उधार की ब्याज दरों में बदलाव के लिए भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी।

XXXIX. संसदीय / राज्यसभा समिति:

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने निम्नलिखित संसदीय (लोकसभा और राज्य सभा) समितियों के दौरे की मेजबानी की :

  क) 17 और 18 जनवरी, 2021 को महाबलीपुरम में ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति का अध्ययन दौरा ।

  ख) 19 और 20 जनवरी, 2021 को चेन्नई में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का अध्ययन दौरा ।

XXXX. आउटलुक 2021-22

महामारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई है । दूसरी लहर के बीच, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, अतिरिक्त टीकों का रोल आउट और नए सामान्य के लिए लोगों का अपना अनुकूलन महामारी से लड़ने के लिए एक अतिरिक्त बढ़त देता है । चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पैमाना और प्रभावशीलता और सेंट्रल बैंक की मौद्रिक और राजकोषीय नीति क्रियाओं की प्रभावकारिता महत्वपूर्ण कारक हैं जो आर्थिक सुधार की गति को प्रभावित करेंगे ।

आरबीआई ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है और कहा है कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5.1 प्रतिशत रहने की संभावना है ।

आरबीआई ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है और कहा है कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5.1 प्रतिशत रहने की संभावना है ।

- During the FY 2020-21, Press Releases were published on New Products introduced by the Bank under Deposits and Advances from time to time. Press Release was also made for variation in interest rates of lending.

XXXIX. Parliamentary / Rajyasabha Committee:

- The bank hosted the visit of the following Parliamentary (Lok Sabha & Rajya Sabha) Committees during the FY 2020–21.

  a) Study Visit of Standing Committee on Rural Development on 17th & 18th January, 2021 at Mahabalipuram.

  b) Study Visit of Standing Committee on Urban Development on 19th & 20th January, 2021 at Chennai.

XXXX. Outlook 2021-22:

The pandemic continues to pose major challenges for the economy. Amidst the second wave, improvement in health infrastructures, roll out of additional vaccines and peoples' own adaptation to the new normal gives an extra edge to fight the pandemic. The scale and effectiveness of implementation of ongoing vaccination program and efficacy of monetary and fiscal policy actions of Central Bank are the important factors which will be impacting the pace of economic recovery.

The RBI has projected Gross Domestic Product growth at 9.5 percent and stated that Consumer Price Inflation is likely to remain at 5.1 percent for FY 2021-22.

Bank will continue improving its lending in Retail, Agri and MSME segment and explore growth opportunities through Digital innovations and satisfactory customer engagement.

वर्ष 2020-21हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

ए. अ. अनिवार्य आवश्यकताएँ

1. गवर्नेन्स कोड पर बैंक का दर्शन

बैंक अपने दैनिक क्रियाकलापों का संचालन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुपालन में करता है । बैंक हमेशा ही पारदर्शिता के पक्ष में रहा है तथा प्राधिकारों के विविध स्तरों पर कार्यनिष्पादन हेतु उच्च मानक,निष्पक्षता व ज़वाबदेही तय की है। बैंक सदैव अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार, कर्मचारी गण, ऋण दाताओं तथा व्यापक तौर पर समाज के हितों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा । देश की वित्तीय और आर्थिक प्रणाली में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में,बैंक अपने नैतिक मूल्यों, उद्देश्यों, रणनीतियों और नियंत्रण पर्यावरण को निर्धारित करने में प्रभावी कॉर्पोरेट शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं को महत्व देता है ।

2. निदेशक मण्डल

ए. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्य भार निदेशक मंडल पर है । प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक गण निदेश मंडल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं । निदेशक मंडल में 31.03.2021 तक 06 निदेशक हैं, जिनमें तीन पूर्ण कालिक निदेशक हैं व 2 गैर कार्यपालक निदेश हैं एवं एक निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व द्वारा चुने गए हैं । क्योंकि गैर कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो गया था एमडी व सीईओ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करते हैं ।

बी. i वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्रम सं.	निदेशकों का नाम (श्री/ श्रीमती)	पद	निर्देशन की प्रकृति	नियुक्ति की तिथि	वर्ष के दौरान सेवा निवृत/ कार्यकाल की समाप्ति
1	श्री कर्नम शेखर	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	15.04.2019	30.06.2021
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	27.07.2020	
3	अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	09.10.2017	
4	सुश्री एस श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	10.03.2021	
5	सुश्री ऐनी जार्ज मैथ्यू	सरकारी नामिती निदेशक	आधिकारिक- गैर कार्यपालक	22.07.2016	
6	श्री दीपक कुमार	भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	आधिकारिक- गैर कार्यपालक	18.09.2019	
7	श्री संजय रुंगटा	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2017	07.12.2020
8	नवीन प्रकाश सिन्हा	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2017 29.01.2021	07.12.2020#

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा का प्रथम कार्यकाल दिनांक 07.12.2020 को समाप्त हुआ । केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशक के चुनाव के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड की जांच के पश्चात, मण्डल ने शेयरधारक निदेशक के रूप में पात्र नामांकनों में से श्री नवीन प्रकाश सिन्हा की उम्मीदवारी को तीन साल की अवधि के लिए मंजूरी दी ।

डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना एफ.एन. 4/5/2017-बीओ-1 दिनांक 10.10.2020 के अनुसार केंद्र सरकार बैंकिंग कंपनियों की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान (अर्जन और अंतरण) उपक्रमों का) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित के माध्यम से एतद्द्वारा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की कार्यावधि जो 8.10.2020 को समाप्त हो रही है का बैंक अपनी वर्तमान अधिसूचित शर्तों से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो विस्तार करती है ।

31.03.2021 को बैंक के निदेशकों का प्रोफाइल अनुबंध के रूप में संलग्न है ।

यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं ।

मण्डल ने निदेशकों और सभी महाप्रबंधकों के लिए एक आचार संहिता को अपनाया है और आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि हेतु एमडी और सीईओ से एक घोषणा प्राप्त की गई है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

श्री अजीत कुमार, सहायक महा प्रबन्धक मण्डल के सचिव हैं ।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2020-21

A. Mandatory Requirements

1. Bank's Philosophy on Corporate Governance

The Bank is conducting its day to day affairs in accordance with the principles of Corporate Governance. The Bank has always stood for transparency, accountability and responsiveness within the framework of regulatory, market, stakeholders and internal governance. In the context of the pivotal role that banks play in the financial and economic system of the country, the Bank values the critical importance of effective corporate governance in determining its ethical values, objectives, strategies and control environment.

2. Board of Directors:

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2021 is Six directors comprising three whole time Directors and 2 non-executive Directors, and one directors elected from amongst the shareholders to duly represent their interest. Since the term of the Non-Executive Chairman ended in February 2020, the MD & CEO presides as Chairman of the Board.

b. i Particulars of Directors who held office during the financial year 2020-2021:

Sl No.	Name of the Director (Shri/Smt)	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointments	Retirement / Demission of office during the year
01	Shri Karnam Sekar	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time	15.04.2019	30.06.2020
02	Shri Partha Pratim Sengupta	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time	24.07.2020	
03	Shri Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	Executive / Whole Time	09.10.2017	
04	Smt. S Srimathy	Executive Director	Executive / Whole Time	10.03.2021	
05	Smt. Annie George Mathew	Government Nominee Director	Official – Non Executive	22.07.2016	
06	Shri Deepak Kumar	RBI Nominee Director	Official – Non Executive	18.09.2019	
07	Shri Sanjay Rungta	Shareholder Director	Non-Executive	08.12.2017	07.12.2020
08	Shri Navin Prakash Sinha	Shareholder Director	Non-Executive	08.12.2017 29.01.2021	07.12.2020

The first Term of Shri Navin Prakash Sinha ended on 07.12.2020. After Examination of 'Fit and Proper' Criteria for Election of Director from amongst Shareholders other than Central Government, the Board approved the candidature of Shri Navin Prakash Sinha from among the eligible nominations as Shareholder Director for a period of three years.

As per notification F.N. 4/5/2017-BO-1 dated 10.10.2020 given by DFS, Ministry of Finance, Government of India , proviso to clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, Central Government hereby extends the term of office of Shri Ajay Kumar Srivastava, Executive Director, Indian Overseas Bank for a period of two years beyond his current notified terms which expires on 8.10.2020, or until further orders, whichever is earlier

Profile of Directors of the Bank as on 31.03.2021 is enclosed as an Annexure.

It is declared that none of the directors are related to each other.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers and a declaration has been obtained from the MD & CEO confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report.

Shri Ajit Kumar, Assistant General Manager, is the present Secretary of the Board.

बी.ii निदेशक मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता का विवरण

कोर व्यवसाय / विशेषज्ञता / दक्षताओं को बैंक व्यवसाय और क्षेत्रों के संदर्भ में आवश्यक रूप से पहचाना जाता है ताकि वे प्रभावी रूप से कार्य कर सकें	मण्डल के पास उपलब्ध मुख्य कौशल / विशेषज्ञता / योग्यताएं
बैंकिंग	हाँ
वित्त	हाँ
अर्थशास्त्र	हाँ
मानव संसाधन प्रबंधन	हाँ
सूचना प्रौद्योगिकी	हाँ
ट्रेजरी प्रबंधन	हाँ
विपणन	हाँ
जोखिम प्रबंधन	नहीं

सी. मण्डल की बैठकें

बैठक की तारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रहते सूचित की जाती है । निदेशकों को एजेंडा के सभी अतिरिक्त सूचनाओं की जानकारी दी जाती है । आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने हेतु बैंक के कार्यपालकों को भी मण्डल बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने मण्डल व समिति की बैठकों निदेशक मंडल की तिमाही में कम-से-कम एक बैठक के साथ, वर्ष में न्यूनतम छ: बार आयोजित किए जाने की तुलना में 10 बैठकें हुई ।

बैंक ने 2012-13 में मण्डल पोर्टल, एक वेब आधारित ऑनलाइन वर्क स्पेस, के जरिए मण्डल के सदस्यों को सूचनाओं का समय पर और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए मण्डल व समिति की बैठकों के आयोजन के लिए ई गवर्नेंस पहल शुरू की । तत्पश्चात, वेब आधारित पोर्टल को ई-मीटिंग पोर्टल पर अंतरित कर दिया गया है जोकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मोबीट्रायल का उत्पाद है । इस पोर्टल के द्वारा निदेशकों को आई पैड पर एजेंडा पेपर की गोपनीय पहुँच प्रदान करता है । इस पहल ने बैठक के आयोजन के तरीके को परिवर्तित किया है जिसके द्वारा कीमत, समय और संसाधनों में सारभूत बचत हुई है ।

- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित तारीखों एवं स्थानों पर दस बार मण्डल की बैठकों का आयोजन किया गया :

क्रम संख्या	बैठक की तिथि	आयोजन स्थल
01	21.05.2020	चेन्नै
02	25.06.2020	चेन्नै
03	20.08.2020	चेन्नै
04	17.09.2020	चेन्नै
05	06.11.2020	चेन्नै
06	02.12.2020	चेन्नै
07	04.01.2021	चेन्नै
08	30.01.2021	चेन्नै
09	09.02.2021	चेन्नै
10	23.03.2021	चेन्नै

- सभी बैठकें समुचित कोरम व बिना किसी स्थगन के आयोजित की गयी ।
- बोर्ड बैठकों आयोजित पिछली ए.जी.एम. में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है :

क्रम सं.	श्री/सुश्री निदेशक का नाम	उपस्थित/ आयोजित मण्डल बैठकों की संख्या	24.08.2020 को संपन्न ए.जी.एम. में उपस्थिति
01	श्री कर्नम शेखर	02/02	--
02	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	08/08 #	उपस्थित
03	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	10/10	उपस्थित
04	सुश्री एस श्रीमती	01/01	--
05	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	10/10*	--
06	श्री दीपक कुमार	10/10**	उपस्थित
07	श्री संजय रूंगटा	06/06***	उपस्थित
08	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	06/09****	--

श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण 20.08.2020 और 17.09.2020 को आयोजित बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई से भाग लिया।

* श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू ने COVID-19 महामारी के चलते पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लिया ।

** श्री दीपक कुमार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लिया ।

*** श्री संजय रूंगटा ने 02.12.2020 जिसमें उन्होंने वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, को छोड़कर अन्य सभी बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया ।

**** श्री नवीन प्रकाश सिन्हा वित्त वर्ष 2020-21 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बैठकों में शामिल हुए । श्री नवीन प्रकाश सिन्हा को दिनांक 17.09.2020, 09.02.2021, 23.03.2021 को अनुपस्थिति अवकाश प्रदान किया गया ।

31.03.2021 को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

- श्री नवीन प्रकाश सिन्हा -100 शेयर

किसी भी अन्य गैर - कार्यपालक निदेशक आईओबी के शेयर के धारक नहीं है।

b. ii Particulars of Skills/ Expertise/ Competence of Board of Directors

Core Skill/ Expertise/ Competencies identified as required in the context of the Bank business and sectors for it to function effectively	Core Skill/ Expertise / Competencies available with the board
Banking	Yes
Finance	Yes
Economics	Yes
Human Resource Management	Yes
Information Technology	Yes
Treasury Management	Yes
Marketing	Yes
Risk Management	No

c. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 10 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

During the year 2012-13, the Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace. Subsequently, web based portal is shifted to e-meeting portal which is a product of MobiTrail in FY 2019-20. The portal offers Directors confidential e-access on iPads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time and resources.

- During the financial year 2020-21, the Board meetings were held 10 times on the following dates and places:

SL NO.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
01	21.05.2020	Chennai
02	25.06.2020	Chennai
03	20.08.2020	Chennai
04	17.09.2020	Chennai
05	06.11.2020	Chennai
06	02.12.2020	Chennai
07	04.01.2021	Chennai
08	30.01.2021	Chennai
09	09.02.2021	Chennai
10	23.03.2021	Chennai

- All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.
- Attendance of the directors at the Board meetings and last AGM held on are furnished below:

Sl. No.	Name of the Director	Number of Board Meetings attended/held	Attendance in the Last AGM 24.08.2020
01	Shri Karnam Sekar	02/02	--
02	Shri Partha Pratim Sengupta	08/08 #	Present
03	Shri Ajay Kumar Srivastava	10/10	Present
04	Smt. S Srimathy	01/01	--
05	Smt Annie George Mathew	10/10*	--
06	Shri Deepak Kumar	10/10**	Present
07	Shri Sanjay Rungta	06/06***	Present
08	Shri Navin Prakash Sinha	06/09****	--

Shri Partha Pratim Sengupta attended the meeting through video conferencing on 20.08.2020 & 17.09.2020 from Mumbai due to travel restrictions due to COVID-19 Pandemic.

* Smt Annie George Mathew attended the meetings through video conferencing throughout the FY 2020-21 in view of COVID-19 pandemic.

** Shri Deepak Kumar attended the meetings through video conferencing throughout the FY 2020-21 in view of COVID-19 pandemic.

*** Shri Sanjay Rungta attended the meetings through video conferencing except on 02.12.2020 in which he attended in person during the FY 2020-2021.

**** Shri Navin Prakash Sinha attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21. Shri Navin Prakash Sinha was granted Leave of Absence on 17.09.2020, 09.02.2021, 23.03.2021.

Details of Shares held by Non-Executive Directors in terms of Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as on 31.03.2021

1. Shri Navin Prakash Sinha – 100

No other Non-Executive Directors hold any IOB shares.

डी.अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य/ अध्यक्ष हैं ।

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड़ कर) जिनमें वे सदस्य / मण्डल के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोड़कर)	समितियों की संख्या (आइओबी को छोड़कर)
श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	1	लागू नही
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	1	लागू नही
श्री दीपक कुमार	3	लागू नही

ई. समितियों में सदस्यता

निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, एमडी और सीईओ मण्डल की लेखा परीक्षा समिति, अपील पर विचार के लिए मण्डल समिति, हितधारक संबंध समिति और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मण्डल की समिति को छोड़कर मण्डल की अन्य विभिन्न समितियों की अध्यक्षता करते हैं । जैसा कि सरकारी दिशानिर्देशों द्वारा अनिवार्य है ईडी (निरीक्षण और लेखा परीक्षा के प्रभारी) और आरबीआई नामित निदेशक को छोड़कर मण्डल की लेखा परीक्षा समिति का कोई भी सदस्य मण्डल की प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं है । (सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के खंड 26 के संदर्भ में सीमा की गणना के लिए, लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता/सदस्यता और केवल हितधारकों की संबंध समिति पर विचार किया गया है) ।

3. मण्डल की समितियां

निर्णय प्रक्रिया को सहज़ बनाने के लिए मण्डल ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं । हर बैठ कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदन किए गये कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है ।

1. मण्डल की प्रबंधन समिति
2. मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति
3. मण्डल की लेखापरीक्षा समिति
4. मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति
5. मण्डल की ग्राहक सेवा समिति
6. मण्डल की अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जांच की समीक्षा हेतु समिति
7. सूचना प्रोद्योगिकी रणनीति समिति
8. मानव संसाधन पर संचालन समिति
9. एनपीए की वसूली की निगरानी हेतु मण्डल स्तरीय समिति
10. अपीलों के संज्ञान हेतु मण्डल की समिति

मण्डल में मौजूद रिक्तियों को देखते हुए 31.03.2021 को निम्नलिखित समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है:

1. मण्डल की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
3. बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए मण्डल स्तरीय समिति (सीएमएलवीएफ)
4. इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआईईएससी)
5. विलफुल डिफॉल्टरों और असहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीएनसीबी)
6. प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मण्डल समिति (बीसीपीई)

डीएफएस असाधारण राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25.01.2021 के अनुसार सीधे उपरोक्त सभी 6 समितियों से संबंधित सभी एजेंडा मण्डल में रखे जाते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 में निम्नलिखित संशोधन नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

"जहां एक राष्ट्रीयकृत बैंक को किसी भी कार्य या चीज को करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए प्रतिभूति धारकों की किसी भी समिति द्वारा किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में सिफारिशों या निर्धारण, या शिकायतों के समाधान के लिए बैंक के मण्डल की आवश्यकता है, और यदि मण्डल संतुष्ट है कि ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति, अस्तित्व या उसके सदस्य के अलग होने के कारण ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम पूरा नहीं किया जा सकता है, तो मण्डल वह कार्य या कार्य कर सकता है ।"

3.1. मण्डल की प्रबंधन समिति

एमसीबी का गठन राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों क्रे अनुसार हुआ है । एमसीबी के कार्यकलाप व कर्तव्य निम्नलिखित रूप से वर्णित हैं :-

क. मण्डल द्वारा निर्धारित की गयी सीमा के अनुसार ऋण प्रस्तावों (निधि और गैर निधि) की मंजूरी

ख. ऋण एवं ब्याज समझौता/अपलिखित किये जाने वाले प्रस्तावों- मण्डल द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार

ग. पूँजी व राजस्व खर्चों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

घ. अधिग्रहण और परिसर के चुनाव के मानदंडों से विचलन सहित अधिग्रहण और परिसर के चुनाव से संबंधित प्रस्ताव,

ङ. वाद, अपील की फाइलिंग , उनका बचाव , इत्यादि

च. सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, अंडर राइटिंग सहित कंपनियों के शेयर और डिबेंचरों में निवेश

छ. दान

ज. मण्डल द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित अन्य कोई मामला

मद संख्या (क) से (छ) एमडी और सीईओ / क्रेडिट अनुमोदन समिति की विवेकाधीन शिक्तयों से परे प्रस्तावों के संबंध में लागू हो सकते हैं।

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं । यह समिति वर्ष में 14 बार मिली । सभी बैठकें उचित कोरम के साथ बिना किसी स्थगन के आयोजित की गयी ।

d. Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member/ Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri Partha Pratim Sengupta	1	NA
Shri Ajay Kumar Srivastava	1	NA
Shri Deepak Kumar	3	NA

e. Membership in Committees:

Due to non-availability of directors, MD & CEO chairs the board and various other committees except the Audit Committee of the Board, Board Committee for Consideration of Appeals, Stakeholder Relationship Committee and Board Committee for Performance evaluation. As mandated by Government Guidelines, none of the member of Management Committee of the board is a member of the Audit Committee of the board except the ED(In charge of Inspection and Audit) and RBI Nominee Director, which is as per Government guidelines. (For reckoning the limit in terms of clause 26 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the chairmanship/membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship Committee alone have been considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for information.

1. Management Committee of the Board
2. Credit Approval Committee
3. Audit Committee of the Board
4 Risk Management Committee of the Board
5. Customer Service Committee of the Board
6. Committee for Review of Disciplinary Cases & Departmental Enquiries
7. Information Technology Strategy Committee
8. Board Level Steering Committee on Human Resources
9. Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA
10. Committee of Board for Consideration of Appeals

The Following Committee is not reconstituted as on 31.03.2021 in view of vacancy exist in the Board

1. Stakeholder Relationship Committee of the Board (SRC)
2. Nomination and Remuneration Committee(NRC)
3. Board Level Committee for Monitoring Large Value Frauds (CMLVF)
4. Committee of Directors for Issue of Equity Share Capital(CDIESC)
5. Review Committee on Wilful Defaulters and Non Co-Operative Borrowers (RCWDNCB)
6. Board Committee for Performance Evaluation(BCPE)

All the agendas pertains to all the above mentioned 6 Committees is placed to Board directly as per DFS Extraordinary Gazette Notification dated 25.01.2021, the following amendment is made in the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 as given below:

"Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing."

3.1 MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded) as per quantum fixed by the Board
b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals – as per quantum fixed by the Board.
c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure
d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.
e. Filing of suits / appeals, defending them etc.
f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.
g. Donations
h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of MD & CEO/ powers of Credit Approval Committee, as may be applicable.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 14 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री कर्नम शेखर	समिति के अध्यक्ष	01.07.2019	30.06.2020	02/02
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	समिति के अध्यक्ष	24.07.2020		12/12#
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	09.10.2017		14/14
4	सुश्री एस श्रीमती	सदस्य	10.03.2021		02/02
5	श्री दीपक कुमार	सदस्य	19.09.2019		14/14*
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	सदस्य	30.01.2021		05/05**
7	श्री संजय रुंगटा	सदस्य	04.01.2019 04.07.2019 04.01.2020	03.07.2019 03.01.2020 03.07.2020	09/09***

कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के चलते श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने 05.08.2020, 31.08.2020 और 18.09.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

*श्री दीपक कुमार वित्त वर्ष 2020-21 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बैठकों में शामिल हुए

**श्री नवीन प्रकाश सिन्हा वित्त वर्ष 2020-21 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बैठकों में शामिल हुए

*** श्री संजय रूंगटा ने 02.12.2020, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया को छोड़कर, वित्त वर्ष 2020-21 में सभी बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया ।

3.2. मण्डल की ऋण अनुमोदन सामिति

ऋण अनुमोदन समिति का गठन 25.02.2012 को निदेशक मंडल द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन व विविध प्रावधानों) योजना 1970 में दिनांक-05.12.2011केअधिसूचना सं. एस.0.2736(ई) द्वारा हुए संशोधनों के अनुरूप हुआ है। समिति को क्रेडिट प्रस्तावों को मंजूरी देने और ऋण समझौता / राइट ऑफ करने के लिए विशिष्ट वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है । इसके पश्चात सीएसी के संबंध में विभिन्न निर्देश प्राप्त हुए तथा उसी आधार पर 25.06.2020 को मण्डल द्वारा समिति का पुनर्गठन किया गया था ।

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी । 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति 16 बार मिली । सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं ।

3.3. मण्डल की लेखा परीक्षा समिति

मण्डल की लेखा परीक्षा समिति (ए.सी.बी) भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है और वर्तमान में समिति में पांच सदस्य हैं आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा के प्रभारी कार्य पालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक व एक गैर आधिकारिक व एक शेयर धारक निदेशक । भारतीय रिज़र्व बैंक अपने दिनांक 24 सितंबर 2015 के पत्र के द्वारा यह सूचित किया है कि आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक ए सी बी के सदस्य होंगे जबकि अन्य कार्यपालक निदेशक बैठक में आमंत्रित होंगें ।

भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक10.06.2014 के द्वारा सूचित किया है कि निदेशकों की नियुक्ति बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम1970 की धारा 9(3) (जी) व (एच) के अंतर्गत की गयी है , जो निदेशक प्रबंधन समिति में शामिल हैं उन्हें लेखा परीक्षा समिति में शामिल नहीं किया जाएगा । बैंक द्वारा इसका पालन किया जा रहा है ।

एसीबी के प्रतिनिधि कार्य और कर्तव्य निम्न रूप से वर्णित हैं:-

⇒ बैंक में कुल लेखा परीक्षा कार्य के संचालन के साथ-साथ दिशा प्रदान करना । कुल लेखापरीक्षा कार्य बैंक के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण के प्रबंधन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के वैधानिक / बाहरी लेखा परीक्षा के साथ अनुवर्तन और आरबीआई के निरीक्षण शामिल हैं ।

⇒ बैंक के आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा की समीक्षा- अनुवर्तन के अनुसार प्रणाली, उसकी गुणवत्ता व प्रभावशीलता तथा साथ ही विशिष्ट व अति वृहद शाखा और असंतुष्ट रेटिंग प्राप्त सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट

⇒ कार्यात्मक क्षेत्र के सभी अनुपालन अधिकारियों से अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समीक्षा करना ।

⇒ वैधानिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा और अनुवर्तन और वार्षिक/ त्रैमासिक वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों से बात करना ।

⇒ भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गये मुद्दों/मामलों की समीक्षा व अनुवर्तन करना

यह समिति मुख्य रूप से निम्न का अनुवर्तन करती है :

⇒ अंतर बैंक समायोजन खाता

⇒ अंतर बैंक खातों व नोस्ट्रो खातों में असंगत प्रविष्टियाँ जो लंबें समय से बकाया हो

⇒ विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान में बकाया राशि

⇒ धोखाधड़ी व हॉउस कीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्र

The Members who held office during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021 and the details of number of meetings attended during their tenure by each Committee member are as under:

Sl No	Name of the Director	Position	Tenure of membership		Number of meetings Attended / Held
			From	To	
1	Shri Karnam Sekar	Chairman of the Committee	01.07.2019	30.06.2020	02/02
2	Shri Partha Pratim Sengupta	Chairman of the Committee	24.07.2020		12/12 #
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member	09.10.2017		14/14
4	Smt S Srimathy	Member	10.03.2021		02/02
5	Shri Deepak Kumar	Member	19.09.2019		14/14*
6	Shri Navin Prakash Sinha	Member	30.01.2021		05/05**
7	Shri Sanjay Rungta	Member	04.01.2019 04.07.2019 04.01.2020	03.07.2019 03.01.2020 03.07.2020	09/09***

Shri Partha Pratim Sengupta attended the meeting through video conferencing on 05.08.2020, 31.08.2020 & 18.09.2020 due to travel restrictions due to COVID-19 Pandemic.

*Shri Deepak Kumar attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21

** Shri Navin Prakash Sinha attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21

*** Shri Sanjay Rungta attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21 except on 02.12.2020 in which he attended in person.

3.2 CREDIT APPROVAL COMMITTEE OF THE BOARD

The Credit Approval Committee of the Board has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No. S.0.2736(E) dated December 5, 2011. The Committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for Loan compromise / write off. Subsequently various directives have been received in respect of CAC. On basis of that, the committee was last reconstituted by Board on 25.06.2020

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 16 times during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

3.3 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and presently consists of three members comprising of the Executive Director (in charge of Internal Inspection and Audit), Government Nominee Director and RBI Nominee Director. RBI vide its letter dated September 24, 2015 advised that the ED in charge of Internal Inspection and Audit should be the member of the ACB whereas other EDs can be invitees to the meeting.

Government of India has advised vide their letter dated 10.06.2014 that Directors appointed under Section 9 (3) (g) and (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, who are on the Management Committee shall not be on the Audit Committee in any capacity. The Bank is complying with the same.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

⇒ To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalization and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspections of RBI.

⇒ To review the internal inspection / audit function in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings

⇒ To obtain and review half – yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas

⇒ To review and follow up on the report of the statutory audit and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.

⇒ To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.

This Committee specially focuses on the follow-up of:

⇒ Inter – Branch Adjustment Accounts

⇒ Unreconciled long outstanding entries in Inter – Bank Accounts and Nostro Accounts

⇒ Arrears in balancing of books at various branches

⇒ Frauds and all other major areas of house – keeping,

आरबीआई द्वारा जारी भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा निर्देशों पर सेबी कमेटी के संदर्भ में एसीबी को निम्नलिखित अतिरिक्त भूमिका कार्य / शिक्तयां सौंपी गई हैं :

- संदर्भ की शर्तों के तहत किसी भी गतिविधि की जांच करना
- किसी भी कर्मचारी से सूचनाएं प्राप्त करना
- बाह्य कानूनी या अन्य प्रोफेशनल सलाह प्राप्त करना
- प्रासंगिक विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए, यदि यह आवश्यक माना जाता है ।

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में मौजूदा भूमिकाओं के अलावा निम्न भूमिकाएं भी शामिल हैं :

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना और वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं इसे सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं, लेखांकन मानकों का अनुपालन और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताओं पर विशेष जोर देने के साथ प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना ।
- प्रबंधन, बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षओं, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के साथ समीक्षा
- उन मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनीयमितता भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को मण्डल को रिपोर्ट करना
- ऑडिट के प्रकृति और दायरे के साथ-साथ ध्यान देने योग्य किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा चर्चा के बाद लेखा परीक्षा शुरू करने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना
- कंपनी की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सुझावों के मुताबिक,मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित विशिष्ट एक्सपोजर स्तर पर खातों की निम्नलिखित समीक्षाओं को शामिल करने के लिए मण्डल की लेखापरीक्षा समिति का दायरा विस्तारित किया गया था:

क. संभावित एनपीए / तनाव के मामलों ,जब आवश्यक हो।

ख. उच्च मूल्य ऋण जो प्रतिभूतियों के प्रति दिए गए हैं जो भार मुक्त नहीं है

ग. एक बारगी निपटान के मामले जिसमें उच्च मूल्य ऋण शामिल हैं

घ. उच्च मूल्य खाते- खाते के प्रति प्रदान की गइ सुरक्षा/ संपार्श्विक(दोनों मूर्त और विशेष रूप से अमूर्त) के मूल्य और गुणवत्ता का मूल्यांकन/ पुनर्मूल्यांकन करना ।

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति 10 बार 20.05.2020, 25.06.2020, 31.07.2020, 20.08.2020, 17.09.2020, 06.11.2020(2), 09.02.2021(2) एवं 18.03.2021 को मिली ।

सभी बैठकें समुचित कोरम व बिना किसी स्थगन के आयोजित की गयी ।

दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	समिति के अध्यक्ष	28.08.2018	07.12.2020	07/07 @
2	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	समिति के अध्यक्ष	22.07.2016		10/10*
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य #	09.10.2017		10/10
4	श्री दीपक कुमार	सदस्य	18.09.2019		10/10**

@ श्री नवीन प्रकाश सिन्हा ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान समिति के अध्यक्ष के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बैठकों में भाग लिया

* श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बैठकों में भाग लिया। वह 30.01.2021 से समिति की अध्यक्ष हैं ।

** श्री दीपक कुमार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बैठकों में शामिल हुए

3.4. जोखिम प्रबंधन समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी । 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति 5 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री कर्नम शेखर	01.07.2019	30.06.2020	01/01
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020		04/04*
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		05/05**

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing the Bank's Financial and Risk Management Policies.

In line with the suggestions of the Ministry of Finance, Government of India, the scope of the Audit Committee of the Board was broadened to include the following reviews of accounts at specific exposure levels as approved by the Audit Committee of the Board:

A) Potential NPA / stress cases as and when required.

B) High value loans which have been granted against a security which is not free from encumbrances

C) Cases of One time settlement involving high value loans

D) High value accounts - to evaluate / re-evaluate the value and quality of security / collateral (both tangible and especially intangible) provided against the account.

The committee met 10 times during the year 2020-21 on 20.05.2020, 25.06.2020, 31.07.2020, 20.08.2020, 17.09.2020, 06.11.2020(2), 09.02.2021(2), 18.03.2021

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

The members who held office during the period 01.04.2020 to 31.03.2021 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl No	Name of the Director	Position	Tenure of membership		Number of meetings Attended / Held
			From	To	
1	Shri Navin Prakash Sinha	Chairman of the Committee	28.08.2018	07.12.2020	07/07 @
2	Smt Annie George Mathew	Chairperson of the Committee	22.07.2016		10/10*
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member #	09.10.2017		10/10
4	Shri Deepak Kumar	Member	18.09.2019		10/10**

@ Shri Navin Prakash Sinha attended the all the meetings through video conferencing during the FY 2020-21 as Chairman of the Committee

* Smt Annie George Mathew attended all the meetings through video conferencing during the FY 2020-21. She is Chairperson of the Committee since 30.01.2021

** Shri Deepak Kumar attended all the meetings through video conferencing during the FY 2020-21

3.4 RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Chairman presides over the meetings of the Committee and the present Chairman of the committee is MD & CEO. The Committee met 5 times during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021. Number of Meetings attended by each Member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Karman Sekar	01.07.2019	30.06.2020	01/01
2	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		04/04*
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		05/05**

4	श्री संजय रुंगटा	29.01.2018	07.12.2020	04/04***
5	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	16.03.2020		04/05 ****

*श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने 21.08.2020 एवं 17.09.2020 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सहभागिता की ।

** श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने 02.03.2021 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

*** श्री संजय रुंगटा ने वि.वर्ष 2020-21 की सभी बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

**** श्री नवीन प्रकाश सिन्हा को 17.09.2020 की अनुपस्थिति के लिए अवकाश प्रदान किया गया और वि.वर्ष 2020-21 की अन्य सभी बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

3.5 बड़े मूल्य की धोखाधड़ी हेतु समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी । 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति 3 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या :

क्र सं	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित / आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	01/01
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्त	24.07.2020		02/02*
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		03/03
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		03/03**
5	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	12.09.2019		03/03 ***

* श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्त ने 21.08.2020 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

** श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने वि.वर्ष 2020-21 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

*** श्री नवीन प्रकाश सिन्हा ने वि.वर्ष 2020-21 की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लिया ।

3.6. ग्राहक सेवा समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ करते हैं । निम्नलिखित सदस्यों के साथ 30.01.2021 को समिति का पुनर्गठन किया गया एवं 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या:

क्र सं.	**निदेशक का नाम**	**सदस्यता की अवधि**		**उपस्थति / आयोजति बैठकों की संख्या**
		से	**तक**	
1	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	01/01
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्त	24.07.2020		03/03*
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		04/04
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		04/04**
5	श्री संजय रुंगटा	12.09.2019	07.12.2020	03/03***
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	30.01.2021		01/01 ****

* श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्त ने 18.09.2020 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

** श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने वि.वर्ष 2020-21 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

*** श्री संजय रुंगटा ने वि.वर्ष 2020-21 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया, सिर्फ 02.12.2020 की बैठक को छोड़कर, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था ।

**** श्री नवीन प्रकाश सिन्हा ने 10.03.2021 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

3.7. अनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी । 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या :

क्र सं.	**निदेशक का नाम**	**सदस्यता की अवधि**		**उपस्थति / आयोजति बैठकों की संख्या**
		से	**तक**	
1	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	01/01
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्त	24.07.2020		03/03*

4	Shri Sanjay Rungta	29.01.2018	07.12.2020	04/04***
5	Shri Navin Prakash Sinha	16.03.2020		04/05 ****

* Shri Partha Pratim Sengupta attended the meeting through video conferencing on 21.08.2020 &17.09.2020

** Shri Ajay Kumar Srivastava attended the meeting through video conferencing on 02.03.2021.

*** Shri Sanjay Rungta attended all meetings through video conferencing during the FY 2020-21.

**** Shri Navin Prakash Sinha was granted Leave of Absence on 17.09.2020 and attended all other committee meeting through video conferencing during the FY 2020-21.

3.5 COMMITTEE FOR MONITORING LARGE VALUE FRAUDS

The Chairman presides over the meetings of the Committee and the present Chairman of the committee is MD & CEO. The Committee met 3 times during the period 01.04.2020 to 31.03.2021. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	01/01
2	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		02/02*
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		03/03
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		03/03**
5	Shri Navin Prakash Sinha	12.09.2019		03/03 ***

*Shri Partha Pratim Sengupta attended the meeting through video conferencing on 21.08.2020

**Smt Annie George Mathew attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21.

*** Shri Navin Prakash Sinha attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21.

3.6 CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee was reconstituted on 30.01.2021 with the following members and the Committee met 4 times during the period 01.04.2020 to 31.03.2021. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	01/01
2	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		03/03*
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		04/04
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		04/04**
5	Shri Sanjay Rungta	12.09.2019	07.12.2020	03/03***
6	Shri Navin Prakash Sinha	30.01.2021		01/01 ****

*Shri Partha Pratim Sengupta attended the meeting through video conferencing on 18.09.2020

** Smt Annie George Mathew attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21.

*** Shri Sanjay Rungta attended the meetings through video conferencing during the FY 2020-2021 except on 02.12.2020 in which he attended in person.

**** Shri Navin Prakash Sinha attended the meeting through video conferencing on 10.03.2021

3.7 COMMITTEE FOR REVIEW OF DISCIPLINARY CASES & DEPARTMENTAL ENQUIRIES

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period 01.04.2020 to 31.03.2021. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	01/01
2	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		03/03*

3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		04/04
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		04/04**
5	श्री दीपक कुमार	18.09.2019		04/04***

* श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्त ने 20.08.2020 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

** श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने वि.वर्ष 2020-21 की की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

*** श्री दीपक कुमार ने वि.वर्ष 2020-21 की की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

3.8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

आरबीआइ ने अपने मास्टर निर्देश डीबीआर. एपीपीटी. सं: 9/29.67.001/2019-20 और आरबीआइ/डीबीआर/2019-20/71 दिनांकित 02.08.2019 के द्वारा पीएसबी 'यों के बोर्ड, निदेश 2019 के निर्वाचित निदेशकों के लिए "योग्य और ठीक" मानदंड के संबंध में संशोधित निदेश जारी किया है । निदेशानुसार, पहले के दो समितियों यथा क) नामांकन समिति ख) पारिश्रमिक समिति को सौपे गए कार्यों के लिए एक एकल "नामांकन एवं पारिश्रमिक" समिति का गठन किया गया ।

मास्टर निदेशों के अनुसार, जैसा कि मास्टर निदेशों में दिशानिर्देश / पैरामीटर निर्धारित है निदेशकों के अनुपलब्धता के कारण समिति का गठन नहीं किया जा सकता है । तत्पश्चात, बैंक को नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन में छूट संबंधी आरबीआइ का पत्र डीओआर. एपीपीटी. सं. 617/08.09.001/2020-21 दिनांकित 29.09.2020 प्राप्त हुआ और समिति दिनांक 08.10.2020 को बैंक बोर्ड के द्वारा तीन निदेशकों के साथ पुन: गठित हुई ।

इस प्रकार, समिति के एक निदेशक का कार्यकाल दिनांक 07.12.2020 को समाप्त हो गया और उसके बाद, समिति दोबारा नहीं मिली है ।

समिति वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एक बार भी नहीं मिली ।

3.9. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

समिति की अध्यक्षता चेयरमैन द्वारा की गयी । 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति 4 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या :

क्र सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थति / आयोजति बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	01/01
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्त	24.07.2020		03/03*
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		04/04
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	25.07.2018		04/04**
5	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	29.01.2018		04/04***
6	श्री संजय रुंगटा	12.09.2019	07.12.2020	03/03****

* श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्त ने 31.08.2020 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

** श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने वि.वर्ष 2020-21 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

*** श्री नवीन प्रकाश सिन्हा ने वि.वर्ष 2020-21 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

**** श्री संजय रुंगटा ने वि.वर्ष 2020-21 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

3.10. मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय संचालन समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी । समिति 10.03.2021 को पुन: गठित की गई और 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति 5 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित / आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	01/01
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्त	24.07.2020		04/04*
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		05/05
4	श्रीमती एस श्रीमती	10.03.2021		01/01
5	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		05/05**
6	डॉ टी टी राम मोहन #			05/05***

3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		04/04
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		04/04**
5	Shri Deepak Kumar	18.09.2019		04/04***

* Shri Partha Pratim Sengupta attended the meeting through video conferencing on 20.08.2020

** Smt Annie George Mathew attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21.

*** Shri Deepak Kumar attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21

3.8 NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

RBI vide Master Direction DBR. Appt. No:9/29.67.001/2019-20 and RBI/DBR/2019-20/71 dated 02.08.2019 has given revised Directions in respect of 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Board of PSBs, Directions,2019. As per the Directions, a single 'Nomination and Remuneration' Committee has to be constituted for carrying out the functions entrusted to the two Committees earlier i.e. a) Nomination Committee and b) Remuneration Committee.

As per Master Direction, the Committee could not be constituted due to non-availability of Directors as per the guidelines/parameters stipulated in the Master Direction. Subsequently the bank had received relaxation for constituting Nomination and Remuneration Committee as per RBI Letter DOR. Appt. No.617/08.09.001/2020-21dated 29.09.2020 and the committee was reconstituted with three directors by the Bank's Board on 08.10.2020.

However, the term of one of the directors of the committee ended on 07.12.2020 and the committee could not meet since then.

The Committee did not meet during the year FY 2020-21

3.9 INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE

The Chairman, presides over the meetings of the Committee. The Committee had met 4 times during the period 01.04.2020 to 31.03.2021. The Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	01/01
2	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		03/03*
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		04/04
4	Smt Annie George Mathew	25.07.2018		04/04**
5	Shri Navin Prakash Sinha	29.01.2018		04/04***
6	Shri Sanjay Rungta	12.09.2019	07.12.2020	03/03****

* Shri Partha Pratim Sengupta attended the meeting through video conferencing on 31.08.2020

** Smt Annie George Mathew attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21.

*** Shri Navin Prakash Sinha attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21.

**** Shri Sanjay Rungta attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21.

3.10 BOARD LEVEL STEERING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCES

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee was reconstituted on 10.03.2021 with the following members and had met 5 times during the period 01.04.2020 to 31.03.2021. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	01/01
2	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		04/04*
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		05/05
4	Smt S Srimathy	10.03.2021		01/01
5	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		05/05**
6	Dr T T Ram Mohan #			05/05***

* श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्त ने 31.08.2020 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

** श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने वि.वर्ष 2020-21 की सभी बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

*** डॉ टी टी राम मोहन ने वि.वर्ष 2020-21 की सभी बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया । # व निदेशेक नहीं है परंतु बाह्य विशेषज्ञ हैं ।

3.11. एनपीए वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी । 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति 7 बार मिली। सभी बैठकें उचित कोरम और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गई ।

3.12. इरादतन चूककर्ताओं और गैर – सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी । 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति 2 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित / आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	01/01
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्त	24.07.2020		01/01
3	श्री संजय रुंगटा	08.12.2017	07.12.2020	02/02*
4	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	29.01.2018		02/02**

* श्री नवीन प्रकाश सिन्हा ने वि.वर्ष 2020-21 की सभी बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

** श्री संजय रुंगटा ने वि.वर्ष 2020-21 की सभी बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

3.13. हितधारक संबंध समिति

01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान समिति 4 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित / आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री संजय रुंगटा	29.01.2018	07.12.2020	03/03*
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		03/03
3	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	25.01.2019		03/03**

* श्री संजय रुंगटा ने वि.वर्ष 2020-21 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया, सिर्फ 02.12.2020 की बैठक को छोड़कर, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था ।

** श्री नवीन प्रकाश सिन्हा ने वि.वर्ष 2020-21 की सभी बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

3.14 एक्विटी शेयर पूंजी निर्गम करने के लिए निदेशकों की समिति

समिति 01.04.2020 से 31.03.2021 अवधि के दौरान एक बार भी नहीं मिली ।

3.15 प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति 4 बार मिली । समिति तीन सदस्यों से गठित है और सभी सदस्यों ने बैठक दिनांकित 21.05.2020, 31.07.2020, 31.08.2020 और 21.10.2020 में भाग लिया ।

3.16 अपील पर विचारार्थ के लिए बोर्ड की समिति

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति 3 बार मिली । समिति तीन सदस्यों से गठित है और सभी सदस्यों ने बैठक दिनांकित 20.08.2020, 21.08.2020 और 03.12.2020 में भाग लिया ।

4.1. अनुपालन अधिकारी

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 6 के अनुसार सेबी / स्टॉक एक्सचेंज के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए समीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं :

श्री एस नंदकुमारन
उप महा प्रबंधक और कंपनी सचिव

4.2. शेयर धारकों की शिकायतें

वर्ष के दौरान प्राप्त, सुलझाई गई व लंबित शिकायतों की संख्या:

01.04.2020 तक लंबित	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	23
वर्ष के दौरान निपटायी गई	23
31.03.2021 तक लंबित	0

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 46 के संबंध में, हमने शेयरधारकों को सूचित किया है कि निवेशकों की शिकायतों को दूर करने व उनके समाधान हेतु एक अलग ईमेल आईडी investorcomp@iobnet.co.in, आबंटित की गई है और कंपनी सचिव श्री एस नंदकुमारन इस संबंध में अनुपालन अधिकारी हैं । हमने यह ईमेल आइडी व अन्य प्रमुख ब्योरों को अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है । निवेशक संपर्क कक्ष निवेशकों की शिकायतों का भी निपटारा करता हैं ।

* Shri Partha Pratim Sengupta attended the meeting through video conferencing on 31.08.2020

** Smt Annie George Mathew attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21

*** Dr T T Ram Mohan attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21 # He is not director but external expert.

3.11 BOARD LEVEL COMMITTEE TO MONITOR RECOVERY IN NPA

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 7 times during the period 01.04.2020 to 31.03.2021. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

3.12 REVIEW COMMITTEE ON WILFUL DEFAULTERS & NON CO-OPERATIVE BORROWERS

The MD & CEO presides over the meeting of the Committee. The Committee met 2 times during the period 01.04.2020 to 31.03.2021. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	01/01
2	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020		01/01
3	Shri Sanjay Rungta	08.12.2017	07.12.2020	02/02*
4	Shri Navin Prakash Sinha	29.01.2018		02/02**

* Shri Navin Prakash Sinha attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21.

** Shri Sanjay Rungta attended all the meetings in the FY 2020-21 through video conferencing.

3.13 STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE

The Committee met 3 times during the period 01.04.2020 to 31.03.2021. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings attended/held
		From	To	
1	Shri Sanjay Rungta	29.01.2018	07.12.2020	03/03*
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		03/03
3	Shri Navin Prakash Sinha	25.01.2019		03/03**

* Shri Sanjay Rungta attended all the meetings in the FY 2020-21 through video conferencing except on 02.12.2020 in which he attended in person.

** Shri Navin Prakash Sinha attended all the meetings through video conferencing in the FY 2020-21.

3.14 COMMITTEE OF DIRECTORS FOR ISSUE OF EQUITY SHARE CAPITAL

The Committee did not meet during the period 01.04.2020 to 31.03.2021.

3.15 BOARD COMMITTEE FOR PERFORMANCE EVALUATION

The Committee met 4 times during the year 2020-21. The Committee consist of 3 members and all members attended the meeting dated 21.05.2020, 31.07.2020, 31.08.2020 and 21.10.2020

3.16: COMMITTEE OF BOARD FOR CONSIDERATION OF APPEALS

The Committee met 3 times during the year 2020-21. The Committee consist of 3 members and all members attended the meeting dated 20.08.2020, 21.10.2020 and 03.12.2020

4.1 COMPLIANCE OFFICER:

In terms of Regulation 6 of SEBI(LODR) the following official is the Compliance officer of the bank during the review period to comply with the various provisions of sebi/stock exchange:

MR. S. NANDAKUMARAN

DEPUTY GENERAL MANAGER & COMPANY SECRETARY

4.2 SHAREHOLDERS COMPLAINTS

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

Pending as on 01.04.2020	0
Received during the year	23
Redressed during the year	23
Pending as on 31.03.2021	0

In terms of Regulation 46 of SEBI (LODR), we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID : investorcomp@iobnet.co.in has been allotted and Mr. S Nandakumaran, Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by the Company Secretary is handling the redressal of investor complaints.

5. सामान्य निकाय बैठक:

क) अंतिम तीन सामान्य निकाय बैठकों के स्थान व समय निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक, दिन, एवं बैठक का समय	स्थान
1	18वीं एजीएम	11.07.2018, बुधवार सुबह 10.00 बजे	स्टाफ कॉलेज, इंडियन ओवरसीज बैंक, 230/7ए जवाहरलाल नेहरू रोड, अण्णा नागर, चेन्नई 600 040
2	19वीं एजीएम	10.07.2019, बुधवार सुबह 10.00 बजे	सदगुरु ज्ञानानन्द हाल, नारद गण सभा 314 टीटीके रोड, अलवरपेट, चेन्नई 600 018
3	20वीं एजीएम	24.08.2020, सोमवार सुबह 11.00 बजे	वर्चुअल मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए) इंडियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा साले, चेन्नई : 600 002

ख) 18 वीं, 19 वीं, 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यू.आइ.पी.), राईट्स ईश्यू, अधिमानी आधार पर आबंटन और अनुवर्तन पब्लिक ऑफर या अधिमानी शेयरों (संचयी/गैरसंचयी) के ज़रिए इक्विटी शेयरों को जारी कर पूँजी जुटाने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किए गए।

ग) कोई डाक मतदान नहीं हुआ था ।

घ) स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुई :

क्रम सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक, दिन, एवं बैठक का समय	स्थल
1.	ईजीएम	24.03.2016 वृहस्पतिवार 10.30 बजे सुबह	नारद गण सभा, 314, टीटीके रोड, चेन्नई 600 018
2.	ईजीएम	15.09.2016 वृहस्पतिवार 10.00 बजे सुबह	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नई 600 006
3.	ईजीएम	29.11.2017 बुधवार 10.30 बजे सुबह *	नारद गण सभा, 314, टीटीके रोड, चेन्नई 600 018
4.	ईजीएम	30.01.2018 मंगलवार 10.30 बजे सुबह **	नारद गण सभा, 314, टीटीके रोड, चेन्नई 600 018
5.	ईजीएम	28.03.2018 बुधवार 10.00 बजे सुबह	नारद गण सभा, 314, टीटीके रोड, चेन्नई 600 018
6.	ईजीएम	02.11.2018 शुक्रवार बजे सुबह	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नई 600 006
7.	ईजीएम	28.03.2019 वृहस्पतिवार बजे सुबह	नारद गण सभा, 314, टीटीके रोड, चेन्नई 600 018
8.	पोस्टल बैलेट	27.11.2019 बुधवार 5.00 बजे शाम	केमेयो कार्पोरेट सेवाएँ, सं.1, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, क्लब हाउस रोड, रानी सेताई हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नई 600 002
9	पोस्टल बैलेट	26.02.2020 बुधवार 5.00 बजे शाम	केमेयो कार्पोरेट सेवाएँ, सं.1, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, क्लब हाउस रोड, रानी सेताई हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नई 600 002

उक्त असाधारण सामान्य बैठकों का आयोजन अधिमानी आधार पर भारत सरकार और एल.आइ.सी व उसकी विभिन्न योजनाओं को इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया गया ।

एक शेयरधारक के चुनाव के लिए दिनांक 03.12.2020 को ईजीएम का आयोजन किया गया और उसे निरस्त किया गया क्योंकि एक मौजूदा रिक्ति के लिए सिर्फ एक वैध नामांकन की प्राप्ति हुई थी ।

*शेयरधारक निदेशकों के चुनाव हेतु ईजीएम का आयोजन किया गया ।

** संचित नुकसानों का शेयरधारकों का शेयर प्रीमियम खाते में से सेटऑफ करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने हेतु ईजीएम का आयोजन किया गया ।

ड) ई-वोटिंग:

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, ज़ारीकर्ता वार्षिक सामान्य बैठक / असाधारण सामान्य बैठक में पारित होने वाले सभी शेयरधारक संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने को सहमत है । तदनुसार, बैंक ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है ।

5. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three Annual General Meetings were held

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	18th AGM	11.07.2018, Wednesday 10.00 AM	Staff College, Indian Overseas Bank, 230/7A Jawaharlal Nehru Road, Anna Nagar, Chennai 600 040
2	19th AGM	10.07.2019, Wednesday 10.00 AM	Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, 314 TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018
3	20th AGM	24.08.2020, Monday 11.00 AM	Virtual Mode (Through Video Conferencing) Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

b. In the 18th, 19th & 20th AGMs, special resolutions were put through to obtain the shareholders approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Preferential allotment or Follow-on Public Offer or preference shares (cumulative / non cumulative).

c. There was no postal ballot exercise.

d. Location and time where Extra Ordinary General Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1.	EGM	24.03.2016 Thursday 10.30 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
2.	EGM	15.09.2016 Thursday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai 600 006
3.	EGM	29.11.2017 Wednesday 10.30 A.M. *	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
4.	EGM	30.01.2018 Tuesday 10.30 A.M.**	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
5.	EGM	28.03.2018 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
6.	EGM	02.11.2018 Friday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai 600 006
7.	EGM	28.03.2019 Thursday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
8.	Postal Ballot	27.11.2019 Wednesday 5.00 P.M.	Cameo Corporate Services, No.1 Subramanian Building, Club House Road, Chennai 600 002
9.	Postal Ballot	26.02.2020 Wednesday 5.00 P.M.	Cameo Corporate Services, No.1 Subramanian Building, Club House Road, Chennai 600 002

The above EGMs were held for obtaining shareholders approval for issue of equity shares to Government of India and LIC and its various schemes on preferential basis.

EGM for election of one shareholder director was scheduled to be held on 03.12.2020 and the same was cancelled due to receipt of only one valid nomination against one existing vacancy.

* EGM held for election of Shareholder Directors

** EGM held for obtaining shareholders approval for set off of Share Premium Account against accumulated losses

e. E-Voting:

In accordance with the provisions of Regulation 44 of SEBI (LODR), the Issuer agrees to provide E-Voting facility to its shareholders in respect of all shareholders resolutions, to be passed at AGM/EGM. Accordingly, the Bank is providing e-voting facility.

6. सम्प्रेषण का माध्यम:

क) बैंक के तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं । बैंक वार्षिक परिणाम हरित पहल के तहत ईमेल के द्वारा उन शेयर धारकों को भेजता रहा है जिनका ईमेल पता बैंक के पास उपलब्ध है तथा अन्य को यह जिन्होंने अपने ईमेल आइडी इसके लिए पंजीकृत नहीं की है उन्हें परिणाम मुद्रित प्रति के रोप में कूरियर / डाक के के जरिए भेजा जाता है ।

ख) सेबी (सूचीबद्ध करार व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015(एल.ओ.डी.आर.) के विनियम 47 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व हिंदी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं । प्रकाशन करने की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	तमिल दैनिक	हिन्दी दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2020	प्रकाशित नहीं की गई (कोविड 19 के कारण छूट प्रदान की गई)			
30.06.2020	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	द हिंदू	जनसत्ता	22.08.2020
30.09.2020	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	दिनमणि	जनसत्ता	08.11.2020
31.12.2020	बिजनेस स्टैंडर्ड	दिनमणि	बिजनेस स्टैंडर्ड	11.02.2021

ग. तिमाही परिणाम/ वार्षिक परिणाम व विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति भी बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

घ. बैंक तिमाही/ वार्षिक परिणामों के दौरान आधिकारिक प्रेस रिलीज़ प्रदर्शित करता है ।

7. सामान्य शेयरधारक सूचना:

क) ए.जी.एम.: तारीख, समय और स्थान:

दिनांक	07.08.2021
दिनांक	11:30 बजे, सुबह
स्थान	बैंक का केंद्रीय कार्यालय सं.763, अण्णा साले चेन्नै - 600 002

ख) वित्तीयवर्ष : 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021

ग) लाभांश भुगतान की तारीख : शून्य (संचित हानि को समाप्त करना है)

घ) बही बंद करने की तारीख : वार्षिक सामान्य बैठक के लिए 01.08.2021 से 07.08.2021 (दोनों दिन शामिल हैं)

ड) अदत्त लाभांश :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में बैक के अदत्त लाभांश विषयक 10(बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है तथा कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय ने अदत्त लाभांश राशि के निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि (आइ.ई.पी.एफ.) में अंतरण हेतु बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सूचित किया है । **शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ)**

तदनुसार पिछले वर्षों के अदत्त लाभांशों को आइओबी के अदत्त लाभांश खातों को अंतरित कर दिया गया है अत: इस प्रकार की अंतरण राशि को जो अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक अदत्त या अदावी हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा :

वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख	केंद्र सरकार को अंतरण की तारीख (आइ.ई.पी.एफ.)
2013-14 (आई)	05.03.2014	अप्रैल 2021
2013-14 (एफ)	01.08.2014	सितंबर 2021

च. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए हैं :

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
बॉम्बे स्टॉक एक्चेंज, लिमिटेड	532388
नेशनल स्टॉक एक्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	आइओबी ईक्यू एई बीई बीटी

स्टाक एक्सचेंजों को वर्ष 2019-20 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है ।

प्राधिकृत पूँजी: 31.03.2021 तक बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु. 25000 करोड़ है ।

6. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited/ audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending Annual Reports, under Green Initiative by email to those shareholders whose e-mail addresses are available with the Bank and through courier/post to shareholders who have not registered their email id for this purpose.

b. The quarterly financial results are published in a national daily, Hindi daily and a regional vernacular daily in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR). The details and dates of publication are as under:

Quarter ended	English Daily	Tamil Daily	Hindi Daily	Date of publication
31.03.2020	Not Published (Exemption due to COVID 19)			
30.06.2020	Financial Express	The Hindu	Jansatta	22.08.2020
30.09.2020	Financial Express	Dinamani	Jansatta	08.11.2020
31.12.2020	Business Standard	Dinamani	Business Standard	11.02.2021

c. The quarterly results/annual results and Performance Analysis are also being displayed on the Bank's web-site www.iob.in

d. Bank displays official press release during quarterly/annual results

7. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a) AGM: Date, Time and Venue:-

Date	07.08.2021
Time	11.30 a.m
Venue	The Central Office of the Bank at No.763, Anna Salai, Chennai - 600 002

b) Financial Year : 01st April 2020 to 31st March 2021.

c) Dividend Payment Date: Nil (Accumulated losses are to be wiped out)

d) Date of Book Closure : 01.08.2021 to 07.08.2021 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

e) Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, has incorporated a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 on Unpaid dividend of banks and Ministry of Corporate Affairs had advised the process to be followed by banks for transferring the **Unpaid Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF).**

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years, shall be transferred to IEPF:

Dividend for the year	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c	Due Date for Transferring to Government (IEPF)
2013-14 (I)	05.03.2014	April 2021
2013-14 (F)	01.08.2014	September 2021

f) The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB EQ AE BE BT

Annual Listing Fees for the year 2019-20 have been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

Authorized Capital: As on 31.03.2021, the Authorized Capital of the Bank is Rs.25000 cr.

प्रदत्त पूँजी में बढ़ोतरी

बैंक को वि. वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी निवेश के रूप में भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के अंशदान स्वरूप बैंक के इक्विटी शेयर में अधिमान्य आबंटन के रूप में कुल रु. 4,100 करोड़ की राशि पूंजी निवेश प्राप्त हुई थी । बैंक को दिनांक 31.03.2021 को प्राप्त रु. 4,100 करोड़ (रुपया चार हजार एक सौ करोड़ मात्र) की राशि 31.03.2021 तक शेयर आवेदन राशि खाता में आबंटन के लिए लंबित रखा गया है । आरबीआइ से प्राप्त पत्र दिनांकित 30.04.2021 के संदर्भ में उक्त राशि को सीईटी 1 पूंजी के रूप में रखना विचारार्थ है ।

छ. बाजार मूल्य के आँकड़े :

अवधि – माह	एनएसई		बीएसई	
	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)
अप्रैल 2020	**8.10**	6.85	**8.49**	6.60
मई 2020	7.80	7.05	8.10	7.05
जून 2020	13.75	7.35	13.83	7.40
जुलाई 2020	12.00	10.00	12..00	9.98
अगस्त 2020	12.25	10.20	12.21	10.24
सितंबर 2020	11.05	8.75	11.01	8.81
अक्तूबर 2020	9.50	8.50	9.50	8.80
नवंबर 2020	12.15	9.15	12.12	9.05
दिसंबर 2020	11.85	9.85	11.95	9.80
जनवरी 2021	11.70	10.20	11.66	10.30
फरवरी 2021	20.65	10.80	20.90	10.85
मार्च 2021	18.90	**14.50**	18.95	**14.45**

2020-21 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्स्चेजों में बैंक के शेयरों का उच्च / निम्न कीमतों के आँकडे स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं । हमारे बैंक को ट्रेडिंग से सस्पेंड नहीं किया गया है ।

छ. 01-04-2020 से 31-03-2021 के दौरान बीएसई सेंसेक्स निफ्टी 50 की तुलना में इक्विटी निष्पादन

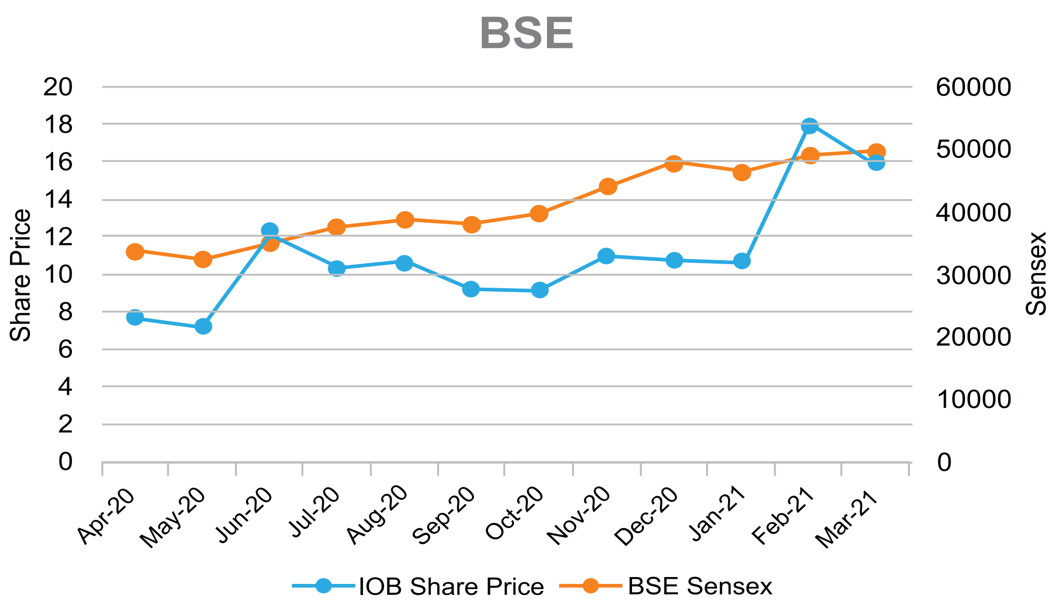

Increase in Paid-up Capital:

The Bank received a capital infusion of Rs.4,100 crore (Rupees Four Thousand One Hundred crores only) from Government of India towards contribution of Central Government in the preferential allotment of equity shares of the Bank during the Financial Year 2020-21, as Government's Investment. The amount of Rs.4,100 crore (Rupees Four Thousand One Hundred crores only) received by the Bank on 31.03.2021 is kept in Share Application Money Account pending allotment as on 31.03.2021. The said amount is considered as part of CET 1 Capital in terms of RBI letter dated 30.04.2021.

g) Market Price Data:-

Period - Month	NSE		BSE	
	High (Rs.)	Low (Rs.)	High (Rs.)	Low (Rs.)
April 2020	8.10	**6.85**	8.49	**6.60**
May 2020	7.80	7.05	8.10	7.05
June 2020	13.75	7.35	13.83	7.40
July 2020	12.00	10.00	12..00	9.98
August 2020	12.25	10.20	12.21	10.24
September 2020	11.05	8.75	11.01	8.81
October 2020	9.50	8.50	9.50	8.80
November 2020	12.15	9.15	12.12	9.05
December 2020	11.85	9.85	11.95	9.80
January 2021	11.70	10.20	11.66	10.30
February 2021	**20.65**	10.80	**20.90**	10.85
March 2021	18.90	14.50	18.95	14.45

Figures in bold represent the high/low price of the Bank's shares traded during the year 2020-21, in the respective Stock Exchanges. Our Bank was not suspended from trading .

h) Equity performance in comparison to BSE Sensex and Nifty50 during 01.04.2020 to 31.03.2021

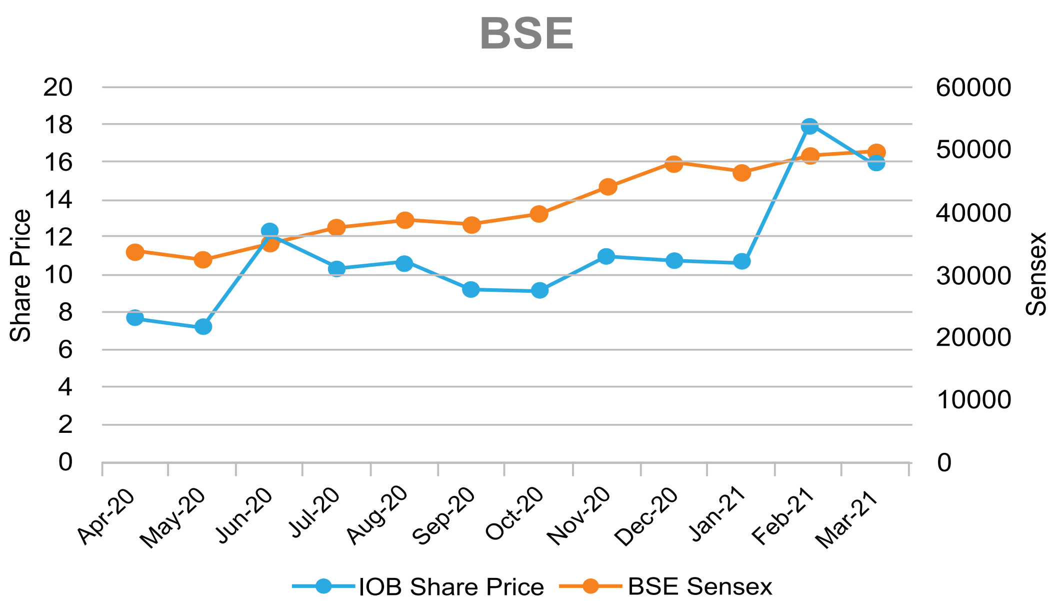

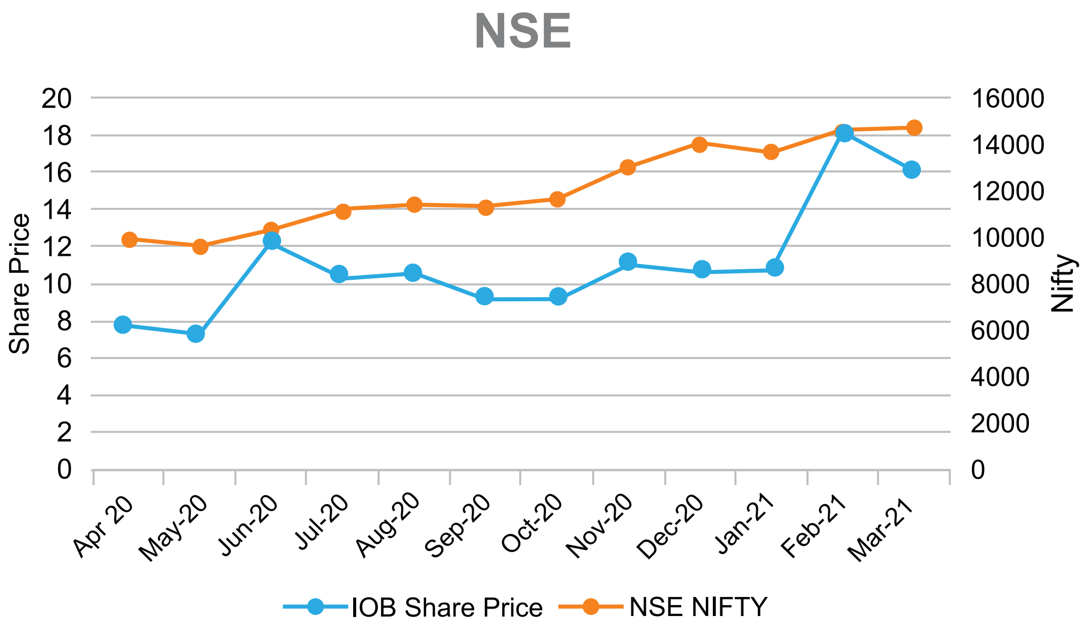

ज. रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि. (यूनिट - आइ ओ बी)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवी मंज़िल न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै - 600 002
टेलीफोन : 044-28460395 फैक्स: 28460129 इ-मेल: cameo@cameoindia.com

झ. शेयर अंतरण प्रणाली

हमारे बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयरों के लेनदेन का अधिकार कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति (एल्सटैक), महा प्रबंधकों की समिति को शेयर अंतरण एवं प्रेषण आदि पर विचार करने व उसे अनुमोदित करने के 15 बैठकें हुयी तथा बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया ।

सेबी एलओडीआर विनियमन 2015 के विनियमन 40 के संशोधन के अवलोकन में शेयरों के संचरण या स्थिति अंतरण जो कि डीमैट रूप में, 01.04.2019 से, रखे गए हैं, के अलावा भौतिक रूप से किसी भी शेयर के अंतरण का अनुरोध प्रोसेस नहीं किया जाएगा ।

ञ. 31.03.2021 को शेयर धारिता का विवरण:

क्रम. सं.	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
	प्रवर्तकों की धारिता		
1	भारत सरकार	15,75,29,02,638	95.84
	उप योग	15,75,29,02,638	95.84
गैर-प्रवर्तक का धारण			
2	**संस्थागत निवेशक**		
अ	म्यूचुअल फण्डस, यू.टी,आइ	4190400	0.03
आ	बैंक व वित्तीय संस्थाएँ	15425093	0.09
इ	बीमा कंपनियाँ	241525738	1.47
ई	विदेशी संस्थागत निवेशक	0	0
उ	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	12244326	0.07
	उप योग	**273385557**	**1.66**
3	**अन्य**		
अ	निजी निगम निकाय	25043196	0.15

NSE

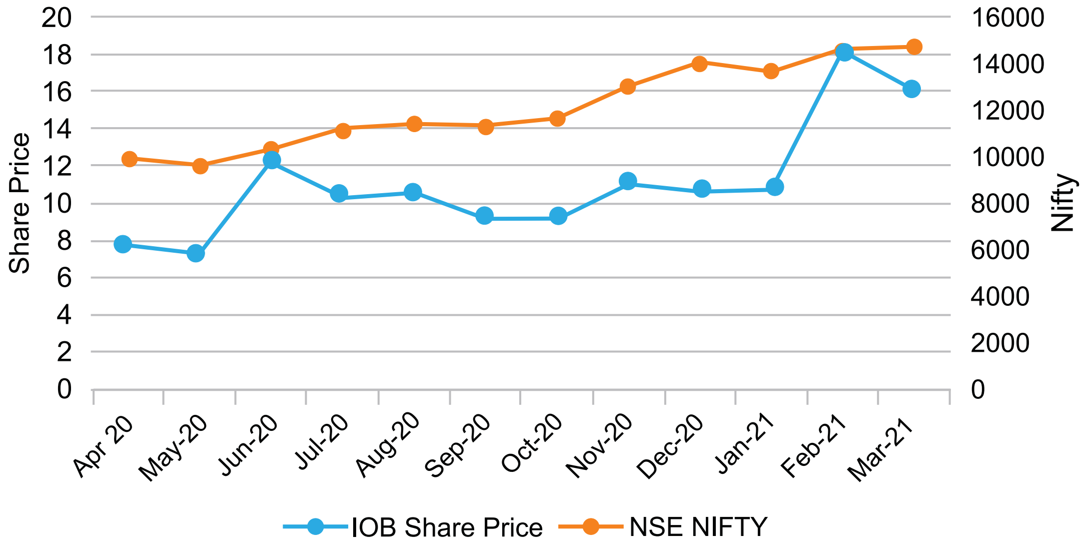

i) Registrar & Share Transfer Agent:

Cameo Corporate Services Limited (Unit-IOB)
Subramanian Building, V Floor No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-28460395 Fax: 28460129 e-mail: cameo@cameoindia.com

j) Share Transfer System:

Our Bank's Board of Directors have delegated the power of transactions on equity shares to Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC), Committee of General Managers, to consider and approve Share Transfer, Transmission etc. The minutes of the ELSTAC meetings are reported to the Board of Directors in each meeting. The Committee met 15 times during last year and reports were submitted to the Board.

Pursuant to amendment of Regulation 40 of SEBI LODR Regulations 2015, any request for effecting transfer of shares in physical form shall not be processed except in case of transmission or transposition of shares unless the share are held in demat form w.e.f. 01.04.2019.

k. Distribution of shareholding as on 31.03.2021:

S No	Category	No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING		
1	Government of India	15,75,29,02,638	95.84
	Sub-Total	15,75,29,02,638	95.84
	NON-PROMOTERS HOLDING		
2	**Institutional Investors**		
A	Mutual funds and UTI	4190400	0.03
B	Banks, Financial Institutions	15425093	0.09
C	Insurance Companies	241525738	1.47
D	Foreign Institutional Investors	0	0
F	Foreign Portfolio Investor	12244326	0.07
	Sub-Total	273385557	1.66
3	OTHERS		
A	Bodies Corporate	25043196	0.15

आ	वैयिक्तक	270611173	1.65
इ	एन.आर.आइ	8791653	0.05
	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	48000	0
	ईएसओपी/ईएसओएस/ईएसपीएस	93825815	0.57
ई	अन्य	12380292	0.08
	उप योग	**410700129**	**2.50**
कुल योग		**16436988324**	**100.00**

ट. 31.03.2021 तक वितरण सूची

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक – 31.03.2021 को धारिता का वितरण

शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों की कुल संख्या का %	रु.10/- के सांकेतिक मूल्य के अनुसार शेयरधारिता	शेयर राशि (अंकित मूल्य)	कुल का %
283830	74.9651	10 - 5000	476681930	0.29
42947	11.3432	5001- 10000	369151700	0.2246
20447	5.4005	10001 - 20000	319650420	0.1945
7046	1.8610	20001 - 30000	183496550	0.1116
3374	0.8911	30001 - 40000	123224170	0.0750
3754	0.9915	40001 - 50000	180864200	0.11
11767	3.1079	50001 - 100000	927439830	0.5642
5451	1.4397	100001 – व अधकि	161789374440	98.4301
378616	100.00	कुल	16436988324	100.00

ठ. 31.03.2021 को विदेशी शेयर धारिता

क्रम सं.	संवर्ग	31.03.2020 को		31.03.2021 को	
		शेयरों की संख्या	कुल राशि का %	शेयरों की संख्या	कुल राशि का %
1	विदेशी संस्थागत निवेशक	शून्य	0.00	0.00	0.00
2	ओसीबी	48000	0.00	48000	0.00
3	एनआरआइ	7616654	0.05	8791653	0.05
4	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	30206666	0.18	12244326	0.07
	कुल	**37871320**	**0.23**	**21083979**	**0.12**

उक्त सारणी में वर्णितानुसार 31.03.2020 तक कुल विदेशी शेयरधारण ((एफ.आइ.आइ, ओसीबी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 0.23% था जोकि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है ।

ड. 31.03.2021 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयर धारक :

क्रम सं	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की सं	कुल धारण का %
1	भारत के राष्ट्रपति - भारत सरकार	15752902638	95.84
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	227027751	1.38
3	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8756567	0.05
4	बैंक ऑफ बड़ौदा	7126596	0.04
5	शुभाषीष डायमंड लमिटिड	6831677	0.04

B	Individuals	270611173	1.65
C	NRI	8791653	0.05
	Overseas Corporate Body	48000	0
	ESOP/ESOS/ESPS	93825815	0.57
D	Others	12380292	0.08
	Sub-total	**410700129**	**2.50**
GRAND TOTAL		**16436988324**	**100.00**

l. Distribution schedule as on 31.03.2021

INDIAN OVERSEAS BANK - DISTRIBUTION OF HOLDINGS AS ON 31.03.2021

No. of Shareholder	% to Total No. of Shareholders	Shareholding in terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Face Value)	% to Total
283830	74.9651	10 - 5000	476681930	0.29
42947	11.3432	5001- 10000	369151700	0.2246
20447	5.4005	10001 - 20000	319650420	0.1945
7046	1.8610	20001 - 30000	183496550	0.1116
3374	0.8911	30001 - 40000	123224170	0.0750
3754	0.9915	40001 - 50000	180864200	0.11
11767	3.1079	50001 - 100000	927439830	0.5642
5451	1.4397	100001 - and Above	161789374440	98.4301
378616	100.00	Total	16436988324	100.00

m. Foreign Shareholding as on 31.03.2021

S No	Category	As on 31.03.2020		As on 31.03.2021	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors	NIL	0.00	0.00	0.00
2	OCBs	48000	0.00	48000	0.00
3	NRIs	7616654	0.05	8791653	0.05
4	Foreign Portfolio Investor	30206666	0.18	12244326	0.07
	Total	**37871320**	**0.23**	**21083979**	**0.12**

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs and Foreign Portfolio Investors) as at 31.03.2021 was 0.12%, which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

n. Top five shareholders of the Bank as on 31.03.2021:

S No	Name of the Shareholders	No. of Shares held	% of Total Holding
1	The President of India, Government of India	15752902638	95.84
2	LIC of India	227027751	1.38
3	United India Insurance Company Limited	8756567	0.05
4	Bank of Baroda	7126596	0.04
5	Suashish Diamonds Limited	6831677	0.04

ढ. शेयरों व प्रत्यक्ष धारिता का अमूर्तिकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य डीमेट ट्रेडिंग के अधीन हैं । बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी. लि.(एन.एस.डी.एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएं (भारत) लि. (सी.डी.एस.एल) का सदस्य है । शेयर धारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते है । डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ.एस.आइ.एन. कोड आबंटित किया है - आइएनई 565ए 01014

31.03.2021 तक 1643.70 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 911.42 करोड़ शेयर या 99.84% शेयर 305508 शेयर धारकों के पास डीमेट रूप में है (जिसमें से भारत सरकार 1575.29 करोड़ शेयर डीमैट रूप में धारित करता है जोकि समग्रत: 95.84 है) तथा 2.65 करोड़ शेयर या 0.16% शेयर 80654 शेयरधारकों के पास प्रत्यक्ष रूप में है ।

ण. डीमैट खाते में धारित अदावाकृत शेयर:

अदावाकृत उचंत खातों में धारित शेयरों की स्थिति निम्नवत है :

ब्यौरा	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.
01.04.2020 के प्रारंभ में शेयरधारकों की समग्र संख्या और प्रारंभ में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	220	54800
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने अदावी संस्पेंस खाते से वर्ष के दौरान शेयरों के स्थानांतरण के लिए संपर्क किया	शून्य	शून्य
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्हें अदावी संस्पेंस खाते से शेयरों का स्थानांतरण किया गया	शून्य	शून्य
शेयरधारकों की समग्र सं. और 31.03.2021 के अंत में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	220	54800

इन शेयरों से संबंधित वोटिंग अधिकार ऐसे शेयरों के उपयुक्त स्वामी के शेयरों पर दावे तक सुरक्षित रखा जाएगा।

त. बकाया जीडीआर/ एडीआर/ वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व इक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव :

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की है।

थ. बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए हैं : 31-03-2021 तक बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रम	आबंटन की तारीख	आकार (रु. करोड़ों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन %	मोचन की तारीख
बेसल III टियर II					
I	03.11.2016	800.00	120	9.24	#03.11.2021
II	10.12.2018	300.00	120	11.70	#08.12.2028
III	24.09.2019	500.00	120	9.0802	24.09.2029

माँग विकल्प 5 वर्ष के अंत में अथवा अथवा आगामी भुगतान की तिथि पर उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)

द. इश्यू का बॉण्ड ट्रस्टी

बैंक ने उक्त सभी बाँड इश्यू के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आइडीबीआइ ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि., मुंबई को नियुक्त किया है जो बॉण्ड्स के निवेशको के हितों की रक्षा करे । ट्रस्टी का पता निम्नवत है :

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड

एशियन बिल्डिंग, 17 आर कमानी रोड, बल्लार्ड इस्टेट, फोर्ट, मुंबई – 400 001

संपर्क सूत्र : सुश्री मनाली, वरिष्ठ प्रबन्धक

022-40807000

o. Dematerialization of shares & Physical Holding:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank is a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

Out of 1643.70 crore equity shares as on 31.3.2021, 911.42 crore equity shares or 99.84% are held by 305508 shareholders in Demat form (of which Government of India holds 1575.29 crore equity shares in Demat form aggregating to 95.84%) and 2.65 crore equity shares or 0.16% are held by 80654 shareholders in physical form.

p. Unclaimed shares held in Demat Account:

The position of shares held in the unclaimed suspense account is mentioned below:

Details	No. of shareholders	No. of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2020	220	54800
Number of Shareholders who approached for transfer of shares from unclaimed suspense account during the year	NIL	NIL
Number of Shareholders to whom shares were transferred from the unclaimed suspense account	NIL	NIL
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the unclaimed suspense account at the end of 31.03.2021	220	54800

The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

q. Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The Bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

r. The bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2021 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs. in cr)	Tenor (in months)	Coupon %	Redemption Date
Basel III Tier II					
I	03.11.2016	800.00	120	9.24	#03.11.2021
II	10.12.2018	300.00	120	11.70	#08.12.2028
III	24.09.2019	500.00	120	9.0802	24.09.2029

#Call option available at the end of 5 years and on subsequent coupon payment date (with prior approval of RBI)

s. BOND TRUSTEE TO THE ISSUE:

The Bank has appointed M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai, as Bond Trustees to all the above Bond Issues, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees is given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.,

Asian Building, 17 R Kamani Road, Ballard Estate, Fort, MUMBAI-400 001

Contact Details: Ms. Manali, Senior Manager

022-40807000

ध. लेखा परीक्षकों की फीस

वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक द्वारा सभी सेवाओं के लिए वैधानिक लेखा-परीक्षकों को रु. 23,48,22,337.54 की फीस प्रदान की गई ।

क्रेडिट रेटिंग

रेटिंग एजेंसियों के नाम	निम्न टियर II	उच्च टियर II	बेसल III टायर II			जमा कार्यक्रम का प्रमाणपत्र	मियादी जमा कार्यक्रम
	शृंखला XIV	शृंखला IV	शृंखला I	शृंखला II	शृंखला III		
क्रिसिल लिमिटेड	ए+ स्थिर	ए- स्थिर	ए+ स्थिर	ए+ स्थिर	ए+ स्थिर	ए1+	एफ़एए स्थिर
आइसीआरए लिमिटेड	ए+ नकारात्मक	ए- नकारात्मक	ए+(एचवाईबी) नकारात्मक	ए+(एचवाईब) नकारात्मक	--	--	--
भारतीय रेटिंग	--	--	--	--	आईएनडी एए- नकारात्मक	--	--

* क्रिसिल और आइसीआरए रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा निम्न टियर और उच्च टियर बॉन्ड पर क्रेडिट रेटिंग बैंक द्वारा क्रमशः 31.12.2020 और 11.01.2021 को मोचन / कॉल ऑप्शन के प्रयोग के परिणामस्वरूप वापस ले ली गई है।

न. पत्राचार करने का पता:

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेन्ट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जाते हैं। शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं।

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.
(यूनिट - आइ.ओ.बी.) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवीं मंज़िल
नं.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002
टेलीफोन: 044-28460395 फैक्स: 28460129 ई.मेल: cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखित पते पर शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में निवेशक संबंध कक्ष है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संपर्क कक्ष, केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै चेन्नै-600 002
टेलीफोन : 044-71729791, 28415702, 28519654
ई.मेल: investor@iobnet.co.in/investorcomp@iobnet.co.in

प्रकटीकरण

क. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों यानी पूर्ण कालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी से संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटन की तिमाही आधार पर समीक्षा मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है ।

ख. बैंक के निदेशकों, प्रबंधन उनके संबंधियों आदि के साथ बैंक के ऐसे कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं हैं जिनसे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

ग. सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान में बैंक एक विसलब्लोअर नीति है और यह पुष्ट किया जाता है कि किसी व्यावक्त को लेखा-परीक्षा समिति की पहुँच नकारी नहीं गई है और यह हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

घ. बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी सांविधिक/ दिशानिर्देशों/ निदेशों में दी गई सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है ।

ङ. सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34 के संदर्भ में, वर्ष 2020-21 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट जो इस रिपोर्ट का भाग है, हमारे बैंक की वेबसाइट www.iob.in par उपलब्ध कराई गई है ।

च. प्रासंगिक वस्तुओं के प्रति इस रिपोर्ट में बताए गए अनुसार गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया गया है।

छ. बैंक कमोडिटी बाजार गतिविधियों का संचालन नहीं करता है।

ज. वित्तीय वर्ष के दौरान लैंगिक उत्पीड़न की दर्ज शिकायतों की संख्या - 2,
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाये गये शिकायतों की संख्या - 2,
लंबित शिकायतों की संख्या – शून्य

t. Auditors Fee:

Total Fee paid by the Bank for all services to the Statutory Auditors during FY 2020-21 is Rs. 23,48,22,337.54.

CREDIT RATINGS :

Name of the Rating Agencies	LOWER TIER II	Upper Tier II	Basel III Tier II			Certificate of Deposit Programme	Fixed Deposit Programme
	Series XIV	Series IV	Series I	Series II	Series III		
CRISIL Limited	A+ Stable	A- Stable	A+ Stable	A+ Stable	A+ Stable	A1+	FAA Stable
ICRA Limited	A+ Negative	A- Negative	A+(hyb) Negative	A+(hyb) Negative	--	--	
India Ratings	--	--	--	--	IND AA- Negative	--	--

* Credit Rating by CRISIL and ICRA Ratings Limited on Lower Tier and Upper Tier bonds stands withdrawn consequent to redemption / exercise of call option by the Bank on 31.12.2020 and 11.01.2021 respectively.

t. Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer Agents. Shareholders may lodge documents, grievances and complaints at their address:

Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, V Floor
No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-28460395 Fax: 28460129 email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office to handle the complaints and service requirements of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
Investor Relations Cell, Central Office, 763, Anna Salai
Chennai-600 002
Tel: 044-28519654, 71729791, 28415702,
email: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

Disclosures

a. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e. Whole Time Directors are being reviewed on a quarterly basis by the Audit Committee of the Board.

b. There are no significant related party transactions of the Bank with its directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

c. Bank has a Whistle Blower Policy and affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee as per CVC guidelines and the same is disclosed in our website.

d. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/directives issued from time to time by RBI/Government of India to the nationalized banks.

e. In terms of Regulation 34 of SEBI (LODR), Business Responsibility Report for the year 2020-21 is made available in our Bank's web site: www.iob.in

f. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

g. The Bank does not undertake commodity market activities.

h. Number of sexual harassment complaints filed during the financial year 2 ,

Number of complaints disposed off during the financial year 2 ,

Number of complaint pending – Nil.

झ. एमडी व सीईओ, ई डी यों था सीवीओ का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है । इन्हें दिए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्न रूप से दिया गया है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक का ब्यौरा*			राशि (रू. में)
				वेतन	बकाया	पी एफ	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	24.07.2020 - 31.03.2021	2162985	--	168958	23,31,943.00
2	श्री कर्नम शेखर	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	01.04.2020 - 30.06.2020	742716	--	63480	8,06,196.00
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	01.04.2020 - 31.03.2021	2693172	--	230160	29,23,332.00
4	सुश्री एस श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021 – 31.03.2021	197202	--	12547	2,09,749.00
5	श्री ए विजयकुमार	मुख्य सतर्कता अधिकारी	01.04.2020 – 09.03.2021	2427332	--	207461	26,34,793.00

* राशि रूपये में

बैंक जीओआई परिपत्र सं. 15/ 1/ 2011-बीओआई दिनांकित 18.01.2019 की सूचना के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क, जो कि बोर्ड की बैठक में रु 40,000/- प्रति बैठक एवं समिति की बैठक में रु. 20,000 प्रति बैठक एवं बैठक की अध्यक्षता करे के लिए अतिरिक्त रुपये रु. 10,000/- व बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता के लिए रु. 5000/- है, के अलावा गैर-कार्यकारी निदेशकों को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है ।

ञ. सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17 (8) के अनुसार सीईओ और सीएफओ का प्रमाण पत्र बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है एवं एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

ट. वर्ष 2020-21 के लिए बैंक में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34 के तहत एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है एवं उसकी एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

ठ. बैंक की लाभांश वितरण नीति रिपोर्ट का हिस्सा है और यह बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है ।

ड. निदेशकों के परिचय कार्यक्रमों के संबंध में उनका विवरण बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर दिया गया है ।

गैर अनिवार्य आवश्यकताएँ :

गैर अनिवार्य आवश्यकताएँ	हमारी स्वीकृति
बोर्ड - कंपनी के खर्च पर एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा एक कार्यालय का रखरखाव	बैंक ने गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के लिए कार्यालय प्रदान नहीं किया है
शेयरधारकों के अधिकार	वित्तीय परिणाम हमारी वेबसाइट में प्रदर्शित किए जाते हैं।
लेखा परीक्षा योग्यता	वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में योग्य टिप्पणी नहीं है।
अध्यक्ष व सीईओ का अलग पद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद भारत सरकार द्वारा एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष जोकि बैंक को समग्र नीति निर्देश देने एवं एक पूर्णकालिक कार्यकारी प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बैंक के दिन प्रतिदिन के कामकाज की देखरेख करने के लिए दिया गया है । वर्तमान में हमारे बैंक में कोई गैर- कार्यपालक निदेशक मौजूद नहीं है ।
आंतरिक लेखा परीक्षक	बैंक का अपना आंतरिक लेखा परीक्षक/ निरीक्षण है एवं उनकी रिपोर्ट समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा हेतु रखी जाती है ।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

-ह/-

(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

चेन्नै
14.06.2021

i. The remuneration of MD & CEO EDs and CVO is fixed by the Government of India. The details of remuneration paid to the MD & CEO and EDs are detailed below:

S No	Name	Designation	Period	Details of Remuneration*			Amount (Rs)
				Salary	Arrears	PF	
1	Mr Partha Pratim Sengupta	MD & CEO	24.07.2020 - 31.03.2021	2162985	--	168958	23,31,943.00
2	Mr Karnam Sekar	MD & CEO	01.04.2020 - 30.06.2020	742716	--	63480	8,06,196.00
3	Mr Ajay Kumar Srivastava	ED	01.04.2020 - 31.03.2021	2693172	--	230160	29,23,332.00
4	Ms S Srimathy	ED	10.03.2021 – 31.03.2021	197202	--	12547	2,09,749.00
5	Mr A Vijayakumar	CVO	01.04.2020 – 09.03.2021	2427332	--	207461	26,34,793.00

*Amount in INR

The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fee fixed by Government of India which is Rs.40,000/- per Board Meeting and Rs.20,000.00 per Committee Meeting and additional Fee of Rs.10,000/- for chairing Board Meeting and Rs.5,000 for chairing Board Committee meeting in terms of GOI Circular No.F.No.15/1/2011-BO.I dated 18.01.2019.

j. The Certificate of CEO and CFO in accordance with Regulation 17(8) of SEBI (LODR) has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.

k. In terms of Regulation 34 of SEBI (LODR), a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on corporate governance in the Bank for the year 2020-21 and the same is annexed to this report.

l. The Dividend Distribution Policy of the Bank form part of the Report and is available on the Bank's website at www.iob.in

m. Details of familiarization programmes for Directors have been given on the Bank's website at www.iob.in

n. NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non-executive Chairman at the company's expense	Bank has not provided office for the non-executive Chairman
Shareholders Rights	The financial results are displayed in our website.
Audit Qualification	The Audit Reports for the year 2020-21 do not contain qualified remarks.
Separate post of Chairman and CEO	The post of Chairman and Managing Director of Public Sector Banks has been bifurcated by the Government of India into a non-executive Chairman to give an overall policy direction to the Bank and a full time executive Managing Director & CEO to oversee the day-to-day functioning of the Bank. At present, there is no Non-Executive Chairman in our Bank
Internal Auditor	The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their reports are periodically placed to the Audit Committee for review.

Chennai 14.06.2021	For and on behalf of the Board of Directors -Sd/- **(Partha Pratim Sengupta)** Managing Director & CEO

वर्ष 2020-21 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस विषयक निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध
ANNEXURE TO REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2020-21
निदेशकों का जीवन परिचय DIRECTORS PROFILE

1. श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उम्र एवं जन्म तिथि : 58 वर्ष, 07.12.1962

नियुक्ति की तिथि : 24.07.2020

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : 31.12.2022

अनुभव :

भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण अधिकारी श्री.पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने 24 जुलाई 2020 को इंडियन ओवरसीज बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया ।

श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने फरवरी 1987 में अपना बैंकिंग करियर भारतीय स्टेट बैंक में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में शुरू किया । एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत होने से पहले वे भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक थे । इससे पहले, वे भारतीय स्टेट बैंक, मध्य कॉर्पोरेट क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे में महाप्रबंधक थे ।

एसबीआई के डीएमडी और सीसीओ के रूप में उनका उत्तरदायित्व सर्वोत्तम वैश्विक अभ्यासों से मेल खाने वाले मानकों के साथ बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो को एक मजबूत स्थायी स्तर पर स्थापित करना था । उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के साथ अपने 3 दशकों से अधिक के अनुभव के दौरान विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करते हुए खुदरा बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग दोनों में अनुभव प्राप्त किया है ।

आईओबी के शेयरधारिता : लागू नहीं

अन्य निदेशकत्व : यूनिवर्सल सोम्पो जरनल इन्श्यूरेंस लिमिटेड

2. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

उम्र एवं जन्म तिथि : 53 वर्ष, – 15.10.1967

योग्यता : बी. एससी. (ऑनर्स), सीएआईआईबी भाग ।

नियुक्ति की तिथि : 09.10.2017

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : 08.10.2020

अनुभव :

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने 9 अक्तूबर 2017 को कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । भारत सरकार द्वारा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के कार्यकाल को दिनांक 10.10.2020 से आगे 2 वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया है । इससे पूर्व वे इलाहाबाद बैंक में फील्ड महा प्रबन्धक – दिल्ली के रूप में कार्यरत थे ।

1. Shri Partha Pratim Sengupta
MD & CEO

Age and Date of Birth: 58 years, 07.12.1962

Date of Appointment: 24.07.2020

Date of expiry of the current term: 31.12.2022

Experience:

Shri. Partha Pratim Sengupta, Deputy Managing Director & Chief Credit Officer, State Bank of India has assumed charge as Managing Director & Chief Executive Officer in Indian Overseas Bank on 24th July 2020.

Shri. Partha Pratim Sengupta, a career banker, joined State Bank of India as a Probationary Officer in February 1987. Prior to his elevation to the post of Deputy Managing Director in SBI he was the Chief General Manager of State Bank of India, Kolkata Circle. Prior to this, he was General Manager at State bank of India, Mid Corporate Regional Office, Pune.

As DMD & CCO of SBI, he was responsible in positioning the Bank's credit portfolio on a firm sustainable footing with standards matching global best practices. During his more than 3 decades of experience with State Bank of India he has served in various capacities in different geographies and has hands-on experience both in Retail Banking and Corporate Banking.

Shareholding in IOB : NA

Other Directorships : Universal Sompo General Insurance Ltd

2. Shri Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

Age and Date of Birth: 53 Years – 15.10.1967

Qualification: B.Sc. (Hons), CAIIB Part I

Date of Appointment: 09.10.2017

Date of expiry of the current term: 08.10.2022

Experience:

Shri Ajay Kumar Srivastava has assumed Office as Executive Director of Indian Overseas Bank on 9th October 2017. The term of Shri Ajay Kumar Srivastava was extended for a further period of 2 years from 10.10.2020 by the Govt of India. Prior to this he was working as Field General Manager- Delhi with Allahabad Bank.

उन्होंने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत 1991 में इलाहाबाद बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की और अपने 27 वर्ष के बैंकिंग करियर में उन्होंने देश के विभिन्न भागों में, जिसमें फील्ड और प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं, में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है । वे एक विद्वान, कार्यकुशल एवं हार्डकोर बैंकर हैं जिन्हें फील्ड का विशाल अनुभव है तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात व दिल्ली के बड़े व महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त है । उन्होंने सकारात्मक, संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और क्षेत्र में विभिन्न वर्टिकल का नेतृत्व करते समय कई नई पहलों का शुभारंभ किया है । श्री श्रीवास्तव ने भारत व विदेशों में कुछ प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

आईओबी में शेयरधारण : शून्य

अन्य निदेशकता : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से नामित निदेशक – इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

3. सुश्री एस. श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

उम्र एवं जन्म तिथि : 57 वर्ष - 22.05.1964

योग्यता : बी.कॉम , एम.कॉम , एमबीए , सीएआइआइबी

नियुक्ति की तिथि : 10.03.2021

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : 09.03.2024

अनुभव :

सुश्री एस श्रीमती ने 10.03.2021 को इण्डियन ओवरसीज बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । इससे पूर्व वे केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थीं। इंडियन ओवरसीज बैंक में वर्तमान पद संभालने से पहले वे नाबार्ड में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त थीं।

सुश्री एस श्रीमती ने नवंबर 1986 में केनरा बैंक में अपनी सेवाओं की शुरुआत परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की। उनके पास ग्रामीण से लेकर महानगर तक की सभी श्रेणियों की शाखाओं में कार्य करने का 34 वर्ष से अधिक का बैंकिंग अनुभव है । साथ ही उन्हें शाखा परिचालन , मध्य व वृहत क्रेडिट , मानव संसाधन , जोखिम प्रबंधन , इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्षेत्रों में भी कार्य करने का अनुभव है ।

सुश्री एस श्रीमती ने देश के सभी हिस्सों में काम किया है और तीन साल से अधिक समय तक कफ परेड, मुंबई में प्राइम कॉर्पोरेट शाखा का नेतृत्व किया है । साथ ही उन्होंने चेन्नई सर्कल के प्रमुख बनने से पहले केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग और अंतर्राष्ट्रीय संचालन का नेतृत्व किया है।

सुश्री एस श्रीमती को जुलाई, 2018 में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नाबार्ड में प्रतिनियुक्त किया गया था। इस अवधि के दौरान सुश्री एस श्रीमती ने अलग-अलग अवधि के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के सीवीओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है ।

आइओबी में शेयर धारण : शून्य

He started his banking career as Probationary Officer in 1991 with Allahabad Bank and during his banking career spanning over 27 years, he has worked in various capacities in different parts of the country which include Field as well as Administrative Offices. He is an astute and hardcore banker with vast field level experience and has the distinction of having successfully led the largest and most critical areas of Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi. He has been instrumental in bringing positive structural and cultural changes and took many new initiatives while heading different verticals in the field. Mr Srivastava has undergone some very prestigious training programmes both in India and abroad.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships: Scheduled Commercial Bank Nominee Director - India Infrastructure Finance Company Limited.

3. Ms. S Srimathy
Executive Director

Age and Date of Birth: 57 years - 22.05.1964

Qualification: B.Com, M.Com, MBA, CAIIB

Date of Appointment: 10.03.2021

Date of expiry of the 09.03.2024

Experience:

Ms. S Srimathy, has assumed charge as Executive Director of Indian Overseas Bank on 10.03.2021 from Canara Bank where she was Chief General Manager. She had been deputed to NABARD as Chief Vigilance Officer prior to taking over the present post in Indian Overseas Bank.

Ms. S Srimathy joined Canara Bank as Probationary Officer in November 1986. She is having 34+ years of Banking Experience in all categories of branches from Rural to Metro and is well exposed to various verticals like Branch Operations, Mid & Large Credits, Human Resources, Risk Management etc.

Ms. S Srimathy had worked across the country and headed the Prime Corporate Branch at Cuffe Parade, Mumbai for over three years and headed the Corporate Credit Wing & International Operations at Head Office of Canara Bank before becoming Head of Chennai Circle.

Ms. S Srimathy was deputed to NABARD as Chief Vigilance Officer in July, 2018. During the period Ms. S Srimathy held additional charge as CVO of New India Assurance Company Limited, State Bank of India and Bank of Baroda for varying periods.

Shareholding in IOB : Nil

अन्य निदेशकता : लागू नहीं
4. सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू **सरकारी नामिती**
उम्र एवं जन्म तिथि : 57 वर्ष - 21.10.1963
योग्यता : एम. एससी.
नियुक्ति की तिथि : 22.07.2016
वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : भारत सरकार के अगले आदेश तक

अनुभव :

एनी जॉर्ज मैथ्यू वर्तमान में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं । वे 22.07.2016 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के मण्डल में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं । वे 12.12.2014 से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) में अंशकालिक सदस्य भी हैं ।

वे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईए एंड एएस) के 1988 बैच से संबंध रखती हैं । उनका भारत के भीतर और भारत के बाहर एक विस्तृत और विविध करियर रहा है । उनकी पिछली नियुक्तियों के दौरान उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि में अपनी सेवाएँ दी हैं । उन्हें राज्य और केंद्र सरकार के लेखा और लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों में एक विविध अनुभव प्राप्त है । लेखा परीक्षा में उन्होंने वाणिज्यिक, सिविल, रसीद और रेलवे लेखा परीक्षा में काम किया है । उन्होंने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों में संयुक्त राष्ट्र, यूएनएचसीआर जैसे अंतरराष्ट्रीय और बहु-पक्षीय संगठनों के साथ काम करने वाली लेखा परीक्षा टीमों का नेतृत्व भी किया है ।

उन्होंने मिरांडा हाउस से अपनी स्नातक तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की है एवं उसके पश्चात वे सिविल सेवाओं में शामिल हो गईं।

आईओबी में शेयरधारण : उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है ।
अन्य निदेशकता : शून्य
5. श्री दीपक कुमार **आरबीआई नामिति**
आयु व जन्मतिथि : 56 वर्ष – 01.08.1964
योग्यता :एमए (अर्थशास्त्र), पीएचडी,अंतर्राष्ट्रीय विपणन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सीएआईआईबी
नियुक्ति की तिथि : 18.09.2019
वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : अगले आदेश तक

Other Directorships: Nil
4. Ms Annie George Mathew **GoI Nominee**
Age and Date of Birth: 57 years - 21.10.1963
Qualification: M.Sc.
Date of Appointment: 22.07.2016
Date of expiry of the current term: Until further orders from Government of India

Experience:

Annie George Mathew is currently working as Additional Secretary to Govt. of India in Ministry of Finance. She is the Government nominee Director in the Board of Indian Overseas Bank since 22.07.2016. She is also Part-time Member in Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) since 12.12.2014.

She belongs to the 1988 batch of Indian Audit and Accounts Service (IA&AS). She has had a wide and varied career within India and outside India. Her earlier postings have taken her across the country to different states like Himachal Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi, Madhya Pradesh, etc. She has a varied experience in both Accounting and Auditing function of the State and Union Government. In Audit, she has worked in Commercial, Civil, Receipt and Railways Audit. She has also led audit teams working with international and multi-lateral organizations like the United Nations, UNHCR in various countries of Europe, Africa and Asia.

She is a graduate from Miranda House and post graduate from Delhi University and thereafter joined the civil services.

Shareholding in IOB : She does not hold any equity shares of the Bank
Other Directorships: Nil
5. Shri. Deepak Kumar **RBI Nominee**
Age and Date of Birth: 56 Years – 01.08.1964
Qualification: MA (Economics), Ph.D, Post Graduate Diploma in International Marketing, CAIIB
Date of Appointment: 18.09.2019
Date of expiry of the current term: Until further orders

अनुभव :

श्री दीपक कुमार ने भारतीय रिजर्व बैंक में अपनी सेवाओं की शुरुआत सितंबर 1990 में की एवं वर्तमान में आरबीआई, मुंबई में सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य महा प्रबंधक के रूप में तैनात हैं । वे अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं एवं नब्बे के दशक में बैंकिंग उद्योग पर कम्प्यूटरीकरण के प्रभाव - एक मूल्यांकन' विषय में पीएचडी प्राप्त की है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल मार्केटिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। हाल में, उन्होंने बिग डेटा, हॅडूप और बिजनेस एनालिटिक्स पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र प्राप्त किए थे।

श्री दीपक कुमार ने आरबीआई के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में काम किया है जिसमें भुगतान प्रणाली, मुद्रा वितरण एवं प्रबंधन, प्रायोजना, बैंकिंग परिचालन, मानव संसाधन प्रबंधन, वाणिज्यिक बैंक पर्यवेक्षण, विदेशी विनिमय विनियमन और पर्यवेक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।

आइओबी में शेयर धारण : कोई नहीं

अन्य निदेशकता : एनपीसीआई एवं आईएफ़टीएएस (आरबीआई द्वारा नियुक्त) शासकीय परिषद सदस्य-आईडीआरबीटी

6. श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
शेयरधारक निदेशक

आयु एवं जन्मतिथि : 58 वर्ष 15.10.1962

योग्यता : बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र
भारत के बीमा संस्थान से अनुज्ञप्ति प्राप्त

नियुक्ति की तिथि : 29.01.2021

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : 28.01.2024

अनुभव :

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा वित्त उत्पादन विपणन, मानव संसाधन प्रबंधन, और श्रम कानून विशेष रूप से जो पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य कर्मचारी लाभ से सम्बद्ध है, का विशाला अनुभव है ।

वित्तीय उत्पाद विपणन :

- हजारीबाग, पटना और हैदराबाद डिवीज़न के सीनियर डिवीज़नल मैनजर (इन-चार्ज) के रूप में, उनके पास लक्षित प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए इन डिविजनों के तहत सभी शाखाओं की मार्केटिंग और सर्विसिंग गतिविधियों दोनों की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी थी ।
- क्षेत्रीय प्रबन्धक (विपणन) के रूप में उन्होंने अंचल की विपणन रणनीतियों के विकास व कार्यान्वयन तथा विपणन गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदारी निभायी।
- प्रमुख (पी व जी एस) के रूप में वे समूह पोर्टफोलियो के निवेश में शामिल थे, जिसमें वित्तीय बाज़ारों की दैनिक निगरानी समाहित थी ।

मानव संसाधन प्रबंधन :

- क्षेत्रीय प्रबन्धक के रूप में उन्होंने अंचल के मानव संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारी निभायी, जिसमें पदोन्नति तथा अधिकारियों का पदस्थगन शामिल है ।

Experience:

Shri Deepak Kumar, joined Reserve Bank of India in September 1990 and currently posted as Chief General Manager, Department of Information Technology, RBI, Mumbai. He is a Post Graduate in Economics and has obtained Ph.D on the subject 'Impact of Computerization on Banking Industry during Nineties- an Evaluation'. He has done Post Graduate Diploma in International Marketing from Delhi School of Economics. In recent times, he had obtained online Certificates on Big Data, Hadoop and Business Analytics.

Shri Deepak Kumar has worked in various work areas of RBI which includes Payment System, Currency distribution and management, Planning, Banking operations, Human Resource Management, Commercial bank supervision, Foreign Exchange regulation and supervision, Information Technology, etc.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships: NPCI & IFTAS (Appointed by RBI) Governing Council Member-IDRBT

6. Shri Navin Prakash Sinha
Shareholder Director

Age and Date of Birth: 58 years 15.10.1962

Qualification: BA (Hons) Economics
Licenciate of Insurance Institute of India

Date of Appointment: 29.01.2021

Date of expiry of the current term: 28.01.2024

Experience:

Shri Navin Prakash Sinha has vast experience in the field of Financial Product Marketing, Human Resource Management and Labour laws especially related to Pension, Gratuity, and other Employees' benefits.

Financial Product Marketing:

- As a Sr. Divisional Manager (In-Charge) of Hazaribagh, Patna and Hyderabad Division, he was responsible for monitoring and controlling both marketing and servicing activities of all branches under these Divisions for achieving targeted performance.
- As a Regional Manager (Marketing), he was responsible for developing and implementing Marketing strategies of the Zone, Supervising marketing activities under Zone.
- As a Chief (P&GS), he was involved in investment of Group portfolio which included daily monitoring of Financial Markets.

Human Resource Management:

- As a Regional Manager (P&IR), he was responsible for human resource management of the zone involving promotion and placement of officers.

- ज़ेडटीसी, गुड़गांव के अतिरिक्त निदेशक एवं निदेशक के रूप में वे उत्तरी क्षेत्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उनके पास जिम्मेदारी थी और उन्होंने इसे उत्कृष्टता के सीखने के केंद्र के रूप में विकसित किया था ।
- विशेष रूप से पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अन्य कर्मचारियों के लाभ से संबन्धित श्रम कानून ।
- प्रमुख (पी व जीएस) के रूप में वे कॉर्पोरेट कार्यालय के पेंशन व ग्रुप इंश्योरेंस वर्टिकल के विपणन एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी निभायी ।

वर्तमान / भूत में एलआईसी में धारित पद :

- 09.08.2018 से अब तक अंचल प्रबन्धक (उ प्र व उत्तराखंड के प्रभारी के रूप में)
- निदेशक (अंचल प्रशिक्षण केंद्र) गुड़गांव अक्तूबर 2017 से 08.08.2018 तक
- अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 तक अतिरिक्त निदेशक (अंचल प्रशिक्षण केंद्र), गुड़गांव
- अप्रैल 2015 से अप्रैल 2017 तक प्रमुख (पेंशन व समूह सेवा निवृत्ति योजनाएँ) केन्द्रीय कार्यालय मुंबई
- अप्रैल 2012 से अप्रैल 2015 तक क्षेत्रीय प्रबन्धक (विपणन) दक्षिण केंद्रीय अंचल, हैदराबाद
- अप्रैल 2011 से अप्रैल 2012 (कार्मिक व औद्योगिक संबंध) दक्षिण अंचल, चेन्नै
- जुलाई 2010 से अप्रैल 2011 तक राष्ट्रीय संबंध प्रबन्धक, चेन्नै
- अगस्त 2007 से जुलाई 2010 तक मुख्य प्रबन्धक मॉरीशस
- मई 2006 से अगस्त 2007 तक सीनियर डिवीज़नल मैनेजर (प्रभारी), हैदराबाद
- मई 2004 से मई 2006 तक सीनियर डिवीज़नल मैनेजर (प्रभारी), पटना
- मई 2002 से मई 2004 तक सीनियर डिवीज़नल मैनेजर (प्रभारी), हजारीबाग

आइओबी में शेयरधारण : उनके पास बैंक के 100 इक्विटी शेयर है ।

अन्य निदेशकता : शून्य

- As an additional Director and Director ZTC, Gurgaon, he was responsible for training of all officers & employees of Northern zone and develop it as a learning centre of excellence.
- Labour laws especially related to Pension, Gratuity, and other employees' benefits:
- As a Chief (P&GS), he was responsible for marketing and administration of Pension & Group Insurance vertical from Corporate Office.

Post held in LIC at Present/Past

- Zonal Manager (In Charge of UP and Uttarakhand from 09.08.2018 till date
- Director (Zonal Training Centre), Gurgaon from October,2017 till 08.08.2018
- Additional Director (Zonal Training Centre), Gurgaon from April,2017 to September, 2017
- Chief (Pension & Group Superannuation Schemes), Central Office, Mumbai from April, 2015 to April,2017
- Regional Manager (Marketing), South Central Zone, Hyderabad from April, 2012 to April, 2015
- Regional Manager(Personnel & Industrial Relations), Southern Zone, Chennai from April, 2011 to April , 2012
- National Relationship Manager, Chennai from July, 2010 to April, 2011
- Chief Manager, Mauritius from August, 2007 to July, 2010
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Hyderabad from May, 2006 to August, 2007
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Patna Division from May, 2004 to May, 2006
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Hazaribagh Division from May, 2002 to May, 2004.

Shareholding in IOB : He holds 100 Shares of our Bank.

Other Directorships: Nil

निदेशकों की गैर- अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जानेवाले विनियम 34 (3) के अनुक्रम में

सदस्यगण
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
763, अण्णा सालै
चेन्नै – 600002

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुछेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जानेवाले विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र के निर्गमन के उद्देश्य से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 763, अण्णा सालै , चेन्नै -600002 स्थित है, (जिसे आगे से "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों द्वारा मेरे सामने प्रस्तुत सभी संबंधित पंजियों , रिकॉर्डों , प्रारूपों , विवरणियों की हमारे द्वारा जाँच की गयी ।

बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और वांक्षित परीक्षणों के अनुसार तथा हमारे अभिमत और मेरी जानकारी के अनुसार मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि 31 मार्च 2021 तक जैसा कि बताया गया था, बैंक के बोर्ड में शामिल निम्नवत किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा जारी रहने से न तो वर्जित किया गया है और न ही अयोग्य ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020
2.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017
3.	सुश्री एस. श्रीमती	10.03.2021
4.	सुश्री ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016
5.	श्री दीपक कुमार	18.09.2019
6.	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	29.01.2021

बोर्ड के किसी भी निदेशक की नियुक्ति / उनकी सेवाओं को जारी रखने संबंधी पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जाँच के आधार पर हम उसके बारे में अपना अभिमत व्यक्त करें । यह प्रमाण पत्र ना तो बैंक की भविषयगत परिहार्यता के प्रति और ना ही बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए कामकाजों की पद्धति की प्रभाविता या दक्षता के प्रति कोई आश्वासन है ।

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 11 जून 2021

कृते **वी सुरेश एवं एसोसियेट्स**
कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत

-ह/-
वी सुरेश
वरिष्ठ सहभागी
एफसीएस सं. 2969
सीपी सं. 6032
पी आर. सी. सं. : 667/2020
यूडीआइएन :एफ002969सी000444762

CERTIFICATE OF NON – DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK
763, Anna Salai,
Chennai – 600 002

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of INDIAN OVERSEAS BANK having registered office at 763, Anna Salai, Chennai - 600 002 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before me by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of my information as considered necessary and explanations furnished to me by the Bank & its officers, I hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ended on 31st March, 2021 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other statutory authority.

S. NO	NAME OF THE DIRECTOR	Date Of Initial Appointment
1.	Mr. Partha Pratim Sengupta	24.07.2020
2.	Mr. Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017
3.	Ms. S Srimathy	10.03.2021
4.	Ms. Annie George Mathew	22.07.2016
5.	Mr. Deepak Kumar	18.09.2019
6.	Mr. Navin Prakash Sinha	29.01.2021

Ensuring the eligibility of the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. My responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

PLACE : CHENNAI
DATE : 11TH JUNE 2021

For **V.SURESH & ASSOCIATES**
PRACTISING COMPANY SECRETARIES

-Sd/-
V Suresh
Senior Partner
FCS No. 2969
C.P.No. 6032
Peer Review Cert. No. : 667/2020
UDIN: F002969C000444762

निदेशकों की गैर- अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जानेवाले विनियम 34 (3) के अनुक्रम में

सदस्यगण

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
763, अण्णा सालै
चेन्नै – 600002

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जानेवाले विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र के निर्गमन के उद्देश्य से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 763, अण्णा सालै , चेन्नै -600002 स्थित है, (जिसे आगे से "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों द्वारा हमें प्रस्तुत सभी संबंधित पंजियों , रिकॉर्डों , प्रारूपों , विवरणियों की हमारे द्वारा जाँच की गयी ।

बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और वांक्षित परीक्षणों के अनुसार तथा हमारे अभिमत और जानकारी के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2020 तक बैंक के बोर्ड में शामिल निम्नवत किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा जारी रहने से ना तो वर्जित किया गया है और ना ही अयोग्य ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	कर्नम शेखर	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2019
2.	अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	09.10.2017
3.	ऐनी जार्ज मैथ्यू	गैर कार्यपालक – नामिती निदेशक	22.07.2016
4.	दीपक कुमार	कार्यपालक – नामिती निदेशक	18.09.2019
5.	संजय रुंगटा	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक	08.12.2014
6.	नवीन प्रकाश सिन्हा	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक	08.12.2017

बोर्ड के किसी भी निदेशक की नियुक्ति / उनकी सेवाओं को जारी रखने संबंधी पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जाँच के आधार पर हम उसके बारे में अपना अभिमत व्यक्त करें । यह प्रमाण पत्र ना तो बैंक की भविषयगत परिहार्यता के प्रति और ना ही बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए कामकाजों की पद्धति की प्रभाविता या दक्षता के प्रति कोई आश्वासन है ।

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 25 जून 2020

कृते **आर श्रीधरन एवं एसोसियेट्स**
कंपनी सचिव
सीपी सं 3239
यूआइएन : एस2003टीएन063400
यूडीआइएन : एफ004775बी000375805

CERTIFICATE OF NON – DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

Pursuant to Regulation 34 (3) read with Schedule V Para – C Sub clause (10) (i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK
763, Anna Salai,
Chennai – 600 002

We have exminded the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of INDIAN OVERSEAS BANK having its Registered office at 763, Anna Salai, Chennai – 600 002, (hereinafter referred to as "The Bank") produced before us by the Bank for the purpose of Issuing this certificate, in accordance with Regulation 34 (3) read with Schedule V Part – C Sub clause 10 (i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors as stated below on the Board of the Bank as on 31st March 2020 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India or any such other statutory authority.

S. NO	NAME OF THE DIRECTOR	DESIGNATION	Date Of Initial Appointment
1.	Karnam Sekar	Managing Director & Chief Executive Officer	01.04.2019
2.	Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	09.10.2017
3.	Annie George Mathew	Non - Executive - Nominee Director	22.07.2016
4.	Deepak Kumar	Executive - Nominee Director	18.09.2019
5.	Sanjay Rungta	Non - Executive - Independent Director	08.12.2014
6.	Navin Prakash Sinha	Non - Executive - Independent Director	08.12.2017

Ensuring the eligibility of, every Director on the Board, for their appointment / continuity is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on the same based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

PLACE : CHENNAI
DATE : 25TH JUNE 2020

For **R.SRIDHARAN & ASSOCIATES**
COMPANY SECRETARIES
CP No. 3239,
FCS No.4775, UIN : S2003TN063400,
UDIN : F004775B000375805

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,
चेन्नै
के सदस्यों को

हमने 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ("बैंक") द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन , 2015 में निर्धारित किया गया है ।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारा परीक्षण प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था । यह न तो लेखा परीक्षा न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है ।

हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन , 2015 में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है ।

साथ ही हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधक की दक्षता या कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रभावात्मकता का जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलाप को संपन्न किए हैं।

कृते पात्रो एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन 310100ई	कृते एम. श्रीनिवासन एंड एसोसियेट्स सनदी लेखाकारों एफआरएन 004050एस
(एन आनंद राव) साझेदार एम नं 051656 यूडीआइएन : 21051656एएएजेके1548	(एस संतोष) साझेदार नं. 230839 यूडीआइएन :21230839एएएएबीएम 4103
कृते एस.एन नंदा एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन 000685एन	कृते योगनंद एंड राम एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन 005157एस / एस200052
(पुनीत नंदा) साझेदार एम नं. 092435 यूडीआइएन : 21092435एएएएबीए1183	(एन श्रीधर) साझेदार एम नं. 026833 यूडीआइएन :21026833एएएएएवाइ5690

AUDITORS' CERTIFICATE REGARDING COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank ("the bank") for the finanancial year ended on 31.03.2021, as stipulated in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provision of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For PATRO & CO Chartered Accountants FRN 310100E	For M. SRINIVASAN & ASSOCIATES Chartered Accountants FRN 004050S
(N.ANANDA RAO) Partner M No : 051656 UDIN : 21051656AAAA-JK1548	(S.SANTHOSH) Partner M.No. 230839 UDIN: 21230839AAAABM4103
For S N NANDA & CO Chartered Accountants FRN 000685N	For YOGANANDH & RAM LLP Chartered Accountants FRN 005157S/S200052
(PUNEET NANDA) Partner M.No.092435 UDIN : 21092435AAAA-BA1183	(N SRIDHAR) Partner M No: 026833 UDIN : 21026833AAAAAY5690

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
मार्च 2021 के समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सदस्य गण,

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,

763, अण्णा सालै,

चेन्नै - 600 002.

हमने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है (इसके बाद बैंक का नाम लिया गया है)। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/ वैधानिक अनुपालन और उस पर अपनी राय व्यक्त की।

हमने कोविड-19 के कारण और इस रिपोर्ट को जारी करने के उद्देश्य से, बैंक की सुविधा के अनुसार ऑनलाइन सत्यापन और अभिलेखों की जांच की है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और बैंक द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सिक्योरिटीज और भारतीय विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए कोविड -19 महामारी के प्रसार के कारण वारंट किया गया। हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास इस तरीके की रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है ।

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत बहियों, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

(i). कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम; - आईईपीएफ संबंधित प्रावधान लागू हैं।

(ii). प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii). निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv). विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

(v). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश:-

- क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015
- ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009 जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया है;
- घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
- ड. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008
- च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और क्लाइंट के साथ व्यवहार के संबंध में; (लागू नहीं)
- छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
- ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

इस बैंक पर विशेष रूप से लागू होने वाले अन्य कानून इस प्रकार हैं:

(vi) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949

(vii) बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

मैंने लागू निम्नलिखित खंडो के अनुपालन का परीक्षण भी किया :

SECRETARIAL AUDIT REPORT
For the Financial Year 2020-21

The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK
763, Anna Salai,
Chennai - 600 002

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Indian Overseas Bank (hereinafter called the Bank). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

We have conducted online verification & examination of records, as facilitated by the Bank, due to Covid 19 and for the purpose of issuing this Report.

Based on our verification of the Indian Overseas Bank books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India warranted due to the spread of the COVID-19 pandemic, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March 2021, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Indian Overseas Bank ("the Bank") for the financial year ended on 31st March 2021 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder; - The IEPF related provisions are applicable.

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (Not applicable to the Bank during the audit period)

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

   (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

   (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended in 2018;

   (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not applicable to the Bank during the audit period)

   (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

   (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (Not applicable)

   (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not applicable to the Bank during the audit period)

   (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; (Not applicable to the Bank during the audit period) Other Laws specifically applicable to this Bank is as follows:

(vi) The Banking Regulations Act, 1949

(vii) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक । (विस्तार के लिए लागू)

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 15(2) के अनुसार, अन्य सूचीबद्ध संस्थाएं, जो कंपनियां नहीं हैं, बल्कि कॉर्पोरेट निकाय हैं, अन्य कानूनों के तहत विनियमों के अधीन हैं, विनियमों में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधान 17 से 27 और 46(2) (बी) से (i) और अनुसूची वी के पैरा सी, डी और ई इस हद तक लागू होंगे कि यह संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी उनकी संबंधित विधि और दिशानिर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

बैंक का गठन बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत किया गया है और कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजीकृत नहीं है।

बैंक के बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों का गठन और निदेशकों को पारिश्रमिक, बोर्ड/समिति प्रक्रियाओं/संबंधित पार्टी लेनदेन आदि, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत शासित होते हैं। , बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, जैसा कि संशोधित और भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश और उस सीमा तक विनियम 15 से 27 तक के कुछ प्रावधान अनुपालन योग्य/लागू नहीं हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने निम्नलिखित को छोड़कर, ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

बोर्ड की संरचना के संबंध में, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (ई) (एफ) और (जी) के तहत रिक्तियां मौजूद हैं,

हालाँकि, संशोधन 14ए द्वारा किए गए प्रावधान को सक्षम किया गया है । राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.01.2021) में विशेष प्रावधान अर्थात जहां भी समिति गठित करने या पुनरावृत्ति करने में सक्षम नहीं है, वहां संबंधित एजेंडा को अनुमोदन के लिए सीधे बोर्ड के पास भेजा जा सकता है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है, एजेंडा पर विस्तृत नोट्स अग्रिम रूप से भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं ।

हम ऑडिट रिपोर्ट के दौरान आगे रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक को सरकार से निवेश के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के इक्विटी शेयरों के तरजीही आवंटन में केंद्र सरकार के योगदान के लिए भारत सरकार से 4100 करोड़ (केवल चार हजार एक सौ करोड़ रुपये) रुपये की पूंजी मिली। उक्त राशि रु. 4100 करोड़ (केवल चार हजार एक सौ करोड़ रुपये) दिनांक 31.03.2021 को बैंक द्वारा प्राप्त शेयर आवेदन राशि खाते में आवंटन लंबित है। उक्त राशि को आरबीआई के पत्र दिनांक 30.04.2021 के अनुसार सीईटी 1 पूंजी का हिस्सा माना जाता है।

कृते वी सुरेश एण्ड एसोसिएट्स
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव

-ह/-

वी सुरेश
वरिष्ठ सहभागी
एफ़सीएस न. 2969
सीपी सं 6032
प्री रिव्यू सर्टिफिकेट न. 667/2020
यूडीआईएन : एफ002969सी000444806

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 11 जून 2021

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. (To the extent applicable)

(ii) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

As per Regulation 15(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, other listed entities, which are not companies but body corporate, are subject to regulations under other statutes, the provisions of corporate governance as specified in Regulations 17 to 27 and 46(2) (b) to (i) and Paras C, D and E of Schedule V shall apply to the extent that it does not violate their respective statues and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is not registered under the Companies Act, 1956/2013.

The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other Committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures / Related Party Transactions etc., are governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time and to that extent some of the provisions of the Regulations 15 to 27 are not compliable/ applicable.

During the period under review the listed entity has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above except the following:

With respect to the composition of Board, vacancies exist under Section 9 (3) (e)(f) & (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

However, enabling provision made by amendment 14A. Special provision in the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (GOI notification dated 25.01.2021) i.e. wherever the committee is not able to form or recurs, respective agenda can be directly referred to Board for approval.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit report The Bank received a capital infusion of Rs.4,100 crore (Rupees Four Thousand One Hundred crores only) from Government of India towards contribution of Central Government in the preferential allotment of equity shares of the Bank during the Financial Year 2020-21, as Government's Investment. The said amount of Rs.4,100 crore (Rupees Four Thousand One Hundred crores only) received by the Bank on 31.03.2021 is kept in Share Application Money Account pending allotment. The said amount is considered as part of CET 1 Capital in terms of RBI letter dated 30.04.2021.

For V.Suresh & ASSOCIATES
PRACTISING COMPANY SECRETARIES

-Sd/-

V.SURESH
SENIOR PARTNER
FCS No.2969,
CP No. 6032,
PEER REVIEW CERT.No.:667/2020
UDIN : F002969C000444806

PLACE : CHENNAI
DATE : 11TH JUNE, 2021

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

सदस्यगण,

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

चेन्नई – 600 002

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है ।

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है ।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है । सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था । हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं ।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है ।
4. जहां कभी भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है ।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी परीक्षण प्रयोग के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था ।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के मामलों को संचालित करने की क्षमता या प्रभावशीलता के बारे में है ।

कृते वी सुरेश एण्ड एसोसिएट्स
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
-ह/-
वी सुरेश
वरिष्ठ सहभागी
एफ़सीएस न. 2969
सीपी सं 6032
प्री रिव्यू सर्टिफिकेट न. 667/2020
यूडीआईएन : एफ002969सी000444806

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 11 जून 2021

ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT

The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK
763, Anna Salai,
Chennai - 600 002

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.

4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For V.Suresh & ASSOCIATES
PRACTISING COMPANY SECRETARIES
-Sd/-
V.SURESH
SENIOR PARTNER
FCS No.2969,
CP No. 6032,
PEER REVIEW CERT.No.:667/2020
UDIN : F002969C000444806

PLACE : CHENNAI
DATE : 11TH JUNE, 2021

31.3.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

		SCHEDULES अनुसूची	AS AT 31.03.2021 तक	AS AT 31.03.2020 तक
				(रु. हजारों में Rs. in 000's)
पूँजी व देयताएँ	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूँजी	Capital	01	16436 98 83	16436 98 83
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	02	507 82 25	-282 01 34
जमाएं	Deposits	03	240288 29 56	222951 88 00
उधार	Borrowings	04	3671 57 65	5419 73 08
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	05	13105 67 06	16200 24 49
कुल	**TOTAL**		**274010 35 35**	**260726 83 06**
आस्तियाँ	**ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	06	12188 25 39	3155 22 13
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	18588 08 30	20905 43 44
निवेश	Investments	08	95494 22 37	79416 08 00
अग्रिम	Advances	09	127720 65 26	121333 40 64
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	2918 77 96	3127 34 26
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	17100 36 07	32789 34 59
कुल	**TOTAL**		**274010 35 36**	**260726 83 06**
समाश्रित देयताएँ	Contingent Liabilities	12	68276 44 51	71030 56 65
संग्रहण के लिए बिल	Bills for Collection		15547 89 10	15348 25 39
मूल लेखाकरण नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

अनुसूचियाँ तुलन - पत्र का अंग है। Schedules Form Part of the Balance Sheet

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से **FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता **PARTHA PRATIM SENGUPTA**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव **AJAY KUMAR SRIVASTAVA**
कार्यपालक निदेशक Executive Director

एस.श्रीमती **S SRIMATHY**
कार्यपालक निदेशक Executive Director

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू **ANNIE GEORGE MATHEW**
निदेशक गण Director

दीपक कुमार **DEEPAK KUMAR**
निदेशक गण Director

नवीन प्रकाश सिन्हा **NAVIN PRAKSH SINHA**
निदेशक गण Director

निदेशक गण DIRECTORS

स्थान : चेन्नै Chennai
दिनांक: 14.06.2021

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

		SCHEDULES अनुसूची	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2021	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2020
			(रु. हजारों में Rs. in 000's)	
आय	**INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	16965 53 25	17406 11 24
अन्य आय	Other income	14	5559 01 84	3359 67 89
योग आय	**TOTAL**		**22524 55 09**	**20765 79 13**
व्यय	**EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	11067 02 42	12103 27 64
परिचालन व्यय	Operating expenses	16	5561 72 12	5128 83 42
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (निवल)	Provisions & Contingencies (Net)		5064 33 53	12061 08 42
योग	**Total**		**21693 08 07**	**29293 19 48**
लाभ / हानि (-)	Profit/ Loss (-)			
वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (-)	Net Profit / Loss (-) for the year		831 47 02	-8527 40 35
अग्रणित लाभ / हानि (-)	Profit /Loss (-) brought forward		-18977 12 39	-10275 72 06
घटायें : शेयर प्रीमियम के प्रति सेट ऑफ	Less: Set off against Share Premium		0	0
योग	**Total**		**-18145 65 37**	**-18803 12 41**
विनियोजन	**APPROPRIATIONS**			
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		0	0
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Revenue and Other Reserves		0	0
पूँजी आरक्षितियों मे अंतरण	Transfer to Capital Reserve		568 20 85	173 99 98
निवेश उतार-चढाव आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Invest. Fluctuation Reserve		100 00 00	0
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0	0
तुलन-पत्र में अग्रेषित शेष राशि	Balance carried over to Balance Sheet		-18813 86 22	-18977 12 39
योग	**TOTAL**		**-18145 65 37**	**-18803 12 41**
मूल एवं तनुकृत प्रति शेयर अर्जन (रु.)	Basic & Diluted Earnings per Share (Rs.)		0.51	(7.99)
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)	Nominal Value per Equity Share (Rs.)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग हैं । Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए **VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE**

कृते **पात्रो एंड कंपनी** एफआरएन 310100 ई	**PATRO & CO** FRN 310100E	**एम श्रीनिवासन एंड एसोसिएट्स** एफआरएन 004050 एस	**M SRINIVASAN & ASSOCIATES** FRN 004050S
(एन आनंद राव) साझेदार एम नं 051656	**(N ANANDA RAO)** Partner M.No. 051656	**(एस.संतोश)** साझेदार एम नं 230839	**(S.SANTHOSH)** Partner M.No. 230839
एस एन नंदा एंड कंपनी एफआरएन 000685एन	**S N NANDA & CO** FRN 000685N	**योगानंद एंड राम एलएलपी** एफआरएन 005157एस/ एस200052	**YOGANANDH & RAM LLP** FRN 005157S/S200052
(पुनीत नंदा) साझेदार एम नं 092435	**(PUNEET NANDA)** Partner M.No.092435	**(एन श्रीधर)** साझेदार एम नं 026833	**(N. SRIDHAR)** Partner M.No.026833

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

स्थान : चेन्नै Place : Chennai
दिनांक Date : 14.06.2021

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK			
31.03.2021 समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की विवरणी STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021			
		रु में Rs. in '000s	
		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2021	**31.03.2020**
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
आयकर के बाद निवल हानि	**Net Profit / Loss after Income Tax**	**8 31 47 01**	**-85 27 40 35**
जोडें : आयकर हेतु प्रावधान	Add: Provision for Income Tax	23 24 24	13 55 92
आयकर से पहले निवल हानि	**NNet Profit / Loss before Income Tax**	**8 54 71 25**	**-85 13 84 42**
निम्नवत के लिए समायोजन	**Adjustments for :**		
एचटीएम निवेशों के लिए ऋण परिशोधन	Amortization of HTM Investments	-40 67 49	-42 19 67
निवेशों के पूनर्मूल्यांकन से हुई हानि	Loss on Revaluation of Investments	13 90	1 20 75 85
नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	2 57 99 75	3 00 60 83
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(Profit) / Loss on Sale of Assets	-1 49 24	-5 63 25
आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Reserves	-41 63 42	1 05 49 77
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for NPAs	39 39 21 01	110 74 20 03
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	11 75 66 17	2 13 62 21
निवेशों पर मूल्य ह्रास	Depreciation on Investments	-1 09 19 27	5 60 59 26
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	33 24 11	1 99 11 00
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest on Tier II Bonds	2 88 80 29	3 52 48 60
उप योग	**Sub total**	**55 02 05 81**	**128 79 04 62**
निम्नवत के लिए समायोजन	**Adjustments for :**		
निक्षेपों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Deposits	173 36 41 55	4 17 80 28
उधारियों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Borrowings	2 18 84 57	-1 26 30 71
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	-83 72 12 18	108 06 58 02
निवेशों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Investments	-159 28 41 52	-131 22 96 10
अग्रिमों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Advances	-103 26 45 62	1 90 02 28
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Other Assets	158 02 68 90	-160 57 79 01
उप योग	**Sub total**	**-12 69 04 29**	**-178 92 65 24**
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल)	Direct Taxes (Net)	-1 36 94 61	-4 95 06 05
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (क)	**NET CASH FLOW GENERATED FROM / (USED IN) OPERATING ACTIVITIES(A)**	**49 50 78 15**	**-140 22 51 09**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
नियत आस्तियों की बिक्री / निपटान	Sale / disposal of Fixed Assets	18 71 45	43 61 55
नियत आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	-66 65 65	-1 29 02 92
निवेश संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकद (ख)	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)**	**-47 94 20**	**-85 41 37**

वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	31.03.2021	31.03.2020
ईक्विटी शेयर निर्गम से धनागम (शेयर प्रीमियम को मिलाकर)	Proceeds of Equity Share Issue (including Share premium)	0	82 17 00 00
टियर । एवं ।। बाँडों का मोचन (निवल)	Redemption of Tier I & Tier II Bonds (Net)	-19 67 00 00	-6 00 00 00
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest Paid on Tier II Capital	-3 20 15 82	-3 39 91 75
बेमियादी (एटी1) बॉन्ड पर प्रदत्त ब्याज	Interest paid on perpetual (AT1) bonds	0	0
	Share Application Money received from GOI	41 00 00 00	0
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद (ग)	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)**	**18 12 84 18**	**72 77 08 25**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख +ग)	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)**	**67 15 68 12**	**-68 30 84 21**
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
भा.रि.बैं के साथ नकद व शेष	Cash & Balances with RBI	31 55 22 13	102 92 53 22
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	209 05 43 44	205 98 96 56
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
नकद व भा.रि.बैं के साथ शेष	Cash & Balances with RBI	121 88 25 40	31 55 22 13
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	185 88 08 30	209 05 43 44
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/ कमीं	**NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**	**67 15 68 12**	**-68 30 84 21**

ये विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तारतम्यता हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों का आवश्यकता अनुसार पुन: समूहन किया गया है।

This Statement has been prepared in accordance with Indirect Method.

The previous year figures have been regrouped wherever necessary to conform with the current year figures.

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

PARTHA PRATIM SENGUPTA
Managing Director & CEO

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Executive Director

एस.श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

S SRIMATHY
Executive Director

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
ANNIE GEORGE MATHEW

दीपक कुमार
DEEPAK KUMAR

नवीन प्रकाश सिन्हा
NAVIN PRAKSH SINHA

निदेशक गण DIRECTORS

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जारिए

Vide our Report of Even Date

कृते **पात्रो एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 310100 ई

For **PATRO & CO**
FRN 310100E

(एन आनंद राव)
साझेदार एम नं 051656

(N ANANDA RAO)
Partner M.No. 051656

एम श्रीनिवासन एंड एसोसिएट्स
एफआरएन 004050 एस

For **M SRINIVASAN & ASSOCIATES**
FRN 004050S

(एस.संथोश)
साझेदार एम नं 230839

(S.SANTHOSH)
Partner M.No. 230839

एस एन नंदा एंड कंपनी
एफआरएन 000685एन

For **S N NANDA & CO**
FRN 000685N

(पुनीत नंदा)
साझेदार एम नं 092435

(PUNEET NANDA)
Partner M.No.092435

योगानंद एंड राम एलएलपी
एफआरएन 005157एस/ एस200052

For **YOGANANDH & RAM LLP**
FRN 005157S/S200052

(एन श्रीधर)
साझेदार एम नं 026833

(N. SRIDHAR)
Partner M.No.026833

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

स्थान : चेन्नै Place : Chennai
दिनांक Date : 14.06.2021

अनुसूची-1 पूँजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL	AS AT 31.03.2021 तक	AS AT 31.03.2020 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
प्राधिकृत पूँजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर) (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर)	2500,00,00,000 Equiry Shares of Rs.10/-each (Previous year-2500,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत पूँजी	**ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 1643 69 88 324 इक्विटी शेयर (इसमें भारत द्वारा धारित प्रत्येक रु.10 के 1575,29,02,638 शेयर शामिल हैं) पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10/- के 1643 69 883 24 इक्विटी शेयर (इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10 के 1575 29 02 638 शेयर शामिल हैं)	1643 69 88 324 Equity Shares of Rs.10/- each (Includes 1575,29,02,638 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India) Previous year 1643 69 88 324 Equity Shares of Rs.10/- each (Includes 1575 29 02 638 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India)	**16436 98 83**	**16436 98 83**

अनुसूची-2 आरक्षितियाँ व अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS	AS AT 31.03.2021 तक	AS AT 31.03.2020 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I.शेयर प्रीमियम	**I. SHARE PREMIUM**		
अथ शेष	Opening balance	6923 32 50	6001 66 51
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions		921 65 99
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deductions	0	
योग-I	**TOTAL -I**	**6923 32 50**	**6923 32 50**
II.सांविधिक आरक्षिती	**II. STATUTORY RESERVE**		
अथ शेष	Opening balance	2926 77 62	2926 77 62
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग-II	**TOTAL -II**	**2926 77 62**	**2926 77 62**
पूँजी आरक्षिती	**III. CAPITAL RESERVE**		
अ.पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती	A. Revaluation Reserve		
अथ शेष	Opening Balance	2331 36 26	2484 99 36
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	1 92 33	28 42 62
घटाएँ: कटौतियाँ / मूल्य-ह्रास	Less: Deductions / Depreciation	112 82 71	182 05 72
योग-अ	**TOTAL - A**	**2220 45 88**	**2331 36 26**
आ आस्तियों की बिक्री पर	B. On sale of Assets		
अथशेष	Opening Balance	1596 02 45	1422 02 47
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	568 20 85	173 99 98
योग-आ	**TOTAL - B**	**2164 23 30**	**1596 02 45**
इ. अन्य	C. Others		
अथशेष	Opening Balance	153 13 58	153 02 18
जोड़ें : परिवर्धन	Less: Deduction	4 26	11 40
योग - इ	**TOTAL - C**	**153 09 32**	**153 13 58**
योग - III (अ, आ, इ)	**TOTAL - III (A,B,C)**	**4537 78 50**	**4080 52 29**

		AS AT 31.03.2021 तक	AS AT 31.03.2020 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
IV. राजस्व व अन्य आरक्षिती	**IV. REVENUE & OTHER RESERVES**		
(ए) अन्य राजस्व आरक्षिती	**A Other Revenue Reserves**		
अथशेष	Opening Balance	3466 47 40	3333 89 54
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	108 63 63	132 57 86
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deduction	0	0
योग-ए	**TOTAL - A**	**3575 11 03**	**3466 47 40**
बी) विशेष आरक्षिती	**B Special Reserve**		
अथशेष	Opening balance	0	0
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deduction	0	0
योग-बी	**TOTAL - B**	**0**	**0**
(सी) निवेश आरक्षिती खाते	**C Investment Reserve Account**		
अथ शेष	Opening Balance	97 95 58	97 95 58
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग - (सी)	**TOTAL - C**	**97 95 58**	**97 95 58**
(डी) विदेशी मुद्रा परिवर्त------न आरक्षिती	**D Foreign Currency Translation Reserve**		
अथशेष	Opening balance	1200 05 66	1073 62 05
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	107 88 55	181 89 38
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deduction	147 20 96	55 45 77
योग - (डी)	**TOTAL - D**	**1160 73 24**	**1200 05 67**
(ई) निवेश विपर्यय आरक्षिती खाता	**E. Investment Fluctuation Reserve Account**		
अथशेष	Opening balance	**0**	**0**
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	**100 00 00**	**0**
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deduction	**0**	**0**
योग - (डी)	**TOTAL - E**	**100 00 00**	**0**
योग - IV (ए,बी,सी व डी)	**TOTAL - IV (A,B,C,D,E)**	**4933 79 85**	**4764 4864**
V.लाभ व हानि खाते	**V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT**	**-18813 86 22**	**-18977 12 39**
योग (I, II, III, IV & V)	**TOTAL (I, II , III, IV & V)**	**507 82 25**	**-282 01 34**

अनुसूची-3	SCHEDULE - 3	AS AT 31.03.2021 तक	AS AT 31.03.2020 तक
जमाएं	**DEPOSITS**	(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
अ I माँग जमाएं	**A. I. DEMAND DEPOSITS**		
i) बैंकों से	i) From Banks	25 21 99	15 42 53
ii) अन्यों से	ii) From Others	16181 60 82	14163 90 07
योग - I	**TOTAL - I**	**16206 82 81**	**14179 32 60**
II.बचत बैंक जमाएं	**II. SAVINGS BANK DEPOSITS**	**85958 15 02**	**75571 52 87**
III. **मीयादी जमाएं**	III. TERM DEPOSITS		
i)बैंकों से	i) From Banks	266 01 11	61 56 63

ii)अन्यों से	ii) From Others	137857 30 62	133139 45 91
योग - III	**TOTAL - III**	**138123 31 73**	**133201 02 54**
योग- अ (I, II & III)	**TOTAL - A (I,II & III)**	**240288 29 56**	**222951 88 00**
आ.I)भारत की शाखाओं में जमाएं	B. I) Deposits of branches in India	235544 81 90	218028 21 16
II)भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएं	II) Deposits of branches outside India	4743 47 66	4923 66 84
योग - आ	**TOTAL - B**	**240288 29 56**	**222951 88 00**

अनुसूची-4 **लिये गये उधार**	**SCHEDULE - 4** **BORROWINGS**	**AS AT 31.03.2021 तक**	**AS AT 31.03.2020 तक**
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I. भारत में लिए गए उधार	**I. BORROWINGS IN INDIA**		
भारतीय रिज़र्व बैंक	Reserve Bank of India		203 00 00
अन्य बैंक	Other Banks	0	0
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	Other Institutions & Agencies	506 50 00	1306 84 00
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)		
बॉण्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds		967 00 00
अधीनस्थ कर्ज	Subordinated Debt	1600 00 00	2600 00 00
योग (I)	**TOTAL (I)**	**2106 50 00**	**5076 84 00**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	**II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	**1565 07 65**	**342 89 08**
योग (I व II)	**TOTAL (I & II)**	**3671 57 65**	**5419 73 08**
III. ऊपर I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	**III. Secured borrowings included in I & II above**	**506 50 00**	**1509 84 00**

अनुसूची-5 **अन्य देयतायें व प्रावधान**	**SCHEDULE - 5** **OTHER LIABILITIES & PROVISIONS**	**AS AT 31.03.2021 तक**	**AS AT 31.03.2020 तक**
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I) देय बिल	I. Bills Payable	659 26 00	547 30 20
II) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter Office Adjustments (Net)	2252 35 93	0
III) प्रोद्भूत ब्याज	III. Interest Accrued	40 22 35	56 13 14
IV)अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	IV. Others (including provisions)	10153 82 78	15596 81 15
योग	**TOTAL**	**13105 67 06**	**16200 24 49**

अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS AT 31.03.2021 तक	AS AT 31.03.2020 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I) हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट और एटीएम नकद सम्मिलित हैं)	I. Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	959 83 36	1447 69 17
II.भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष	II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में शेष	i) in Current Account	11239 21 21	1771 19 74
ii) अन्य खातों में शेष	ii) in Other Accounts	-10 79 18	-63 66 78
योग	**TOTAL**	**12188 25 39**	**3155 22 13**

अनुसूची-7 बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	AS AT 31.03.2021 तक	AS AT 31.03.2020 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I.भारत में	I. In India		
i)बैंकों में शेष	i) Balances with banks		
क.चालू ख़ातों में	a) In Current Accounts	17 36 30	18 67 16
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	204 90 84	518 89 72
ii)माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at Call and Short Notice		
क)बैंकों के साथ	a) With banks	12218 00 00	14300 00 00
ख. अन्य संस्थाओं के साथ	b) With other institutions	0	0
योग -।	**TOTAL - I**	**12440 27 14**	**14837 56 88**
II.भारत के बाहर	II. Outside India		
क . चालू खातों में	a) In Current Accounts	1012 92 26	611 82 94
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	4421 18 90	4923 16 22
ग)माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	c) Money at Call and Short Notice	713 70 00	532 87 40
योग -।	**TOTAL - II**	**6147 81 16**	**6067 86 56**
	TOTAL (I & II)	**18588 08 30**	**20905 43 44**

अनुसूची-8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	AS AT 31.03.2021 तक	AS AT 31.03.2020 तक
		रु. हज़ार में (Rs. in 000's)	
I. भारत में निवेश	**I. INVESTMENTS IN INDIA**		
i)सरकारी प्रतिभूतियाँ	i) Government Securities	85580 50 17	69472 67 49
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	98 95	98 95
iii) शेयर	iii) Shares	1142 97 99	836 09 02
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	iv) Debentures and Bonds	3403 43 34	3374 45 17
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	0	0
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	1647 04 63	2077 80 61
(म्यूच्युअल फंड, जमाओं की वेंचर पूँजी फंड, जमा प्रमाण-पत्र और सी पी में निवेश)	(Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds, Certificate of Deposits and CP)		
योग - I	**TOTAL - I**	**91774 95 07**	**75762 01 24**
II) भारत के बाहर निवेश	**II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA**		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों समेत)	i) Government Securities (including Local Authorities)	3225 59 32	3173 13 03
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	0	0
iii) शेयर	iii) Shares	7 48	8 15
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	iv) Debentures and Bonds	300 16 31	287 41 39
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	193 44 19	193 44 19
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	0	0
योग - II	**TOTAL - II**	**3719 27 30**	**3654 06 76**
योग - (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**95494 22 37**	**79416 08 00**
भारत में सकल निवेश	**Gross Investments in India**	94682 55 46	78357 88 36
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	2907 60 39	2595 87 12
घटाएं : पुनर्संरचित निवेशों पर ब्याज	Less: Interest on Restructured Investments	0	0
निवल निवेश	**Net Investments**	**91774 95 07**	**75762 01 24**
भारत के बाहर सकल निवेश	**Gross Investments Outside India**	3725 44 10	3671 49 89
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	6 16 80	17 43 13
निवल निवेश	**Net Investments**	**3719 27 30**	**3654 06 76**
कुल निवल निवेश	**Total Net Investments**	**95494 22 37**	**79416 08 00**

अनुसूची-9	SCHEDULE - 9	AS AT 31.03.2021 तक	AS AT 31.03.2020 तक
अग्रिम	ADVANCES	रु. हज़ार में (Rs. in 000's)	
क.i) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	A. i) Bills Purchased & Discounted	1642 01 07	2226 07 18
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय उधार	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	45662 92 54	61191 02 88
iii) सावधि उधार	iii) Term Loans	80415 71 65	57916 30 58
योग	**TOTAL**	**127720 65 26**	**121333 40 64**
ख.i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	100737 35 95	91813 46 35
ii) बैंक / सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	3673 63 71	1221 15 82
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	23309 65 60	28298 78 47
योग	**TOTAL**	**127720 65 26**	**121333 40 64**
ग.I) भारत में अग्रिम	C. I) Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	i) Priority Sector	83068 89 12	67411 24 52
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	5596 29 51	5829 10 74
iii) बैंक	iii) Banks		
iv) अन्य	iv) Others	30594 88 81	41498 50 34
योग	**TOTAL**	**119260 07 44**	**114738 85 60**
II)भारत के बाहर अग्रिम	II) Advances Outside India		
i) बैंकों से बकाया	i) Due from Banks	0	0
ii) अन्यों से बकाया	ii) Due from Others		
क) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	3011 00 66	1498 27 93
ख) संघबद्ध उधार	b) Syndicated Loans	1346 64 32	1273 79 52
ग) अन्य	c) Others	4102 92 84	3822 47 59
योग	**TOTAL**	**8460 57 82**	**6594 55 04**
योग (ग-I & ग-II)	**TOTAL (C-I & C-II)**	**127720 65 26**	**121333 40 64**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है

Previous year figures have been regrouped in line with current year presentation

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	AS AT 31.03.2021 तक	AS AT 31.03.2020 तक
		रु. हज़ार में (Rs. in 000's)	
I.परिसर	**I. Premises**		
वर्ष के आरंभ में / पुनर्मूल्यांकित पर	At cost / revalued at beginning of the FY	3977 45 10	4035 18 89
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	Additions during the year *	2 93 45	18 15 19
		3980 38 55	4053 34 08
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	Deductions during the year *	6 88 97	75 88 98
		3973 49 58	3977 45 10
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	1209 35 54	1091 36 34
योग - I	**TOTAL - I**	**2764 14 04**	**2886 08 76**
II.पूँजीगत चालू कार्य	**II. Capital work in progress**	**1 11 63**	**3 47 99**
योग - II	**TOTAL - II**	**1 11 63**	**3 47 99**
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)	**III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
वर्ष के आरंभ में लागत पर	At cost as at beginning of the FY	2069 90 84	1960 09 92
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	67 73 59	131 26 84
		2137 64 43	2091 36 76
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Deductions during the year	24 43 02	21 45 93
		2113 21 41	2069 90 83
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	1959 69 12	1832 13 32
योग - III	**TOTAL - III**	**153 52 29**	**237 77 51**
कुल योग (I, II & III)	**Total (I, II & III)**	**2918 77 96**	**3127 34 26**

* 31.03.2021 को विनिमय दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल ।

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2021

अनुसूची-11 अन्य आस्तियाँ	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS	AS AT 31.03.2021 तक	AS AT 31.03.2020 तक
		(रु. हजार में Rs. in 000's)	
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	i) Inter Office Adjustments (Net)		15471 05 60
ii) प्रोद्भूत ब्याज	ii) Interest Accrued	3464 51 82	3172 18 27
iii) अग्रिम रूप से संदत्त कर (प्रावधानों का निवल)	iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	3452 06 14	3338 35 77
iv) लेखन - सामग्री और स्टैम्प	iv) Stationery & Stamps	4 06 58	3 78 23
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	210 01 51	210 01 51
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखे जमाओं को शामिल करें)	vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	9969 70 02	10593 95 21
योग	**TOTAL**	**17100 36 07**	**32789 34 59**

अनुसूची-12 आकस्मिक दायित्व	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES	AS AT 31.03.2021 तक	AS AT 31.03.2020 तक
		(रु. हजार में Rs. in 000's)	
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	4 20 09	4 13 27
ii) अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयता	ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	43584 52 93	44239 10 80
iv) ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ	iv) Guarantees given on behalf of constituents		
क. भारत में	a) In India	11610 46 44	11609 20 66
ख. भारत के बाहर	b) Outside India	398 52 09	393 66 50
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	v) Acceptances, Endorsements &Other obligations	4390 45 21	6160 90 72
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	vi) Other items for which the bank is contingently liable		
i) पूंजीगत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधो की अनुमानित राशि	i) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	57 07 88	29 34 55
ii) करेंसी स्वैप के तहत बैंक देयता	ii) Banks liability under currency swaps	1093 13 00	1669 53 08
iii) ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	iii) Interest rate swaps (USD)		

iv) ब्याज दर स्वैप (आइएनआर)	iv) Interest rate swaps (INR)		
v) करेंसी ऑप्शन के तहत बैंक देयता	v) Bank's Liability under Currency Options		
vi) क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप / एफआरए / प्राप्य प्रभार	vi) Credit Default Swaps/FRAs/Receivable Charges		
vii) भारिबै के साथ डीईएएफ में राशि	vii) Amount in DEAF with RBI	1372 15 99	1167 05 10
viii) आइटी मांग विवाद	viii) Disputed IT demands	5755 60 99	5757 44 08
ix) अन्य	ix) Others	10 18 29	6 29
योग	**TOTAL**	**68276 44 51**	**71030 56 65**

अनुसूची 13 अर्जित ब्याज	SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2021	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2020
		रु. हजार में	(Rs. in 000's)
i) ब्याज / अग्रिम बट्टा / बिल	i) Interest / discount on advances / bills	10834 34 86	11512 55 36
ii) निवेशों पर आय	ii) Income on investments	5711 67 94	5207 94 51
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	304 50 38	624 54 34
iv) अन्य	iv) Others	115 00 07	61 07 03
योग	**TOTAL**	**16965 53 25**	**17406 11 24**

अनुसूची 14 अन्य आय	SCHEDULE - 14 OTHER INCOME	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2021	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2020
		रु. हजार में	(Rs. in 000's)
i) कमीशन, विनिमय और दलाली	i) Commission, Exchange and Brokerage	948 52 54	886 40 67
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	ii) Profit on Sale of Investments (Net)	1820 37 94	601 17 22
iii) निवेशों के पूनर्मूल्यांकन पर निवल हानि	iii) Net Loss on Revaluation of Investments	-13 90	-120 75 85
iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ व अन्य आस्तियाँ	iv) Profit on sale of land, Building & other Assets	1 49 24	5 63 25
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	v) Profit on exchange transactions (Net)	602 86 63	543 93 22
vi) विविध आय	vi) Miscellaneous Income	2185 89 39	1443 29 38
योग	**TOTAL**	**5559 01 84**	**3359 67 89**

अनुसूची-15 खर्च किया गया ब्याज	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2021	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2020
		रु. हजार में	(Rs. in 000's)
i) जमाओं पर ब्याज	i) Interest on Deposits	10701 35 79	11570 65 76
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर- बैंक उधारों पर ब्याज	ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter - Bank Borrowings	365 64 76	532 59 29
iii) अन्य	iii) Others	1 87	2 59
योग	**TOTAL**	**11067 02 42**	**12103 27 64**

अनुसूची-16 परिचालन व्यय	SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2021	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2020
		(रु. हजार में	Rs. in 000's)
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	i) Payments to and provisions for employees	3702 78 44	3240 72 08
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	ii) Rent, Taxes and Lighting	417 64 42	459 16 96
iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री	iii) Printing and Stationery	17 39 85	19 81 15
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	33 97	97 70
v) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पूँजी आरक्षितियों से अंतरित अवक्षयण की निवल राशि)	v) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred from Revaluation Reserve)	257 99 74	300 60 83
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	vi) Directors' fees, allowances and expenses	23 41	99 91
vii) लेखापरीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	36 18 46	33 90 23
viii) विधि प्रभार	viii) Law charges	30 12 17	34 07 07
ix) डाक , तार, टेलिफोन आदि	ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	66 32 01	65 78 85
x) मरम्मत और अनुरक्षा	x) Repairs and Maintenance	17 89 74	18 43 20
xi) बीमा	xi) Insurance	300 16 27	252 09 42
xii) अन्य व्यय	xii) Other Expenditure	714 63 64	702 26 02
योग	**TOTAL**	**5561 72 12**	**5128 83 42**

अनुसूची 17

बैंक की प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

1.1. यह वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।यह भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें वैधानिक प्रावधान, नियामक / भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दिशा-निर्देश, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक / मार्गदर्शन नोट्स और प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं । विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया जाता है।

आकलन का प्रयोग:

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को चाहिए कि वे ऐसे आकलन करें व अनुमान लगाएँ जिनको वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व पहचान और लेखांकन खर्च

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया जाता है। वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर जहाँ मूल रकम के संबंध में समंजन किया जाता है , बाकी मामलों में अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन पहले ब्याज और शेष ,अगर हो तो, के लिए किया जाता है ।आय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को बेची गई परिसंपत्तियों के मामले में है जब बिक्री रकम निवल बही मूल्य से अधिक होती है (अर्थात प्रावधान घटाकर बही बकाया) तब आय को प्राप्त बिक्री की सहमति के नकद घटक की सीमा तक मान्यता दी गई ।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन(साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/ बीमा को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से प्राप्त आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.5 परिपक्व अतिदेय सावधि जमाओं के मामले में,जमाओं का नवीकरण करते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है। निष्क्रिय बचत बैंक खाते,अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है ।

2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब देश में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है ।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन देन का लेखांकन,लेखा मानक (एएस)11केअनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया जाता है ।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ,की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में इति शेष, समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को ''अन्य देयताएँ व प्रावधान' '/ ''अन्य आस्ति खाता' में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोडकर जहाँ खातों का समायोजन क्लोजिंग दरों पर किया जाता है ।

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation

1.1 The Bank's financial statements have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting and ongoing concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions , regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with .

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non-Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement. where it would be appropriated towards principal. In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognized to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/ Letter of Guarantee/Government Business/Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 Interest payable on Overdue Term Deposits is provided @ Savings Bank rate, till such time it is transferred to Unclaimed Term Deposits. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized / accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" , issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury (Foreign):

a) Foreign Currency transactions, except foreign currency deposits and lending, are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions" / "Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा बहियों में उनके लेनदेन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न परिचालन माना जाता है ।

ख. परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में के भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित समाप्ति स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ. परिणामी विनिमय के अंतर को आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिज़र्व '' नामक अलग खाते में जमा किया जाता है ।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और परिपक्वता के लिए धारित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है । इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर,

ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम,

च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य,

4.2. म्युचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

4.3.1.''व्यापार के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन के लिए मार्क किया गया। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फिम्डा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार के प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग/उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्‍त भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्‍त भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/ एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/-प्रति कंपनी/ निधि के हिसाब से किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमाओं के प्रमाण पत्र को रखा व लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है ।

पीडीएआइ (भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ)/ एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है ।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, तो प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि,यदि कोई है तो इसे नजरअंदाज किया जाता है। हालाँकि यदि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिवर्तन नहीं है तो तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

4.3.2 ''परिपक्वता के लिए धारित'': ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो तो उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

4.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान/आय की अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों/बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और जहाँ कहीं लागू हो तदनुसार प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। ''परिपक्वता के लिए धारित वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, करों का निवल लाभ पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित की जाती है।

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the RBI Guidelines. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities,

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries / Joint Ventures and

f) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FBIL. Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA. Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI/ FBIL periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortized cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de -recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by RBI for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on sale of Investments in any category is taken to Profit and Loss account. In case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, profit net of taxes is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज,प्रोत्साहन/ प्रारम्भिक शुल्क (फ्रण्ट-एण्ड-फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है।खंडित अवधि ब्याज ट्रेज़री बिलों के मामले में नहीं होता । आय का लेखांकन होल्डिंग लागत और फेस वैल्यू यानि डिस्काउंट आय के अंतर के आधार पर किया जाता है।

4.7 रेपो/रिवर्स रिपो (पुन:खरीद /प्रति पुनर्खरीद) लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार हिसाब-किताब किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.9 सभी निवेशों को वेटेड ऐवरेज प्राइसिंग विधि को अपनाकर धारित किया गया है ।

4.10 सभी निवेश सेटलमेंट तिथि के आधार पर बही में धारित है ।

4.11 निवेश पर डिविडेंड आय का हिसाब नकदी आधार पर किया जाएगा ।

4.12 तुलनपत्र में निवेशों को अनर्जक निवेशों के संबंध में धारित नेट ऑफ प्रावधान के आधार पर दर्शाया गया है।

4.13 भुगतान हेतु परिपक्व निवेशों को "अन्य आस्तियों" के तहत दर्शाया गया है । अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान भी उन निवेशों से नेट किया गया है ।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को मानक,अव-मानक,संदिग्ध और हानि-जनक आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है । विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहित आस्तियों/ देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2. प्रतिरक्षा उद्देश्यों से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति/देयता जो भी पहले हो,पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति/देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिन्हित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति/ देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3. उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ- हानि खाते में पहचाना/मान्य किया गया। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है । कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसर	2.50%
फ़र्नीचर	10%
विद्त संस्थापना, वाहन व कार्यालयीन उपकरण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3%
अग्निशामक यंत्र	100%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33 1/3%

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते से लिया जाता है और समकक्ष राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व भंडार में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

7.3 अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर ध्यान दिए बगैर मूल्य ह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जाता है ।

7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया जाता है।

7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account. Broken Period interest does not arise in case of Treasury Bills. Income is accounted based on the difference between the holding cost and the face value i.e. discount income.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

4.9 All the investments are held by adopting the Weighted Average Pricing Method.

4.10 All the investments are held in the book on settlement date basis only.

4.11 Dividend income on investments is accounted on cash basis.

4.12 Investments are shown in the Balance Sheet at net off provision held in respect of Non Performing Investments.

4.13 Investments matured for payment are shown under "Other Assets" and underlying provisions held for Non Performing Investments is also netted off from the said investments.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions, except general provisions for standard advances.

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/ payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination on such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

7.1 Fixed Assets, except revalued premises, are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under :

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3%
Fire Extinguishers	100%
Computer Software	33 1/3 %

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to the profit and loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation reserve to Revenue Reserves.

7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortized over the period of lease.

7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि के अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवानिवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। तथापि पेंशन विकल्प के आ जाने से वर्ष के दौरान अतिरिक्त देयता और ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोत्तरी का पाँच वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है ।

8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर:

आयकर व्यय बैंक द्वारा मौजूदा कर व आस्थगित कर व्यय की गयी कुल राशि है । मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण , विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर , जो कि संबंधित न्यायाधिकारक्षेत्र के कर नियमों पर आधारित होता है , को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 व " आय पर करों के लेखांकन" से संबंधित लेखांकन मानक 22 के तहत किया जाता है । आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है परंतु इस शर्त पर कि आय की मदों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार हो सके और एक समय में उत्पन्न होने वाले ऐसे खर्चों जिन्हें बाद की एक या इससे अधिक अवधियों में उलट दिये जाने की संभावनाओं पर भी विचार हो सके। आस्थगित कर से जुड़ी आस्तियों और देयताओं की गणना लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है और ये दरें उस वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर प्रयोज्य की जाने वाली आयकर दरों के आधार पर नियत की जाती है जहाँ समयबद्ध विभेदों को उल्टे जाने की संभावना होती है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को आय के उस विवरण में मान्यता दी जाती है जो परिवर्तन को लागू करने की अवधि से संबंधित है।

10. प्रति शेयर अर्जन

सनदी लेखाकंन संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 ''इपीएस (प्रति शेयर अर्जन)" के अनुसार बैंक प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइलूटेड प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइलूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण से हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर डाइलूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया डाइलूटिव पोटेंशियल ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों की क्षति

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोइ घाटा हो तो,उसे लाभ एवं हानि खाता में अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक आस्ति रकम तक दर्शाया गया है।

12. क्षेत्र/खंड रिपोर्टिंग

आरबीआइ के दिशानिर्देशों और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यापार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को सेकंडरी रिपोर्टिंग खंड के रूप में चिन्हित करता है ।

13 प्रावधानों प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिए लेखाकरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधानों,प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिये बैंक प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो,संभव है कि ऐसे में संसाधनों का बहिर्प्रवाह और उससे आर्थिक लाभ की आवश्यकता से बाध्यताओं को निपटाने के लिए और जब बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेन देनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में प्रासंगिक आस्ति यदि कोई हो तो उसे मान्यता नहीं दी गई है या प्रकट नहीं किया गया है।

8. Staff Benefits

8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is made based on actuarial valuation at the year-end.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Taxes on Income

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognized on carry forward of tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

10. Earning per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year-end except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Segment Reporting

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

अनुसूची 18

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. निवेश

1.1 आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नवत हैं:

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु.करोड़ों में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
परिपक्वता के लिए धारित	74 703.05	61 620.85	75.91	75.12
बिक्री के लिए उपलब्ध	23 708.69	20 408.53	24.09	24.88
ट्रेडिंग के लिए धारित	--	--	--	--

1.2 "परिपक्वता के लिए धारित" के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 22.00 % (पिछले वर्ष 19.50 %) की सीमा के अंदर है जो 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक बैंक की माँग व सावधि देयताओं का 20.16% (पिछले वर्ष 17.80%) रही ।

1.3 "परिपक्वता के लिए धारित" प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु. 40.67 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु. 42.20 करोड़) का इस वर्ष परिशोधन कर दिया गया है ।

1.4 समझौता गारंटी निधि के प्रति रु. 1305.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1305.50 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपार्श्विक के प्रति रु. 4814.50 करोड़ (पिछला वर्ष रु.5714.50 करोड़) की प्रतिभूतियों क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास रखी गयी है । रु.1500 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1500 करोड़) की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को इंट्रा डे उधार हेतु आरबीआई के पास रखा गया है । हमने एलए एफ विंडो के अंतर्गत हमारे उधार हेतु आरबीआई के साथ रु.3065 करोड़ (पिछले वर्ष 3065 करोड़) प्रतिभूति रखी है । इसके अलावा, फॉरेक्स परिचालन हेतु डिफॉल्ट निधि के प्रति रु.95.73 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 95.73 करोड़) को सीसीआइएल के पास रखा गया है और रु.12.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु.12.50 करोड़) मुद्रा डेरिवेटिव्स के रूप में धारित है ।

1.5 भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों के तहत शेयरों में रु. 301.58 करोड़ (पिछले वर्ष रु.277.38 करोड़) की शेयर पूँजी जमाएँ शामिल हैं ।

1.6 बैंक ने आउटराइट और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाज़ार परिचालन (ओएमओ) दोनो के अंतर्गत वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियाँ बेची । ओएमओ के अंतर्गत बैंक द्वारा रु. 14002.39 करोड़ (बीवी) (पिछले वर्ष 4741.23 करोड़) और अर्जित लाभ रु. 654.04 करोड़ (पिछले वर्ष 155.10 करोड़) है । बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियाँ (ओएमओ के अतिरिक्त) भी बेची और रु. 1963.02 करोड़ (बीवी) (पिछले वर्ष रु.1673.04 करोड़) (आरबीआई की 5% सीमा के अंदर) का विक्रय हुआ और अर्जित लाभ रु. 217.66 करोड़ (पिछले वर्ष 97.19 करोड़) है ।

1.7 जैसा कि आरबीआइ ने अपनी परिपत्र संख्या आरबीआइ/2017-18/147 डीबीआर. सं. बीपी बीसी.102/21.04.048/ 2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के माध्यम से अपेक्षा जाहीर की है, बैंक को निरंतर आधार पर अपने एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो के 2% का एक निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) बनाना आवश्यक है । बैंक ने आरबीआइ द्वारा अनुमत तीन वर्षों में एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो हेतु अनुमानित रूप से आईएफआर के रूप में 500.00 करोड़ रुपये का आकलन किया है । तदनुसार, वर्ष के दौरान बैंकों ने 100.00 करोड़ रुपये का निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व बनाया है ।

2. अग्रिम

2.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया ।

2.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं ।

2.3 आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमनित मूल्य, केन्द्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान में रखा गया है ।

2.4 अलेखा- परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबन्धकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है ।

2.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी. बीसी./79/21.04.048/ 2014-15 दिनांकित 30.03.2015 के अनुसार बैंक को 31.12.2014 की समाप्ति तक उनके द्वारा धारित प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर / फ्लोटिंग प्रावधान का 50% प्रयोग करने के लिए अनुमत किया गया है । वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने (31.03.2020 तक) अनर्जक आस्तियों के निर्दिष्ट प्रावधानों को पूरा करने के प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर रु.338.22 करोड़ के प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (पिछले वर्ष शून्य) के किसी भी भाग का प्रयोग नहीं किया

Schedule 18

NOTES TO ACCOUNTS

1. Investments

1.1 In accordance with RBI guidelines, the investments portfolio of the bank has been classified into three categories, as given below:

Category	Gross Book Value (Rs. in crore)		Percentage to Total Investments (%)	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
Held to Maturity	74 703.05	61 620.85	75.91	75.12
Available for Sale	23 708.69	20 408.53	24.09	24.88
Held for Trading	--	--	--	--

1.2 SLR Securities (domestic) under "Held to Maturity" accounted for 20.16 % (previous Year 17.80%) of bank's Demand and Time liabilities as at 31st March 2021 as against ceiling of 22.00% (previous year 19.50%) stipulated by RBI.

1.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of Rs.40.67 Crore was amortized during the year (previous year Rs.42.20 Crore).

1.4 Securities of Face Value for Rs.1305.50 Crore (previous year Rs.1305.50 Crore) towards CCIL Settlement Guarantee Fund/Default Fund and securities for Rs.4914.50 Crore (previous year Rs.5714.50 Crore) towards collateral for borrowing under TREPS/Default Fund have been kept with Clearing Corporation of India Limited. The Bank has placed securities of face value Rs.1500 Crore (previous year Rs.1500 Crore) with RBI for intraday borrowing. The Bank has also placed Securities to the extent of Rs.3065 Crore (previous year Rs.3065 Crore) with Reserve Bank of India for borrowing under the LAF window. Besides, securities to the extent of Rs.95.73 Crore (previous year Rs.95.73 Crore) has been lodged with CCIL towards default fund for Forex operations and Rs.12.50 Crore (previous year Rs.12.50 Crore) held for currency derivative segment.

1.5 Shares under Investments in India in Regional Rural Banks is Rs.301.58 Crore (previous year Rs.277.38 Crore) including amount towards share capital Deposits.

1.6 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year, both outright and RBI's Open Market Operations (OMO). The extent of sale by the Bank under OMO was Rs.14002.39 crore (BV) [previous year Rs.4741.23 crore] and earned a profit of Rs.654.04 crore [previous year Rs.155.10 crore]. The Bank has also sold Government Securities (other than OMO), to the extent of Rs.1963.02 Crore (BV) [previous year Rs.1673.04 Crore] (within 5%, prescribed limit of RBI) and booked a profit of Rs.217.66 Crore (previous year Rs.97.19 Crore).

1.7 As required by RBI Circular number RBI/2017-18/147 DBR. No.BP BC 102/21.04.048/2017-18 dated April 2,2018, the bank is required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) for 2% of its HFT and AFS portfolio, on a continuing basis. The bank has assessed Rs.500.00 crore as IFR to be built up in three years, as allowed by RBI, based on estimation of its HFT and AFS portfolio of past three years. Accordingly, during the year, the bank has created Investment Fluctuation Reserve of Rs.100.00 Crore.

2. Advances

2.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

2.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

2.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government Guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

2.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

2.5 The Reserve Bank of India, vide Circular No. DBR.No.BP. BC.79/21.04.048 / 2014-15 dated 30.03.2015, allowed banks to utilize up to 50% of Counter-cyclical Provisioning Buffer / Floating Provisions held by them as at the end of 31.12.2014. During the year 2020-21, Bank has not utilized any portion of Counter-cyclical Provisioning Buffer [previous year NIL] out of balance in Counter-cyclical Provisioning Buffer of Rs.338.22 Crore held (as on March 31, 2020) for meeting specific provisions for Non-Performing Assets.

3. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, प्लाँट व संयंत्र)

वर्ष 2020-21 के दौरान आस्तियों की बिक्री पर रु. 1.49 करोड़ का लाभ हुआ है ।

4. रुपया ब्यज दर स्वैप

31.03.2021 को प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपये का ब्याज दर स्वैप के निरसन पर लाभ खातों पर आस्थगित आय शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है । इस रकम को स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि , जो भी पहले हो , के लिए मान्यता दी जाएगी ।

6. समाधान

31.03.2021 तक अंतर-शाखा लेनदेन का समाधान पूरा कर लिया गया है और बकाया प्रविष्टियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । प्रबंधन बकाया प्रविष्टियों के समाधान/उन्मूलन पर किसी महत्वपूर्ण परिणामी प्रभाव की आशा नहीं करता है।

7. पूँजी एवं आरक्षितियाँ

इक्विटी शेयर पूंजी: भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ. सं.7/23/2019-बीओए-1 दिनांक 17.03.2021 द्वारा इक्विटी शेयरों के प्राथमिक आवंटन के लिए 4100 करोड़ रुपये की पूंजी डाली और आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने तक 31.03.2021 को बैंक ने प्राप्त हुई राशि को शेयर आवेदन राशि के अंतर्गत रखा गया है । इसे आरबीआइ के पत्र संख्या डीआरओ. सीएपी. 21.01.002/ 2021-22 दिनांक 30.04.2021 के माध्यम से प्राप्त अनुमोदन के बाद बैंक की सामान्य इक्विटी पूंजी (सीईटी-I)एन में शामिल किया गया है ।

टियर II बांड : टियर II बांड वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नहीं जुटाए गए ।

बांडों का मोचन : बैंक ने 31.12.2020 को 1000 करोड़ रुपये के लोअर टियर II बॉन्ड को भुनाया है और 11.01.2021 को 967 करोड़ रुपये की राशि के अपर टियर II बॉन्ड पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया गया था ।

7. कर

7.1 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के पश्चात विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में आय कर से संबंधित रु. 5734.33 करोड़ (पिछले वर्ष रु.4446.63 करोड़) एवं सेवा कर से संबंधित रु. 122.33 करोड़ (पिछले वर्ष 192.28 करोड़) हेतु किसी भी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

7.2 वर्ष के लिए कर व्यय रु. 8.24 करोड़ है जिसमें रु. 23.24 करोड़ का मौजूदा कर व्यय और रु. -15.00 करोड़ का आस्थगित कर शामिल है – नोट सं. 18.8 का संदर्भ लें ।

7.3 बैंक ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान में मौजूदा कर पद्धति के पालन का निर्णय लिया है । साथ ही बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा "आय पर कर हेतु लेखांकन" विषय पर आधारित लेखांकन मानक 22 के अनुसार रु. 6300.40 करोड़ (गत वर्ष रु. 6285.40 करोड़) की राशि को 31.03.2021 को निवल आस्थगित कर आस्ति के रूप में माना है ।

8. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी 11वें द्विपक्षीय निपटान से उत्पन्न होने वाले व्यय हेतु 431.86 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है (संचयी प्रावधान-840.92 करोड़ रुपये) । 31 मार्च 2021 तक बैंक ने 754.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और 86.75 करोड़ रुपये की शेष राशि देय है ।

9. सूक्ष्म , लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत वेंडरों जिनसे बैंक माल व सेवाएँ प्राप्त कर रहा है , से संबंधित सूचना को बैंक द्वारा वेंडरों से प्राप्त सूचना की हद तक प्रकट किया गया है । वित्त वर्ष 2020-21 हेतु मूल राशि और / या ब्याज के संबंधित कोई भी बकाया नहीं है, तदनुसार कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण नहीं किया गया है ।

आरबीआई की आवश्यकता के अनुसार प्रकटीकरण :

10. पूँजी

क्रम.सं	विवरण	2020-21	2019-20
		% में	
i)	सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी अनुपात	12.91%	8.21%
ii)	टियर 1 पूँजी	12.91%	8.21%
iii)	टियर 2 पूँजी	2.41%	2.51%
iv)	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर)	15.32%	10.72%
v)	भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	95.84	95.84
		रु. करोड़ में	
vi)	जुटाई गई ईक्विटी पूँजी रकम	0.00*	7 295.34
vii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	शून्य	शून्य
viii)	जुटाई गई टियर 2 पूँजी	शून्य	500

3. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

The Profit on sale of assets during the year 2020-21 was Rs.1.49 crores.

4. Rupee Interest Rate Swap

Deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging as on 31st March 2021 is NIL (previous year NIL). This amount, if any, is to be recognized over the remaining contractual life of Swap or life of the Assets/Liabilities, whichever is earlier.

5. Reconciliation

Reconciliation of Inter Branch transactions has been completed up to 31.03.2021 and steps for elimination of outstanding entries are in progress. The Management does not anticipate any material consequential effect on reconciliation / elimination of outstanding entries.

6.Capital and Reserves

Equity Share Capital: The Government of India vide its letter no.F.No.7/23/2019-BOA-I dated 17.03.2021 infused capital of Rs.4100 crore for Preferential Allotment of Equity Shares and the amount was received by the Bank on 31.03.2021. the amount has been kept under Share Application Money pending receipt of necessary Regulatory Approvals. The same has been included in Bank's Common Equity Capital (CET -I} after RBI approval vide letter No. DOR.CAP.21.01.002/2021-22 dated 30.04.2021.

Tier II Bonds: Tier II Bonds were not raised during FY 2020-21.

Redemption of Bonds: Bank has redeemed the Lower Tier II Bonds amounting to Rs.1000 crore on 31.12.2020 and call option was exercised on Upper Tier II Bonds amounting to Rs.967 crore on 11.01.2021.

7. Taxes

7.1 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, certain judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating Rs.5734.33 Crore (previous year Rs.5734.33 Crore) and Service Tax aggregating to Rs.122.33 crore (previous year Rs.192.28 crore).

7.2 Tax expense for the year is Rs.8.24 crore consisting of Current Tax expense of Rs.23.24 crore and Deferred Tax expense of Rs.15.00 crore – refer note no.18.8.

7.3 The Bank based on internal evaluation presently has decided to continue with the existing tax regime. Further, the Bank has recognized net Deferred Tax Asset as on 31st March, 2021 aggregating to Rs.6300.40 crores (PY Rs.6285.40 crores) on timing differences in accordance with Accounting Standard – 22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and adjustments if any to be carried out on reassessment at appropriate stage.

8. During the year ended March 31, 2021, the Bank has made a provision or Rs.431.86 crore, arising out of 11th Bipartite Settlement effective from 1st November, 2017, (Cumulative Provision - Rs.840.92 crore). Bank has paid Rs.754.17 crore and balance amount of Rs.86.75 crore is payable as on March 31 2021.

9. Information relating to vendors registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and from whom goods and services have been procured by the Bank has been disclosed to the extent information was made available to the Bank by the vendors. There are no overdue pending on account of principal amount and / or interest and accordingly no additional Disclosures have been made for the FY 2020-21.

DISCLOSURES AS PER RBI REQUIREMENTS:

10. Capital

S.No.	Particulars	2020-21	2019-20
		In %	
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio	12.91%	8.21%
ii)	Tier I Capital	12.91%	8.21%
iii)	Tier 2 Capital	2.41%	2.51%
iv)	Total Capital Ratio (CRAR)	15.32%	10.72%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	95.84	95.84
		Rs. In Crore	
vi)	Amount of Equity Capital raised (excluding security premium received)	0.00	7 295.34
vii)	Amount of Additional Tier 1 raised	Nil	Nil
viii)	Amount of Tier 2 capital raised	Nil	500

बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार के निवेश के रूप में बैंक के इक्विटी शेयरों के प्राथमिक आवंटन के निमित केंद्र सरकार के योगदान के लिए भारत सरकार से 4100 करोड़ रुपये (चार हजार एक सौ करोड़ रुपये) का पूंजी प्रवाह प्राप्त हुआ । 31.03.2021 को बैंक द्वारा प्राप्त 4100 करोड़ रुपये (चार हजार एक सौ करोड़ रुपये) की राशि को आवंटन लंबित शेयर एप्लीकेशन मनी खाते में रखी गई है । उक्त राशि को आरबीआई के दिनांक 30.04.2021 के पत्र के अनुसार सीईटी कैपिटल के हिस्से के रूप में माना जाता है ।

11. निवेश

11.1 निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ मे)

क्रम संख्या	विवरण	2020-21	2019-20
(i)	निवेशो का सकल मूल्य*		
	(क) भारत में	94 686.30	78 357.88
	(ख) भारत के बाहर	3 725.44	3 671.50
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	(क) भारत में	2 907.60	2 595.87
	(ख) भारत के बाहर	6.17	17.43
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
	(क) भारत में	91 778.70	75 762.01
	(ख) भारत के बाहर	3 719.27	3 654.07

11.2 निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रतिधारित प्रावधानों का प्रचलन

(रु. करोड़ में)

क्र सं .	विवरण	2020-21	2019-20
(i)	आरंभिक शेष	2 595.87	2 268.31
(II)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	962.40	611.61
(iii)	घटाएँ: वर्ष के दौरान लिखे गए बट्टे खाते डालना / समायोजन	650.67	284.05
(iv)	समापन शेष	2 907.60	2 595.87

11.3 रेपो लेन देन (अंकित मूल्य के अनुसार)

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		मार्च 31 को बकाया	
	20-21	19-20	20-21	19-20	20-21	19-20	20-21	19-20
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--

* The Bank received a capital infusion of Rs.4100 crore (Rupees FourThousand One Hundred Crore) from Government of India towards contribution of Central Government in the Preferential Allotment of Equity Shares of the Bank during the FY 2020-21. as Government's Investment. The amount of Rs.4 100 crore (Rupees Four Thousand One Hundred Crore) received by the bank on 31.03.2021 is kept in Share Application Money account pending allotment. The said amount is considered as part of CET Capital in terms of RBI Letter dated 30.04.202l.

11. Investments

11.1 Value of Investments **(Rs. in Crore)**

S.No.	Particulars	2020-21	2019-20
(i)	Gross Value of Investments*		
	(a) In India	94 686.30	78 357.88
	(b) Outside India	3 725.44	3 671.50
(ii)	Provisions for Depreciation		
	(a) In India	2 907.60	2 595.87
	(b) Outside India	6.17	17.43
(iii)	**Net value of Investments**		
	(a) In India	91 778.70	75 762.01
	(b) Outside India	3 719.27	3 654.07

11.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments held in India (Rs. in Crore)

S.No.	Particulars	2020-21	2019-20
(i)	Opening Balance	2 595.87	2 268.31
(II)	ADD: Provisions made during the year	962.40	611.61
(iii)	LESS: Write-off/Write-Back of excess provisions during the year	650.67	284.05
(iv)	Closing Balance	2 907.60	2 595.87

11.3 Inter Bank Repo transactions (in face value terms) (Rs. in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31st	
	20-21	19-20	20-21	19-20	20-21	19-20	20-21	19-20
Securities sold under Repo								
i. Government securities	--	--	--	--	--	--	--	--
ii. Corporate debt securities	--	--	--	--	--	--	--	--
Securities Purchased under reverse repo								
i. Government securities	--	--	--	--	--	--	--	--
ii. Corporate debt securities	--	--	--	--	--	--	--	--

11.4 गैर एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

11.4.1 गैर एसएलआर निवेशों की जारीकर्तावार संरचना (रु. करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	31.03.20 तक की राशि	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	'कम निवेश श्रेणी' प्रतिभूतियों का विस्तार	'गैर रेटेड' प्रतिभूतियों का विस्तार	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	24 212.68	24 023.01	--	--	--
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ	212.45	188.10	--	--	--
(iii)	बैंक	638.77	380.33	182.98	8.75	8.75
(iv)	निजी कार्पोरेट	6 666.28	6 146.54	123.33	89.13	37.57
(v)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	199.58	--	--	--	--
(vi)	अन्य (विदेशी गैर-सरकारी निवेश के साथ)	3 225.59	--	--	--	--
(vii)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान	(2 826.87)	(2 582.86)	--	--	--
	कुल	**32 328.48**	**28 155.12**	**306.31**	**97.88**	**46.32**

11.4.2 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश (रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
1 अप्रैल को अथ शेष	1 948.34	1 918.03
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	827.14	224.02
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियाँ	104.94	193.71
31 मार्च को इति शेष	2 670.54	1 948.34
कुल धारित प्रावधान*	2 411.41	1 674.61

*जिसमें से 31 मार्च, 2021 को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत निवेशों पर एमटीएम के लिए 2411.41 करोड़ रुपये रखे गए, जबकि 31 मार्च 2020 को यह 1674.61 करोड़ रुपये था ।

11.5 एचटीएम श्रेणी को/ से अंतरण एवं बिक्री

वर्तमान वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री एवं अंतरण (निर्धारित सीमा से 5% अधिक) : शून्य (गतवर्ष शून्य)

7 जुलाई 2015 को आरबीआइ द्वारा वर्गीकरण मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड पर जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार, आमतौर पर लेखांकन वर्ष की शुरुआत में बैंकों को वर्ष में एक बार एचटीएम में/से निवेश स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है । उस लेखा वर्ष के शेष भाग के दौरान अन्य किसी भी स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि आरबीआइ द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो ।

लक्ष्यित दीर्घावधि रेपो ऑपरेशन (टीएलटीआरओ) / टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 लेनदेन दिशानिर्देशों के उलट, यदि कोई बैंक टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन के पुनर्भुगतान के विकल्प का विकल्प चयन करता है, तो आरबीआइ ने संबंधित प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से बाहर स्थानांतरित करने की अनुमति दी है । टीएलटीआरओ/टीएलटीआरओ 2.0 का यह स्थानांतरण, एचटीएम से निवेश लेखा वर्ष की शुरुआत में अनुमत निवेशों के स्थानांतरण के अतिरिक्त होगा ।

तदनुसार, हमारे बैंक ने टीएलटीआरओ 2.0 के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है और संबंधित प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफएस में स्थानांतरित कर दिया है, साथ ही लेखा वर्ष की शुरुआत में नियमित हस्तांतरण के अलावा, जो निर्धारित 5% सीमा में नहीं गिना जाता है ।

11.4 Non-SLR Investment Portfolio

11.4.1 Issuer Composition of Non-SLR Investments

(Rs. in Crore)

S. No	Issuer	Amount As on 31.03.21	Extent of Private Placement	Extent of 'Below investment grade' securities	Extent of 'Unrated' securities	Extent of 'Un-listed' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	24 212.68	24 023.01	--	--	--
(ii)	FIs	212.45	188.10	--	--	--
(iii)	Banks	638.77	380.33	182.98	8.75	8.75
(iv)	Private Corporates	6 666.28	6 146.54	123.33	89.13	37.57
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	199.58	--	--	--	--
(vi)	Others (Including Overseas Non Government Investments)	3 225.59	--	--	--	--
(vii)	Provision held towards depreciation	(2 826.87)	(2 582.86)	--	--	--
	Total	**32 328.48**	**28 155.12**	**306.31**	**97.88**	**46.32**

11.4.2 Non Performing Non SLR Investments

(Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Opening Balance as on 1st April	1 948.34	1 918.03
Additions during the year since 1st April,	827.14	224.02
Reductions during the above period	104.94	193.71
Closing Balance as on 31st March	2 670.54	1 948.34
Total Provisions held*	2 411.41	1 674.61

*of which Rs.2411.41 crores held towards MTM on Equity Shares classified as NPI as on 31st March 2021 against Rs.1674.61 crores as on 31st March 2020.

11.5 Sale and Transfers to/from HTM Category

Sale and transfer to/from HTM category (above the prescribed limit of 5%) during the current year: NIL (previous year NIL)

As per Master Circular - Prudential Norms for Classification Valuation and Operation of Investment portfolio by Banks dated July 7,2015 issued by RBI, Banks are permitted to shift investments to/from HTM once in a year, normally at the beginning of the accounting year. No further shifting will be allowed during remaining part of that accounting year, except when explicitly permitted by RBI.

Under Targeted Long Term Repo Operations (TLTRO)/reversal of TLTRO/TLTRO 2.0 transactions guidelines, if a Bank opts for repayment of funds availed under TLTRO/TLTRO 2.0, RBI has permitted shifting of associated securities out of HTM category. This shifting of TLTRO/TLTRO 2.0, investments out of HTM shall be in addition to the shifting of investments allowed at the beginning of the accounting year.

Accordingly, our Bank has repaid funds availed under TLTRO 2.0 to the extent of RS.100 crore and shifted associated securities from HTM to AFS, in addition to regular transfer at the beginning of accounting year, which are not reckoned in the prescribed 5% limit.

12. डेरिवेटिव्स

12.1 वायदा दर करार / ब्याज दर अदला –बदली

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	कुल	रुपये एक्सपोज़र	एफएक्स एक्सपोज़र	कुल	एफएक्स एक्सपोज़र	कुल
1) अदला-बदली करारों के काल्पनिक मूल	--	--	--	--	--	--
2) करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होने वाली हानि	--	--	--	--	--	--
3) अदला-बदली करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	--	--	--	--	--	--
4) अदला-बदली से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण	--	--	--	--	--	--
5) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	--	--	--	--	--	--

12.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु. करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2020-21	2019-20
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	--	--
(ii)	31 मार्च तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	--	--
(iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो ''ज्यादा प्रभावी '' नहीं	--	--
(iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो ''ज्यादा प्रभावी '' नहीं	--	--

12.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

12.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेज़री (विदेशी)

बैंक,बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं।

अ) विदेशी उधार/एफ़सीएनआर(बी) पोर्टफोलियो/ आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज/ विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं ।

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।

ऊ) डेरिवेटिव्स का प्रयोग बैंक के तुलन पत्र के एक्सपोज़र को हेज़ करने हेतु किया जाता है ।

12. DERIVATIVES

12.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	2020-21			2019-20		
	Rupee Exposure	FX Exposure	Total	Rupee Exposure	FX Exposure	Total
i) The notional principal of swap agreements	--	--	--	--	--	--
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfill their obligations under the agreements	--	--	--	--	--	--
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	--	--	--	--	--	--
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	--	--	--	--	--	--
v) The fair value of the swap book	--	--	--	--	--	--

12.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Rs. in Crore)

S. No.	Particulars	2020-21	2019-20
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	--	--
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument wise)	--	--
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument wise)	--	--
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument wise)	--	--

12.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

12.3.1 Qualitative Disclosure

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/ Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR(B) portfolio/the asset liability mis-match, for funding overseas branches etc.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposure separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with the Banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank’s Balance sheet exposures.

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है।तुलन पत्र हेतु किए गए अदला-बदली के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों/देयताओं की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। ग्राहकों के लिए बैक टू बैक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।

ए) सभी प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं। बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया। बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है ।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं ।

डेरिवेटिव से संबंधित जोखिम प्रबंधन नीतियां भी शामिल करने के लिए डेरिवेटिव्स का उपयोग किया जाता है, उस सीमा तक विशेष संदर्भ के साथ संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों की सेवा की जाती है । चर्चा में यह भी शमिल होना चहिये कि

अ. डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन;

आ. जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणाली का दायरा और प्रकृति;

इ. हेजेज / कमजोरियों की निरंतर तथा प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियों और प्रक्रियाओं से जोखिम को कम करना और / या कम करने के लिए नीतियां बनना; तथा

ई. बचाव और गैर बचाव के लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय,प्रीमियम और छूट की मान्यता; उत्कृष्ट अनुबंध का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और क्रेडिट जोखिम शमन ।

ट्रेजरी (देशीय)

बैंक,सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याजदर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों और सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप(आइआरएस) का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याज दर स्वैप को अपनाता है।स्वैप लेन देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइएसडीए करार मौजूद है।

क) बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढांचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेजरी विभाग , बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है ।

ख) व्युत्पन्न लेनदेन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेनदेन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न), परिचालनगत जोखिम, विनियामक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियां स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है । आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं ।

ग) बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है । बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपक्वता ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है ।

घ) व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ(नीति संख्या 6) में प्रकट किए अनुसार तैयार की गयी है ।

12.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्रम. सं. .	विवरण	2020-21		2019-20	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम) क) प्रतिरक्षा के लिए ख) व्यापार के लिए	 1 093.13 0	0	 1 669.53 0	 0 0
(ii)	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति क) आस्तियाँ (+) ख) देयताएँ (-)	 0 171.03		 0 261.41	 0 0
(iii)	ऋण जोखिम*	109.31		120.84	0

g) The income from such derivatives are amortized and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet Management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower.

h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Bank shall discuss their Risk Management policies pertaining to derivatives with particular reference to the extent to which derivatives are used, the associated risks and business purposes served. The discussion shall also include:

a) The structure and organization for management of risk in derivatives trading;

b) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems;

c) Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants; and

d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

Treasury (Domestic)

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Government Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt. In addition, the bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the bank for trading and hedging. The bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.6)

12.3.2 Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Particulars	2020-21		2019-20	
		CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE ERIVATIVES	CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount) a) For Hedging b) For Trading	 1 093.13 0	 0	 1 669.53 0	 0 0
(ii)	Mark to Market Positions a) Asset (+) b) Liability (-)	 0 171.03		 0 261.41	 0 0
(iii)	Credit Exposure*	109.31		120.84	0

(iv)	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन (100*पीवी01) क) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर ख) व्यापार डेरिवेटिव्स पर	 23.75 0	 0 0	 21.64 0.00	 0 0
(v)	वर्ष के दौरान देखे गए 100* पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम				
	क} प्रतिरक्षा पर अधिकतम न्यूनतम	 36.11 21.48	 0 0	 27.93 21.64	 0 0

*बैंक मौजूदा आरबीआइ के निर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोज़र के मापन पर वर्तमान एक्सपोज़र विधि को अपना सकते हैं।

13. आस्ति गुणवत्ता

13.1.1 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
i) निवल एनपीए की तुलना में निवल अग्रिम (%)	3.58	5.44
ii) एनपीए की गतिशीलता (सकल)		
क) अथ शेष	19 912.70	33 398.12
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3 175.35	7 225.33
ग) वर्ष के दोरान कटौतियाँ	6 764.87	20 710.75
घ) इति शेष	16 323.18	19 912.70
iii) निवल एनपीए की गतिशीलत		
क) अथ शेष	6 602.80	14 368.30
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2 027.51	5 988.21
ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ (तकनीकी रूप से अपलिखित करना एवं अन्य कटौतियां शामिल हैं	4 052.72	13 753.71
घ) इति शेष	4 577.59	6 602.80
iv) एनपीए की गतिशीलता के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
क) अथ शेष	12 983.48	18 647.23
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3 942.66	11 171.83
ग) बट्टे खाते में डाले गए / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	5 496.05	16 835.58
घ) इति शेष	11 430.09	12 983.48

13.1.2 आरबीआई विचलन पर टिप्पणियाँ

आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर. बीपी. बीसी. सं. 32/ 21.04.018/ 2018-19 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो वित्तीय विवरणों के लिए "खातों के लिए नोट्स" में प्रकटीकरण पर - संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन, बैंक विचलन का खुलासा करना चाहिए :

i. आरबीआइ द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान संदर्भ अवधि के प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक है, और

ii. आरबीआइ द्वारा चिन्हित किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए की संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक हैं ।

जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, विचलन बैंक में सीमा के भीतर हैं और इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

13.1.3 प्रावधान कवरेज अनुपात

आरबीआइ दिशा-निर्देशों के अनुसार गणना की गई प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31.03.2021 को (31.03.2020 के 86.94% के मुकाबले) 90.34% रहा ।

(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) a) On hedging derivatives b) on trading derivatives	23.75 0	0 0	21.64 0.00	0 0
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) on hedging Maximum Minimum	36.11 21.48	0 0	27.93 21.64	0 0
	b) on trading Maximum Minimum	0 0	0 0	0 0	0.34 0

*Banks may adopt the Current Exposure Method on Measurement of Credit Exposure of Derivative Products as per extant RBI instructions.

13. ASSET QUALITY

13.1.1 Non-Performing Assets (NPAs) (As certified by Management)

(Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
i) Net NPAs to Net Advances (%)	3.58	5.44
ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening Balance	19 912.70	33 398.12
b) Additions during the year	3 175.35	7 225.33
c) Reductions during the year	6 764.87	20 710.75
d) Closing Balance	16 323.18	19 912.70
iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening Balance	6 602.80	14 368.30
b) Additions during the year	2 027.51	5 988.21
c) Reductions during the year (including Technical Write-off and Other Reductions)	4 052.72	13 753.71
d) Closing Balance	4 577.59	6 602.80
iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	12 983.48	18 647.23
b) Provisions made during the year	3 942.66	11 171.83
c) Write-off/Write-back of excess provisions	5 496.05	16 835.58
d) Closing balance	11 430.09	12 983.48

13.1.2 Notes on RBI Divergence:

As per RBI Circular No. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated 01.04.2019 on Disclosure in the "Notes to Accounts" to the Financial Statements - Divergence in the Asset Classification and Provisioning, Banks should disclose Divergences, if either or both of the following conditions are satisfied:

i. The additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before Provisions and Contingencies for the reference period, and

II. The additional Gross NPAs identified by RBI exceed 15% of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

Divergences are within threshold limits in the Bank as specified above and hence no Disclosure is required with respect to RBI's Annual Supervisory process for FY 2019-20.

13.1.3 Provision Coverage Ratio

The Provision Coverage Ratio (PCR) computed as per the RBI guidelines stood at 90.34% as on 31.03.2021 (86.94%as on 31 .03.2020).

2020 - 2021

13.2 खातों के पुनर्गठन का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतरगत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2020 तक पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	1	26	0	27	19043	0	0	0	19043	31076	421	1054	14	32565	50119	422	1080	14	51635
		बकाया राशि	-	12.92	4 222.66	-	4 235.58	694.21	-	-	-	694.21	688.29	892.78	6808.68	0.47	8390.22	1382.50	901.62	11022.01	0.38	13320.01
		उन पर प्रावधान	-	-	0.23	-	0.23	38.72	-	-	-	38.72	49.97	9.52	102.04	0.09	161.62	88.69	8.92	95.73	-	200.57
2	01.04.2020से 31.03.2021 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	3962	0	0	0	3962	41129	607	376	1	42113	45091	607	376	1	46075
		बकाया राशि	-	-	484.97	-	484.97	474.64	-	-	-	474.64	1465.06	24.91	296.37	0.17	1786.51	1939.70	24.91	781.34	0.17	2,746.12
		उन पर प्रावधान	-	-	(0.21)	-	0.21	23.73	-	-	-	23.73	169.68	3.73	10.65	0.17	184.23	193.41	3.73	10.44	0.17	207.75
3	01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	1966	0	0	0	1966	7	5	-2	-1	9	1973	5	-2	-1	1975
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.93	-	-	-	77.93	108	40	-545	0	-397	186.35	39.98	-544.93	0.38	-318.98
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	3	-7	0	22	26.22	3.42	-7.32	0.00	22.32

2020-2021

13.2 Particulars of Accounts Restructured (As certified by Management) **(Rs. in Crore)**

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification / Details		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1, 2020	No. of Borrowers	0	1	26	0	27	19043	0	0	0	19043	31076	421	1054	14	32565	50119	422	1080	14	51635
		Amount Outstanding	-	12.92	4 222.66	-	4 235.58	694.21	-	-	-	694.21	688.29	892.78	6808.68	0.47	8390.22	1382.50	901.62	11022.01	0.38	13320.01
		Provision Thereon	-	-	0.23	-	0.23	38.72	-	-	-	38.72	49.97	9.52	102.04	0.09	161.62	88.69	8.92	95.73	-	200.57
2	Fresh Restructuring during 01.04.2020 to 31.03.2021 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	3962	0	0	0	3962	41129	607	376	1	42113	45091	607	376	1	46075
		Amount Outstanding	-	-	484.97	-	484.97	474.64	-	-	-	474.64	1465.06	24.91	296.37	0.17	1786.51	1939.70	24.91	781.34	0.17	2,746.12
		Provision Thereon	-	-	(0.21)	-	0.21	23.73	-	-	-	23.73	169.68	3.73	10.65	0.17	184.23	193.41	3.73	10.44	0.17	207.75
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2020 to 31.03.2021	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	1966	0	0	0	1966	7	5	-2	-1	9	1973	5	-2	-1	1975
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.93	-	-	-	77.93	108	40	-545	0	-397	186.35	39.98	-544.93	0.38	-318.98
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	3	-7	0	22	26.22	3.42	-7.32	0.00	22.32

क्रम सं.	पुन: संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम और / या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	-1	1	0	0	0	1979	74	5	2058	-1078	341	786	31	80	-1078	2319	861	36	2138
		बकाया राशि	-	(12.92)	12.92	-	-	-	117.82	14.38	0.42	132.62	(83.20)	(830.70)	1,114.59	0.73	201.42	(83.20)	(725.80)	1,141.89	1.15	334.04
		उन पर प्रावधान	-	-	7.35	-	7.35	-	23.56	5.75	0.42	29.73	(4.12)	(10.17)	(72.64)	0.73	(86.20)	(4.12)	13.39	(63.61)	1.15	(49.12)
6	01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना / समाप्ति/ सीडीआर से निकासी / उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-2	0	-2	1952	13	2	0	1967	27063	33	145	1	27242	29015	46	145	1	29207
		बकाया राशि	-	-	(95.05)	-	(95.05)	36.67	1.30	0.42	-	38.39	635.51	(0.20)	(343.58)	0.00	291.73	672.18	1.10	(438.21)	0.00	235.07
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.26	0.07	(3.59)	0.00	29.74	33.26	0.07	(3.59)	0.00	29.74

Sl No.			4			5			6		
Type of Restructuring	Asset Classification	Details	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY			Downgradation of the restructured accounts during 01.04.2020 to 31.03.2021			Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 01.04.2020 to 31.03.2021		
			No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon	No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon	No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon
Under CDR Mechanism	Standard		-	-	-	0	-	-	0	-	-
	Sub-standard		-	-	-	-1	(12.92)	-	0	-	-
	Doubtful		-	-	-	1	12.92	7.35	-2	(95.05)	-
	Loss		-	-	-	0	-	-	0	-	-
	Total		-	-	-	0	-	7.35	-2	(95.05)	-
Under SME Debt Restructuring Mechanism	Standard		-	-	-	0	-	-	1952	36.67	-
	Sub-standard		-	-	-	1979	117.82	23.56	13	1.30	-
	Doubtful		-	-	-	74	14.38	5.75	2	0.42	-
	Loss		-	-	-	5	0.42	0.42	0	-	-
	Total		-	-	-	2058	132.62	29.73	1967	38.39	-
Others	Standard		-	-	-	-1078	(83.20)	(4.12)	27063	635.51	33.26
	Sub-standard		-	-	-	341	(830.70)	(10.17)	33	(0.20)	0.07
	Doubtful		-	-	-	786	1,114.59	(72.64)	145	(343.58)	(3.59)
	Loss		-	-	-	31	0.73	0.73	1	0.00	0.00
	Total		-	-	-	80	201.42	(86.20)	27242	291.73	29.74
Total	Standard		-	-	-	-1078	(83.20)	(4.12)	29015	672.18	33.26
	Sub-standard		-	-	-	2319	(725.80)	13.39	46	1.10	0.07
	Doubtful		-	-	-	861	1,141.89	(63.61)	145	(438.21)	(3.59)
	Loss		-	-	-	36	1.15	1.15	1	0.00	0.00
	Total		-	-	-	2138	334.04	(49.12)	29207	235.07	29.74

क्रम सं.		7		
पुनः संरचना का प्रकार	आस्ति वर्गीकरण / विवरण	31 मार्च 2021 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्संरचित किए गए खाते: उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उन पर प्रावधान
सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत	मानक	0	-	-
	अवमानक	0	-	-
	संदिग्ध	25	4.625.50	7.37
	हानि	0	-	-
	कुल	25	4.625.50	7.37
एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत	मानक	17029	921.63	50.76
	अवमानक	1966	116.52	23.30
	संदिग्ध	72	13.96	5.58
	हानि	5	0.42	0.42
	कुल	19072	1,052.53	80.06
अन्य	मानक	44059	1,542.14	208.49
	अवमानक	1323	125.63	6.39
	संदिग्ध	1970	7328.18	27.05
	हानि	12	0.26	0.26
	कुल	47365	8.996.21	242.18
कुल	मानक	61088	2,463.77	259.25
	अवमानक	3289	242.15	24.57
	संदिग्ध	2067	11,967.64	19.43
	हानि	18	0.68	0.68
	कुल	66462	14.674.24	329.61

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2021 (closing Figures)	No. of Borrowers	0	0	25	0	25	17029	1966	72	5	19072	44059	1323	1970	13	47365	61088	3289	2067	18	66462
		Amount Outstanding	-	-	4.625.50	-	4.625.50	921.63	116.52	13.96	0.42	1,052.53	1,542.14	125.63	7,328.18	0.26	8,996.21	2,463.77	242.15	11,967.64	0.68	14.674.24
		Provision Thereon	-	-	7.37	-	7.37	50.76	23.30	5.58	0.42	80.06	208.49	6.39	27.05	0.26	242.18	259.25	24.57	19.43	0.68	329.61

2019 - 2020

क्रम सं.	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतरगत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2019 तक पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	1	26	0	27	8404	58	49	0	8511	6	10	103	1	120	8410	69	178	1	8658
		बकाया राशि	0.00	13.49	4121.98	0.00	4135.47	384.00	41.87	349.62	0.00	775.49	447.11	1030.62	7336.53	0.38	8814.64	831	1085.98	11808.13	0.38	13725.60
		उन पर प्रावधान	0.00	0.02	13.75	0.00	13.77	18.69	6.24	0.17	0.00	25.10	11.02	0.19	16.54	0.00	27.75	29.71	6.45	30.46	0	66.62
2	01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	14387	0	0	0	14387	0	0	0	0	0	14387	0	0	0	14387
		बकाया राशि	0.00	0.00	185.72	0.00	185.72	468.98	0.00	0.00	0.00	468.98	7.21	21.99	755.03	0.00	784.23	476.19	21.99	940.75	0.00	1438.93
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	-9.27	0.00	-9.27	27.46	0.00	0.00	0.00	27.46	0.36	1.10	17.75	0.00	19.21	27.82	1.10	8.48	0.00	37.40
3	01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	0	-1	0	-1
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	-292.48	0	-292.46	0.01	0.01	-292.48	0.00	-292.46
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.62	0	-24.62	0.00	0.00	-24.62	0.00	-24.62

2019 - 2020

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification / Details		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1, 2019	No. of Borrowers	0	1	26	0	27	8404	58	49	0	8511	6	10	103	1	120	8410	69	178	1	8658
		Amount Outstanding	0.00	13.49	4121.98	0.00	4135.47	384.00	41.87	349.62	0.00	775.49	447.11	1030.62	7336.53	0.38	8814.64	831	1085.98	11808.13	0.38	13725.60
		Provision Thereon	0.00	0.02	13.75	0.00	13.77	18.69	6.24	0.17	0.00	25.10	11.02	0.19	16.54	0.00	27.75	29.71	6.45	30.46	0	66.62
2	Fresh Restructuring during 01.04.2019 to 31.03.2020 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	14387	0	0	0	14387	0	0	0	0	0	14387	0	0	0	14387
		Amount Outstanding	0.00	0.00	185.72	0.00	185.72	468.98	0.00	0.00	0.00	468.98	7.21	21.99	755.03	0.00	784.23	476.19	21.99	940.75	0.00	1438.93
		Provision Thereon	0.00	0.00	-9.27	0.00	-9.27	27.46	0.00	0.00	0.00	27.46	0.36	1.10	17.75	0.00	19.21	27.82	1.10	8.48	0.00	37.40
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2019 to 31.03.2020	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	0	-1	0	-1
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	-292.48	0	-292.46	0.01	0.01	-292.48	0.00	-292.46
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.62	0	-24.62	0.00	0.00	-24.62	0.00	-24.62

क्रम सं.		4			5			6		
पुन: संरचना का प्रकार	आस्ति वर्गीकरण / विवरण	उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम और / या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है			01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन			01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना / समाप्ति/ सीडीआर से निकासी / उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत		
		उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उन पर प्रावधान	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उन पर प्रावधान	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उन पर प्रावधान
सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत	मानक	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	अवमानक				0	0.00	0.00	0	-0.57	-0.02
	संदिग्ध				0	0.00	0.00	0	-85.04	-4.25
	हानि				0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	कुल	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.61	-4.27
एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत	मानक	0	0.00	0.00	-2415	-90.36	-4.01	-1333	-68.41	-3.42
	अवमानक							-58	-41.87	-6.24
	संदिग्ध				0	0.00	0.00	-49	-349.62	-0.17
	हानि				0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	कुल	0	0.00	0.00	-2415	-90.36	-4.01	-1440	-459.90	-9.83
अन्य	मानक	-3	-24.19	-1.20	0	-0.04	0.01	-1	-421.21	0.00
	अवमानक				-8	-155.42	8.05	9	-8.50	-0.42
	संदिग्ध				8	158.43	7.92	42	-1158.16	77.91
	हानि				0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	कुल	-3	-24.19	-1.20	0	2.97	15.98	50.00	-1587.87	77.49
कुल	मानक	-3	-24.19	-1.20	-2415	-90.40	-4.00	-1390	-2133.38	-3.42
	अवमानक	0	0.00	0.00	-8	-155.42	8.05	-49	-50.94	-6.68
	संदिग्ध	0	0.00	0.00	8	158.43	7.92	-7	-1592.82	73.49
	हानि	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
	कुल	-3	-24.19	-1.20	-2415	-87.39	11.97	-1446	-3777.14	63.39

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	0				0	0				0	-3				-3	-3	0	0	0	-3
		Amount Outstanding	0.00				0.00	0.00				0.00	-24.19				-24.19	-24.19	0.00	0.00	0.00	-24.19
		Provision Thereon	0.00				0.00	0.00				0.00	-1.20				-1.20	-1.20	0.00	0.00	0.00	-1.20
5	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.2019 to 31.03.2020	No. of Borrowers	0	0	0	0	0.00	-2415		0	0	-2415	0	-8	8	0	0	-2415	-8	8	0	-2415
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90.36		0.00	0.00	-90.36	-0.04	-155.42	158.43	0.00	2.97	-90.40	-155.42	158.43	0.00	-87.39
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.01		0.00	0.00	-4.01	0.01	8.05	7.92	0.00	15.98	-4.00	8.05	7.92	0.00	11.97
6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 01.04.2019 to 31.03.2020	No. of Borrowers	0	0	0	0	0.00	-1333	-58	-49	0	-1440	-1	9	42	0	50.00	-1390	-49	-7	0	-1446
		Amount Outstanding	0.00	-0.57	-85.04	0.00	-85.61	-68.41	-41.87	-349.62	0.00	-459.90	-421.21	-8.50	-1158.16	0.00	-1587.87	-2133.38	-50.94	-1592.82	0	-3777.14
		Provision Thereon	0.00	-0.02	-4.25	0.00	-4.27	-3.42	-6.24	-0.17	0.00	-9.83	0.00	-0.42	77.91	0.00	77.49	-3.42	-6.68	73.49	0	63.39

क्रम सं.	पुन: संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
7	31 मार्च 2021 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	1	26	0	27	19043	0	0	0	19043	2	11	152	1	166	19045	12	178	1	19236
		बकाया राशि	0.00	12.92	4222.66	0.00	4235.58	694.21	0.00	0.00	0.00	694.21	8.89	888.70	6799.35	0.38	7697.32	703.10	901.62	11022.01	0.38	12627.11
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	38.72	0.00	0.00	0.00	38.72	10.19	8.92	95.50	0.00	114.61	48.91	8.92	95.73	0.00	153.56

13.3 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों का विवरण

A. बिक्री का ब्यौरा **(रु. करोड़ में)**

क्रम.सं.	**विवरण**	**2020-21**	**2018-19**
(i)	खातों की संख्या	6 खाते एवं 11552 गैर प्रतिभूति शिक्षा ऋण एनपीए खातों का पोर्टफोलियो	6 खाते एवं 8397 गैर प्रतभूित शिक्षा ऋण एनपीए खातों का पोर्टफोलियो
(ii)	एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	177.43	92.44
(iii)	कुल प्रतिफल	346.35	303.77
(iv)	गत वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0	2.46
(v)	निवल बही-मूल्य पर कुल लाभ / (हानि)	168.92	213.79

बी. सुरक्षा रसीद में निवेश मूल्य का विवरण **(रु. करोड़ में)**

विवरण	**2020-21**	**2019-20**
1. अंतर्निहित बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	--	103.65
2.अंतर्निहित अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	--	--
कुल	--	103.65

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2020 (closing Figures)	No. of Borrowers	0	1	26	0	27	19043	0	0	0	19043	2	11	152	1	166	19045	12	178	1	19236
		Amount Outstanding	0.00	12.92	4222.66	0.00	4235.58	694.21	0.00	0.00	0.00	694.21	8.89	888.70	6799.35	0.38	7697.32	703.10	901.62	11022.01	0.38	12627.11
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	38.72	0.00	0.00	0.00	38.72	10.19	8.92	95.50	0.00	114.61	48.91	8.92	95.73	0.00	153.56

13.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset reconstruction

A. Details of Sales

(Rs. in Crore)

S. NO.	Particulars	2020-21	2019-20
(i)	No. of accounts	6 accounts and portfolio of 11552 Unsecured Education Loan NPA Accounts	6 accounts and portfolio of 8397 Unsecured Education Loan NPA Accounts
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	177.43	92.44
(iii)	Aggregate consideration	346.35	303.77
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0	2.46
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	**168.92**	**213.79**

B. Details of book Value of Investment in Security Receipt

(Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	--	103.65
ii) Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions /non-banking financial companies as underlying	--	--
Total	**--**	**103.65**

सी. सुरक्षा रसीद में निवेश के मूल्य पर अतिरिक्त प्रकटीकरण (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी की गई एसआर	पिछले 5 वर्षों के बाद लेकिन 8 वर्षों से पहले जारी की गई एसआर	8 वर्ष पहले जारी की गई एसआर
(i)	अंतर्निहित बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआरएस का बुक वैल्यू	740.27	1554.23	27.79
	(1)के प्रति प्रावधान	(22.76)	908.20	270.79
(ii)	अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआरएस का बुक वैल्यू	0.00	0.00	0.00
	(2)के प्रति प्रावधान	0.00	0.00	0.00
	कुल (i)+ (ii)	**740.27**	**1554.23**	**270.79**

13.4 अन्य बैंकों से क्रय/ विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों का विवरण

13.4.1 क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण: (रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
1 (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	--	--
(ख) कुल बकाया	--	--
2 (क) वर्ष के दौरान इनमें से पुन:संरचित खातों की संख्या	--	--
(ख) कुल बकाया	--	--

13.4.2 विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण : (रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
1. विक्रय किए गए खाते	--	--
2. कुल बकाया	--	--
3. प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	--	--

13.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान (रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	1884.94	710.16*

*मानक आस्ति प्रावधानों में कोविड 19 सामान्य प्रावधान हेतु रु.97.00 करोड़ (देशी – रु.95.00 करोड़ व विदेशी –रु.2.00 करोड़) शामिल हैं ।

14 कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	2020-21	2019-20
(i)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	6.17%	6.73%
(ii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	2.02%	1.30%
(iii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	2.14%	1.37%
(iv)	आस्तियों से लाभ	0.27%	-2.95%
(v)	कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोडों में)	16.12	14.38
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ों में)	0.0353	-0.3427

C. Additional Disclosure on book Value of Investment in Security Receipt (Rs. In Crore)

S. NO.	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	740.27	1554.23	270.79
	Provision held against (i)	(22.76)	908.20	270.79
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	Total (i) + (ii)	**740.27**	**1554.23**	**270.79**

13.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other banks

13.4.1 Details of non-performing financial assets purchased: (Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
1 (a) No. of accounts purchased during the year	--	--
(b) Aggregate outstanding	--	--
2 (a) Of these, number of accounts restructured during the year	--	--
(b) Aggregate outstanding	--	--

13.4.2 Details of non-performing financial assets sold: (Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
1. No. of accounts sold	--	--
2. Aggregate Outstanding	--	--
3. Aggregate consideration received	--	--

13.5 Provisions on Standard Assets (Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Provisions towards Standard Assets	1884.94	710.16*

*Standard Assets Provision is inclusive of Rs.97.00 crore (Domestic – Rs.95.00 crore and Overseas – Rs.2.00 crore) for COVID 19 General Provision.

14 BUSINESS RATIOS

S. No.	Particulars	2020-21	2019-20
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	6.17%	6.73%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	2.02%	1.30%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.14%	1.37%
(iv)	Return on Assets	0.27%	-2.95%
(v)	Business (Deposits plus advances) per Employee (Rs. in Crore)	16.12	14.38
(vi)	Profit per employee (Rs. in Crore)	0.0353	-0.3427

15 आस्ति देयता प्रबंधन:

31 मार्च 2021 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान* **(रु. करोड़ में)**

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	1649.98	1997.83	26413.01	0.00	3760.34	3030.25
2 से 7 दिन	5428.71	1951.29	2290.9	0.00	774.96	850.11
8 से 14 दिन	6432.83	2832.07	1479.24	0.00	1184.68	3131.99
15 से 30 दिन	5724.14	1435.30	1317.36	0.00	3744.00	2933.35
31 दिन से 2 महीने तक	9543.8	8283.81	2199.32	0.00	3759.63	2641.58
2 महीने से 3 महीने तक	10014.52	9930.48	2392.94	0.00	3656.52	2929.15
3 महीने से 6 महीने	24741.75	12062.94	5736.12	0.00	4882.94	6173.76
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	44578.41	26966.19	11881.83	255.35	3127.91	2433.51
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	29324.62	46746.68	11333.06	627.47	2197.53	1813.76
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5649.35	10711.04	1900.54	0.00	253.81	628.15
5 वर्ष से अधिक	97200.2	16679.03	28549.92	2788.76	1650.27	2426.98
कुल	**240288.31**	**139596.66**	**95494.24**	**3671.58**	**28992.59**	**28992.59**

31 मार्च 2020 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान* **(रु. करोड़ में)**

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	1500.33	1993.25	12622.81	0.00	2364.92	1429.58
2 से 7 दिन	5005.99	3785.74	2265.81	0.00	967.33	944.07
8 से 14 दिन	6020.55	5723.52	1388.41	0.00	1647.08	525.86
15 से 30 दिन	4866.20	1620.41	1509.56	0.00	3121.27	3839.54
31 दिन से 2 महीने तक	8922.35	6003.71	2245.16	0.00	5719.01	3828.42
2 महीने से 3 महीने तक	9653.23	8859.49	2206.15	0.00	4343.22	2101.54
3 महीने से 6 महीने	23439.55	13211.16	5650.09	366.96	3082.44	6710.14
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	38205.59	21988.76	10492.19	1112.00	1611.58	2615.36
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	32327.57	46419.53	12136.51	1086.25	1148.82	643.02
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	7139.03	9240.00	2435.40	0.00	490.15	951.14
5 वर्ष से अधिक	85871.49	15925.82	26464.00	2854.51	1649.37	2559.52
कुल	**222951.88**	**134771.41**	**79416.08**	**5419.73**	**26148.19**	**26148.19**

***प्रबंधन द्वारा संकलन व प्रमाणन के अनुसार**

15 ASSET LIABILITY MANAGEMENT:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31, 2021* **(Rs. in Crore)**

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Net)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	1649.98	1997.83	26413.01	0.00	3760.34	3030.25
2 to 7 days	5428.71	1951.29	2290.9	0.00	774.96	850.11
8 to 14 days	6432.83	2832.07	1479.24	0.00	1184.68	3131.99
15 Days – 30 Days	5724.14	1435.30	1317.36	0.00	3744.00	2933.35
31 Days – 2 Months	9543.8	8283.81	2199.32	0.00	3759.63	2641.58
2 Months – 3 Months	10014.52	9930.48	2392.94	0.00	3656.52	2929.15
3 Months – 6 Months	24741.75	12062.94	5736.12	0.00	4882.94	6173.76
Over 6 Months & Upto 1 year	44578.41	26966.19	11881.83	255.35	3127.91	2433.51
Over 1 year & up to 3 years	29324.62	46746.68	11333.06	627.47	2197.53	1813.76
Over 3 years & up to 5 years	5649.35	10711.04	1900.54	0.00	253.81	628.15
Over 5 years	97200.2	16679.03	28549.92	2788.76	1650.27	2426.98
Total	**240288.31**	**139596.66**	**95494.24**	**3671.58**	**28992.59**	**28992.59**

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31, 2020* **(Rs. in Crore)**

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Net)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	1500.33	1993.25	12622.81	0.00	2364.92	1429.58
2 to 7 days	5005.99	3785.74	2265.81	0.00	967.33	944.07
8 to 14 days	6020.55	5723.52	1388.41	0.00	1647.08	525.86
15 Days – 30 Days	4866.20	1620.41	1509.56	0.00	3121.27	3839.54
31 Days – 2 Months	8922.35	6003.71	2245.16	0.00	5719.01	3828.42
2 Months – 3 Months	9653.23	8859.49	2206.15	0.00	4343.22	2101.54
3 Months – 6 Months	23439.55	13211.16	5650.09	366.96	3082.44	6710.14
Over 6 Months & Upto 1 year	38205.59	21988.76	10492.19	1112.00	1611.58	2615.36
Over 1 year & up to 3 years	32327.57	46419.53	12136.51	1086.25	1148.82	643.02
Over 3 years & up to 5 years	7139.03	9240.00	2435.40	0.00	490.15	951.14
Over 5 years	85871.49	15925.82	26464.00	2854.51	1649.37	2559.52
Total	**222951.88**	**134771.41**	**79416.08**	**5419.73**	**26148.19**	**26148.19**

***As compiled and certified**

16 उधार

16.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

(रु. करोड़ में)

श्रेणी	2020-21	2019-20
1) प्रत्यक्ष ऋण		
i) रिहाइशी बंधक- उधारकर्ता की उस रिहाइशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा।	18 932.57	19 274.69
जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयिक्तक आवास ऋण	9 794.61	10 981.43
ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा- वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीयवाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) इसमें गैर-निधि आधारित (एनबीएफ) सीमाएं भी शामिल होंगी;	2 307.52	3 195.95
अन्य रियल एस्टेट (सीआरई के तहत नहीं आने वाले होटल, अस्पताल और लिक्विरेंट)	1 580.67	2 881.74
बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश- 1) आवासीय 2) व्यावसायिक रियल एस्टेट 3) अन्य निवेश सीआईजी रियल्टि	0.00	0.00
2) अप्रत्यक्ष ऋण		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	2 400.24	4 819.00
स्थावर संपदा प्रवर्ग को कुल ऋण	25 221.00	30 171.38

16.2 पूँजी बाजार को ऋण जोखिम

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
i) उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कार्पोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	426.57	427.61
ii) शेयरों (आइपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुखम्यूचुअल पर अग्रिम	0.26	0.27
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	0.53	1.40
iv) प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उदेश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम;	834.81	665.01
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	0.59	0.59
vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटरों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	0.00	0.00

16 Exposures

16.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crore)

Category	2020-21	2019-20
(a) Direct Exposure		
i) Residential Mortgages- Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	18932.57	19274.69
Out of which individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	9794.61	10981.43
ii) Commercial Real Estate- Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based(NFB) limits;	2307.52	3195.95
iii) Real estate other (Hotel, Hospital & liquirent not under CRE)	1580.67	2881.74
iv) Investments in mortgage backed securities (MBS) and other securitized exposures- a. Residential b. Commercial Real Estate c. other investment CIG Reality	0.00	0.00
(b) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank(NHB) and Housing Finance companies(HFCs)	2400.24	4819.00
TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR	**25221.00**	**30171.38**

16.2 Exposure to Capital Market

(Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity- oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	426.57	427.61
ii) advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	0.26	0.27
iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.53	1.40
iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie. Where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	834.81	665.01
v) Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	0.59	0.59
vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00

vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना या ब्रोकरों की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को जारी वित्तीय गारंटी;	0.40	0.40
x) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण*	98.00	114.08
पूँजी बाजार को कुल उधार	**1 361.16**	**1 209.36**

16.3 जोखिम वर्ग वार देशीय ऋण :

(रु. करोड़ में)

जोखिम वर्ग *	31.03.2021 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2021 तक धारित प्रावधान	31.03.2020 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2020 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	8 739.40	3.07	11 862.41	9.16
कम	7 232.65	5.01	7 658.45	0
सामान्य रूप से कम	2 557.99	0	81.81	0
सामान्य	325.15	0	317.66	0
सामान्य रूप से उच्च	0.74	0	1.71	0
उच्च	0	0	0	0
उच्चतर	0	0	0	0
कुल	**18 855.93**	**8.08**	**19 922.04**	**9.16**

* वैसे समय तक , जब बैंक आंतरिक रेटिंग व्यवस्था से आगे बढ़ते हैं , बैंक देश जोखिम एक्सपोज़र के वर्गीकरण करने एवं प्रावधान बनाने हेतु ईसीजीसी द्वारा अपनाए जा रहे सात श्रेणी वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं । ईसीजीसी द्वारा बैंकों को उनके देश वर्गीकरण की तिमाही अपडेट अनुरोध किए जाने पर प्रदान कर सकता है और अंतरिम अवधि के दौरान देश वर्गीकरण में अचानक हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना दे सकता है।

16.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा(जीबीएल) के विवरण जहाँ बैंक ने अतिक्रमण किया है:

बैंक ने नीचे दिए गए मामलों में आरबीआइ द्वारा निर्धारित विवेकाधीन सीमा से अधिक एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र लिया था :

2020-21

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की संपुष्टि के विवरण	31.03.2021 तक के लिए बकाये की स्थिति
शून्य *						

* खाता मेसर्स आर्मडा 98/2 प्राइवेट लिमिटेड, शाखा - सिंगापुर को 04.11.2019 को बोर्ड द्वारा अनुसमर्थित यूएसडी 40 एमआईओ / आईएनआर 302.66 करोड़ के सिंगल बॉरोअर लिमिट एक्सपोजर सीलिंग मानदंडों के प्रति 12.09.2019 को यूएसडी 50 मियो /आईएनआर 378.33 करोड़ की सीमा मंजूर की गई थी, हालांकि इसका उपयोग नहीं किए जाने के कारण स्वीकृति समाप्त हो गई है अतः "शून्य" रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

vii) bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii) underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix) financing to stock brokers for margin trading; or financial guarantee issued to stock exchange on behalf of brokers	0.40	0.40
x) all exposures to venture Capital Funds (both registered and unregistered)	98.00	114.08
TOTAL EXPOSURE TO CAPITAL MARKET	**1361.16**	**1209.36**

16.3 Risk Category-wise Country Exposure: (Rs. in Crore)

Risk Category*	Exposure (net) as at 31.03.2021	Provision held as at 31.03.2021	Exposure (net) as at 31.03.2020	Provision held as at 31.03.2020
Insignificant	8739.40	3.07	11 862.41	9.16
Low	7232.65	5.01	7 658.45	0
Moderately Low	2557.99	0	81.81	0
Moderate	325.15	0	317.66	0
Moderately High	0.74	0	1.71	0
High	0	0	0	0
Very High	0	0	0	0
Total	**18855.93**	**8.08**	**19 922.04**	**9.16**

*Till such time, as Banks move over to internal ratings systems, Banks may use the seven category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd., (ECGC) for the purpose of classification and making provisions for country risk exposures. ECGC shall provide to Banks, on request, quarterly updates of their country classifications and shall also inform all Banks in case of any sudden major changes in country classification in the interim period.

16.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The bank had taken single/group borrower exposure in excess of prudential limit prescribed by RBI in the cases given below:

2020-21 **(Rs. In Crore)**

SL No	Name of the borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Board ratification details	Position as on 31.03.2021 outstanding
Nil*						

*A/C M/s.Armoda 98/2 Pte Ltd, Branch - / Singapore was sancitioned a limit of USD 50 Mio/INR 378.33 crore on 12.09.2019 aganist Single Borrower Limit Exposure celling norms of USD 40 Mio/INR 302.66 crore ratified by Board on 04.11.2019, however due to non-avaliment, the sanction has lapsed hence reported “Nil”.

2019-20 (रु. करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की संपुष्टि के विवरण	31.03.2020 तक के लिए बकाये की स्थिति
1	अर्माडा 98/2 प्रा. लि. शाखा सिंगापुर *	रु. 302.66 करोड़ (यूएसडी40 मियो) एसबीएल	रु. 378.33 करोड़ (यूएसडी 50 मियो)	12.09.2019 से 31.03.2020	04.11.2019 बोर्ड द्वारा संपुष्ट	शून्य

* कंपनी द्वारा सीमा का लाभ उठाया जाना है ।

16.5 अप्रतिभूत अग्रिम (रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे अधिकार, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए प्रभार आदि	5 373.30	4 753.03
ऐसी अमूर्त संपार्श्विकों का आकलित मूल्य	5 373.30	4 753.03

17. लगाए गए दंड का प्रकटीकरण (रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
आरबीआइ द्वारा लगाए गए दंड	--	2.50
सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाए गए दंड	--	--
अन्य दंड	--	0.1370*

* अन्य दंडों में फेमा अधिनियम की धारा 11(3) के तहत लगाए गए रु.0.033 करोड़ व पीएमएलए अधिनियम के तहत लगाए गए रु. 0.104 करोड़ का दंड शामिल है ।

18. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

18.1 लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि , पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

वित्तीय विवरणी को उन्हीं लेखांकन नीतियों व पॉलिसियों के आधार पर तैयार किया गया है जिनका पालन 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया था।

18.2 लेखांकन मानक 9 – राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी – अनुसूची 17 में मद सं. 2 में वर्णितानुसार राजस्व को मान्यता दी गयी है ।

18.3 लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ

i. बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''कर्मचारियों के लाभ'' संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।

ii. लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

2019-20 **(Rs. In Crore)**

SL No	Name of the borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Board ratification details	Position as on 31.03.2020 outstanding
1.	Armada 98/2 Pte Ltd Branch Singapore *	INR 302.66 Crore (USD 40 Mio) SBL	INR 378.33 Crore (USD 50 Mio)	12.09.2019 To 31.03.2020	Ratified by Board on 04.11.2019	Nil

*The limit is yet to be availed by the company.

16.5 Unsecured Advances **(Rs. In Crore)**

Particulars	2020-21	2019-20
Total amount for which intangible securities such as charge over the rights, licenses authority, etc., has been taken	5373.30	4753.03
Estimated value of such intangible collateral	5373.30	4753.03

17 Disclosure of Penalties imposed **(Rs. In Crore)**

Particulars	2020-21	2019-20
Penalties imposed by RBI	--	2.50
Penalties imposed by SEBI / stock exchanges	--	--
Other Penalties	--	0.1370*

***The other penalties includes Rs.0.033 crores under Section 11(3) of FEMA Act and of Rs. 0.104 crores under Section13 of PMLA Act.**

DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS

18.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2020.

18.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

18.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under: -

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	9 108.28	8 625.72	1 018.68	1 372.74	503.96	473.49
ब्याज लागत	613.04	635.53	63.13	98.18	31.74	32.72
वर्तमान सेवा लागत	243.51	225.01	61.19	59.40	36.24	36.05
प्रदत्त लाभ	(972.06)	(808.21)	(185.96)	(215.00)	(77.18)	(100.33)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	864.20	430.22	(43.93)	(296.65)	11.82	62.04
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	9 856.98	9 108.28	913.11	1 018.68	506.57	503.96

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	9 108.28	8 625.26	1 400.86	1 487.79	--	--
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	695.56	701.70	89.95	107.11	--	--
नियोक्ता का अंशदान	1 127.48	557.48	22.00	--	77.18	100.33
प्रदत्त लाभ	(972.06)	(808.21)	(185.96)	(215.00)	(77.18)	(100.33)
बाध्यताओं पर वास्तविक (नुकसान) / लाभ	(102.28)	32.05	(31.56)	20.96	--	--
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	9 856.98	9 108.28	1 295.29	1 400.86	--	--
गैर निधीय संक्रमणकालीन देयता	--	--	--	--	--	--

(ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	9 856.98	9 108.28	913.11	1 018.67	506.57	503.96
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	9 856.98	9 108.28	1 295.29	1 400.86	--	--
तुलन पत्र में पहचानी गई अनिधिक निवल देयता	--	--	--	--	506.57	503.96
तुलन पत्र में पहचानी गई निधिक निवल देयता	--	--	382.18	382.18	--	--

(घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (नधिकि)		ग्रैच्युटी (नधिकि)		अवकाश नकदीकरण (गैर नधिकि)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
वर्तमान सेवा लागत	243.51	225.02	61.19	59.40	36.24	36.05
ब्याज लागत	613.04	635.53	63.13	98.18	31.74	32.72

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations **(Rs. In Crore)**

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Present Value of obligation as at the beginning of the year	9108.28	8625.72	1018.68	1372.74	503.96	473.49
Interest Cost	613.04	635.53	63.13	98.18	31.74	32.72
Current Service Cost	243.51	225.01	61.19	59.40	36.24	36.05
Benefits Paid	(972.06)	(808.21)	(185.96)	(215.00)	(77.18)	(100.33)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	864.20	430.22	(43.93)	(296.65)	11.82	62.24
Present Value of Obligation at year end	9856.98	9108.28	913.11	1018.68	506.57	503.96

(b) Change in Fair Value of Plan Asset **(Rs. In Crore)**

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	9108.28	8625.26	1400.86	1487.79	-	-
Expected return on Plan Assets	695.56	701.70	89.95	107.11	-	-
Employer's contribution	1127.48	557.48	22.00	--	77.18	100.33
Benefit Paid	(972.06)	(808.21)	(185.96)	(215.00)	(77.18)	(100.33)
Actuarial gain/(loss) on Obligations	(102.28)	32.05	(31.56)	20.96	--	--
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	9856.98	9108.28	1295.29	1400.86	--	--
Unfunded Transitional Liability	--	--	--	--	--	--

(c) Amount recognized in Balance Sheet **(Rs. In Crore)**

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	9856.98	9108.28	913.11	1018.67	506.57	503.96
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	9856.98	9108.28	1295.29	1400.86	--	--
Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	--	--	--	--	506.57	503.96
Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	--	--	382.18	382.18	--	--

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss **(Rs. In Crore)**

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Current Service Cost	243.51	225.02	61.19	59.40	36.24	36.05
Interest Cost	613.04	635.53	63.13	98.18	31.74	32.72

योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(695.56)	(701.70)	(89.95)	(107.11)	--	--
वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	966.49	398.17	(12.37)	(317.61)	11.82	62.04
लाभ व हानि खाते में प्रभारित करने योग्य कुल व्यय	1 127.48	557.02	22.00	(267.14)	79.79	130.81
।। पेंशन विकल्पियों / पीएफ में नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ड़) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता: **(आंकडे %में)**

विवरण	पेंशन न्यास		ग्रैच्युटी न्यास	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**
क) ऋण लिखतें				
केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	3.31	2.59	7.47	8.33
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	2.20	3.52	26.20	33.97
पीएसयु / पीएफआइ/कार्पोरेट बाँडों में निवेश	4.13	5.55	12.57	15.99
अन्य निवेश	89.87	87.91	51.97	40.25
ख) ईक्विटी लिखतें	0.49	0.43	1.77	1.46

च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त) **(आंकडे %में)**

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**
बट्टा दर	7.11	6.81	7.04	6.82	7.01	6.82
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर	7.54	8.25	6.82	7.76	--	--
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

छ) अनुभवगत समंजन (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)					ग्रैच्युटी (निधिक)					अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)				
	2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	102.28	(32.05)	44.11	(3.09)	(139.69)	31.56	(20.96)	2.59	(13.50)	(65.79)	--	--	--	--	--
योजना देयताओं पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	(864.20)	(430.22)	(336.01)	(595.21)	(657.80)	(39.11)	356.18	52.77	(172.84)	(202.74)	11.82	18.52	29.71	23.89	67.62

बीमांकक मूल्यांकन के तहत भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ,मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में माँग व आपूर्ति को हिसाब में लिया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में यह नहीं है।

Expected return on Plan Asset	(695.56)	(701.70)	(89.95)	(107.11)	--	--
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	966.49	398.17	(12.37)	(317.61)	11.82	62.04
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	1127.48	557.02	22.00	(267.14)	79.79	130.81
Amount received from II Pension optees/ employer's contribution of PF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust: (Figures in %)

Particulars	Pension Trust		Gratuity Trust	
	2021	2020	2021	2020
a) Debt Instruments				
Central Government Securities	3.31	2.59	7.47	8.33
State Government Securities	2.20	3.52	26.20	33.97
Investment in PSU /PFI / Corporate Bonds	4.13	5.55	12.57	15.99
Other Investments	89.87	87.91	51.97	40.25
b) Equity Instruments	0.49	0.43	1.77	1.46

(f) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average) (Figures in %)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Discount Rate	7.11	6.81	7.04	6.82	7.01	6.82
Expected rate of return on Plan Assets	7.54	8.25	6.82	7.76	--	--
Expected Rate of Salary increase	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Method used	Projected Unit Credit		Projected Unit Credit		Projected Unit Credit	

(g) Experience Adjustments (Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)					GRATUITY (Funded)					LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)				
	2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
Experience adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	102.28	(32.05)	44.11	(3.09)	(139.69)	31.56	(20.96)	2.59	(13.50)	(65.79)	--	--	--	--	--
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	(864.20)	(430.22)	(336.01)	(595.21)	(657.80)	(39.11)	356.18	52.77	(172.84)	(202.74)	11.82	18.52	29.71	23.89	67.62

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

(ज) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है:

बट्टा दर : बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2021) सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में तय किया गया है ।

प्रत्याशित वापसी दर: आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जिस अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है। सुधरे हुए स्टॉक बाजार परिदृश्य के कारण आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाले ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.162.80 करोड़ है ।

18.4 लेखांकन मानक 17 – खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ट्रेज़री , कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, रीटेल बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है।

भाग ए : कारोबार खण्ड

कारोबार खण्ड	राजकोष		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		रीटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
राजस्व	8 327.09	6 638.50	5 937.49	6 491.21	7 739.84	7 134.24	407.49	435.14	22 411.91	20 699.09
परिणाम	2 699.11	1 158.77	259.36	(126.48)	2 505.01	2 102.04	320.18	333.87	5 783.66	3 468.20
अनाबंटित आय									112.64	66.71
अनाबंटित व्यय									0.49	1.23
परिचालनगत लाभ/हानि									5 895.81	3 533.68
आय कर									8.24	182.92
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									5 056.09	11 878.16
असाधारण लाभ / हानि									0.00	0.00
निवल लाभ									831.47	(8 527.40)
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	108 651.71	93 927.21	70 772.55	80 055.73	84 600.37	76 560.54	188.56	514.58	264 213.19	251 058.06
अनाबंटित आस्तियाँ									9 797.16	9 668.77
कुल आस्तियाँ									274 010.35	260 726.83
खण्डवार देयताएँ	102 669.88	91 126.66	68 263.42	77 989.56	81 881.94	74 848.05	131.85	564.20	252 947.09	244 528.47
अनाबंटित देयताएं									4 118.45	43.39
कुल देयताएं									257 065.54	244 571.86

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

(रु. करोड़ में)

विवरण	**देशी**		**अंतरराष्ट्रीय**		**कुल**	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
राजस्व	22 111.32	20 319.18	413.23	446.61	22 524.55	20 765.79
आस्तियाँ	267 015.80	254 628.77	6 994.55	6 098.06	274 010.35	260 726.83

h) The financial assumptions considered for the calculations are as under: -

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2021).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled. There has been significant change in expected rate of return on assets due to the improved stock market scenario.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs. 162.80 Crore.

18.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

Part A: Business Segments **(Rs. In Crore)**

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
Revenue	8327.09	6.638.50	5937.49	6491.21	7739.84	7134.24	407.49	435.14	22411.91	20699.09
Result	2699.11	1158.77	259.36	(126.48)	2505.01	2102.04	320.18	333.87	5783.66	3468.20
Unallocated Income									112.64	66.71
Unallocated Expenses									0.49	1.23
Operating Profit/Loss									5895.81	3533.68
Income Taxes									8.24	182.92
Provisions & Contingencies									5056.09	11878.16
Extraordinary profit / loss									0.00	0.00
Net Profit									831.47	(8527.40)
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	108651.71	93.927.21	70772.55	80055.73	84600.37	76560.54	188.56	514.58	264213.19	251058.06
Unallocated Assets									9797.16	9668.77
Total assets									274010.35	260726.83
Segment Liabilities	102669.88	91126.66	68263.42	77989.56	81881.94	74848.05	131.85	564.20	252947.09	244528.47
Unallocated Liabilities									4118.45	43.39
Total Liabilities									257065.54	244571.86

Part B – Geographic segments

Particulars	Domestic		International		Total	
	2020-21	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
Revenue	22111.32	20319.18	413.23	446.61	22524.55	20765.79
Assets	267015.80	254628.77	6994.55	6098.06	274010.35	260726.83

18.5 लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (प्रबन्धन द्वारा समेकन व प्रमाणन के अनुसार)

ववरण नम्नवत है :

ए) संबंधित पार्टियों का नाम व उनके संबंध

क) एसोसियेट्स – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. ओडिसा ग्राम्य बैंक

ख) संयुक्त उद्यम : इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बर्हद लिमिटेड

ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक :

(i) श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता , प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(ii) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव , कार्यपालक निदेशक

(iii) सुश्री एस. श्रीमती , कार्यपालक निदेशक

मद / संबन्धित पार्टी	**एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम****				**मुख्य प्रबंधन कार्मिक**				**मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार**				**कुल**			
	2020-21		**2019-20**		**2020-21**		**2019-20**		**2020-21**		**2019-20**		**2020-21**		**2019-20**	
	31.03.2021 को बकाया	01.04.2020 – 31.03.2021 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2020 को बकाया	01.04.2019 – 31.03.2020 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2021 को बकाया	01.04.2020 – 31.03.2021 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2020 को बकाया	01.04.2019 – 31.03.2020 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2021 को बकाया	01.04.2020 – 31.03.2021 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2020 को बकाया	01.04.2019 – 31.03.2020 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2021 को बकाया	01.04.2020 – 31.03.2021 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2020 को बकाया	01.04.2019 – 31.03.2020 के दौरान अधिकतम शेष राशि
उधार	0.0000	169.2470	0.0000	123.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	123.3400
जमाएं	235.8274	235.8274	211.4000	226.8700	0.2497	0.2738	0.0589	0.2484	0.0166	0.0166	0.0948	0.0948	236.0937	236.1178	211.5537	227.2132
निवेश	503.7699	503.7700	470.8249	470.8249	0.0000	0.0000	0.0223	0.0634	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	503.7699	503.7700	470.8472	470.8472
अग्रिम	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
वर्ष के दौरान लेन-देन	**2020-21**		**2019-20**		**2020-21**		**2019-20**		**2020-21**		**2019-20**		**2020-21**		**2019-20**	
निश्चित संपत्तियों कीखरीद	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
अदा किया गया ब्याज	0.6117		0.4500		0.0000		0.0090		0.0000		0.006		0.6117		0.4650	
प्राप्त ब्याज	13.6046		3.8100		0.0034		0.0014		0.0000		0.0031		13.6080		3.8145	

18.5 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures (as compiled & certified by Management)

The details are as follows:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

- **(a) Associates – Regional Rural Banks:**
  - **(i) Odisha Gramya Bank**
- **(b) Joint Venture: India International Bank (Malaysia) Berhad Ltd.**
- **(c) Key Management Personnel:**
  - **(i) Shri Partha Pratim Sengupta, Managing Director and CEO**
  - **(ii) Shri Ajay Kumar Srivastava, Executive Director**
  - **(iii) Ms. S.Srimathy, Executive Director**

(Rs. In Crore)

Items / Related Party	Associates */Joint Ventures**				Key Management Personnel				Relatives of Key Management Personnel				Total			
	2020-21		2019-20		2020-21		2019-20		2020-21		2019-20		2020-21		2019-20	
	Balance as on 31.03.2021	Maximum Balance during the period 1.04.2020 – 31.03.2021	Balance as on 31.03.2020	Maximum Balance during the period 1.04.2019 – 31.03.2020	Balance as on 31.03.2021	Maximum Balance during the period 1.04.2020 – 31.03.2021	Balance as on 31.03.2020	Maximum Balance during the period 1.04.2019– 31.03.2020	Balance as on 31.03.2021	Maximum Balance during the period 1.04.2020 – 31.03.2021	Balance as on 31.03.2020	Maximum Balance during the period 1.04.2019 – 31.03.2020	Balance as on 31.03.2021	Maximum Balance during the period 1.04.2020 – 31.03.2021	Balance as on 31.03.2020	Maximum Balance during the period 1.04.2019 – 31.03.2020
Borrowings	0.0000	169.2470	0.0000	123.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	169.2470	0.0000	123.3400
Deposits	235.8274	235.8274	211.4000	226.8700	0.2497	0.2738	0.0589	0.2484	0.0166	0.0166	0.0948	0.0948	236.0937	236.1178	211.5537	227.2132
Investment	503.7699	503.7700	470.8249	470.8249	0.0000	0.0000	0.0223	0.0634	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	503.7699	503.7700	470.8472	470.8472
Advances	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Transactions during the year	**2020-21**		**2019-20**		**2020-21**		**2019-20**		**2020-21**		**2019-20**		**2020-21**		**2019-20**	
Purchase of fixed assets	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
Interest paid	0.6117		0.4500		0.0000		0.0090		0.0000		0.006		0.6117		0.4650	
Interest received	13.6046		3.8100		0.0034		0.0014		0.0000		0.0031		13.6080		3.8145	

आइआइबीएम के निवेशकों का विवरण

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री. संथानम वंगल जगन्नाथन	अध्यक्ष व स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
2.	श्री. दातुक भूपतराय ए/ श्री. आइ मकसुखलाल प्रेमजी	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
3.	श्री. गोह चिंग ची	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक

2019-20 व 2020-21 के दौरान पूर्वकालिक निदेशकों को वेतन और प्रदर्शन प्रोत्साहन का विवरण:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2020-21)	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2019-20)
1.	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	23,31,943.12	--
2.	श्री कर्नम शेखर	पूर्व प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	8,06,196.00**	31,70,352.00
3.	श्री. अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	29,23,332.00	28,27,143.00
4.	सुश्री एस. श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	2,09,749.42**	--
5.	श्री. के स्वामिनाथन	पूर्व कार्यपालक निदेशक	--	25,13,749.24**

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी भुनाई बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं ।

**वर्ष का भाग

18.6 लेखांकन मानक 20-प्रति शेयर आय (रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	831.47	(8 527.40)
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	1643,69,88,324	10,675,590,332
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	Rs.0.51	Rs.(7.99)
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	Rs.10.00	Rs.10.00

18.7 लेखांकन मानक 21 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) और लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेशके लिए लेखांकन चूँकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है ।

18.8 लेखांकन मानक 22: आय पर करों के लिए लेखांकन (रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
स्थायी सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	129.69		66.15	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	343.94		231.42	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	176.44		164.61	
अन्य सम्पत्तियों के लिए प्रावधान	35.18		29.78	
पुन: संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	16.62		17.82	
प्रथकिकरण के लिए प्रावधान	0.00		0.00	
विशेष प्रावधान	0.00		0.00	

The details of the Directors of IIBM

S.No.	Name	Designation
1.	Mr. Santhanam Vangal Jagannathan	Chairman and Independent Non-Executive Director
2.	Datuk Bhupatrai a/l Mansukhlal Premji	Independent Non-Executive Director
3.	Mr. Goh Ching Chee	Independent Non-Executive Director

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2019-20 and 2020-21:

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2020-21)	Remuneration* Amount (Rs.) (2019-2020)
1.	Shri Partha Pratim Sengupta	Managing Director & Chief Executive Officer	23,31,943.12	--
2.	Shri Karnam Sekar	Ex - Managing Director & Chief Executive Officer	8,06,196.00**	31,70,352.00
3.	Shri Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	29,23,332.00	28,27,143.00
4.	Ms. S Srimathy	Executive Director	2,09,749.42**	--
5.	Shri K Swaminatham	Ex - Executive Director	--	25,13,749.24**

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

**Part of the year

18.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2020-21	2019-20
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. in Crore)	831.47	(8 527.40)
Weighted Average Number of Equity Shares	1643,69,88,324	10,675,590,332
Basic & Diluted Earnings Per Share	Rs.0.51	Rs.(7.99)
Nominal value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

18.7 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

18.8 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income (Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2021		31.03.2020	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Fixed Assets	129.69		66.15	
Provision for Employee Benefits	343.94		231.42	
Provision for Frauds	176.44		164.61	
Provision for Other Assets	35.18		29.78	
Provision for Restructured Advances	16.62		17.82	
Reserve for Severance Pay	0.00		0.00	
Special Reserve	0.00		0.00	

एनपीए के लिए प्रावधान	5359.16		5673.93	
विदेशी मुद्रा अंतरण के लिए प्रावधान		152.05		76.03
अन्य	569.55	178.13	249.94	72.22
कुल	**6630.58**	**330.18**	**6433.65**	**148.25**
निवल डीटीएल	**6300.40**		**6285.40**	

18.9 लेखांकन मानक 26 – अमूर्त आस्तियाँ

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि तक बढ़ाया जाता है ।

18.10 लेखांकन मानक 27 –संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

मलेशिया में हमारे बैंक ने (35% हिस्से के साथ) बैंक ऑफ बड़ौदा (40%) और आंध्र बैंक (25%) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं । इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आइआइबीएम) नाम से मलेशिया में स्थापित किया गया जिसकी प्रधिकृत पूँजी है एमवाइआर 500 मियो । (संयुक्त उद्यम का पेडअप कैपिटल एमवाईआर 330 मियो है) इस समनुदेशित पूँजी में हमारे बैंक का हिस्सा 35% -115.500 मियो एमवाइआर है । संयुक्त उद्यम का परिचालन 11.07.2012 से आरंभ हुआ ।

31.03.2020 को संयुक्त उद्यम ने बैंक का निवेश मूल्य बही के अनुसार रु.193.44 करोड़ (मूल निवेश मूल्य रु. 199.58 करोड़ है, जो कि रु. 6.14 करोड़ राशि के निवेश के मूल्यों तक कम किया गया है) है ।

18.11 लेखांकन मानक 28 – आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को कॉर्पोरेट आस्तियाँ माना गया है और आइसीएआइ द्वारा जारी एएस -28 में दिए गए परिभाषा के अनुसार यह नकदी सृजन इकाई नहीं है । प्रबन्धन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है ।

18.12 लेखांकन मानक 29 –आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है ।

19 अतिरिक्त प्रकटीकरण

19.1 जमाओं , अग्रिमों , उधारों व अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

19.1.1 जमाओं का केंद्रीकरण (रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	10853.40	12414.27
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	4.52%	5.57%

19.1.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण (उधार एक्सपोज़र व्युत्पन्नों सहित)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	15543.11	14944.73
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	11.13%	11.09%

19.1.3 एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण (उधार और निवेश एक्सपोज़र)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	22759.71	25906.85
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं /ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं /ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	9.32%	10.84%

19.1.4 अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण (रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
उच्च चार अनर्जक खातों से संबंधित कुल एक्सपोज़र	3890.10	4570.30

Provision for NPA	5359.16		5673.93	
Foreign Currency Transtation Reserve		152.05		76.03
Others	569.55	178.13	249.94	72.22
Total	**6630.58**	**330.18**	**6433.65**	**148.25**
Net DTL /DTA	**6300.40**		**6285.40**	

18.9 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired for core banking system is treated as intangible asset and amortized over a period of 3 years.

18.10 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Our Bank (with 35% share) has floated a Joint Venture at Malaysia along with Bank of Baroda (40%) and Union Bank of India (erst while Andhra Bank now merged with Union Bank of India) (25%) by name INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD (IIBMB). IIBMB has an Authorized Capital of MYR 500 Mio. The Joint Venture's Paid up Capital is MYR 330 Mio. (previous year MYR 330 Mio.)

As on 31.03.2021, Bank's investment value in the Joint Venture as per the books stands at Rs.193.44 Crore (Original Investment value Rs.199.58 Crores as reduced by Diminution in Value of Investments amounting to Rs.6.14 crore).

18.11 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

18.12 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

19 Additional Disclosures

19.1 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

19.1.1 Concentration of Deposits

(Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Total Deposits of twenty largest depositors	10853.40	12414.27
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	4.52%	5.57%

19.1.2 Concentration of Advances (Credit Exposure including derivatives)

(Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Total Advances to twenty largest borrowers	15543.11	14944.73
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	11.13%	11.09%

19.1.3 Concentration of Exposures (Credit and Investment exposure)

(Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	22759.71	25906.85
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	9.32%	10.84%

19.1.4 Concentration of NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Total Exposure to top four NPA accounts	3890.10	4570.30

19.1.5 प्रवर्ग –वार अग्रिम/ अनर्जक आस्तियाँ (रु. करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2020-21			2019-20		
		कुल अग्रिमों का बकाया	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए की प्रतिशतता	कुल अग्रिमों का बकाया	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए की प्रतिशतता
अ.	**प्राथमिक क्षेत्र**						
1.	कृषि व सम्बन्धित गति-विधियाँ	30404.58	2606.93	8.57	29166.70	2424.92	8.31
2.	प्राथमिक क्षेत्र उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	12752.93	1674.84	13.13	13120.27	1907.72	14.54
3.	सेवाएं	14920.99	1311.78	8.79	12867.57	1382.66	10.75
4.	वैयिक्तक ऋण	10312.29	896.77	4.14	12578.93	520.56	4.14
	कुल (अ)	**68390.79**	**6490.31**	**9.49**	**67733.47**	**6235.86**	**9.21**
आ	**गैर प्राथमिक क्षेत्र**						
1.	कृषि व सम्बन्धित गति-विधियाँ	6067.54	9.10	0.15	1068.27	2.75	0.12
2.	उद्योग	14489.99	7583.56	52.34	26001.53	11678.63	44.92
3.	सेवाएं	16248.84	1825.93	11.24	11139.74	1722.66	15.46
4.	व्यक्तिगत ऋण	32975.24	414.27	1.27	27532.16	272.80	0.99
5.	खादय ऋण	1424.26	0	0	1296.23	0	0
	कुल (आ)	**71205.87**	**9832.87**	**13.81**	**67037.93**	**13676.84**	**20.40**
	कुल (अ+आ)	**139596.66**	**16323.18**	**11.69**	**134771.40**	**19912.70**	**14.78**

19.2 अनर्जक आस्तियों का संचलन (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित) (रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
अप्रैल को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	19912.70	33 398.12
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	3683.68	6 787.16
अन्य शेष/ मौजूदा खातों में क्रेडिट	-508.33	438.17
उप-योग (अ)	23088.05	40623.45
घटाएँ :		
i. उन्नयन	455.41	1 247.06
ii. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों में से की गई वसूलियों को छोडकर और एआरसीआइएल को बिक्री सहित)	1212.68	2 663.91
iii) तकनीकी रूप/ प्रूडेंशियल रूप से बट्टे खाते डाले	4618.21	16 406.61

19.1.5Sector-wise Advances / NPAs (Rs. in Crore)

S. No	SECTOR	2020-21			2019-20		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector
A.	**Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	30404.58	2606.93	8.57	29166.70	2424.92	8.31
2.	Advances to Industries sector eligible as priority sector lending	12752.93	1674.84	13.13	13120.27	1907.72	14.54
3.	Services	14920.99	1311.78	8.79	12867.57	1382.66	10.75
4.	Personal Loans	10312.29	896.77	4.14	12578.93	520.56	4.14
	Sub Total (A)	**68390.79**	**6490.31**	**9.49**	**67733.47**	**6235.86**	**9.21**
B	**Non Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	6067.54	9.10	0.15	1068.27	2.75	0.12
2.	Industry	14489.99	7583.56	52.34	26001.53	11678.63	44.92
3.	Services	16248.84	1825.93	11.24	11139.74	1722.66	15.46
4.	Personal loans	32975.24	414.27	1.27	27532.16	272.80	0.99
5.	**Food Credit**	**1424.26**	**0**	**0**	**1296.23**	**0**	**0**
	Sub Total(B)	**71205.87**	**9832.87**	**13.81**	**67037.93**	**13676.84**	**20.40**
	TOTAL (A+B)	**139596.66**	**16323.18**	**11.69**	**134771.40**	**19912.70**	**14.78**

19.2 MOVEMENT OF NPAs (Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	19912.70	33 398.12
Additions (Fresh NPAs) during the year	3683.68	6 787.16
Other Debits / Credits in Existing Accounts	-508.33	438.17
Sub-total (A)	23088.05	40 623.45
Less:-		
(i) Up-gradations	455.41	1 247.06
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1212.68	2 663.91
(iii) Technical Write-offs / Prudential Write-offs	4618.21	16 406.61

iv) एआरसी आदि को बिक्री	423.80	377.05
v) विनिमय उतार चढ़ाव	54.77	16.12
उप-कुल	6764.87	20 710.75
31 मार्च के लिए सकल अनर्जक आस्तियाँ (समापन शेष) (अ-आ)	**16323.18**	**19 912.70**

19.3 तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने की गतिविधि

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
1 अप्रैल को तकनीकी / प्रूडेंशियल का प्रारम्भिक शेष	30641.89	16 823.54
योग : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए तकनीकी / प्रूडेंशियल बट्टे	3806.01	15 259.41
उप-योग (ए)	34447.90	32 082.95
घटाना: पूर्व के वर्षों में बट्टे में डाले गए खातों में तकनीकी/ वसूली तथा प्रूडेंशियल वसूली (बी)	3380.43	1 441.06
31 मार्च (ए-बी) को अंतिम बकाया	30 641.89	30 641.89

19.4 विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
कुल आस्तियाँ	15852.71	13 560.37
कुल अनर्जक आस्तियाँ	1519.29	1 228.32
कुल राजस्व (एच.ओ. ब्याज की नेटिंग)	462.92	446.61

19.5 तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (जिनका लेखांकन –मानदण्डों के अनुसार समेकन किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
--	--

19.6 वर्ष के दौरान आय-कर के लिए किए गए प्रावधानों की मात्रा :

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
आयकर के लिए प्रावधान	23.24	13.56
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	-15.00	169.36
निवल प्रावधान	08.24	182.92

19.7 प्रावधान और आकस्मिकताएँ –ब्रेक अप

लाभ-हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का अलग –अलग विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-164.99	487.31
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	3942.66	11 171.83
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	881.44	116.62
कोविड 19 मानक अग्रिम हेतु आकस्मिक प्रावधान	--	97.00
पुनर्गठित खातों के लिए प्रावधान	-3.45	-97.63
आय कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित)	8.24	182.92
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	400.43	103.03
कुल	5064.33	12061.08

19.8 अस्थिर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2018-19
(a)	अस्थिर प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	--	--
(b)	लेखा-वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधानों की मात्रा	--	--

(iv) Sale to ARC etc	423.80	377.05
(v) Exchange Fluctations / Others	54.77	16.12
Sub-total (B)	6764.87	20 710.75
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	**16323.18**	**19 912.70**

19.3 Movement of Technical Write off (Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Opening Balance of Technical / Prudential Write off as on 1st April	30641.89	16 823.54
Add: Technical / Prudential Write offs during the year	3806.01	15 259.41
Sub-total (A)	34447.90	32 082.95
Less: Recoveries and other adjustments in Technical / Prudential written off accounts of earlier years (B)	3380.43	1 441.06
Closing Balance as on 31st March (A-B)	31.067.47	30 641.89

19.4 OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE

(Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Total Assets	15852.71	13 560.37
Total NPAs	1519.29	1 228.32
Total Revenue (Netting of H.O. Interest)	462.92	446.61

19.5 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
--	--

19.6 Amount of provisions made for Income Tax during the year: (Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Provision for Income Tax	23.24	13.56
Provision for Deferred Tax	-15.00	169.36
Net Provision	8.24	182.92

19.7 Provisions and Contingencies – Break-up

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Provisions for depreciation on Investment / Written back	-164.99	487.31
Provision towards NPA	3942.66	11 171.83
Provision towards Standard Assets	881.44	116.62
Contingent Provision for Standard Adv Covid 19	--	97.00
Provision for Restructured accounts	-3.45	-97.63
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	8.24	182.92
Other Provision and Contingencies	400.43	103.03
Total	**5064.33**	**12061.08**

19.8 Floating Provisions (Rs. in Crore)

S. No.	Particulars	2020-21	2019-20
(a)	Opening balance in the floating provisions account	--	--
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	--	--

(c)	लेखा –वर्ष के दौरान निकाली गई रकम (प्रतिचक्रीय बफर को अंतरित)	--	--
(d)	अस्थिर प्रावधान खाते में इतिशेष	--	--

19.9 शिकायतों का प्रकटीकरण

19.9.1 ग्राहकों तथा ओबीओ से बैंक को प्राप्त शिकायतों की सूचना का सार

क्रम सं.		विवरण	पिछले वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2020-21
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें				
1		वर्ष की शुरुआत में प्राप्त शिकायतों की संख्या	5365	3272
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	166745	151084
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	168838	152330
	3.1	इस में से वे शिकायतें जो बैंक द्वारा अस्वीकार कर दी गईं	752	731
4		वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या	3272	2026
बैंक को ओबीओ से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें				
5		बैंक को ओबीओ से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	1563	2379
	5.1	क्रम संख्या 5 में से ओबीओ द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतें	1352	2298
	5.2	क्रम संख्या 5 में से ओबीओ द्वारा समझौते / मध्यस्थता / सलाह जारी कर निपटाई गई शिकायतें	208	78
	5.3	क्रम संख्या 5 में से ओबीओ द्वारा बैंक के विरुद्ध अंतिम समाधान पारित कर निपटाई गई शिकायतें	3	3
6		समयबद्ध रूप से अनानुपालन के चलते सम्बंधित के अलावा बैंक के विरुद्ध दिए गए अंतिम समाधान	0	0

जहाँ कहीं अगले कार्य –दिवस के अंदर ही शिकायतों का निवारण कर दिया गया तो उनको विवरण में शामिल नहीं किया गया है ।

19.9.2 ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के पाँच शीर्ष आधार

शिकायतों का आधार (यथा संबन्धित शिकायत)	वर्ष के शुरुआत से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोत्तरी / कमी का %	वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	5 के, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष (वि.वर्ष 2020-21)					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रानिक बैंकिंग	718	75413	(+)196.58	226	
एटीएम / डेबिट कार्ड	1906	61478	(+)112.15	1119	
क्रेडिट कार्ड	85	1363	(+)7.08	21	
ऋण और अग्रिम	16	1363	(-)14.38	74	
चेक / ड्राफ्ट / बिल	8	310	(+)79.19	7	
अन्य	539	9223	(+)51.74	576	
कुल	**3272**	**151084**		**2026**	
पिछला वर्ष (वि.वर्ष 2019-20)					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रानिक बैंकिंग	3657	130429	(+)18.59	1906	
एटीएम / डेबिट कार्ड	1561	25427	(-)42.82	718	
क्रेडिट कार्ड	49	3079	(-)21.07	85	
ऋण और अग्रिम	9	1559	(+)32.79	16	
चेक / ड्राफ्ट / बिल	6	173	(+)19.31	8	
अन्य	83	6078	(+)11.20	539	
कुल	**5365**	**166745**		**3272**	

(c)	Amount of draw down made during the accounting year (Transferred to Counter Cyclical Buffer)	--	--
(d)	Closing balance in the floating provisions account	--	--

19.9 Disclosure of complaints

19.9.1 Summary Information on complaints received by the Bank from Customer and from the OBOs.

S. No.		Particulars	Previous Year 2019-20	Prevous Year 2020-21
Complaints received by the Bank from its customers				
1		No. of complaints pending at the beginning of the year	5365	3272
2		No. of complaints received during the year	166745	151084
3		No. of complaints disposed during the year	168838	152330
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the Bank	752	731
4		Number of Complaints Pending of the end of the year	3272	2026
Maintainable complaints received by the Bank from OBOs				
5		Number of Maintainable complaints recived by the Bank from OBOs	1563	2379
	5.1	Of.5, number of complaints resolved in favour of the Bank fom OBOs	1352	2298
	5.2	Of.5, number of complaints resolved through conciliation/mediation / advisories issued by Bos	208	78
	5.3	Of.5 Number of complaints resolved after passing of AWARDS BY BOs aganist the Bank	3	3
6		No. of award and Unimplemented within the stipulated time other than those appealed	0	0

Wherever the complaints are redressed within next working day is not included in the statement

19.9.2 Top Five grounds of complaimts received by the Bank from cuslomers

Grounds of Complaints, (i.e. Complaints relating to	Number of complaints pending at the beginning of the year	number of complaints received during the year	%Increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	of 5 number of complaints pending beyond 30days
1	2	3	4	5	6
Current Year (FY 2020-21)					
Internet/Mobile/Elecronic Banking	718	75413	(+)196.58	226	
ATM / Debit cards	1906	61478	(-)112.15	1119	
Credit Cards	85	3297	(+)7.08	24	
Loans and advances	16	1363	(-)14.38	74	
Cheque /Draft/bills	8	310	(+)79.19	7	
others	539	9223	(+)51.74	576	
Total	**3272**	**151084**		**2026**	
Previous Year(FY 2019-20)					
ATM / Debit cards	3657	130429	(+)18.56	1906	
Internet/Mobile/Elecronic Banking	1561	25427	(-)42.82	718	
Credit Cards	49	3079	(-)21.07	85	
Loans and advances	9	1559	(+)32.79	16	
Cheque /Draft/bills	6	173	(+)19.31	8	
others	83	6078	(+)11.20	539	
Total	**5365**	**166745**		**3272**	

19.9.3 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

विवरण	2020-21	2019-20
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	--	--
31 मार्च को बकाया रहे चुकौती आश्वासन पत्र	3	--
निर्धारित वित्तीय प्रभाव	--	--
संचयी रूप में निर्धारित वित्तीय दायित्व	--	--

19.10 बैंक बीमा कारोबार

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप *	2020-21	2019-20
(ए)	जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	2.13	2.17
(बी)	गैर जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	23.91	20.54
(सी)	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.29	0.29
(डी)	अन्य (स्पष्ट करें)	--	--
	कुल	26.33	23.00

*** बैंक द्वारा किए जाने वाले बैंक बीमा कारोबार के संबंध में शुल्क / पारिश्रमिक की प्राप्ति**

19.11 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण शून्य (गत वर्ष शून्य)

19.12 उधार डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) - शून्य (गत वर्ष शून्य)

19.13 आरक्षितियों से आहरण – लागू नहीं

19.14 इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	--	--
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	--	--
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का	--	--
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर सीमा विच्छेद के विवरण और उन पर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	--	--

इससे पहले 2019-20 और पिछले वर्षों के लिए रिपोर्ट किए गए आंकड़ों का उल्लेख बैंक के उधारकर्ताओं के समूह एक्सपोजर की धारणा के तहत किया गया था, जहां उधारकर्ता समूह के भीतर अन्य समूह उधारकर्ता खातों/संस्थाओं के लिए सीमा की कोई अंतर-परिवर्तनीयता उपलब्ध है । तथापि, इस प्रकटीकरण के संबंध में भारतीय – समूह एक्सपोजर के परिभाषा के अनुसार, विदेशों में हमारे बैंक की अन्य संस्था को ऋण/अग्रिम के रूप में एक्सपोजर शून्य है । आज की तारीख तक, हमारे पास सिर्फ एक इकाई "इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहाद (आईआईबीएमबी) है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा (40%), इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (35%) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (25%) संयुक्त उद्यम के रूप में है । हमारे बैंक का आईआईबीएमबी में वर्ष 2019-20 और साथ ही 2020-21 के लिए भी ऋण / अग्रिम के रूप में कोई भी एक्सपोजर नहीं है, इसलिए इसे संशोधित करते हैं और 2019-20 और साथ में 2020-21 के लिए "शून्य" के रूप में रिपोर्ट करते हैं ।

20 जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	1 167.05	802.52
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	230.56	376.62
घटाएँ : दावे की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	25.45	12. 09
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंतिम शेष	1 372.16	1167.05

21. आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (यूएफसीई)

भा.रि.बै. के परिपत्र भा.रि.बै./2013-14/620 एवं भा.रि.बै./2013-14/448 के अनुसार, शाखाओं से उधारकर्ता के यूएफसीई से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण वाली इकाइयों के ऋण के लिए पूँजी व अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान की गणना का समेकन किया जाता है ।

बैंक ने आरबीआइ डीबीओडी.सं.बीसी.85 / 21.06.200 / 2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 बीपी.के शर्तों के अनुसार अपने घटकों को रु. 4.88 करोड़ का आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र देने का प्रावधान किया है । हालाँकि, बैंक के पास 31.03.2021 को 11.08 करोड़ रुपये का प्रावधान है ।

22. लिक्विडिटी कवरेज़ अनुपात पर प्रकटीकरण

एलसीआर के बारे में गुणवत्ता प्रकटीकरण

बेसल ।।। पूंजी विनिमय चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2013 को लागू हुआ है एवं दिनांक 31 मार्च 2019 तक पूरी तरह से लागू किए जाएंगे । आगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेसल ।।। चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को लागू किया है जिसे कि भारतीय बैंकों द्वारा 01 जनवरी 2015 से लागू किया जाएगा एवं सम्पूर्ण कार्यांवयन 01 जनवरी 2019 तक प्रभावी होगा । बैंको के लिए ट्रांजिशन समय प्रदान करने के लिए, वर्ष 2015 के लिए न्यूनतम अपेक्षा 60% थी जो कि 1 जनवरी 2015 से प्रभावी थी एवं 1 जनवरी 2019 तक न्यूनतम 100% प्राप्त करने के लिए इसे समान चरणों में बढाया जाएगा ।

19.9.3 Letters of Comfort (LoC)

Particulars	2020-21	2019-20
Letters of Comfort issued during the year	--	--
Letters of Comfort outstanding as on 31st March	3	--
Assessed financial impact	--	--
Cumulative Assessed Financial Obligation	--	--

19.10 Bancassurance Business (Rs. in Crore)

S. No.	Nature of income*	2020-21	2019-20
(a)	For selling Life Insurance Policies	2.13	2.17
(b)	For selling Non Life Insurance Policies	23.91	20.54
(c)	For Selling Mutual Fund products	0.29	0.29
(d)	Others (specify)	--	--
	Total	**26.33**	**23.87**

* Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.

19.11 Disclosures relating to Securitisation NIL (previous year – NIL)

19.12 Credit Default Swaps (CDS) NIL (previous year – NIL)

19.13 Draw Down from Reserves N.A.

19.14 Intra-Group Exposures

(Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Total amount of intra-group exposures	--	--
Total amount of top 20 intra-group exposures	--	--
% of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers	--	--
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	--	--

Previously the figures reported for 2019-20 and earlier years was mentioned under the assumption of group exposure to borrowers of Bank where any interchangeability of limit is available to other group borrower accounts/entities within the borrower group. However as per the definition of India - Group Exposure relating to this disclosure, the exposure in the form of Loans/Advances to other entity of our Bank overseas is Nil. As on date we have only one entity "India International Bank Malaysia, Behard (IIBMB) which is a joint venture of Bank of Baroda (40%), Indian Overseas Bank (35%), and Union Bank of India (25%). Our Bank had no exposure to IIBMB in the form of Loans/Advances for the year 2019-20 as well as 2020-21, Therefore it is rectified and reported as "Nil" for 2019-20 as well as 2020-21.

20 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) (Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Opening Balance of Amounts transferred to DEAF	1167.05	802.52
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	230.56	376.62
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	25.45	12. 09
Closing Balance of Amounts transferred to DEAF	1372.16	1167.05

21 Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE)

As per RBI circular ref no. RBI/2013-14/620 & RBI/2013-14/448, data relating to UFCE of borrowers from individual branches is obtained through online and consolidated working of the required additional provision and capital for Exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure is done at Risk Management Department.

The Bank has estimated the provision towards Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI Circular DBOD.NO.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 at Rs.4.88 crore. However, the Bank holds provision of Rs.11.08 crores as on 31.03.2021 against the same.

22. Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

Qualitative Disclosure about LCR

Basel III capital regulation has been implemented from April 1,2013 in phases and it was to be fully implemented-as on March 31, 2019. Further RBI also introduced Basel III Liquidity Coverage Ratio (LCR) to be implemented by banks in India from January 1,2015 with full implementation being effective from January 1, 2019. With a view to provide transition time for banks, the requirement was minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e with effect from January 1, 2015 and rise in equal steps to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019

एलसीआर 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (मुख्यालय) सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की संभावित तरलता व्यवधान के लिए बैंकों की अल्पकालिक लचीलापन को बढ़ावा देता है।

एलसीआर की परिभाषा :

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (एचक्यूएलएएस) का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी प्रवाह (बहिर्गमन)}}$$

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (एचक्यूएलएएस) के स्टॉक में, परिसंपत्तियों की दो श्रेणियां हैं, अर्थात स्तर 1 और स्तर 2 संपत्ति। स्तर 2 एसेट्स को उनके मूल्य-अस्थिरता के आधार पर स्तर 2 ए और स्तर 2 बी परिसंपत्तियों में उप-विभाजित किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी में शामिल किए जाने वाले परिसंपत्तियां वे हैं जो बैंक के पास तनाव अवधि के पहले दिन मौजूद है । स्तर 1 की संपत्ति 0 कटौती के साथ है जबकि स्तर 2 में, 2 ए की संपत्ति न्यूनतम 15 कटौती और स्तर 2 बी एसेट्स की संपत्ति , न्यूनतम 50% कटौती के साथ है ।

कुल निवल नकदी बहिर्गमन को अगले 30 कलेंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्गमन से कटौती के रूप में पारिभाषित किया गया है। कुल अपेक्षित कैश आउटफ्लो की गणना विभिन्न श्रेणियों या देनदारियों और बकाया-बैलेंस शीट प्रतिबद्धताओं के बकाया शेष राशि को उस दर से गुणा करके की जाती है, जिस पर वे बंद होने या कम होने की उम्मीद करते हैं। कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह की गणना दरों की संविदात्मक प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए बकाया शेष राशि को गुणा करके की जाती है जिस पर वे कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के 75% के कुल कैप तक प्रवाह की उम्मीद करते हैं ।

आरबीआई ने अपने परिपत्र आरबीआई/2019-20/217 डीओआर.बीपी.बीसी. सं. 65/21.04.098/2019-20 दिनांकित अप्रैल 17,2020, के माध्यम से सूचित किया था कि बैंकों को निम्नलिखित रूप में एलसीआर रखने की अनुमति है :

अक्तूबर 1, 2020 से मार्च 31,2021 तक	90%
अप्रैल 1, 2021 के आगे	100%

वित्तीय वर्ष 2020-21 के चारों तिमाही और समाप्त तिमाही मार्च 2020 के लिए एलसीआर का विवरण :

(रु. करोड़ में)

ववरिण	31.03.2021	31.12.2020	30.09.2020	30.06.2020	31.03.2020
एचक्यूएलए	63 651.97	56 605.49	58 996.15	55 401.80	53 381.25
कुल निवल नकदी बहिर्गमन	37 684.23	28 366.04	24 333.74	25 656.02	24 893.19
% में एलसीआर	168.91%	199.55%	242.45%	216.00%	214.44%

मार्च 2021 तिमाही के लिए बैंक ने सभी कार्य दिवस पर एलसीआर की गणना की है । बैंक की एलसीआर 31.03.2021 के समाप्त तिमाही के लिए (तिमाही 4 वित्तीय वर्ष 2020-21) प्रतिदिन औसत के आधार पर 168.91% है और वह मार्च 2021 की समाप्त तिमाही के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित 90% का वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार सही है । बैंक के पास अप्रत्याशित नकदी बहिर्गमन के लिए पर्याप्त तरलता है ।

विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण अनुबंध के रूप में दिया गया है ।

बैंक में तरलता प्रबन्धन बैंक की एएलएम नीति व विनियामक निर्धारणों पर आधारित है । देशीय व विदेशी केंद्र आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करते हैं । बैंक बोर्ड ने अल्को को बैंक की फंडिंग रणनीतियाँ बनाने हेतु अधिकार प्रदान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंडिंग स्रोतों में विविधता है और यह बैंक के परिचालन आवश्यकता के अनुरूप है । अल्को के सभी प्रमुख फैसले बैंक के बोर्ड को समय- समय पर सूचित किए जाते हैं । दैनिक / मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त , नियमित रूप से बैंक की तरलता जरूरतों का आकलन करने हेतु बैंक दैनिक सांविधिक तरलता विवरणी तैयार करता है ।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं के ऊपर एसएलआर निवेश के रूप में मुख्य रूप से एचक्यूएलए को बनाए रख रहा है। खुदरा जमा कुल वित्तपोषण स्रोतों का प्रमुख हिस्सा है, और ऐसे फंडिंग स्रोत विविध हैं । प्रबंधन का मानना है कि बैंक की भविष्य की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days.

Definition of LCR:

$$\frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

In the stock of high quality liquid assets (HQLA), there are two categories of assets, viz. Level 1and Level 2 assets. Level 2 assets are sub-divided into Level2A and Level2B assets on the basis of their price-volatility. Assets to be included in each category are those that the bank is holding on the first day of the stress period. Level-I assets are with 0%haircut while in Level 2, 2A assets are with a minimum 15% haircut and Level 2B Assets, with a minimum 50% haircut.

The total net cash outflow is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the subsequent 30 calendar days. Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows.

RBI vide its circular RBI/2019-20/217 DOR.BP.BC.No.65/21.04.098/2019-20 dated April 17, 2020 advised that the banks are permitted to maintain LCR as under:

October1, 2020 to March 31, 2021	90%
April1, 2021 onwards	100%

Details of LCR for the four quarters of FY 2020-21 & Quarter ended March 2020:

(Rs. In Crore)

Detais	31.03.2021	31.12.2020	30.09.2020	30.06.2020	31.03.2020
HQLA	63651.97	56605.49	58996.15	55401.80	53381.25
Total Net cash Outflows	37684.23	28366.04	24333.74	25656.02	24.893.19
	168.91%	199.55%	242.45%	216.00%	214.44%

Bank has calculated LCR for all working days over the March 2021 quarter. Bank's LCR for the quarter ended 31.03.2021 stands at 168.91% based on daily average of three month (Q4 FY 2020-21) and is well above the present minimum requirement prescribed by RBI of 90% for the Quarter ended March 2021. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

The detailed Quantitative disclosure is placed as Annexure.

Liquidity Management in the Bank is driven by the ALM Policy of the Bank and regulatory prescriptions. The domestic and overseas centres are reporting to the Asset Liability Management Committee (ALCO). The ALCO has been empowered by the Bank's Board to formulate the Bank's funding strategies to ensure that the funding sources are well diversified and is consistent with the operational requirements of the Bank. All the major decisions of ALCO are being reported to the Bank's Board periodically. In addition to daily/monthly LCR reporting, Bank prepares daily structural Liquidity statements to assess the liquidity needs of the Bank on an ongoing basis.

The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources, and such funding sources are well diversified. Management is of the view that the Bank has sufficient liquidity cover to meet its likely future short term requirements.

22 लिक्विडिटी कवरेज़ अनुपात का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

		जून-20		जून -19		सितंबर -20		सितंबर -19		दिसंबर -20		दिसंबर -19		मार्च -21		मार्च -20	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति																	
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच क्यू एल ए)	[redacted]	55401.80	[redacted]	45399.58	[redacted]	58996.15	[redacted]	50206.44	[redacted]	56605.49	[redacted]	52002.21	[redacted]	63651.97	[redacted]	53381.25
नकदी प्रवाह																	
2	लघु कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमाएं व जमाएं, जिसमें	159169.06	15490.00	57537.26	5035.76	161760.93	15244.25	151806.48	14352.98	202497.98	19124.63	149238.98	14695.21	187881.38	17502.37	187460.27	18438.45
(i)	स्थिर जमाएं	8538.05	426.90	14359.37	717.97	18636.91	931.85	16553.37	827.67	22503.44	1125.17	4973.76	248.69	25715.30	1285.77	6151.61	307.58
(ii)	कम स्थिर जमाएं	150631.01	15063.10	43177.89	4317.79	143124.02	14312.40	135253.11	13525.31	179994.54	17999.45	144465.22	14446.52	162166.08	16216.61	181308.66	18130.87
3	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन जिसमें	**59839.05**	**14469.74**	**39467.13**	**10550.10**	**58727.81**	**12905.68**	**22112.30**	**9902.76**	**23143.98**	**10912.56**	**44337.97**	**13105.57**	**43370.14**	**21693.47**	**26916.97**	**12020.63**
(i)	परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	0.13	0.03	19827.38	1048.45	0.13	0.03	0	0	0.18	0.04	0.13	0.03	0.13	0.03	0.13	0.03
(ii)	गैर परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	59838.92	14469.71	19639.75	9501.65	58727.68	12905.65	22112.30	9902.76	23143.80	10912.52	44337.85	13105.54	43370.01	21693.44	26916.84	12020.60
(iii)	अप्रतिभूति ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन	329.50	0	138.89	138.89	462.92	0	166.80	0.23	426.39	355.96	1149.69	0	443.85	352.56	2267.81	0
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें से	485.06	440.17	232.78	177.83	284.71	225.05	178.36	121.80	4341.80	724.42	276.12	236.13	12304.55	1276.82	473.12	436.76
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्वी अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्वाह	435.31	435.31	171.83	171.83	219.01	219.01	115.60	115.60	362.31	362.31	231.83	231.83	169.41	169.41	432.84	432.84
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीकरण की हानि से संबंधित बहिर्वाह		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

(Rs. in Crore)

		Jun-20		Jun-19		Sep-20		Sep-19		Dec-20		Dec-19		Mar-21		Mar-20	
		Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets																	
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	[redacted]	55401.80	[redacted]	45399.58	[redacted]	58996.15	[redacted]	50206.44	[redacted]	56605.49	[redacted]	52002.21	[redacted]	63651.97	[redacted]	53381.25
Cash Outflows																	
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which	159169.06	15490.00	57537.26	5035.76	161760.93	15244.25	151806.48	14352.98	202497.98	19124.63	149238.98	14695.21	187881.38	17502.37	187460.27	18438.45
(i)	Stable deposits	8538.05	426.90	14359.37	717.97	18636.91	931.85	16553.37	827.67	22503.44	1125.17	4973.76	248.69	25715.30	1285.77	6151.61	307.58
(ii)	Less stable deposits	150631.01	15063.10	43177.89	4317.79	143124.02	14312.40	135253.11	13525.31	179994.54	17999.45	144465.22	14446.52	162166.08	16216.61	181308.66	18130.87
3	Unsecured wholesale funding, of which:	**59839.05**	**14469.74**	**39467.13**	**10550.10**	**58727.81**	**12905.68**	**22112.30**	**9902.76**	**23143.98**	**10912.56**	**44337.97**	**13105.57**	**43370.14**	**21693.47**	**26916.97**	**12020.63**
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.13	0.03	19827.38	1048.45	0.13	0.03	0	0	0.18	0.04	0.13	0.03	0.13	0.03	0.13	0.03
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	59838.92	14469.71	19639.75	9501.65	58727.68	12905.65	22112.30	9902.76	23143.80	10912.52	44337.85	13105.54	43370.01	21693.44	26916.84	12020.60
(iii)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Secured wholesale funding	329.50	0	138.89	138.89	462.92	0	166.80	0.23	426.39	355.96	1149.69	0	443.85	352.56	2267.81	0
5	Additional requirements, of which	485.06	440.17	232.78	177.83	284.71	225.05	178.36	121.80	4341.80	724.42	276.12	236.13	12304.55	1276.82	473.12	436.76
(i)	Outflows related to derivative exposures and other	435.31	435.31	171.83	171.83	219.01	219.01	115.60	115.60	362.31	362.31	231.83	231.83	169.41	169.41	432.84	432.84
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		जून-20		जून -19		सितंबर -20		सितंबर -19		दिसंबर -20		दिसंबर -19		मार्च -21		मार्च -20	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधा	49.75	4.86	60.95	6.00	65.70	6.04	62.76	6.20	3979.49	362.11	44.29	4.31	12135.14	1107.41	40.28	3.92
6	अन्य संविदागत निधीकरण बाध्यताएं	63.19	63.19	0	0	83.27	83.27	0	0	57.88	57.88	0	0	11.62	11.62	60.06	60.06
7	अन्य संभाव्यता वित्तीयन बाध्यताएं	41809.22	2090.47	52991.99	2335.29	47541.58	2377.08	32631.32	1269.89	39836.05	1991.80	34631.54	1038.95	14663.67	733.18	37436.88	1168.62
8	कुल नकद बहिर्वाह		32553.57		18237.87		30835.33		25647.66		33167.25		29075.86		41570.02		32124.52
नकदी प्रवाह																	
9	सुरक्षित ऋण (उदा : रिवर्स रेपो)	8316.43	0	17083.36	1683.36	5663.94	0	4835.65	0	12477.31	0	4166.67	0	6993.39	0	6416.43	0
10	पूर्णता निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्वाह	12082.85	6351.65	421.15	421.15	10734.00	5697.50	15663.64	8451.13	8064.56	4350.53	13533.57	7529.19	6645.54	3595.49	12749.12	7024.98
11	अन्य नकद अंतर्वाह	745.66	545.90	12488.16	6380.13	997.22	804.09	2765.79	2067.02	633.61	450.70	449.07	224.53	340.66	290.32	412.69	206.35
12	कुल नकद अंतर्वाह	21144.94	6897.55	29992.67	8484.64	17395.16	6501.59	23265.08	10518.15	21175.48	4801.23	18149.30	7753.72	13979.59	3885.81	19578.24	7231.33
13	कुल एच क्यू एल ए		55401.80		45399.58		58996.15		50206.44		56605.49		52002.21		63651.97		53381.25
14	कुल निवल नकद प्रवाह		25656.02		9753.23		24333.74		15129.51		28366.02		21322.10		37684.21		24893.19
15	तरलता कवरेज अनुपात [ ]		216.00%		465.48%		242.45%		331.84%		199.55%		243.89%		168.91%		214.44%

		Jun-20		Jun-19		Sep-20		Sep-19		Dec-20		Dec-19		Mar-21		Mar-20	
		Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Un-weighted Value [average]
(iii)	Credit and liquidity facilities	49.75	4.86	60.95	6.00	65.70	6.04	62.76	6.20	3979.49	362.11	44.29	4.31	12135.14	1107.41	40.28	3.92
6	Other contractual funding obligations	63.19	63.19	0	0	83.27	83.27	0	0	57.88	57.88	0	0	11.62	11.62	60.06	60.06
7	Other contingent funding obligations	41809.22	2090.47	52991.99	2335.29	47541.58	2377.08	32631.32	1269.89	39836.05	1991.80	34631.54	1038.95	14663.67	733.18	37436.88	1168.62
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		32553.57		18237.87		30835.33		25647.66		33167.25		29075.86		41570.02		32124.52
Cash Inflows																	
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	8316.43	0	17083.36	1683.36	5663.94	0	4835.65	0	12477.31	0	4166.67	0	6993.39	0	6416.43	0
10	Inflows from fully performing exposures	12082.85	6351.65	421.15	421.15	10734.00	5697.50	15663.64	8451.13	8064.56	4350.53	13533.57	7529.19	6645.54	3595.49	12749.12	7024.98
11	Other cash inflows	745.66	545.90	12488.16	6380.13	997.22	804.09	2765.79	2067.02	633.61	450.70	449.07	224.53	340.66	290.32	412.69	206.35
12	TOTAL CASH INFLOWS	21144.94	6897.55	29992.67	8484.64	17395.16	6501.59	23265.08	10518.15	21175.48	4801.23	18149.30	7753.72	13979.59	3885.81	19578.24	7231.33
13	TOTAL HQLA		55401.80		45399.58		58996.15		50206.44		56605.49		52002.21		63651.97		53381.25
14	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		25656.02		9753.23		24333.74		15129.51		28366.02		21322.10		37684.21		24893.19
15	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		216.00%		465.48%		242.45%		331.84%		199.55%		243.89%		168.91%		214.44%

23. कार्यनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के तहत हैं) पर प्रकटीकरण

विवरण	2020-21	2019-20
खातों की संख्या जहां एसडीआर को लागू किया गया है ।	--	--
		(रुपये करोड़ में)
को बकाया राशि	**2020-21**	**2019-20**
मानक के रूप में वर्गीकृत	--	--
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	--	--
खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण से इक्विटी का बदलाव लंबित है	**2020-21**	**2019-20**
मानक के रूप में वर्गीकृत	--	--
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	--	--
उन खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी रूपांतरण हुआ है	**2020-21**	**2019-20**
मानक के रूप में वर्गीकृत	--	--
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	--	--

24. तनावग्रस्त संपत्तियों के सतत पुनर्संचना के लिए योजना पर प्रकटीकरण (एस4ए)

विवरण	2020-21	2019-20
खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है		
मानक के रूप में वर्गीकृत	--	--
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	--	--
		(रुपये करोड़ में)
सकल बकाया राशि	**2020-21**	**2019-20**
मानक के रूप में वर्गीकृत	--	--
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	--	--

(रु. करोड़ में)

बकाया राशि	2020-21	2019-20
मानक के रूप में वर्गीकृत		
भाग क के रूप में	--	--
भाग ख के रूप में	--	--
एनपीए के रूप में वर्गीकृत		
भाग क के रूप में	--	--
भाग ख के रूप में	--	--
धारित प्रावधान	**--**	**--**

25. अग्रिम संबंधी धोखाधड़ियाँ

विवरण	2020-21	2019-20
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों संख्या	105	165
		(रु. करोड़ में)
विवरण	**2020-21**	**2019-20**
इस प्रकार के धोखों में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया (निवल कटौती)	3 738.90	6 492.53
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्र	3 738.90	6 492.53

23. Disclosure on the Strategic Debt Restructuring Scheme (Accounts which are currently under the Stand-Still Period)

Particulars	2020-21	2019-20
Number of Accounts where SDR has been applied	--	--
		(Rs. in Crore)
Amount Outstanding as on	**2020-21**	**2019-20**
Classified as Standard	--	--
Classified as NPA	--	--
Amount Outstanding with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending	**2020-21**	**2019-20**
Classified as Standard	--	--
Classified as NPA	--	--
Amount Outstanding with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	**2020-21**	**2019-20**
Classified as Standard	--	--
Classified as NPA	--	--

24 Disclosure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)

Particulars	2020-21	2019-20
Number of Accounts where S4A has been applied		
Classified as Standard	--	--
Classified as NPA	--	--
		(Rs. in Crore)
Aggregate Amount Outstanding	**2020-21**	**2019-20**
Classified as Standard	--	--
Classified as NPA	--	--

(Rs. in Crore)

Amount Outstanding	2020-21	2019-20
Classified as Standard		
In Part A	--	--
In Part B	--	--
Classified as NPA		
In Part A	--	--
In Part B	--	--
Provision Held	**--**	**--**

25 Advances Related Frauds

Particulars	2020-21	2019-20
Number of Frauds reported	105	165
		(Rs. in Crore)
Particulars	**2020-21**	**2019-20**
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on 31st March (Net off Deductions)	3738.90	6492.53
Quantum of Provision made during the year	3738.90	6492.53

अन्य आरक्षितियों से डेबिट किए गए असंबद्ध प्रावधानों की मात्रा	--	--

अग्रिम संबंधी धोखाधड़ियों के अलावा **(रु. करोड़ में)**

विवरण	2020-21	2019-20
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	25	42
		(रु. करोड़ में)
विवरण	**2020-21**	**2019-20**
इन धोखाधड़ियों में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया	1.10	15.22
31 मार्च को बकाया राशि पर किया गया प्रावधान	1.10	15.22
सेंध मारना / डकैती / लूटपाट और इत्यादि सहित के लिए शुरूआत से 31 मार्च तक संचयी प्रावधान	477.06	447.29

- बैंक ने 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए धोखाधड़ी के लिए देयताओं का पूर्ण प्रावधान किया है, चारों तिमाही की अवधि में प्राप्त होने के अलावा
- 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान, अग्रिम संबंधी धोखाधड़ी 20 की संख्या में रिपोर्ट की गई, जिसमे रु. 671.27 करोड़ (निवल कटौती के बाद) की राशि जुड़ा हुआ है और जिसके लिए बैंक के पास 100% प्रावधान हैं ।

26. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) **(रु. करोड़ में)**

क्रम सं	विवरण	2020-21		2019-20	
		क्रय	विक्रय	क्रय	विक्रय
1	पीएसएलसी कृषि	--	--	--	--
2	पीएसएलसी - एसएफ़/ एमएफ़	--	4000.00	--	1600.00
3	पीएसएलसी - अतिलघु उद्यम	--	--	--	--
4	पीएसएलसी सामान्य	--	2027.50	--	--

27. 31.03.2021 को पुनर्संरचित की गई एमएसएमई अग्रिम

विवरण	2020-21	2019-20
पुनर्संरचित खातों की संख्या	29 356	19 043
राशि करोड़ो में	1 374.51	694.21

28. प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत (आरबीआई परिपत्र दिनांकित 07.06.2019) क्रियान्वित संकल्प योजना

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
खातों की संख्या जहां संकल्प योजना क्रियान्वित किया गया था	3	4
मानक के रूप में वर्गीकृत	--	1
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	3	3
		राशि (रु. करोड़ में)
	2020-21	**2019-20**
सकल बकाया राशि	284.30	298.01
मानक के रूप में वर्गीकृत	--	119.31
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	284.30	178.70

Quantum of unamortized provision debited from 'other reserves'	--	--

OTHER THAN ADVANCES RELATED FRAUDS

Particulars	2020-21	2019-20
Number of Frauds reported	25	42

(Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on 31st March	1.10	15.22
Quantum of Provision made for the outstanding amount as on 31st March	1.10	15.22
Cumlative provision as on 31st March since beginning. including Burglay /Dacoity/ Robbery and etc	477.06	447.29

Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds during the period ended 31.03.2021 instead of spilling over a period of four quarters.

During the quarter ended 31.03.2021, 20 number of advance ralated frauds reported, having the amount involved (net off deductions) in Rs.671.27 crore and for which the Bank is holding 100% provision.

26 Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) (Rs. in Crore)

S. No.	Particulars	2020-21		2019-20	
		Purchase	Sales	Purchase	Sales
1	PSLC - Agriculture	--	--	--	--
2	PSLC - SF/MF	--	4000.00	--	1600.00
3	PSLC - Micro Enterprises	--	--	--	--
4	PSLC - General	--	2027.50	--	--

27 MSME Advances Restructured as on 31.03.2021

Particulars	2020-21	2019-20
Number of accounts Restructured	29356	19043
Amount in Rs. Crore	1374.51	694.21

28 Resolution Plan implemented Under Prudential frame work (RBI Circular 07.06.2019)

Amount (Rs. in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Number of Accounts where Resolution Plan was implemented	3	4
Classified as Standard	--	1
Classified as NPA	3	3

Amount (Rs. in Crore)

	2020-21	2019-20
Aggregate Amount Outstanding	284.30	298.01
Classified as Standard	--	298.01
Classified as NPA	284.30	178.70

29. आरबीआई परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.48/20-21 दिनांकित अगस्त 6,2020 के अनुसार कोविड 19 संबंधी तनाव के लिए निवारण फ्रेमवर्क के तहत संकल्प योजना के अनुसार प्रकटीकरण

उधारकर्ताकाप्रकार	(ए) इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है	(बी) योजना के कार्यान्वयन से पहले (ए) में उल्लिखित खातोंके लिए एक्सपोजर (रुपये करोड़ में)	(सी) (बी)में से , ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था	(डी) अतिरिक्त धन राशि स्वीकृत, यदि कोई हो, योजना के लागू होने और कार्यान्वयन के बीच (रुपये करोड़ में)	(इ) समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि (रुपये करोड़ में)
खुदरा	24 278	933.48	शून्य	शून्य	93.34
कॉर्पोरेट	4	354.76	शून्य	शून्य	73.76
एमएसएमई	शून्य				
अन्य	656	24.33	शून्य	0.26	2.29
कुल	24 938	1312.57	शून्य	0.26	169.39

30. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कोविड – 19 नियामक पैकेज – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2019-20/220 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2020-21 दिनांकित अप्रैल 17,2020 पर प्रकटीकरण :

परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर दिनांक 27.03.2020, 17.04.2020, 23.05.2020 और भारतीय बैंकिंग संघ के माध्यम से आरबीआई द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 06.05.2020 पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने मानक के रूप में वर्गीकृत पात्र उधारकर्ताओं को किश्तों और/या ब्याज के भुगतान पर, जो लागू हो, 01.03.2020 और 31.08.2020 के बीच देय हो और भले ही अतिदेय हो, 29.02.2020 को पुनर्संचना के रूप में विचार किए बिना एक स्थगन प्रदान किया है । अधिस्थगन अवधि, जहां दी गई है, बैंक द्वारा आरबीआई की आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से खाते के पिछले दिनों की संख्या से बाहर रखा जाएगा ।

आरबीआई के परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुसार, बैंक को ऐसे उधारकर्ता खातों के संबंध में बकाया अग्रिमों के लिए @10% का प्रावधान करना आवश्यक है, जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया गया है ।

विवरण इस प्रकार हैं :

क्रम सं	विवरण	31.03.2021 तक (रु. करोड़ में)
(i)	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में सम्मानजनक राशि, जहां कोविड 19 नियामक पैकेज (कुल बकाया) के अनुसार स्थगन/स्थगन अवधि बढ़ाया गया था	4 655.86
(ii)	संबन्धित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण का लाभ बढ़ाया गया हो (कुल बकाया)	3 854.87
(iii)	उपर्युक्त पर बैंक द्वारा प्रावधान रखने की आवश्यकता	682.84
(iv)	वि.वर्ष 2020-21 के तिमाही 4 के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	शून्य
(v)	संबंधित लेखा अवधि के दौरान स्लिपेज के खिलाफ समायोजित प्रावधान और शेष बचे हुए प्रावधान वापस लिए गए हैं	682.84
(vi)	दिनांक 31.03.2021 तक धारित कुल प्रावधान रखना	शून्य

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गजेंद्र शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य के प्रति एक जनहित याचिका मामले में 3 सितंबर, 2020 के एक अंतरिम आदेश के माध्यम से निर्देश दिया है कि जिन खातों को 31 अगस्त, 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया गया था अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा । आदेश के अनुसार, बैंक ने किसी भी घरेलू उधार खाते को वर्गीकृत नहीं किया था, जिसे 31 अगस्त, 2020 के बाद आईआरएसी, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों पर आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, जो 31 अगस्त, 2020 के बाद एनपीए हुआ हो । विवेकपूर्ण ढंग से, 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने 241.32 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है ।

सुप्रीम कोर्ट के 23 मार्च,2021 के अंतिम आदेश और इस संबंध में जारी आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने इन उधारकर्ता खातों को 01.09.2020 से मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया है और उपरोक्त प्रावधान को रिवर्स किया है और इन खातों पर प्रावधान के लिए इसका उपयोग किया है ।

29. Disclosure as per Resolution Plan implemented under the Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI Circular DOR.No.BP.BC/3/21.04.48/20-21 dated August 6, 2020

Type of borrower	(A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	(B) Exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan (Rs.in crore)	(C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities	(D) Additional funding sanctioned. if any, including between invocation of the plan and implementation	(E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan (Rs. in Crore)
Retail	24 278	933.48	Nil	Nil	93.34
Corporate	4	354.6	Nil	Nil	73.76
MSME	Nil				
Other	656	24.33	Nil	0.26	2.29
Total	24 938	1312.57	Nil	0.26	169.39

30. Disclosure in terms of RBI circular RB1j2019 -20j220 DOR.No.BP.BC.63/21.04.048j2020-21 dated April 17, 2020, COVID-19 regulatory Package-Asset Classification and Provisioning FY 2020-21:

In accordance with the RBI guidelines relating to COYID-19 Regulatory Package on asset classification and provisioning dated 27.03.2020, 17.04.2020, 23.05.2020 and clarification issued by RBI through Indian Bankers Association dated 06.05.2020, Bank has granted a moratorium on payment of installments and/ or interest as applicable, falling due between 01.03.2020 and 31.08.2020 to eligible borrowers classified as standard, even if overdue, as on 29.02.2020 without considering the same as restructuring. The moratorium period, where granted, shall be excluded by the Bank from the number of days the account is past due for the purpose of asset classification under RBI 's Income Recognition and Asse Classification norms.

In accordance with RBI Circular DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated 17th April 2020 the Bank is required to make provision @10% of outstanding advances in respect of such borrower accounts where asset classification benefit has been taken as per RBI guidelines

The details are as under:

Sl.No	Particulars	As on 31.03.2021 (Rs. in Crore)
(i)	Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium / deferment was extended as per COVID 19 Regulatory Package (total outstanding)	4 655..86
(ii)	Respective amounts where asset classification benefints is extended (total outstanding)	3 854.87
(iii)	Provisions required to be held by the Bank on above	682.84
(iv)	Additional Provision made during Q4 FY 2020-21	Nil
(v)	Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions written back	682.84
(vi)	Total Provision Held as on 31.03.2021	Nil

The Hon'ble Supreme Court of India, in a Public Interest Litigation case of Gajendra Sharma Vs Union of India & Others vide an interim order dated 3rd September, 2020 has directed that the accounts which were not declared as NPA till 31 st August, 2020 shall not be declared as NPA till further orders . Pursuant to the Order, the Bank did not classify any domestic borrowal account which had not been classified as NPA as at 31 st August 2020 as per RBI Prudential Norms on IRAC, provisioning and other related matters, as NPA after August 31, 2020. As a matter of prudence, during the quarter ended 31.12.2020, the Bank has made an additional provision of Rs.241.32 crore.

Pursuant to the Supreme Court's final order dated March 23,2021 and in accordance with the instructions of RBI Circular dated 07.04.2021, issued in this connection, the Bank has classified these borrower accounts as per extant IRAC norms with effect from 01.09.2020 and reversed the above provision and utilized the same towards provision on these accounts.

31. "कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद संपत्ति वर्गीकरण और आय मान्यता" पर आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार, बैंक उन सभी उधारकर्ताओं सहित सभी उधारकर्ताओं से वसूल किए गए 'ब्याज पर ब्याज' को वापस/समायोजित करेगा, जिन्होंने अधिस्थगन अवधि अर्थात 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाएं, भले ही अधिस्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया हो या नहीं लिया गया हो । इन निर्देशों के अनुसरण में, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा विभिन्न सुविधाओं के लिए वापस की जाने वाली / समायोजित की जाने वाली राशि की गणना के लिए कार्यप्रणाली आरबीआई अधिसूचना के अनुसार आवश्यक है । तदनुसार बैंक ने ब्याज राहत के लिए 59.67 करोड़ रुपये की अनुमानित देनदारी बनाई है और इसे ब्याज आय से रिवर्स कर दिया गया है ।

32. आरबीआई के परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआर.सं.बीपी.1906/21.04.048/2017-18 दिनांक 23 जून 2017 और 28 अगस्त 2017 के अनुसार, आईबीसी (दिवाला और दिवालियापन संहिता) के प्रावधानों के तहत आने वाले खातों में, बैंक के पास 31.03.2021 तक कुल 17,647.43 करोड़ रुपये (कुल बकाया का 97.60%) का प्रावधान है ।

33. एक ही समूह से संबंधित 2 उधारकर्ता खातों के साथ बैंक का 617.86 करोड़ रुपये का एक्सपोजर है। माननीय एनसीएलटी, कोलकाता पीठ के 21 अक्टूबर 2020 के आदेश का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए, बैंक ने आईआरएसी मानदंडों का पालन करते हुए इन खातों को एनपीए के रूप में डाउनग्रेड नहीं किया है और अगले आदेश तक "मानक संपत्ति" के रूप में यथास्थिति बनाए रखी है ।

34. 17 अप्रैल, 2020 के आरबीआई परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 के तहत आवश्यक खातों की संख्या और उन खातों में शामिल राशि के संबंध में प्रकटीकरण जहां संकल्प अवधि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी:

खातों की संख्या जिनके लिए निवारण योजना बढ़ाया गया	शून्य
शामिल राशि (रु. करोड़ में)	शून्य

35. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/2013 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 – संशोधित फ्रेमवर्क:

आरबीआई के परिपत्र के अनुसार प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत की गई ऋणों की राशि	31.03.2021 तक ऋणों की राशि, (ख) से एनपीए के रूप में वर्गीकृत	आरबीआई परिपत्र के तहत कवर ऋण के लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता	31.03.2021 तक पहले से किए गए (घ) से प्रावधान
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)
शून्य				

36. भारतीय संसद ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को मंजूरी दे दी है, जो भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के लिए कंपनी के योगदान द्वारा प्रभावित होगी । श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 13 नवंबर, 2020 को सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं और इस पर सुझाव आमंत्रित किए हैं । बैंक एक बार उक्त नियम अधिसूचित होने के बाद उसके प्रभाव और मूल्यांकन का आकलन करेगा और उस अवधि में अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव देगा जिससे कि कोड प्रभावी हो जाए और वित्तीय प्रभाव निर्धारित करने के लिए संबंधित नियम प्रकाशित करेगा ।

37. आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 26 अक्टूबर 2020 को निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना से संबंधित, बैंक ने 33.96 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है और नोडल एजेंसी यानी एसबीआई से प्राप्त किया जाना है ।

38. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अन्य आय में विदेशी शाखा में से एक के संबंध में शुद्ध निवेश के निपटान पर आय के रूप में मान्यता प्राप्त विनिमय अंतर के कारण असाधारण आय होने के नाते 53.31 करोड़ रुपये शामिल हैं ।

39. कोविड – 19 महामारी के परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त अनिश्चितताओं को देखते हुए, बैंक के संचालन और वित्तीय स्थिति पर प्रभाव अनिश्चित रूप से बनी हुई है और यह कई कारकों पर निर्भर करेगा जिसमें इसके प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई और अन्य नियामक उपाय शामिल हैं । इन प्रचलित स्थितियों के बावजूद, प्रबंधन की राय में, बैंक के वित्तीय परिणामों और चल रही संबंधी मान्यताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

40. तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आँकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है ।

31. In accordance with the instructions of RBI Circular dated 07.04.2021 on "Asset Classification and Income Recognition following the expiry of COVID 19 regulatory package", the Bank shall refund / adjust '**interest on interest**' charged to all borrowers including those who had availed of working capital facilities during moratorium period i.e. 01 .03.2020 .to 31.08.2020, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed. Pursuant to these instructions, the methodology for calculation of the amount to be refunded / adjusted for different facilities has been circulated by the Indian Banks' Association (IBA) as required by RBI notification. Accordingly the bank has created an estimated liability of Rs.59.67 crore towards interest relief and has reversed the same from interest income.

32. As per RBI circular No DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR.No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of IBC (Insolvency and Bankruptcy Code, the Bank is holding a total provision of Rs.17,647.43 crore (97.60% of total outstanding) as on 31.03.2021.

33. The Bank has an exposure or Rs.617.86 Crore with 2 borrower accounts belonging to the same group, Respectfully following the order of Honorable NCLT, Kolkata Bench order dated 21st October 2020, the bank has not downgraded these accounts as NPA following IRAC norms and maintained the status Quo as ""Standard Assets" until further orders.

34. The disclosures as required under RBI circular DOR.No.BP.BC.62/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 with respect to the number of accounts and the amount involved in those accounts where the Resolution period was extended is given for the year ended as on March 31,2021:

No. of Accounts in which Resolution plan extended	Nil
Amount involved (Rs. In Cr.)	Nil

35. The RBI Circular No. RBI/2018-19/2013 DBR No. BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on resolution of stressed assets - Revised framework:

Amount of loans impacted by RBI Circular	Amount of loans to be classified as NPA	Amount of Loans as on 31.03.2021 out of (b) classified as NPA		Addl. Provision required for loans covered under RBI Circular		Provision out of (d) already made by 31.03.2021
(a)	(b)	(c)		(d)		(e)
Nil						

36. The Indian Parliament has approved the Code on Social Security, 2020 which would impact the contributions by the company towards Provident Fund and Gratuity. The Ministry of Labour and Employment has released draft rules for the code on Social Security 2020 on November 13, 2020, and has invited suggestions. The Bank will assess the impact and its evaluation once the subject rules are notified and will give appropriate impact in its financial statements in the period in which, the Code becomes effective and the related rules to determine the financial impact are published.

37. In accordance with RBI guidelines, relating to scheme for grant of ex-gratia payment of difference between compound interest and simple interest for six months to borrowers in specified loan accounts dated 26th Oct 2020, the bank has paid the amount of RS.33.96 crore and is to be received from Nodal agency i.e. SBI.

38. Other Income for FY 2019-20 includes Rs.53.31 crore being Extraordinary Income on account of Exchange Differences recognized as Income on disposal of Net Investment in respect of one of the Foreign Branch.

39. In view of the continuing uncertainties prevailing in the Global and Indian economy consequent to the COVID-19 pandemic, the extent of impact on the Bank's operations and financial position remain uncertain and would depend on several factors including actions taken to mitigate its impact and other regulatory measures. Despite these prevalent conditions, in the opinion of Management, there would not be significant impact on Bank's financial results and ongoing concern assumptions.

40. Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सभी सदस्यों को

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2021 तक के तुलन पत्र के अलावा तत्संबंधी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण व नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है । इसके अलावा इसमें विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण मूलक सूचनाओं के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के प्रति सभी नोट शामिल है जिसमें संबंधित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं तथा सांविधिक शाखा लेखा परिक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1919 शाखाओं (3 विदेशी शाखाओं और 2 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) एवं स्वायत्त लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षित 1 विदेशी शाखा की विवरणियाँ समाहित है । हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है । इस तुलन-पत्र में, लाभ और हानि के विवरण और 1338 शाखाओं से लौटायी गई नकद प्रवाह की विवरणियाँ (46 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियाँ) भी शामिल की गई हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं हुई है । अ-लेखापरीक्षित इन शाखाओं का अग्रिम के क्षेत्र में अंशदान 09.32%, जबकि जमाओं में 23.79%, ब्याज आय में 5.69% और ब्याज संबंधी खर्चों में 23.75% का अंशदान है ।

2. हमारे अभिमत और हमारे संज्ञान के अनुसार तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुक्रम में उक्त पृथक वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा वांछित सूचना प्रदान करते हैं । जैसे कि बैंक के लिए आवश्यक है और वे इस रूप में भारत में सामान्यत:स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है ।

(i) तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलन पत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2021 को बैंक की वर्तमान स्थिति का ठीक रूप से सही और उचित आकलन किया गया है;

(ii) लाभ और हानि खाता उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उस पर नोटों के साथ पढे गए लाभ का सही संतुलन दर्शाता है; और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है ।

अभिमत का आधार

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा विषयक मानकताओं के अनुसार की है । इन मानकताओं के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणो के भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के तहत विस्तृत रूप से दर्शाया गया है । हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नीतिगत संहिता के अनुसार बैंक संबंध रखे बिना तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से जुडी नीतिगत अपेक्षाओं सहित लेखापरीक्षा की है और हमने इन अपेक्षाओं की नीतिगत संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिगत बाध्यताओं को पूरा किया है । हम विश्वास करते है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह प्रयाप्त है और अपने विचार के लिए आधार प्रदान करते हुए सम्पयुक्त है ।

मामलों पर बल

4. हम ध्यान आकृष्ट करते है:-

क) अनुसूची 18 के नोट नंबर 7.1 में विभिन्न विवादित आयकर और अप्रत्यक्ष करों के लिए अतिरिक्त प्रावधान की गैर पहचान को बताया गया है ।

ख) अनुसूची 18 की नोट संख्या 7.3 इस तथ्य का विवरण देती है कि बैंक ने मौजूदा कर व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया है और वर्ष के दौरान "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक - 22 के अनुसार समय के अंतर पर निवल आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी है ।

ग) अनुसूची 18 की नोट संख्या 39 इस तथ्य का विवरण देती है कि यह भविष्य पर निर्भर करेगा कि कोविड 19 महामारी बैंक के संचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, जो इस स्तर पर अत्यधिक अनिश्चित हैं

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें :-

5. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले है जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं । इन मामलों पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हैं और उन पर हमारे अभिप्रायों को प्रदान नहीं करना चाहते । निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए गए है ।

क्रम सं	प्रमुख लेखा परीक्षा मामलें	लेखा परीक्षक के अभिमत
1.	**आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण** अग्रिमों का प्रतिशत बैंक की कुल आस्तियों का 46.61% है । बैंक द्वारा प्रदत्त अग्रिमों के संबंध में संचयन आधार पर आय की पहचान, निष्पादित एवं गैर-निष्पादित के रूप में अग्रिमों का वर्गीकरण और तत्संबंधी प्रावधानीकरण आय की पहचान विषयक विविक पूर्ण मानदण्डों एवं आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आइआर एसी) मानदण्डों तथा समय- समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों व निर्देशों के अनुसार है (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 3 के साथ पढते हुए अनुसूची 17 के बिन्द 2.1 का संदर्भ लें) ।	**मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ** हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाँ में डिजाइन का परीक्षण करना और आंतरिक नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभाविता की जाँच करना और वस्तुगत परीक्षण करना भी निम्नानुसार शामिल रहा । ⇒ आइएआरएसी विषयक के विवेकपूर्ण मानदण्डों के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और आरबीआई द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों /निर्देशों के साथ बैंक की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का भी मूल्यांकन किया गया । ⇒ अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावात्मकता एवं बैंक तथा आरबीआईनिरीक्षण की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार पूरी की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं में की गई टिप्पणियों के अनुपालन का परीक्षण किया गया ।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Indian Overseas Bank

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the standalone financial statements of Indian Overseas Bank ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2021, the Profit and Loss account and the Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches audited by us, 1919 branches (including 3 overseas branches and 2 Regional Offices) audited by the Statutory Branch Auditors and l overseas branch reviewed by Independent Auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss account and Statement of Cash Flows are the returns from 1338 branches (Including 46 Regional Offices) which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.32% of advances, 23.79% of deposits, 5.69% of interest income and 23.75% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act,1949("the act") in the manner so required for the bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31 March, 2021;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss for the year ended on that date; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash Flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued the Institute of Chartered Accountants of India("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone financial statements under the provisions of the act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to:

a) Note No. 7.1 of Schedule 18 detailing non recognition of additional provisioning towards various disputed income tax and Indirect taxes for the reasons stated therein

b) Note No 7.3 of Schedule 18 detailing the fact that the bank has decided to continue with the existing tax regime and has recognized Net Deferred Tax Assets during the year on timing differences in accordance with Accounting Standard - 22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

c) Note No 39 of Schedule 18 which explains that the extent to which the COVID-19 Pandemic will impact the Bank's operations will depend on future developments, which are highly uncertain at this stage.

Our Opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our Report.

Sr. No	Key Audit Matter	Auditor's Response
1	**Income Recognition , Asset Classification & Provisioning relating to Advances** Advances constitute 46.61 % of the Bank's total assets. The recognition of income on accrual basis in respect of advances extended by the Bank, Classification of advances into Performing and Non performing and provisioning thereof are in accordance with the extant prudential norms on Income Recognition and Asset Classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by Reserve Bank of India from time to time (Refer 2.1 of Schedule 17, read with Note 2 of Schedule 18 to the financial statements).	**Principal Audit Procedures** Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as under :- ⇒ Evaluating the design of internal controls relating to implementation of prudential norms on IRAC and other related circulars/directives issued by RBI and also the internal policies and procedures of the Bank. ⇒ Examining the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and RBI inspection.

	लेनदेन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल आदि, प्रदर्शन और गैर-प्रदर्शन, प्रदर्शन में अग्रिमों के बारे में हमारी राय में, इस तरह के संबंध में आय की मान्यता तथा प्रदर्शन / गैर प्रदर्शन से संबंधित अग्रिमों के प्रावधानीकरण को भी ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना जाता है इसलिए यह एक प्रमुख आडिट मामला है।	⇒ नमूना आधार पर सभी बड़े अग्रिमों / तनावग्रस्त अग्रिमों और अन्य अग्रिमों की जांच करना, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है । ⇒ अन्य वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर निर्भर रहना । ⇒ आलेखपरीक्षित शाखाओं के संबंध में शाखा प्रकंधकों द्वारा साझा किए गए रिटर्न और वित्तों पर निर्भर रहना । ⇒ शाखा प्रबन्धकों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के ज्ञापन की समीक्षा करना और उचित कार्रवाई करना। ⇒ विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लिए उपलब्ध विभिन्न लेखा परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा । ⇒ कानूनी मामलों, विलेखों, मूल्यांकन और बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के अन्य पहलूओं पर मुख्य विशेषज्ञों की राय पर निर्भरता रखना । ⇒ ऐसे खातों के नमूने और संचालन के आधार पर चयनित उधार कर्ताओं की फाईलों की समीक्षा। ⇒ प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन । ⇒ ब्याज आवेदन की जाँच, अन्य शुल्क, कमीशन आदि की जाँच ।
2	**आकस्मिक देयता** आकस्मिक देयता जैसा कि एएस 29 में परिभाषित किया गया है- प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति के लिए संभावित परिणामों और नकदी प्रवाह के आकलन की आवश्यकता होती है । आकस्मिक देनदारियों की पहचान और मात्रा का ठहराव प्रबंधन द्वारा अनुमान और निर्णय की आवश्यकता है । (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 18.12 के साथ पठित अनुसूची 17 के बिंदु 13 का संदर्भ लें) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े मुकदमों से संबंधित मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है ।	**प्रमुख लेखा परीक्षा की प्रक्रिया** हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाओं का सत्यापन निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा करके किया है ⇒ अंतर्निहित मान्यताओं के कारण का मूल्यांकन । ⇒ मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना । ⇒ विभिन्न कर प्राधिकारियों / न्यायिक मंचों से हाल के आदेशों और / या संचारों की जांच और उसके बाद की कार्रवाई । ⇒ रिकॉर्ड पर संबंधित दस्तावेजों की जांच । ⇒ उपलब्ध संबंधित बाहरी साक्ष्यों सहित विधिक अभिमत, संबंधित न्यायिक प्रक्रिया एवं उद्द्योग प्रक्रियाओं पर भरोसा करना । ⇒ जहाँ-जहाँ आवश्यक हो प्रबंधन से पुष्टि लेना ।
3.	**आईटी सिस्टम और नियंत्रण** वित्तीय विवरणों की पूरी तैयारी सीबीएस और अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर है । यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और उचित आईटी नियंत्रण और बदलाव उचित तरीके से किए गए हैं, आईटी अनुप्रयोग प्रक्रिया डेटा अपेक्षित रूप से किया जाना आवश्यकता है । इस तरह के नियंत्रण डेटा के गलत आउटपुट के अपेक्षित जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं । ऑडिट का परिणाम मौजूदा आईटी नियंत्रण और प्रणालियों पर निर्भर है और तदनुसार उपरोक्त क्षेत्रों को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में निर्धारित किया जाता है ।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमने ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आइटी नीतियों और नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से निरीक्षण, नियंत्रण और मूल्यांकन करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली आइटी नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की दिशा में मानकों के साथ अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं को पूरा किया है । हमने आइएस ऑडिटर द्वारा जारी रिपोर्ट पर विशवास किया है और जहां भी आवश्यक हो आइएस विशेषज्ञों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की है ।

	Taking into consideration the nature of transactions, compliance with the Reserve Bank of India guidelines, issues involved in the valuation of securities etc., in our opinion classification of Advances into performing and non performing, recognition of income in respect of such advances and also provisioning relating to Performing/Non-Performing advances are considered to be one of the most significant matter in the audit and therefore determined to be a Key audit matter.	⇒ Examining all large advances/stressed advances and other advances on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. ⇒ Relying on the audit reports of other Statutory Branch Auditors ⇒ Relying on the returns and financial shared by the branch heads in respect of unaudited branches. ⇒ Reviewing Memorandum of Changes suggested by the Branch Auditors and take appropriate action. ⇒ Review of various audit and inspection reports made available to us in the relevant areas. ⇒ Placing reliance on the opinions of domain experts on legal matters, titles, valuation and other aspects of securities charged to the bank. ⇒ Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts. ⇒ Performing relevant analytical procedures. ⇒ Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc.,
2	**Contingent Liability** The contingent liability as defined in AS 29 – provisions, contingent liability and contingent assets requires assessment of probable outcomes and cash flows. The identification and quantification of contingent liabilities require estimation and judgment by management. (Refer 13 of Schedule 17, read with Note 18.12 of Schedule 18 to the financial statements) In view of associated uncertainty relating to the outcome of the matters relating to litigations involving Direct and Indirect taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debts, we have determined the above area as a Key audit matter	**Principal Audit Procedures** We have carried out the validation of information provided by the management by performing the following procedures ⇒ Evaluating reasonableness of the underlying assumptions. ⇒ Understanding the current status of the litigations/tax assessments. ⇒ Examination of recent orders and /or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up action thereon. ⇒ Examining the relevant documents on record. ⇒ Relying on relevant external evidence available including legal opinion , relevant judicial precedents and industry practices. ⇒ Getting management confirmation where-ever necessary.
3	**IT Systems & Control** The entire Preparation of financial statements is highly dependent on CBS and other supporting software and hardware controls. Adequate and appropriate IT controls are required to ensure that these IT application process data as expected and changes are made in an appropriate manner. Such controls ensure mitigating the expected risk of erroneous output data. Audit outcome is dependent on the extant IT controls and systems, and accordingly the above areas are determined to be a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We have carried out our audit procedures with standards on auditing guidelines towards implementation of IT policies and procedures followed by the bank in order to effectively monitor, control, and evaluate the IT applications and controls to ensure effective implementation of such policies and procedures. We have also relied on the report issued by the IS Auditor and obtained necessary inputs from IS experts wherever necessary.
4	**Classification and valuation of Investments, identification of and provisioning for non performing investments.** (Refer 4 of Schedule 17, read with Note 1 of Schedule 18 to the financial statements)	**Principal Audit Procedures** We evaluated and understood the Bank's internal control systems to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning and depreciation related to investments.

4	**गैर-निष्पादित निवेश के लिए निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, पहचान और प्रावधान** (वित्तीय विवरणों हेतु अनुसूची 18 के नोट 1 के साथ पठित अनुसूची 17 का भाग 4 देखें)	**प्रमुख लेखा परीक्षा की प्रक्रिया** हमने मूल्यांकन, गैर-प्रदर्शनकारी निवशों की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान और मूल्यांकन के संबंध में भारिबैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया और उन्हें समझा ।
	निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 34.85% हैं । निवेश का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें बीएसई / एनएसई और अन्य एजेंसियों पर उद्त दरों को लागू करना, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर निर्भर रहना आदि शामिल होता है । बैंक की बही में दर्ज किए जा रहे निवेश का मूल्य, निवेश के मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं को हमने उपर्युक्त क्षेत्र के एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना है ।	निवेश के मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रह के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन । अनार्जक निवेश की पहचान की व्यवस्था का आकलन और मूल्यांकन, ऐसे निवेशों में आय की मान्यता और अनार्जक निवेशों के संबंध में आवश्यक प्रावधान का निर्माण सुनिश्चित करना ।

5	**प्राथमिक और गैर प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिमों का वर्गीकरण** बैंक ने लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान प्राथमिक और गैर-प्राथमिक क्षेत्र के बीच उधारकर्ताओं के खातों का पुन: वर्गीकरण किया है । नतीजतन, हमने इसे एक प्रमुख ऑडिट विषय माना है ।	हमने बैंक द्वारा क्षेत्रवार वर्गीकरण की प्रणाली की प्रभावकारिता का आकलन किया है । हमने क्षेत्रवार वर्गीकरण के लिए नोडल स्तर पर शाखाओं के एकीकरण को समेकित शाखा लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर भरोसा विश्वास किया है । हमने क्षेत्रवार वर्गीकरण की रिपोर्टिंग की शुद्धता के निर्धारण के लिए प्राथमिक क्षेत्र के वर्गीकरण में उत्पाद वार खातों के नमूनों का चयन किया है ।
6.	**कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई गईं** कोविड-19 महामारी के प्रकोप और उसके परिणामस्वरुप लगाए गए लॉकडाउन और लेखा परीक्षा अवधि के दौरान राज्य सरकारों/ स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी यात्रा संबंधी दिशानिर्देशों के कारण, हम लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को पूरा करने हेतु शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा नहीं कर सके। जहाँ भौतिक रुप से दौरा संभव नहीं था, वहाँ लेखा परीक्षा रिमोट माध्यम से की गई । जिन स्थानों पर हमारा जाना संभव नहीं हुआ , उनसे संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड /रिपोर्ट /दस्तावेज़/ प्रमाण पत्र बैंक द्वारा डिजिटल माध्यम, ई-मेल और संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (फिनेकल) की रिमोट पहुँच के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए थे। हम अधिकांश शाखा कार्यालयों और क्षेत्रों का दौरा नहीं कर सके। जैसा कि हमें सूचित किया गया है कुछ शाखा लेखा परीक्षक भी उन्हें आबंटित शाखाओं का दौरा नहीं कर पाए और तदनुसार उन्होंने भी संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को ही अपनाया है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई थी जिन पर हमारे द्वारा लेखा परीक्षा आयोजित करने और रिपोर्ट के तहत वर्ष के लिए रिपोर्टिंग के लिए लेखा परीक्षा साक्ष्य के रूप में भरोसा किया गया था। चूंकि हम संबंधित शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रधान कार्यालय में बैंक के अधिकारियों के साथ बैठकों के माध्यम से भौतिक / व्यक्तिगत रूप में माध्यम से लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके अतः हमने यहाँ निहित लेखापरीक्षा की पहचान एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।	**मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं** हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को निम्नानुसार संशोधित किया है: जहाँ यह संभव नहीं था कि बैंक के कार्यालयों का दौरा किया जा सके वहाँ आवश्यक अभिलेखों/ दस्तावेज़ों/ रिपोर्टों की जाँच/सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई मेल द्वारा और संबंधित सॉफ्टवेयर (फिनेकल) की रिमोट पहुंच द्वारा की गई । रिमोट एक्सेस / ईमेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों, रिपोर्टों, वित्तीय विवरणों और संबंधित अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्कैन की गई प्रतियाँ, ईमेल के माध्यम से प्रेषित दस्तावेज़, टेलिफोनिक वार्तालाप और संचार के अन्य समान तरीकों के माध्यम से सहभागिता और लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाना। विचार-विमर्श, डिजिटल रिकॉर्ड की प्राप्ति, टेलिफोनिक वार्तालाप और ईमेल के माध्यम से लेखा परीक्षा विसंगतियों का समाधान किया गया। **अन्य जानकारी** 6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवरनेंस रिपोर्ट (जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है),शामिल है, जो हमने इस लेखा परीक्षक रिपोर्टव व अनुबंधों सहित वार्षिक रिपोर्ट के जारी होने के समय, यदि कोई हो जो कि हमें कथित तिथि के पश्चात उपलब्ध करवाई जानी थी , प्राप्त की थी ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर जारी हमारी राय में बेसल ।।। प्रकटीकरण

	Investments constitute 34.85% of the total assets of the bank. Valuation of Investments are done as per the guidelines, circulars and directives issued by RBI from time to time involving applying the rates quoted on BSE/NSE and other agencies, relying on the financial statements of unlisted companies etc. Taking into consideration the volume of transactions, value of investments being carried in the books of the bank, complexities involved in the valuation of investments we have considered the above area as a Key audit matter.	Evaluating the process adopted for collection of data from various sources for determining the value of investments. Assessing and evaluating the system of identification of Non performing investments, income recognition on such investments and also ensuring creation of necessary provision in respect of Non performing investments.
5	**Classification of Advances into Priority & Non-Priority Sector** Bank has made re-classification of borrowers' accounts between Priority & Non-Priority Sector during the year under Audit. Consequently, we have considered this as a Key Audit Matter.	We have assessed the efficacy of the system of sector wise classification by the Bank. We have relied on the Branch audit reports Consolidation of Branch returns at Nodal level for sector wise classification. We have selected sample of product wise accounts in priority sector classification to determine the correctness of reporting of sector wise classification.
6	**Modified Audit procedures carried out in light of COVID-19 outbreak** Due to outbreak of COVID-19 pandemic and the consequent lockdown imposed and travel advisories issued by the State Government/Local Authorities during the period of our audit, we could not travel to the Branches, Regional Offices, to carry out the audit processes physically. The audit was carried out remotely where physical access was not possible. Wherever we were not able to visit various locations, the necessary records/reports/documents/certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to the relevant application software (FINACLE). We could not visit some of the Branches and Regional Offices. As informed to us, some of the Branch Auditors also could not visit the Branches allotted to them and accordingly they also adopted modified audit procedures. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports, and records made available to us, which were relied upon by us as audit evidence for conducting the audit and reporting for the year under report. Since we could not gather audit evidence physically/ in person/through meetings with the officials of the Bank at the respective Branches / Regional Offices / Head office; we have identified the audit procedure as contained herein as a Key Audit Matter.	**Principal Audit Procedures** We have modified our audit procedures as follows: Conducted examination/verification of necessary records/ documents/reports electronically through e mails and remote access to the relevant software (Finacle), where it was not possible to physically visit the Offices of the Bank. Carried out verification of scanned copies of the documents, certificates, reports, financial statements, and related records made available to us electronically through remote access/ emails. Interaction and gathering audit evidence through video conferencing, scanned copies, documents through emails, telephonic conversations, and other similar modes of communication. Resolved audit observations through discussions, receipt of digital records, telephonic conversations and e mails.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon), which we obtained at the time of issue of this auditors' report, and the Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 के खुलासे को शामिल नहीं किया गया है और हम इस बारे में आश्वासन के किसी भी रुप को व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि उपरोक्त अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ अन्य जानकारी भौतिक रुप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या भौतिक रुप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य और इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध , यदि कोई हो, शामिल हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमारे द्वारा इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है।

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा वे सभी ,जिन पर शासन का प्रभार है, की जिम्मदारी

7. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ,जिसमें आईसीए द्वारा जारी लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, शामिल है ।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने या परिचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक परिचानगत संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करता है और लेखांकन के आधार पर परिचानगत संस्था का उपयोग करता है।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

8 हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री के गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी ।गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री , व्यक्तिगत या समग्र रूप से, माना जाता है । इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं । साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान कर , उनका आकलन करते हैं , चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करते हैं व लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है।
- प्रबंधन के द्वारा इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।
- लेखांकन के के आधार पर चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने होगा । हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या शर्त बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।
- समग्र प्रस्तुति, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु और संरचना के मूल्यांकन सहित इस बात का मूल्याकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से , जिसके कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं ।

हम उन लोगों को जिन पर शासन का प्रभार है भी यह विवरणी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों जो कि हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संवाद करने के लिए सोचा जा सकता है।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। जबतक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार जनहित लाभ कम हो जाएंगे ।

अन्य मामले

9. हमने बैंक के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 1920 शाखाओं (02 क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं) के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है,जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2021 तक रु. 2,10,80,84,936 (हज़ारों में) की कुल संपत्ति को दर्शाती है और उस

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter, or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

9. We did not audit the financial statements / information of 1920 branches (including 2 Regional Offices) included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financiast l information reflect total assets of

वर्ष के लिए कुल राजस्व रु15,84,73,399(हज़ारों में) है, जैसा कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है । इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों और 01 विदेशी शाखा का लेखा परीक्षण स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और अब तक हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है जो पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं । इस संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है ।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।

11. उपरोक्त पैराग्राफ 6 से 8 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार इसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के वे सभी लेनदेन जोकि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

ग) बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।

12. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विवरणियों से प्राप्त की गयी हैं एवं विधि द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकें बैंक द्वारा समुचित रूप से रखी गई हैं ।

ख) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी के फ्लो का विवरण, खातों की पुस्तक के साथ एवं हमारे द्वारा दौरान हीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरण के साथ हैं ।

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है ।

घ) हमारी राय में, तुलन पत्र , लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

13. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.6270/08.91.001/2019-20 दिनांकि 17 मार्च 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार " सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग उत्तरदायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उत्तरवर्ती संसूचना दिनांकित 19 मई, 2020 के साथ पठित , हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करते है :

क) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यहाँ तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ख) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई टिप्पणी और अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग) 31 मार्च, 2021 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के उपधारा (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2021 से निदेशक के रुप में नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

घ) खातों और अन्य मामलों से जुड़े मामलों के अनुरक्षण से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

(ङ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालनात्मक प्रभावकारिता संबंधी हमारी रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध ए में दिया गया है । हमारी 31 मार्च 2021 की रिपोर्ट की वित्तीय विवरण के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपरिवर्तित विचार व्यक्त करती है ।

कृते पात्रो एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 310100ई

(एन आनंद राव)
साझेदार
एम नं 051656
यूडीआइएन : 21051656एएएएजेके1548

कृते एम. श्रीनिवासन एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकारों
एफआरएन 004050एस

(एस संतोष)
साझेदार
नं. 230839
यूडीआइएन :21230839एएएएबीएम 4103

कृते एस.एन नंदा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000685एन

(पुनीत नंदा)
साझेदार
एम नं. 092435
यूडीआइएन : 21092435एएएएबीए1183

कृते योगनंद एंड राम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005157एस / एस200052

(एन श्रीधर)
साझेदार
एम नं. 026833
यूडीआइएन :21026833एएएएवाइ5690

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 14 जून 2021

Rs. 2,10,80,84,936 (in thousand) as at 31 March 2021 and total revenue of Rs. 15,84,73,399 (in thousand) for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors and 1 overseas Branch reviewed by Independent Auditor whose reports have been furnished to us and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) in our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

13. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2021, none of the directors is disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our Audit report on the adequacy and operating effectiveness of the bank's internal financial controls over financial reporting is given in Annexure-A to this report. Our Report Expresses an unmodified opinion on the Bank's Internal financial control over financial reporting as at 31st March, 2021.

For **PATRO & CO**
Chartered Accountants
FRN 310100E

(N.ANANDA RAO)
Partner
M No : 051656
UDIN : 21051656AAAAJK1548

For M.SRINIVASAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN004050S

(S.SANTHOSH)
Partner
M.No. 230839
UDIN : 21230839AAAABM4103

For **S.N.NANDA & CO**
Chartered Accountants
FRN 000685N

(PUNEET NANDA)
Partner
M.No.092435
UDIN : 21092435AAAABA1183

For YOGANANDH & RAM LLP
Chartered Accountants
FRN 005157S/S200052

(N SRIDHAR)
Partner
M No: 026833
UDIN : 21026833AAAAAY5690

Place : Chennai
Date : 14 June 2021

स्वतंत्र अनुलग्नक

अनुलग्नक ए

सम तारीख की रिपोर्ट के लिए 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 13 (ई) का संदर्भ लें।

भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डॉस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) ("आरबीआई संचार") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2021 तक इंडियन ओवरसीज बैंक ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण आंतरिक वित्तीय शामिल है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक की प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थानकोबनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ।इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए लेखा परीक्षण (एसएएस) पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया,आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक बढ़ाया गया है । उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण के लिए बैंक की आंतरिक वित्तीय विषय पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री का गलत विवरण हो सकता है और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तरबिगाड़ सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक

INDEPENDENT ANNEXURE

ANNEXURE A

Referred to in paragraph 13{e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date.

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019•20 dated March 17,2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the Internal Financial Controls Over Financial Reporting of Indian Overseas Bank (the Bank") as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes Internal Financial Controls Over Financial Reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate Internal Financial Controls Over Financial Reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the Internal Financial Controls Over Financial Reporting and their operating effectiveness. Our audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting included obtaining an understanding of Internal Financial Controls Over Financial Reporting, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal Financial Controls Over Financial Reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect that transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the Internal Financial Controls Over Financial Reporting to future periods are subject to the risk that the Internal Financial Controls Over Financial Reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate Internal Financial Controls Over Financial Reporting and such Internal Financial Controls Over

वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जोआईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर टिप्पणी, मार्गदर्शन में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड पर आधारित था। ।

अन्य मामलें

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1916 शाखाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाएं और शाखा प्रमुखों द्वारा प्रमाणित 1336 गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं के लिए आईएफसीओएफआर चेकलिस्ट पर आधारित हैं। शाखाओं और नियंत्रण कार्यालयों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियंत्रण दस्तावेज और जोखिम और नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) की अनुपस्थिति में बैंक द्वारा जारी किया गया।

हमारी राय में, बैंक की शाखाओं, विशेष शाखाओं और सभी नियंत्रक कार्यालय, विभागों और प्रक्रियाओं को कवर करने वाले आरसीएम के परीक्षण और उसे अपनाने सहित प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमारा पत्र बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

कृते पात्रो एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 310100ई

(एन आनंद राव)
साझेदार
एम नं 051656
यूडीआइएन : 21051656एएएएजेके1548

कृते एस.एन नंदा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000685एन

(पुनीत नंदा)
साझेदार
एम नं. 092435
यूडीआइएन : 21092435एएएएबीए1183

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 14 जून 2021

कृते एम. श्रीनिवासन एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकारों
एफआरएन 004050एस

(एस संतोष)
साझेदार
नं. 230839
यूडीआइएन :21230839एएएएबीएम 4103

कृते योगनंद एंड राम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005157एस / एस200052

(एन श्रीधर)
साझेदार
एम नं. 026833
यूडीआइएन :21026833एएएएवाइ5690

Financial Reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI".

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of Internal Financial Controls Over Financial Reporting at 1916 branches audited by branch auditors, 20 branches audited by us and 1336 unaudited branches certified by the branch heads is based on the IFCOFR checklist for branches issued by the bank, in the absence of Board approved Control Document and Risk and Control Matrices (RCMs) for the branches and for controlling offices.

In our opinion, the Bank needs to strengthen the process including testing and adoption of the RCMs covering branches, specialized branches and all controlling office departments and processes. Our communication in this regard has been submitted to the Management to further strengthen the Internal Financial Controls Over Financial Reporting of the Bank.

For **PATRO & CO**
Chartered Accountants
FRN 310100E

(N.ANANDA RAO)
Partner
M No : 051656
UDIN : 21051656AAAAJK1548

For M.SRINIVASAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN004050S

(S.SANTHOSH)
Partner
M.No. 230839
UDIN : 21230839AAAABM4103

For **S.N.NANDA & CO**
Chartered Accountants
FRN 000685N

(PUNEET NANDA)
Partner
M.No.092435
UDIN : 21092435AAAABA1183

For YOGANANDH & RAM LLP
Chartered Accountants
FRN 005157S/S200052

(N SRIDHAR)
Partner
M No: 026833
UDIN : 21026833AAAAAY5690

Place : Chennai

31.03.2021 तक अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक, नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क बेसल (।।) पर समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। दिशानिर्देशों के संबंध में पिलर ।।। अपेक्षाओं के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। अपनी जोखिम एपटाइट के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम भरे कार्यकलापों से रोकना नहीं है , बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया गया है ताकि इसका आकलन किया जा सके और शमन किया जा सके। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक नियमित आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है। बैंक की जोखिम एपिटाइट जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होते हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और बाज़ार जोखिम के प्रबंधन हेतु अल्को उप समिति, परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन हेतु उत्पाद / प्रोसेस जोखिम शमन समिति (पीआरएमसी) तथा सूचना सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति का भी गठन किया है।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के लिए संयोजक हैं। विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन में मिड ऑफिस तथा उधार समर्थन सेवाएँ विभाग और सामान्यत: अन्य प्रकार्यात्मक विभाग/ शाखा भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं तथा नीति जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के पालन / अनुपालन का प्रबोधन करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों/ अंचल कार्यालयों में तैनात किया गया है। विभिन्न एम आइ एस को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वयन करने के अलावा वे क्षेत्र/ अंचल स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति में सहभागिता करते हैं।

जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए मूल एप्रोच इसके प्रारंभिक बिंदु के जोखिम नियंत्रण करने पर निर्भर करती है। बैंक ने 31.3.2008 से प्रभावी पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल ।।) का कार्यान्वयन किया था और ये समय - समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में फ्रेमवर्क के अनुपालन में है। बेसल ।।। दिशानिर्देशों की शुरूआत 01.04.2013 से की गई है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहे हैं। बेसल ।। फ्रेमवर्क तीन पारस्परिक सहायक पिलर पर आधारित हैं। संशोधित फेमवर्क का पहला पिलर क्रेडिट, मार्केट और परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा पिलर पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूँजी है ताकि वह अपने कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के साथ शमन कर सकता है। भा.रि.बै. की अपेक्षा के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है ताकि वह दूसरे पिलर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इस नीति का लक्ष्य उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन प्रथम पिलर जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारकों से ऊपर करना है जिसका सामना बैंक करता है और पर्याप्त पूँजी ढाँचा सुनिश्चित करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 02.12.2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक तनाव जांच नीति /फ्रेमवर्क तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं विनाश से उबरने की योजना बनी है । जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डी आर , सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर , मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन , वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्ट्रूजन डिटेक्शन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग (आइ एस सेक्यूरिटी) की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। जबकि आइ एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित किया जाता है।

बेसल ।। फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित उन्नत पहलों को माइग्रेट करने के लिए बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया में सलंग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश में विभिन्न स्तरों पर घरेलू व विदेशी परिचालनों समेत समेकित बैंक परिचालनों की तैयारी व प्रस्तुति शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने प्रणाली व प्रक्रिया तैयार की है ।

ADDITIONAL DISCLOSURES AS ON 31.03.2021

Reserve Bank of India issues guidelines on Basel III Capital Adequacy Framework from time to time. In terms of the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder's value through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing operational risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in particular, and other functional departments/ branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/ compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committees.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI Circular, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly suitable proactive steps are taken to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3 way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/ alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

तरलता कवरेज अनुपात व निवल स्थायी वित्त पोषण अनुपात विषयक भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के संदर्भ, बैंक जनवरी 2015, इसके बाद भा.रि.बैं. को एलसीआर दर्ज कर रहा है। एलसीआर का कार्यान्वयन 60 प्रतिशत के न्यूनतम आवश्यक अपेक्षा के साथ 1 जनवरी 2015 से चरणबद्ध किया गया है जो 1 जनवरी 2019 तक धीरे – धीरे 100 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। 30.09.2019 को हमारे बैंक का एलसीआर 331.84% है जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही के तीन महीनों का औसत है । आरबीआई ने अपने दिनांक 29 नवंबर 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआइ/ 2018-19/84 डीबीआर.बीपी .बीसी . संख्या 08/21.04.098/2018-19 के माध्यम से सूचित किया है कि निवल स्थिर निधिपोषित अनुपात (एनएसएफ़आर) की गणना व निगरानी 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगी । हालांकि आरबीआइ ने अपने परिपत्र संख्या डीआरओ. सं. एलआरजी. बीसी. 40/ 21.04.098/ 2020-21 दिनांकित 05 फरवरी 2021 द्वारा सूचित किया है कि वह 1 अक्तूबर 2021 से प्रभावी होगा । जब कभी भी आरबीआई के द्वारा एनएसएफ़आर के बारे में सूचित किया जाएगा तब बैंक रिपोर्ट कर देगा ।

बेसल ।।। ने एक सरल, पारदर्शी व गैर जोखिम आधारित लेवरेज अनुपात की शुरूआत की है, जिसे जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षा के लिए विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए जांचा जाता है। बैंक को भी लेवरेज अनुपात पर नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया है और 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर भा.रि.बैं. को रिपोर्ट कर रहा है।

भा.रि.बैं. ने बैंक द्वारा 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही के बेसल 3 पूँजी अनुपात के साथ 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए भारत में बेसल ।।। पूँजी विनियामकों को कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार इनका अनुपालन कर रहा है।

बेसल ॥ फ्रेमवर्क के तीसरे स्तंभ का अभिप्राय बाज़ार अनुशासन से है। बाज़ार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूँजी आवश्यकता और स्तम्भ ॥ के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूँजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूँजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1) अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (2) पूँजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (3) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (6) प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (7) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-7), (8) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (9) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) (डीएफ-9), (10) काउंटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10), (11) पूँजी का संघटन (डीएफ-11) और (12) लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डी एफ 18) । यह बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

बेसल - ॥। के तहत स्तंभ ॥। प्रकटीकरण के अनुसार वांछित विवरण

1. प्रयोज्यता की संभावना और पूँजी पर्याप्तता

तालिका डीएफ-1: प्रयोज्यता की संभावना

बैंकिंग समूह का नाम जहां यह रूपरेखा लागू होती है

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ ईकाई का नाम	क्या ईकाई समेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है(हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या ईकाई समेकन के विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है(हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावना के सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
ओडिशा ग्रामीण बैंक	हाँ	ईक्विटी विधि	नहीं	ईक्विटी विधि	लागू नहीं	एसोसियेट – समेकन की संभावना के अंतर्गत नहीं आते
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	हाँ	आनुपातिक समेकन विधि	नहीं	आनुपातिक समेकन विधि	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम – विनियामक समेकन की संभावना के अंतर्गत नहीं आते हैं
इंडियन इंटरनेशनल बैंक , बेरहद, मलेशिया	हाँ	आनुपातिक समेकन विधि	नहीं	आनुपातिक समेकन विधि	लागू नहीं	

(ख) लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ ईकाई का नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	ईकाई के पूँजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियमक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)
कोई नहीं					

With regard to the RBI guidelines on Liquidity Coverage ratio and Net Stable funding ratio, Bank is reporting LCR to RBI from Jan. 2015 onwards. The implementation of the LCR has been phased in from January 1, 2015 with a minimum mandatory requirement at 60 per cent, which has gradually increased to 100 per cent by January 1, 2019. Our Bank's LCR as on 30.09.2019 was 331.84% (based on the average of 3 months of Q2 of FY 2019-20). RBI vide their circular number RBI/2018-19/84 DBR.BP.BC.No.08/21.04.098/2018-19 dated Nov 29, 2018 advised that the calculation and monitoring of Net stable funding ratio (NSFR) will come into effect from April 1, 2020.However vide RBI circular number DOR.No.LRG. BC.40/21.04.098/2020-21 of February 5, 2021 it will come into effect from October 1, 2021. The bank shall accordingly report NSFR as and when advised by RBI.

Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter ending June 30, 2013

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) is published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF 11 and Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

Data Required as per Pillar III disclosure under Basel III

1. Scope of Application and Capital Adequacy

TABLE DF –1: Scope of application

Name of the Banking Group to which the frame work applies

(i) Qualitative disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation:

Name of the Entity / Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Odisha Gramin-ya Bank	Yes	Equity Method	No	Equity Method	NA	Associate- Not under the scope of consolidation
Universal Sompo General Insurance	Yes	Proportionate Consolidation Method	No	Proportionate Consolidation Method	NA	Joint Venture: Not under scope of Regulatory consolidation
Indian International Bank, Berhad, Malaysia	Yes	Proportionate Consolidation Method	No	Proportionate Consolidation Method	NA	

b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NONE					

ii. मात्रात्मक प्रकटीकरण

ग. समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

(रु. करोड़ में)

निगमन के देश/ ईकाई का नाम जैसा ऊपर (I) क में इंगित किया गया है	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)
ओडिशा ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	861.67	15252.54

घ. सभी अनुषंगी इकाइयों में पूँजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम

निगमन के देश / अनुषंगी का नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी की कमी
		लागू नहीं		

ङ. बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं: (रु. करोड़ में)

निगमन का देश/ बीमा इकाइयों के नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारित प्रक्रिया बनाम पर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	साधारण बीमा	368.20	18.06	सीआरएआर में 1 बीपीएस से कम की कटौती

(च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा:

नहीं

तालिका डीएफ-2: पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बेसल III पूँजी नियमकों को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2013 से लागू हैं जहाँ बैंक 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से अपनी बेसल III की पूँजी की घोषणा कर रही हैं । बैंक उपरोक्त दिशानिर्देशों साथ अनुपालन कर रहे हैं ।

बैंक ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के केंद्रीय कार्यालय में संबधित आँकड़ों के आधार पर बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी की गणना की है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए पूँजी की गणना में बैंक अपने केन्द्रीय कार्यालय की पोर्टफोलियो से इतर प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आंकड़ों पर निर्भर है। सभी प्रकार के ऋणों में क्रेडिट जोखिम पूँजी की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचित वर्गीकरण के अनुसार उधारकर्तावार या सुविधा प्रकार आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूँजी के हिसाब को सुलभ करता है और सीबीएस के ज़रिए शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक कुल जोखिम भारित आस्ति अर्थात जोखिम भारित आस्ति की पूँजी के 9% के न्यूनतम अनुपात को बनाए रखना नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी फ्रेमवर्क 5.5% के न्यूनतम सीईटी के साथ 7% न्यूनतम टियर । सीआरएआर के अनुरक्षण की बात करता है। कुल पूँजी (टियर 1 पूँजी + टियर 2 पूँजी) को नियमित आधार पर जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम 9 अवश्य होना चाहिए । बेसल III के निर्देशों के अनुसार , आरडब्ल्यूए की 5.5% की न्यूनतम कॉमन ईक्विटी टियर । पूँजी के अतिरिक्त बैंक द्वारा सामान्य ईक्विटी टियर । पूँजी के रूप में 0.625% प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित 31.03.2016 से 31.03.2020 तक की संक्रमणशील व्यवस्था के साथ आरडब्ल्यूए की 2.5% को पूँजी संरक्षण बफर के तौर पर बनाए रखने की आवश्यकता है । हालाँकि, आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/ 2020-21/ 93 डीओआर. सीएपी. बीसी. सं. 34/21.06.201/ 2020-21 दिनांकित 05.02.2021 के माध्यम से सूचित किया है कि 01 अप्रैल 2021 से 1 अक्तूबर 2021 तक पूँजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625% की अंतिम किश्त के कार्यांवयन आस्थगित कर दिया है । हालांकि, 31.03.2020 को बैंक द्वारा 1.875% की सीसीबी बनायी रखनी चाहिए ।

ii. Quantitative disclosures:

a. List of Group entities considered for consolidation (Rs. in Crore)

Name of the Entity / Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Odisha Graminya Bank	Banking	861.67	15252.54

b. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included, in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
		Not applicable		

c. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

Name of the insurance entities / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
Universal Sompo General Insurance	General Insurance	368.18	18.06	Reduction of less than 1 bps in CRAR

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group:

No

Table DF – 2

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures:

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in a phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Central Office of the bank. In all loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the Branch level, Regional Office level and Central Office level through CBS System.

RBI has prescribed that banks are required to maintain a minimum total capital (MTC) of 9% of total risk weighted assets (RWAs) i.e. capital to risk weighted assets (CRAR). The framework issued by RBI prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 7% with a minimum CET 1 of 5.5%. Total Capital (Tier 1 Capital plus Tier 2 Capital) must be at least 9% of RWAs on an ongoing basis. As per Basel III guidelines, in addition to the minimum Common Equity Tier 1 capital of 5.5% of RWAs, banks are also required to maintain a capital conservation buffer (CCB) of 2.5% of RWAs in the form of Common Equity Tier 1 capital with a transitional arrangement from 31.03.2016 to 31.03.2020 with an increase of 0.625% every year. However, RBI vide circular No. RBI/2020-21/93 DOR.CAP.BC.No.34/21.06.201/2020-21 of 05.02.2021 has informed the deferment of the implementation of the last tranche of 0.625% of Capital Conservation Buffer (CCB) from April 1, 2021 to October 1, 2021. As on 31.03.2021, Banks should maintain CCB of 1.875%.

बैंक 31.03.2021 को आरबीआइ की अपेक्षानुसार सीसीबी को कुल सीआरएआर के 1.875% के स्तर पर बनाए रखने में सफल रहा ।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के स्तंभ 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ओवरसीज़ परिचालन समेत बैंक की जोखिम प्रवृत्ति, जहाँ कही लागू / प्रासंगिक हो, में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

बेसल ।।। फ्रेमवर्क के अंश के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लीवरेज अनुपात अवधारणा शुरू की है। लीवरेज अनुपात टायर । पूँजी (कॉमन इक्विटी + अतिरिक्त टियर ।) तथा कुल जोखिम (बेसल ।।। के तहत परिभाषितानुसार) का अनुपात है। लीवरेज अनुपात का अनुरक्षण तिमाही आधार पर किया जाना है। वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई न्यूनतम लिवरेज़ अनुपात निर्धारित नहीं किया । आरबीआइ द्वारा ने परिपत्र संख्या आरबीआइ /2018-19/225 डीबीआर .बीपी.बीसी. सं. 49/21.06.201/2018-19 दिनांकित 28.06.2019 के माध्यम से अंतिम दिशानिर्देश जारी किया है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि गैर – देशीय प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (डीएसआइबी) द्वारा 01.10.2020 से 3.5% के लिवरेज़ अनुपात का रखरखाव किया जाना है । आरबीआइ द्वारा निर्धारित वांक्षित स्तर 3.50% की तुलना में मार्च 2021 के लिए बैंक का लिवरेज अनुपात 5.22% है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) जैसी दो न्यूनतम मानकों के संबंध में दिशानिर्देश ज़ारी किया है। संभाव्य चलस्थितियों से संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होने पर 30 दिनों तक गंभीर मौद्रिक तनाव की स्थिति से जूझने के लिए बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्तियों को सुनिश्चित करते हुए एलसीआर बैको को अल्पकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एलसीआर व एनएसएफआर अपीक्षाएँ क्रमश: 1 जनवरी 2015 से बैंकों पर बाध्य होंगी। बैंकों को संक्रमण अवधि प्रदान करने के मद्देनजर कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए अपेक्षा न्यूनतम 60 % होगी अर्थात यह 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होगी और नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार 1 जनवरी 2019 को 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए समान चरणों में बढ़ोतरी अपेक्षित है:

	1 जनवरी 2015	1 जनवरी 2016	1 जनवरी 2017	1 जनवरी 2018	1 जनवरी 2019
न्यूनतम एलसीआर	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %

साथ ही , भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआइ/2019-20/217 डीओआर.बीपी.बीसी. सं. 65/21.04.098/2019-20 दिनांकित 17 अप्रैल 2020 के माध्यम से बैंकों को एलसीआर का रख रखाव निम्न रूप से करने हेतु सूचित किया है :

01 अक्तूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक	90 प्रतिशत
01 अप्रैल 2021 से	100 प्रतिशत

बैंक ने मार्च 2021 तिमाही में सभी कार्य दिवसों के लिए एलसीआर की गणना की है । 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का एलसीआर तीन महीने के दैनिक औसत (Q4 FY 2020-21) के आधार पर 168.91% है और मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए आरबीआइ द्वारा निर्धारित 90% की वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर है । बैंक के पास अचानक नकदी बहिर्वाह को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता है ।

आरबीआई ने 29.11.2018 के परिपत्र संख्या डीबीआर. बीपी. बीसी. सं. 8/ 21.04.098/ 2018-19 के माध्यम से एनएसएफआर (शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात) के कार्यान्वयन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं । परिपत्र के अनुसार, एनएसएफआर दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे । कोविड -19 के प्रकोप के कारण, आरबीआइ ने एनएसएफआर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को तीन चरणों में 18 महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है:

आरबीआई परिपत्र संख्या	दिनांक से प्रभावी
डीओआर. बीपी. बीसी. सं. 46/ 21.04.098/ 2019-20 दिनांकित 27 मार्च 2020	01 अक्तूबर 2020
डीओआर.बीपी.बीसी.सं.16/ 21.04.098/ 2020-21 दिनांकित 29 सितंबर 2020	01 अप्रैल 2021
डीओआर.सं.एलआरजी.बीसी.40/21.04.098/2020-21 दिनांकित 05 फरवरी 2020	01 अक्तूबर 2021

ये दिशानिर्देश अब 1 अप्रैल, 2020 के बजाय 1 अक्तूबर, 2021 से से प्रभावी होंगे । उपरोक्त अनुपात निरंतर आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए । बैंक एनएसएफआर दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (रु. करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण	**31.03.2021 को**
क) उधार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता	
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	7887.97
• प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	0.00
ख) बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता:	
• मानकीकृत आवधकि पहूँच	
- ब्याज दर जोखिम	651.05
- विदेशी परिचालन जोखिम	5.40
- एक्विटी जोखिम	454.27

The bank was able to maintain the desired CCB of 1.875 % in total CRAR of the Bank as stipulated by RBI as on 31.03.2021.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards adequacy of capital available to meet the residual risk as part of Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy, the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite.

As part of Basel III framework RBI has introduced Leverage Ratio concept. The leverage ratio is the ratio of Tier-1 capital (Common Equity + Additional Tier I) and total exposure (as defined under Basel III). The leverage ratio has to be maintained on a quarterly basis. Final guidelines were issued vide RBI circular RBI/2018-19/225 DBR.BP.BC. No.49/21.06.201/2018-19 dated: 28.06.2019 where in it was decided that Non - Domestic Systemically Important Banks (DSIBs) have to maintain a leverage ratio of 3.50% w.e.f 01.10.2020. Bank's Leverage Ratio for the March 2021 is 5.22 % as against 3.50 % as stipulated by RBI.

RBI has issued guidelines on two minimum standards Viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity. The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. With a view to providing transition time for banks, the requirement would be minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e with effect from January 1, 2015 and rise in equal measure to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019 as per the time line given below:

	January 1, 2015	January 1,2016	January 1,2017	January 1,2018	January 1,2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

Further, RBI vide its circular RBI/2019-20/217 DOR.BP.BC.No.65/21.04.098/2019-20 dated April 17, 2020, advised that the banks are permitted to maintain LCR as under:

Oct 1, 2020 to March 31, 2021 -	90 per cent
April 1, 2021 onwards -	100 per cent

Bank has calculated LCR for all working days over the March 2021 quarter. Bank's LCR for the quarter ended 31st March 2021 stands at 168.91% based on daily average of three months (Q4 FY 2020-21) and is well above the present minimum requirement prescribed by RBI of 90% for the Quarter ended March, 2021. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

RBI vide circular No.DBR.BP.BC.No.8/21.04.098/2018-19 of 29.11.2018 has issued final guidelines on implementation of NSFR (Net Stable Funding Ratio). As per the circular, the NSFR guidelines will come into effect from April 1, 2020. Due to Covid-19 outbreak, RBI has decided to defer the implementation of NSFR guidelines by 18 months in three phases as follows:

RBI Circular No.	With effective from
DOR.BP.BC.No.46/21.04.098/2019-20 of March 27, 2020	October 1, 2020
DOR.BP.BC.No.16/21.04.098/2020-21of September 29, 2020	April 1, 2021
DOR.No.LRG.BC.40/21.04.098/2020-21 of February 5, 2021	October 1, 2021

These guidelines will now come in to effect from October 1, 2021 as against April 1, 2020. The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. Bank is in readiness to comply with the NSFR guidelines.

Quantitative disclosures: (Rs. in crore)

	As on 31.3.2021
a) **Capital requirements for credit risk**	
• Portfolios subject to standardised approach	7887.97
• Securitisation exposures	0.00
b) **Capital requirements for market risk:**	
• Standardised duration approach	
- Interest rate risk	651.05
- Foreign Exchange risk	5.40
- Equity risk	454.27

ग) परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता:	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण	838.17
• मानकीकृत दृष्टिकोण	--
घ) कुल एवं इक्विटी टायर I पूँजी अनुपात	(प्रतिशत में)
शीर्ष एकीकृत समूह के लिए तथा	
• कुल पूँजी अनुपात	15.32%
• कुल सीआरएआर (आवेदन के अधीन विवेकपूर्ण तल पर)	15.32%
• कुल टायर I पूँजी अनुपात (टायर I सीआरएआर)	12.91%
• कुल एवं टायर आई पूँजी अनुपात	12.91%

तालिका डीएफ-3 :

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधार जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास से जुड़ी हानियों की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों तथा बैंक के विश संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न होता है यदि उधारकर्ता/प्रतिपक्षी ऋणदाता/ निवेशक के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम भी शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर मापन व प्रबोधन के ज़रिए अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव गुणों और अवगुणों के मूल्यांकन में सहायक है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल कारक मात्रात्मक और गुणात्मक गुण जैसे जोखिम घटकों से संबंधित हैं जैसे उद्योग जोखिम, व्यापार जोखिम, प्रबंधन जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ लागू हो) और सुविधा जोखिम इत्यादि । उद्योग क्रिसिल आधारित बाजार स्थितियों के जोखिम पर डेटा नियमित रूप से अद्यतन / समर्थित है ।

वैसे खाते जिनका एक्सपोज़र रु. 100 लाख से कम है , उनकी रेटिंग आइएमएसीएस (आइसीआरए) जोखिम रेटिंग मॉडलों के तहत की जानी है । अतः सभी पात्र खाते जोखिम स्कोर रेटिंग जो कि कई जोखिम मापदंडों पर आधारित है, के अधीन है ।

बैंक ने 02.01.2017 से लागू पुष्पका(वाहन ऋण) के लिए तथा मूल्य के संबंध में गैरजमानती ऋण तथा गृह ऋण "खुदरा में स्कोर करने का तंत्र" लागू किया है ।रू. 10 लाख तक के ऋण का अनुरोध करने वाले छोटे एमएसएमई उधारकराओं के लिए बैंक ने इन- हॉउस स्कोरिंग मॉडल की शुरुआत की है।

बैंक ऋणों तथा अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। उपयुक्त मंजूरीकर्ता प्राधिकर्ताओं को नए / संवर्धित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। शाखा प्रबंधकों को विशिष्ट मंजूरी शक्तियाँ प्रदान की गई है।

बैंक के ऋण नीति दस्तावेज के अनुसार , वैसे सभी खाते जिनका एक्सपोज़र रु. 25 करोड़ (एमएसएमई को चोड कर) से ज्यादा है, उनकी रेटिंग अनिवार्यतः बाह्य रूप से की जानी है और वैसे खाते जो डाइनमिक रेटिंग हेतु पात्र है , उन्हें डायनमिक रूप से रेट किया जाना है ।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेता है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बैंक ने बैंक में सर्वोत्तम क्रेडिट जोखिम प्रबंधन अभ्यास को लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं । बैंक ने ऋण नीति और ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अलावा, बैंक ने अग्रिमों, निधियों और निवेश नीति, प्रतिपक्ष जोखिम प्रबंधन नीति और देश जोखिम प्रबंधन नीति आदि पर ब्याज दर नीति भी तैयार की है, जो ऋण जोखिम की निगरानी का अभिन्न अंग है । इसके अलावा, बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और ऋण जोखिम शमन पर एक नीति लागू की है जो बैंक द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्राइम और कोलेटरल दोनों) और बैंक के हितों की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन का विवरण देता है । वर्तमान में, कुछ चुनिंदा प्रतिभूतियां क्रेडिट जोखिम (पूंजी गणना में) के खिलाफ शमन के रूप में कार्य करती हैं, जिससे बैंक का सामना होता है ।

c) Capital requirements for operational risk	
• Basic indicator approach	838.17
• The Standardised Approach	---
d) Total and Tier 1 Capital Ratio:	**(in Percentage)**
For the top consolidated group;	
• Total Capital Ratio (CRAR)	15.32%
• Total CRAR (Subject to application of Prudential Floor)	15.32%
• Total Tier I Capital Ratio (Tier I CRAR)	12.91%
• Common Equity Tier-I Capital Ratio	12.91%

Table DF - 3

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/ worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated and supported by CRISIL, based on market conditions.

Accounts having exposure below Rs 100 Lacs are rated under the IMACS (ICRA) risk rating models. Thus all the eligible accounts are subjected to Risk Scores Rating spanning over a number of risk parameters.

Bank has implemented "Retail Scoring Models" for Pushpaka (Vehicle Loan), Clean Loan and Housing loan irrespective of the amount w.e.f 02.01.2017. Bank has developed in-house scoring model for rating Small MSME borrowers requesting for loans upto Rs.10 lacs.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Committees have been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / CO for recommending fresh/ enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers.

As per Loan policy Document of the Bank, all the Accounts having an exposure above Rs 25.00 Cr (except MSME) are mandatorily externally rated and the Accounts eligible for dynamic rating are rated dynamically.

Credit Risk Management Policies:

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The Credit Risk Management Committee (CRMC) takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Interest Rate Policy on Advances, Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

(रूपये करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण	31.03.2021
अ) कुल सकल क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित	249421.48
गैर निधि आधारित	12445.94
कुल	261867.42
आ) भौतिक वितरण एक्सपोजर:	
• घरेलू	
निधि आधारित	130267.25
गैर निधि आधारित (एलसी व एलजी)	14908.87
• विदेशी	
निधि आधारित	9329.41
गैर निधि आधारित (एलसी व एलजी)	1490.56
इ) एक्सपोजर, फंड आधारित और गैर-निधि अलग-अलग उद्योग प्रकार	अनुबंधित
ई) परिसंपत्तियों की अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधित
उ) एनपीए का मूल्य (कुल)	16323.18
• अवमानक	2599.76
• संदिग्ध	11973.27
(क) डी1	3837.66
(ख) डी2	4575.25
(ग) डी3	3560.36
• हानि	1750.15
ऊ) निवल एनपीए	4577.59
ऋ) एनपीए अनुपात	
• कुल अग्रिमों पर कुल एनपीए	11.69%
• निवल एनपीए पर निवल एनपीए	3.58%
ऌ) एनपीए की प्रवृत्ति (कुल)	
• शुरुआती बकाया(01.03.2020)	19912.70
• जोड़	3175.35
• घटाव	6764.87
• अंतिम बकाया (31.03.2021)	16323.18
मात्रात्मक प्रकटीकरण	**31.03.2021**
ए) एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन	
• प्रारंभिक शेष (01.04.2020)	12983.48
• अवधि के दौरान किए गये प्रावधान	3942.66
• बट्टे खाते में डाला गया अतिरिक्त प्रावधानों का प्रलेखन	5496.05
• अंतिम शेष (31.03.2021)	11430.09
ऐ) अनर्जक निवेशों की राशि	2670.54
ओ) अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	2411.41
औ) निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार – चढाव	
• प्रारंभिक शेष (01.04.2020)	2595.87
• अवधि के दौरान किए गये प्रावधान	962.40
• बट्टे खाते में डाला गया /अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	650.67
• अंतिम शेष (31.03.2021)	2907.60

(Rs. in crore)

Quantitative disclosures:		31.03.2021
a)	Total gross credit risk exposures:	
	Fund based	249421.48
	Non fund based	12445.94
	Total	261867.42
b)	Geographic distribution of exposures :	
	• **Domestic**	
	Fund based	130267.25
	Non Fund based (LC & LG)	14908.87
	• **Overseas**	
	Fund based	9329.41
	Non Fund based (LC & LG)	1490.56
c)	Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately	Annexed
d)	Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e)	Amount of NPAs (Gross)	16323.18
	• Substandard	2599.76
	• Doubtful	11973.27
	(a) D1	3837.66
	(b) D2	4575.25
	(c) D3	3560.36
	• Loss	1750.15
f)	Net NPAs	4577.59
g)	NPA Ratios	
	• Gross NPAs to gross advances	11.69%
	• Net NPAs to net advances	3.58%
h)	Movement of NPAs (Gross)	
	• Opening balance (01.03.2020)	19912.70
	• Additions	3175.35
	• Reductions	6764.87
	• Closing balance (31.03.2021)	16323.18
Quantitative disclosures:		**31.03.2021**
i)	Movement of provisions for NPAs	
	• Opening balance (01.04.2020)	12983.48
	• Provisions made during the period	3942.66
	• Write off / Write back of excess provisions	5496.05
	• Closing balance (31.03.2021)	11430.09
j)	Amount of Non-Performing Investments	2670.54
k)	Amount of provisions held for non-performing investments	2411.41
l)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	• Opening Balance (01.04.2020)	2595.87
	• Provisions made during the period	962.40
	• Write-off / Write-back of excess provisions	650.67
	• Closing Balance (31.03.2021)	2907.60

1. आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन **(रू. करोड़ों में)**

विवरण	राशि
दिन 1	38239.20
2 दिन – 7 दिन	6708.93
8 दिन – 14 दिन	4234.75
15 दिन – 30 दिन	5591.02
31 दिन – 2 माह	12811.25
2 माह – 3 माह	14486.43
3 माह – 6 माह	18203.18
>6 माह – 12 माह	34063.85
>1 वर्ष – 3 वर्ष	41433.61
>3 वर्ष – 5 वर्ष	16342.76
> 5 वर्ष	88501.15

2. उद्योगवार प्रकटीकरण **(रू. करोड़ों में)**

उद्योग का नाम	**31.03.2021 को एक्सपोज़र**
खनन व क्वेरियिंग	3554.99
खाद्य प्रसंस्करण	4046.78
उनमें से चीनी	712.97
उनमें से खाद्य तेल व वनस्पति	611.01
उनमें से चाय	149.53
बेवरेज़ व तंबाकू उत्पाद	665.08
सूती वस्त्र	3371.50
जूट वस्त्र	166.21
हस्तशिल्प/ खादी (गैर प्राथमिक)	386.58
अन्य वस्त्र उद्योग	3122.62
चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	618.78
लकड़ी व लकड़ी उत्पाद	712.65
कागज व कागज उत्पाद	1771.92
पेट्रोलियम (गैर- इंफ्रा) , कोयलान उत्पाद (गैर- खनिज) एवं नाभिकीय इंधन	1212.76
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेंटस, इत्यादि)	3513.95
उनमें से उर्वरक	1869.59
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	679.05
उनमें से अन्य	965.31
रबर , प्लास्टिक और उनके उत्पाद	1316.47
ग्लास एवं ग्लासवेयर	116.31
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	1498.87
लौह एवं स्टील	7211.68
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	2495.20
सभी इंजीनियरिंग	5081.74
उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	1211.00
वाहन , वाहन के भाग , परिवहन साधन	3257.62
रत्न व आभूषण	2305.33

Residual contractual Maturity break down of Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Amount
Day 1	38239.20
2 Days – 7 Days	6708.93
8 Days – 14 Days	4234.75
15 Days – 30 Days	5591.02
31 Days – 2 Months	12811.25
2 Months – 3 Months	14486.43
3 Months – 6 Months	18203.18
>6 Months – 12 Months	34063.85
>1 Year – 3 Years	41433.61
>3 Years – 5 Years	16342.76
> 5 Years	88501.15

INDUSTRY WISE EXPOSURES

(Rs. in crore)

Industry Name	Exposure as on 31.03.2021
Mining and quarrying	3554.99
Food Processing	4046.78
Of which Sugar	712.97
Of which Edible Oils and Vanaspati	611.01
Of which Tea	149.53
Beverages and Tobacco	665.08
Cotton Textiles	3371.50
Jute Textiles	166.21
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	386.58
Other Textiles	3122.62
Leather and Leather Products	618.78
Wood and Wood Products	712.65
Paper and Paper Products	1771.92
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1212.76
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	3513.95
Of which Fertilisers	1869.59
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	679.05
Of which Others	965.31
Rubber, Plastic and their products	1316.47
Glass & Glassware	116.31
Cement and Cement Products	1498.87
Iron and Steel	7211.68
Other Metal and Metal Products	2495.20
All Engineering	5081.74
Of which Electronics	1211.00
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	3257.62
Gems and Jewellery	2305.33

निर्माण	768.36
इंफरास्ट्रक्चर	24283.60
उनमें से रोडवेज़	8081.40
उनमें से शक्ति	10770.83
उनमें से तार संचार	3253.44
अन्य उद्योग	124.51
अवशिष्ट अन्य अग्रिम	146138.54
उनमें से उड्डयन क्षेत्र के लिए	225.89
कुल ऋण व अग्रिम	**217742.05**

तालिका डीएफ -4:

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए बेसल ॥ पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल ॥) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सात देशीय ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण और शोध लि.(सीएआरई),क्रिसिल लि, इंडिया रेटिंग्स (पहले फिच इंडिया के नाम से जाना जाता था) , इकरा लि.,ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज़ लि. ,छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) और इनफोमेरिक्स मूल्यांकन एवं रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (इनफोमेरिक्स) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूँजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है । तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूँजी की गणना में नहीं लिया जाता है ।

बैंक पूँजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल प्रार्थित बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है । 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है।

विदेशी एक्सपोज़र की पूँजी परिकलन के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग ऐजेंसियों जैसे फिच , मूडी एवं स्टैंडर्ड व पूअर द्वारा प्रदत्त रेटिंग्स का प्रयोग किया जाता है।

बैंक के ऋण नीति दस्तावेज के अनुसार , वैसे सभी खाते जिनका एक्सपोज़र रु. 25 करोड़ से ज्यादा है , उनकी रेटिंग अनिवार्यतः बाह्य रूप से की जानी है।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है। बैंक द्वारा विभिन्न खंडों के अंतर्गत आने वाले खातों को रेट करने के लिए जोखिम मूल्यांकन मॉडल (आरएएम) प्रयोग किया जाता है। रैम मॉडल को जून 2018 में सर्वोत्तम जोखिम प्रैक्टिस शामिल करते हुए अद्यतित किया गया है ।साथ ही बैंक ने उधारकर्ता जोखिम के उचित मूल्यांकन हेतु 7 अतिरिक्त मॉडल खरीदे। उधारकर्ता के लेखापरीक्षित तुलन पत्र पर आधारित रेटिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक ने “डाइनमिक रेटिंग“ की अवधारणा की शुरुआत की है, जो कि कुछ ट्रिगर्स पर आधारित हैं। रणनीति के तौर पर रिटेल, कृषि व एमएसएमई(आरएएम) के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक ने 01.01.2017 में रिटेल स्कोरिंग मॉडल की शुरुआत की है और इसे ऑन-लाइन ऋण प्रसंस्करण के साथ एकीकृत किया है। रेटिंग सत्यापन क्रेडिट विभागों से स्वतंत्र है ।

आंतरिक रेटिंग्स के आधार पर, प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लिया जाता है। बैंक ने नए खातों के मामले में प्रवेश स्तर पर रेटिंग निर्धारित किया है। प्रवेश स्तर पर से कम रेटिंग वाले खातों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।

मात्रात्मक प्रकटीकरण : (रू. करोड़ में)

वर्गीकरण	न्यूनीकरण कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन कवर्ड इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम/निवेश			
100% जोखिम भार से कम	129903.83	11066.15	118837.68
100% जोखिम भार	37832.79	7452.62	30380.17
100% से अधिक जोखिम भार	8239.29	6416.99	1822.30
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	**175975.91**	**24935.76**	**151040.15**

Construction	768.36
Infrastructure	24283.60
Of which Roadways	8081.40
Of which Energy	10770.83
Of which Telecommunications	3253.44
Other Industries	124.51
Residuary Other Advances	146138.54
Of which Aviation Sector	**225.89**
Total Loans and Advances	**217742.05**

Table DF-4:

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures:

General Principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted New Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

External Credit Ratings:

Rating of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRAs) assumes importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel II Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of seven domestic ECRAs viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, India Ratings (formerly known as FITCH India), ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd., Acuite Rating and Research (erstwhile SMERA) and INFOMERICS Valuation and Rating Pvt. Ltd. (INFOMERICS).

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

The bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

As per Loan Policy Document of the Bank, all the Accounts having an exposure above Rs.25.00 Cr are mandatorily externally rated.

Internal Credit Rating:

The bank has a well-structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower. Bank has put in place a Risk Assessment Model (RAM) to rate accounts under various segments. The RAM model was updated in June-18 to incorporate the best risk management practices. Further, Bank procured 7 more models for appropriate assessment of borrower risk. Rating has been made compulsory based on the Audited Balance sheet of the Borrower. Bank has also introduced the concept of "Dynamic Rating, which is based on certain triggers. Realizing the focus on Retail, Agriculture and MSME (RAM) growth as strategy, Bank introduced Retail Scoring Model on 01.01.2017 and integrated with on-line loan processing. The rating validation is independent of credit departments.

Based on the internal ratings, credit decisions are taken as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the prescribed rating entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Quantitative disclosures:

(Rs. in crore)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	129903.83	11066.15	118837.68
100% risk weight	37832.79	7452.62	30380.17
More than 100% risk weight	8239.29	6416.99	1822.30
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**175975.91**	**24935.76**	**151040.15**

अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	24544.80	2045.74	22499.07
100% जोखिम भार	5822.11	0.00	5822.11
100% से अधिक जोखिम भार	0.77	0.00	0.77
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	**30367.69**	**2045.74**	**28321.95**

तालिका डीएफ – 5 :

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम के न्यूनीकरण पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है । नीति में बैंक द्वारा ऋन देते समय सामान्यता स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा/रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन/प्रबोधन भी हो ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचिता अनुसार, बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग़ से घटाया जा सकता है । अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उद्धार जोखिम पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है ।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटींग :

उधार जोखिम कम करने की तकनीक तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटींग की गणना की गयी है ऋण की अधिकतम हद तक), जहाँ बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूँजी गणना निवल उधार एक्सपोज़र के आधार पर किया जाता है ।

ग) पात्र गारंटियाँ

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं – क) क्रेंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएमएसई (0%) घ) ईसीजीसी (20%) ड़) साख- पत्र के अधीन खरीदे/ बट्टे खाते में डाले गये बिलों के रूप में बैंक गारंटी (धिशानिर्देशों के अनुसार देशी और विदेशी दोनों)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में सकेंद्रीकरण जोखिम

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियाँ व प्रक्रिया उपलब्ध हैं । उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं। वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेंद्रन जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम शमन में कोई संकेंद्रन जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपार्श्विक की कोई सीमा/ उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण (रू. करोड़ में)

ब्यौरा	**31.03.2021 तक राशि**
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात कवर किया गया है ।	**34346.87**
देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ	309.13
बैंकों – अनुसूची (आइ एन आर)	0.00
एफ सी वाई में विदेशी बैंकों का दावा	0.00
प्राथमिक डीलर	0.00
कॉर्पोरेट	2032.53
विनियामक रिटेक पोर्टफोलियो (आर आर पी)	27145.52
आवासीय संपति द्वारा प्रतिभूत दावे	6.17
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	55.03
उपभोक्ता ऋण	4697.93

OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	24544.80	2045.74	22499.07
100% risk weight	5822.11	0.00	5822.11
More than 100% risk weight	0.77	0.00	0.77
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**30367.69**	**2045.74**	**28321.95**

Table DF – 5

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

Credit Risk Mitigation under Standardized Approach:

(a) Eligible Financial Collaterals:

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital.

(b) On Balance Sheet Nettings:

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on–balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees:

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation:

Policies and process are in place indicating the type of mitigant the bank uses for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

Particulars	Amount As on 31.03.2021
For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible financial collaterals after the application of haircuts	**34346.87**
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Enterprises	309.13
Banks-Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank denominated in FCY	0.00
Primary Dealers (PD)	0.00
Corporates	2032.53
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	27145.52
Secured by Residential Property	6.17
Secured by Commercial Property	55.03
Consumer Credit	4697.93

पूँजी बाज़ार एक्सपोज़र	0.59
एनबी एफ सी	0.84
जोखिम पूँजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ – क) आवासीय ऋण	0.05
अनर्जक आस्तियाँ – ख) अन्य	86.68
अन्य आस्तियाँ – स्टाफ ऋण	3.88
अन्य आस्तियाँ	0.00
पुनर्संरचित खाते	0.00
वाणिज्यिक संपत्ति- आर एच द्वारा प्रतिभूत दावे	8.51
पुनर्संरचित गृह ऋण	0.00
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो कि गारंटी/ ऋण व्युत्पन्नी द्वारा कवर किया गया है (जब भी आरबीआई द्वारा विशेषरूप से अनुमति प्रदत्त)	**6001.06**
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	2653.76
कॉर्पोरेट	3316.67
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	30.63
पुनर्संरचित खाते	0.00
सीआरई	0.00
सीआरई- आरएच	0.00

तालिका डीएफ 6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया ।

तालिका डीएफ – 7 : ट्रेडिग बुक में बाज़ार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

बाज़ार जोखिम :

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, इक्विटी कीमतें तथा कमोडिटी कीमतों जैसे बाजार व्युत्पन्न द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित व्युत्पन्न से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और इक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है ।बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ :

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और व्युत्पन्न नीति हैं । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभावी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवक्र का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जरिए किया जाता है। अभी तक संरचनागत तरलता विवरण के माध्यम से तरलता जोखिम की रिपोर्ट आरबीआइ को घरेलू परिचालन के लिए की जाती थी वहीं इसे प्रत्येक ओवरसीज केंद्रों पर अलग अलग प्रबंधित किया जाता था तथा अतीत में नियंत्रण के उद्देश्य से अल्को (एएलसीओ) में रखा जाता था । हालाँकि आरबीआइ के हालिया परिपत्र के अनुसार , मार्च 2013 से प्रभावी तरलता जोखिम की संगणना की जानी है तथा आरबीआइ को रुपए तथा विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों व ओवरसीज़ केंद्रों के लिए प्रस्तुत किया जाना है और बैंक परिचालन हेतु विभिन्न अंतरालों पर इसका समेकन किया जाना है।

बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किया जाता है। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक घरेलू ट्रेज़री द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

Capital Market Exposure	0.59
NBFC ND	0.84
Venture Capital	0.00
N.P.A. housing loan	0.05
N.P.A. Others Loan	86.68
Staff Loans	3.88
Other Assets	0.00
Restructured / Rescheduled Accounts	0.00
Claims secured by Commercial Property - RH	8.51
Restructured Housing Loan	0.00
For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Guarantees/ credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	**6001.06**
Public Sector Enterprises	2653.76
Corporates	3316.67
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	30.63
Restructured / Rescheduled Accounts	0.00
CRE	0.00
CRE-RH	0.00

Table DF - 6

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

No Securitization for the year ended 31.03.2021

Table DF – 7

Market Risk in Trading Book

Qualitative disclosure:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hitherto reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per RBI guidelines from March 2013 the liquidity risk is computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed by RBI for the first four buckets and by Bank's Board for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विशलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने अवधि अंतराल विश्लेषण फ्रेमवर्क भी बनाया है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन तथा अवधि अंतराल आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (अल्को) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। कार्यरत मिड ऑफिस विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

चूंकि ब्याज दर की गति अस्थिर होती है, खासकर रु. 2 करोड़ व इससे अधिक पर ,अतः इस तरह के जमा पर प्रतिस्पर्धी दरों को उद्‌त करने हेतु दैनिक आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। एएलसीओ की एक उप समिति , फंड कमेटी ,इस उद्देश्य के लिए व्यावसायिक घंटों की शुरुआत में दैनिक रूप से मिला करेगी । समिति बैंक की वर्तमान और अनुमानित तरलता स्थिति, तत्काल भुगतान की आवश्यकता, तैनाती के अवसरों के बारे में उपलब्ध बाजार प्रवृत्ति, अनहेज़ विदेशी मुद्रा एक्सपोजर आदि पर प्रभाव की समीक्षा करेगी ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है। 31.03.2021 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं ।

(रू. करोड़ में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	8138.16	651.05
ईक्विटी स्थिति जोखिम	5678.42	454.27
विदेशी विनिमय जोखिम	67.50	5.40
कुल	**13884.08**	**1110.73**

तालिका डीएफ – 8

परिचालनात्मक जोखिम :

गुणात्मक प्रकटीकरण :

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रकियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं लेकिन रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) साइबर सुरक्षा नीति (ग) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (घ) अपने ग्राहक को जानें (के वाइ सी) पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (ड.) अविराम कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (बीसी) डीआरपी अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्त्रोत पर नीति।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारा बैंक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी संगणना हेतु आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को परिचालनात्मक जोखिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर पूंजी धारित करनी चाहिए।

मात्रात्मक प्रकटीकरण : (रू. करोड़ में)

मानदंड	पूँजी राशि	अनुमानित जोखिम भारित आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15%	838.17	10477.13

तालिका डीएफ – 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहां बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है । ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है । प्रिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनाऐएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है । इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है ।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (% के रूप में) के निर्धारन के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषन को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है । इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है ।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अंतराल विश्लेषण (डीजीए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टीजीए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आर्ति (आर एस ए) दर संवेदनशील देयता (आर एल ए) पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की आस्ति या वैश्विक देयता कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5% या अधिक हो । सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर गणना की जाती है ।

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates earnings at risk for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

As interest rate movements are volatile, particularly on deposits of Rs.2 Crore and above, there is a need to take views on quoting competitive rates to such deposits on daily basis. A subcommittee of ALCO, namely Funds Committee, shall meet daily at the beginning of business hours for this purpose. The committee shall review the present & projected liquidity position of the bank, requirement for immediate payment of funds, market trend regarding deployment opportunities available, impact on un-hedged forex exposure etc

Quantitative disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.03.2021 in trading book of the bank is as under:

(Rs. in crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	8138.16	651.05
Equity position risk	5678.42	454.27
Foreign exchange risk	67.50	5.40
Total	**13884.08**	**1110.73**

Table DF – 8

OPERATIONAL RISK:

Qualitative disclosures:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) Cyber Security Policy (c) forex risk management policy (d) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (e) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (BC-DRP) (f) compliance policy and (g) policy on outsourcing of Financial Services.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI.

Quantitative disclosures: (Rs. in Crore)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	838.17	10477.13

Table DF – 9

INTEREST RATE RISK ON THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly, the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एन आए आए) और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2021 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

(रु. करोड़ों में)

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर) 31/03/2021	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	162.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 3%)	8.99	13.32
0.50% परिवर्तन	323.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 6%)	17.98	26.64
0.75% परिवर्तन	485.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 9%)	26.97	39.96
1.00% परिवर्तन	646.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 12%)	35.96	53.28
2.00% परिवर्तन	1292 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 24%)	71.92	106.56
इक्विटी का आर्थिक मूल्य		**31.03.2021**	
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)		0.02	
एएलएम नीति के अनुसार सीमा		(+/-)1.00%	
इक्विटी की बाजार मूल्य (एमवीइ)			
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी में घटाव		-0.77%	

तालिका डीएफ़ 10

प्रतिपक्ष उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर से संबंधित सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	ए	डेरिवेटिव्स एवं सीआरआर के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्न शामिल हैं - • काउंटर पार्टी क्रेडिट एक्सपोजऱ के लिए क्रेडिट लिमिट एवं आर्थिक पूंजी को सौंपने में प्रयुक्त कार्यप्रणाली की चर्चा • क्रेडिट आरक्षितियों को स्थिर करने तथा संपाश्र्विकों प्रतिभूतियों के लिए नीतियों पर चर्चा • त्रुटिपूर्ण विधि से जोखिम़ एक्सपोज़र के संबंध में नीतियों की चर्चा • सम्ंपाश्र्विकों की राशि के प्रभाव पर चर्चा से बैंक को क्रेडिट रेटिंग को कम किया जाएगा।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	बी	करारों का सकल सकारात्मक उचित मूल्य, नेटिंग वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र, धारित सम्पार्श्विक (सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी इत्यादि जैसी सहित) एवं निवल डेरिवेटिव क्रेडिट एक्सपोज़र । इसके अलावा सीईएम के तहत एक्सपोज़र राशि अथवा डिफॉल्ट के एक्सपोज़र सीमा का अनुमानित मूल्यतथा क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रकारों द्वारा वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र का वितरण ।
	सी	क्रेडिट डेरिवेटिव सौदे जो कि सीसीआर (अनुमानित मूल्य) के एक्सपोज़रको उत्पन्न करते हैं को संस्था के निजी क्रेडिट पोर्टफोलियो के प्रयोग के लिए अलग-अलग किया जाएगा एवं इसके साथ-साथ वित्तीय मध्यस्थता गतिविधियों के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट डेरिवेटिव उत्पादाअगे पुन: प्रत्येक समूह के साथ ब्रोकेन डाउन के माध्यम से खरीद एवं बिक्री से की गई सुरक्षा ।

Quantitative disclosures:

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2021 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(Rs. in crore)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2021	
		Up to 1 year	Up to 5 years
0.25% change	162.00 (3% of NII of previous year)	8.99	13.32
0.50% change	323.00 (6% of NII of previous year)	17.98	26.64
0.75% change	485.00 (9% of NII of previous year)	26.97	39.96
1.00% change	646.00 (12% of NII of previous year)	35.96	53.28
2.00% change	1292.00 (24% of NII of Previous year)	71.92	106.56

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	**31.03.2021**
Modified Duration Gap (DGAP)	0.02
Limit as per ALM Policy	(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)	
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value	-0.77%

Table DF – 10

GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

Qualitative Disclosures	(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to derivatives and CCR, including: • Discussion of methodology used to assign economic capital and credit limits for counter party credit exposures • Discussion of policies for securing collateral and establishing credit reserves • Discussion of policies with respect to wrong way risk exposures • Discussion on impact of the amount of collateral the bank would have to provide given a credit rating downgrade
Quantitative Disclosures	(b)	Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposures, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit exposure hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.
	(c)	Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group.

गुणात्मक प्रकटीकरण (रु. करोड़ में)

क्र	ब्योरे	काल्पनिक मूल्य	एमटीएम	कुल चालू ऋण एक्सपोजर
1	डेरिवेटिब्स	0.00	0.00	0.00
2	ब्याज दर करार / स्वैप एस	1093.13	0.00	0.00
3	आगे की खरीददारी /बिक्री करार	43535.82	567.33	567.33
4	ऋण डेरिवेटिब्स	0.00	0.00	0.00
5	ऋण डिफ़ोल्ट स्वैप	0.00	0.00	0.00

तालिका डीएफ -11: पूँजी की संघटना

नियामक समायोजन के परिवर्तनकाल के दौरान उपयोग किए जाने वाले बेसल ।।। सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

डीएफ -11: पूँजी की संघटना			(रु. करोड़ में)
सामान्य ईक्विटी टियर । पूँजी: लिखत एवं आरक्षितियाँ			बेसल ।।। प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियाँ
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	23360.31	23360.31
2	प्रतिधारित आय	8819.21	8819.21
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	5969.76	5969.76
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0.00	0.00
6	**विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर । पूँजी**	**38149.28**	**38149.28**
सामान्य ईक्विटी टियर।पूँजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	0.00
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	0.00
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	18977.12	18977.12
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	0.00	0.00
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी	0.00	0.00
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ	0.00	0.00
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि	0.00	0.00
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	0.00	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)	0.00	0.00
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	22.91	0.00
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10% से अधिक नहीं रखता है (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश	0.00	0.00
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, योग्य अल्प स्थितियों कानिवल (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00

Quantitative disclosure: (Rs. in crore)

No	Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposures
1	Derivatives	0.00	0.00	0.00
2	Interest Rates Contracts/Swaps	1093.13	0.00	0.00
3	Forward Purchase / Sales Contract	43535.82	567.33	567.33
4	Credit Derivatives	0.00	0.00	0.00
5	Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00

Table DF – 11: COMPOSITION OF CAPITAL

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments

DF - 11 Composition of Capital			(Rs. in crore)
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	23360.31	23360.31
2	Retained earnings	8819.21	8819.21
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	5969.76	5969.76
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0.00	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	0.00
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**38149.28**	**38149.28**
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0.00	0.00
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	0.00
9	Intangibles (net of related tax liability)	18977.12	18977.12
10	Deferred tax assets	0.00	0.00
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	0.00
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	0.00
13	Securitisation gain on sale	0.00	0.00
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	0.00
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)	0.00	0.00
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	22.91	0.00
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	0.00

20	बंधक सेवा अधिकार (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00
21	5 अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), संबंधित कर देयता का निवल	4385.46	4385.46
22	15 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	0.00
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	0.00
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0.00	0.00
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0.00	0.00
26a	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26b	जिसमें से: समेकित गैरवित्तीय अनुषंगियों 8 की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26c	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक 9 द्वारा नहीं हुआहै, की ईक्विटी पूँजी में कमी	301.58	301.58
26d	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	0.00
	बासेल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों केसंबंध में सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	0.00
27	कटौती को कवर करने केलिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर I तथा टियरII के कारण सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन।	0.00	0.00
28	**सामान्य ईक्विटी टियरIपर कुल विनियामक समायोजन**	**23687.08**	**23664.17**
29	**सामान्य ईक्विटी टियरIपूँजी (सीईटी 1)**	**14462.20**	**14485.11**
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखतें		
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	0.00	0.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	0.00
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	0.00	0.00
33	अतिरिक्त टियर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0.00	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी 1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी 1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0.00	0.00
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषगियों द्वारा जारी लिखत	0.00	0.00
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी**	**0.00**	**0.00**

अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	खुद के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	0.00	0.00
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	0.00	0.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों कानिवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर कीराशि) की जारीसाझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक कीराशि न हो	0.00	0.00

20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	4385.46	4385.46
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	0.00
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	0.00
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	0.00
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	0.00
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0.00	0.00
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries8	0.00	0.00
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	301.58	301.58
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	0.00
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**23687.08**	**23664.17**
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**14462.20**	**14485.11**
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	0.00	0.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	0.00
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00	0.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	0.00
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	0.00
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**0.00**	**0.00**

Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	0.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	0.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00

40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0.00	0.00
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	0.00
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर । पूँजी में निवेश	0.00	0.00
41बी	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टियर । पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	0.00
42	अपर्याप्त टियर ॥ की वजह से कटौतियों को कवर करने केलिए अतिरिक्त टियर । में लागू विनियामक समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियर । पूँजी में कुल विनियामक समायोजन**	0.00	0.00
44	**अतिरिक्त टियर । पूँजी (एटी1)**	0.00	0.00
45	**टियर । पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44)**	**14462.20**	**14485.11**
टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टियर 2 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक	1600.00	1600.00
47	टियर 2 से बाहर होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	0.00	0.00
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में स्वीकृत राशि) टियर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0.00	0.00
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0.00	0.00
50	प्रावधान	1095.47	1095.47
51	**विनियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूँजी**	**2695.47**	**2695.47**

टियर 2 पूँजी : विनियामक समायोजन			
52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	0.00	0.00
53	टियर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	0.00	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों कानिवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10%% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारीसाझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक कीराशि न हो	0.00	0.00
55	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों कानिवल)	0.00	0.00
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00	0.00
56ए	जिनमें से असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0.00	0.00

40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	0.00
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	0.00
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	0.00	0.00
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**0.00**	**0.00**
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44)**	**14462.20**	**14485.11**
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	1600.00	1600.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	0.00	0.00
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	0.00
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	0.00
50	Provisions	1095.47	1095.47
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**2695.47**	**2695.47**

Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	0.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	0.00
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	0.00
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	0.00
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	0.00

56बी	जिनमें से: बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की टियर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक केसाथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	0.00
57	टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	0.00	0.00
58	**टियर 2 पूँजी (टी2)**	**2695.47**	**2695.47**
59	**कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)**	**17157.67**	**17180.58**
60	**कुल जोखिम भारांक वाली आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**112005.35**	
60ए	जिनमें से : कुल उधार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	87644.15	
60बी	जिनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	13884.08	
60सी	जिनमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारांक वाली आस्तियां	10477.13	
पूँजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांक वालीआस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.91%	
62	टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.91%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	15.32%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	7.375%	
65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	0	
66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षा	0	
67	जिनमें से : जी-एसआईबी बफर अपेक्षा	0	
68	बफर की पूर्ति केलिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	5.54%	
राष्ट्रीय न्यूनता (बेसल III से भिन्न होने पर)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसलIII न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%	
कटौती केलिए सीमा से कम राशि (जोखिम भार के पहले)			
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
75	अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियॉ (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमाएँ			
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	1095.47	
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने केलिए सीमा	1095.47	
78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणें के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	लागू नही	
79	मानकीकृत आंतरिकरेटिंग आधारित अभिगम के तहत टियर 2 में शामिल करने केलिए प्रावधान की सीमा	लागू नही	
फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूँजी लिखत (मार्च 31 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच ही लागू)			
80	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीइटी1 पर वर्तमान सीमा	0	

56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	0.00	0.00
58	**Tier 2 capital (T2)**	**2695.47**	**2695.47**
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**17157.67**	**17180.58**
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**112005.35**	
60a	of which: total credit risk weighted assets	87644.15	
60b	of which: total market risk weighted assets	13884.08	
60c	of which: total operational risk weighted assets	10477.13	
Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.91%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.91%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	15.32%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	5.54%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	1095.47	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	1095.47	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	

81	कैप के कारण देय सीइटी1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0	
82	फेज आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सीमा	0.00	
83	सीमा को देय ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0.00	
84	फेज आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सीमा	0.00	
85	सीमा को देय टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0.00	

टेम्पलेट के नोट्स (रु. करोड़ में)

टेम्पलेट की क्रम संख्या	विवरण	राशि
10	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	6300.39
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग	0.00

19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णतः नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10 की सीमा पर विचार किया गया है, बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0.00
	इसमें से : सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0.00
	इसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0.00
	इसमें से : टियर 2 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0.00
26बी	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की ईक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार	0.00
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारांक आस्तियों में बढ़ोत्तरी	0.00
50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	1095.47
	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	क्रम 50 का कुल	1095.47

सूची डीएफ़ – 12

पूंजी की रचना – समाधान आवश्यकता (रू. करोड़ में)

क्र.सं.	ब्योरा	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र	नियामक विचार के दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र
		31.03.2021को	**31.03.2021 को**
_अ	**पूंजी और देयता**		
i	**प्रदत्त पूँजी**	16436.99	16436.99
	आरक्षिति तथा अधिशेष	507.82	507.82
	अल्पमत ब्याज	0.00	0.00
	कुल पूंजी	**16944.81**	**16944.81**

81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	

Notes to the Template Rs. (in crore)

Row No. of the template	Particular	Amount
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	6300.39
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0.00
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	(ii) Increase in risk weighted assets	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	1095.47
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	1095.47

Table DF – 12

COMPOSITION OF CAPITAL-RECONCILIATION REQUIREMENTS (Rs. in crore)

S. No.	Particulars	Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2021	As on 31.03.2021
A	**Capital & Liabilities**		
i	**Paid up Capital**	16436.99	16436.99
	Reserves and Surplus	507.82	507.82
	Minority Interest	0.00	0.00
	Total Capital	**16944.81**	**16944.81**

ii	**जमाएं**	240288.29	240288.29
	जिसमें से : बैंकों से जमा	291.23	291.23
	जिसमें से : ग्राहकों से जमा	239997.06	239997.06
	जिसमें से : अन्य	0.00	0.00
iii	**उधार**	3671.58	3671.58
	जिसमें से : आरबीआइ से	0.00	0.00
	जिसमें से : बैंक से	506.50	506.50
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	1565.08	1565.08
	जिसमें से : अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	0.00	0.00
	जिसमें से : पूँजी लिखत	1600.00	1600.00
iv	**अन्य देयताएँ तथा प्रावधान**	**13105.67**	**13105.67**
	कुल	**274010.35**	**274010.35**
_बी	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	**12188.25**	**12188.25**
	बैंक में शेष तथा अल्प मांग पर मांग मुद्रा	**18588.08**	**18588.08**
II	**निवेश**	**95494.22**	**95494.22**
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियाँ	88806.09	88806.09
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.99	0.99
	जिसमें से : शेयर	1143.05	1143.05
	जिसमें से : डिबेंचर तथा बाण्ड	3703.60	3703.60
	जिसमें से : अनुषंगियों / संयुक्त उपक्रम / सहयोगी	193.44	193.44
	जिसमें से : अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्यूअल फंड आदि)	1647.05	1647.05
iii	ऋण तथा अग्रिम	**127720.65**	**127720.65**
	जिसमें से : बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	0.00	0.00
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	127720.65	127720.65
iv	अचल आस्तियाँ	**2918.78**	**2918.78**
v	अन्य आस्तियाँ	**17100.36**	**17100.36**
	जिसमें से : साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0.00	0.00
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियाँ	6301.14	6301.14
vi	**समेकन पर साख**	0.00	0.00
vii	**लाभ व हानि खाते में ऋण शेष**	0.00	0.00
	कुल	**274010.35**	**274010.35**

ii	**Deposits**	**240288.29**	**240288.29**
	of which : Deposit from Banks	291.23	291.23
	of which : customer deposits	239997.06	239997.06
	of which : Others	0.00	0.00
iii	**Borrowings**	**3671.58**	**3671.58**
	of which : From RBI	0.00	0.00
	of which : From bank	506.50	506.50
	of which : from other institutional & agencies	1565.08	1565.08
	of which : Others(pl .Specify)	0.00	0.00
	of which : Capital instruments	1600.00	1600.00
iv	**Other liabilities and provisions**	**13105.67**	**13105.67**
	Total	**274010.35**	**274010.35**
B	**Assets**		
i	Cash and Balances with Reserve Bank of India	**12188.25**	**12188.25**
	Balance with bank and money at call and short notice	**18588.08**	**18588.08**
II	**Investments**	**95494.22**	**95494.22**
	of which: Government Securities	88806.09	88806.09
	of which: Other approved securities	0.99	0.99
	of Which :shares	1143.05	1143.05
	of which : Debentures & Bonds	3703.60	3703.60
	of which: Subsidiaries / joint Venture /Associates	193.44	193.44
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	1647.05	1647.05
	Loans and advances	**127720.65**	**127720.65**
	of which : Loans and advances to banks	0.00	0.00
	of which : Loans and advances to customers	127720.65	127720.65
iv	**Fixed assets**	**2918.78**	**2918.78**
v	**Other assets**	**17100.36**	**17100.36**
	of which : Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which : Deferred tax assets	6301.14	6301.14
vi	**Goodwill on consolidation**	0.00	0.00
vii	**Debit balance in Profit & Loss account**	0.00	0.00
	Total	**274010.35**	**274010.35**

(रू. करोड़ में)

क्रम सं.	बेसल III का सार – सामान्य प्रकटीकरण टैम्प्लेट (अतिरिक्त कॉलम के साथ)- तालिका डीएफ -11 (भाग I / भाग II जो भी लागू हो)	
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत व रिजर्व	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गयी विनियामक पूँजी के संघटक
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर (तथा गैर- संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के लिए सम्तुल्य अधिशेष)	23360.31
2	प्रतिधारित आय	8819.21
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	5969.76
4	सीईटी 1 से बाहर चरण के अधीन जारी प्रत्यक्ष पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तीसरे पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटे 1 समूह में राशि की अनुमति)	0.00
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टायर 1 पूंजी	38149.28
7	प्रूडेंशियल मूल्यांकन समायोजन	-
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-

टेबल डीएफ – 13 : विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ

विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ का प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्रम सं.	विवरण	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी
		बेसल III टियर II	बेसल III टियर II	बेसल III टियर II
		श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 565ए09256	आईएनई 565ए09264	आईएनई 565ए08035
3	लिखत के शासकीय कानून	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	नियामक समाधान			
4	बेसलIIIनियमों का परिवर्तन काल	टियर II	टियर II	टियर II
5	बेसलIIIनियमों के परिवर्तन के बाद	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	800.00	300.00	500.00
9	लिखत का बराबर मूल्य	रू.10.00 लाख	रू.10.00 लाख	रू.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	03.11.2016	10.12.2018	24.09.2019
12	शाश्वत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	03.11.2026	10.12.2028	24.09.2029
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	हां	हां	हां
15	वैकल्पिक क़ोल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियां और रिडेम्पशन राशि (रु. करोड़ों में)	शून्य , शून्य , 800	शून्य , शून्य , 300	शून्य , शून्य , 500

(Rs. in crore)

S. No.	Extract of Basel III common disclosure template (with added column)- Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)	
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserve	
		Component of regulatory capital reported by bank
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	23360.31
2	Retained Earning	8819.21
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	5969.76
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	38149.28
7	Prudential valuation adjustment	-
8	Goodwill(net of related tax liability)	-

Table DF-13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

S. No.	Particulars	Perpetual	Perpetual	Perpetual
		Basel III Tier II	Basel III Tier II	Basel III Tier II
		Series I	Series II	Series III
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09256	INE565A09264	INE565A08035
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II Debt Instruments	Tier II Debt Instruments	Tier II Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore as of most recent reporting date)	800.00	300.00	500.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	03.11.2016	10.12.2018	24.09.2019
12	Perpetual or dated	dated	dated	Dated
13	Original maturity date	03.11.2026	10.12.2028	24.09.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. In Crore)	nil, nil, 800	nil, nil, 300	nil, nil, 500

16	आगामी कॉल तिथियां यदि लागू है तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	स्थिर	स्थिर	स्थिर
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/ कूपन	कूपन रेट	कूपन रेट	कूपन रेट
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	नहीं	नहीं	नहीं
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	रिडीम करने के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	गैर - संचयी	गैर - संचयी	गैर - संचयी
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	स्थिर	स्थिर	स्थिर
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत प्रकार को परिवर्तनीय निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	हां	हां	हां
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	स्थायी	स्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन संक्रमण सुविधाओं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हां, तो गैर-अनुरूप विशेषताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ 14:विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्ते

विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ का प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र. सं.	विवरण	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी
		बेसल III अनुपालन टियर II	बेसल III अनुपालन टायर II	बेसल III अनुपालन टायर II
		श्रृंखला I	श्रृंखला II	श्रृंखला III
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	INE565A09256	INE565A09264	INE565A08035
2	लिखत प्रकार	ऋण लिखत	ऋण लिखत	ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रू. 10 लाख	रू. 10 लाख	रू. 10 लाख
4	सतत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	03.11.2026	10.12.2028	24.09.2029
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ

16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends	Fixed	Fixed	Fixed
17	Fixed or floating dividend/coupon	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
18	Coupon rate and any related index	No	No	No
19	Existence of a dividend stopper	Mandatory	Mandatory	Mandatory
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Not available	Not available	Not available
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
22	Non-cumulative or cumulative	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
23	Convertible or non-convertible	N/A	N/A	N/A
24	If convertible, conversion trigger(s)	Fixed	Fixed	Fixed
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	yes	yes	yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI
32	If write-down, full or partial	partial/full	partial/full	partial/full
33	If write-down, permanent or temporary	permanent	permanent	permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitional features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

Table DF-14: TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

S. No.	Particulars	Perpetual	Perpetual	Perpetual
		Basel III Compliant Tier II	Basel III Compliant Tier II	Basel III Compliant Tier II
		Series I	Series II	Series III
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09256	INE565A09264	INE565A08035
2	Instrument type	Debt Instrument	Debt Instrument	Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
5	Original maturity date	03.11.2026	10.12.2028	24.09.2029
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes

7	वैकल्पिक माँग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रू. करोड़ में)	शून्य, शून्य, 800	शून्य, शून्य, 300	शून्य, शून्य, 500
8	निश्चित या चल लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
11	क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर – संचयी	गैर – संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
15	अनुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ-16: इक्विटी बैंकिंग बही स्थिति के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक का इक्विटी पोर्टफोलियो का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग प्रवर्ग के लिए धारित इक्विटी शेयरों के लिए

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन अंतिम बाज़ार दरों पर किया जाता है अर्थात बाज़ार को मार्क किए हुए
- असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन उपलब्ध अंतिम तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्यों के आधार पर किया जाता है । यदि तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो उसे प्रति कंपनी रु. 1/- पर मूल्यांकित किया जाता है ।

परिपक्व प्रवर्ग तक धारित इक्विटी शेयरों के लिए

परिपक्व प्रवर्ग तक धारित इक्विटी शेयरों के लिए मूल्यांकन लागत पर किया जाता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण **(रु. करोड़ में)**

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	निवेशों के तुलन पत्र मे प्रकटित मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य ; कोट किए हुए प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से कोट किए हुए शेयरों की तुलना जहाँ शेयर कीमत उचित मूल्य से भिन्न है ।	311.58
2	निम्नानुसार वगीकृत की जा सकने वाली राशि के साथ निवेशों के प्रकार व स्वरूप : सार्वजनिक रूप से ट्रेड होनेवाले निजी रूप से धारित	 0.00 311.58
3	रिपोर्टिंग अवधि में समापन व बिक्री से प्राप्त संचयित लाभ (हानि) (01.01.2021 से 31.03.2021) (01.04.2019 से 31.03.2021) वित्तीय वर्ष 2020-21	 0.00 0.00
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानि)*	(301.35)
5	कुल निहित पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)**	0.00
6	टियर । व / या टियर 2 पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त कोई भी राशि	0.00
7	विनियामक पूंजीगत अपेक्षाओं के संबंध में प्रावधानों के पर्यवेक्षी संकमण की शर्त पर इक्विटी निवेशों के प्रकार व सकल राशि के साथ-साथ बैंक की पद्धतियों के अनुसार इक्विटी समूहन द्वारा काटी गयी पूंजीगत अपेक्षाएं	0.00

* अप्राप्त लाभ (हानि) को तुलन पत्र मे मान्यता दी गई है लेकिन लाभ और हानि खाते के माध्यम से नहीं।

** अप्राप्त लाभ (हानि) को तुलन पत्र मे मान्यता दी गई है लेकिन लाभ और हानि खाते के माध्यम से नहीं।

7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 800	nil, nil, 300	nil, nil, 500
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary	Full Discretionary	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Table DF-16: EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosure

As per regulatory guidelines, the Equity portfolio of Bank is valued as under:

For Equity Shares held in Available for Sale and Held for Trading category

- Listed Equity Shares are valued at latest Market Rates I.e. Marked to Market.
- Unlisted Equity Shares are valued at Book value ascertained from the latest available balance sheets. If the balance sheet is not available, then the same are valued at Re.1/- per company.

For Equity Shares held in Held till Maturity category

Equity shares held in Held till Maturity category are valued at cost

Quantitative disclosure: **(Rs. in crore)**

Sr. No.	Particulars	Amount
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value *	311.58
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: • Publicly traded • Privately held	 0.00 311.58
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period (01.01.2021 to 31.03.2021) (01.04.2019 to 31.03.2021) FY 2020-21	 0.00 0.00
4	Total unrealised gains (losses) *	(301.35)
5	Total latent revaluation gains (losses) **	0.00
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital	0.00
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	0.00

* Unrealized gains (losses) recognized in balance sheet but not through the profit and loss account.

** Unrealized gains (losses) recognized in balance sheet but not through the profit and loss account.

डीएफ तालिका 17

लेखांकन आस्तियां तथा लिवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपायों का तुलनात्मक सारांश

रू. करोड़ में

क्र.सं.	**मदें**	**राशि**
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	337423
2	बैंकिंग में निवेश हेतु समायोजन, वित्तीय, बीमा अथवा कारोबारी इकाइयां जो कि लेखांकन उद्देश्य से समेकित की गई हैं किंतु नियामक समेकन के विस्तार के बाहर हैं	222
3	परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किंतु लिवरेज अनुपात मानक से बाहर तुलनपत्र पर पहचानी गई प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन	0
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	2120
5	प्रतिभूतित वित्तीय लेनदेनों के लिए समायोजन (जैसे कि रेपो एवं समान सुरक्षित उधार)	12218
6	तुलनपत्र से परे की मदों के लिए समायोजन (तुलनपत्र एक्सपोजर से परे समतुल्य क्रेडिट राशियों में परिवर्तन)	11876
7	अन्य समायोजन	85517
8	**लिवरेज अनुपात एक्सपोजर (1-2-3+4+5+6-7¬)**	**277898**

डीएफ तालिका 18

लेवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

रू. करोड़ में

क्र. सं.	**मदें**	**लेवरेज अनुपात फ्रेमवर्क स**
1	तुलनपत्र की मदें (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर किंतु संपार्श्विकों सहित)	337423
2	(बेसल III टायर 1 पूंजी निर्धारित करने में कटौती की गई आस्ति राशियां)	(86722)
3	**तुलनपत्र में कुल एक्सपोज़र (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर)** (1 एवं 2 पंक्तियों का योग)	**250701**
	डेरीवेटिव एक्सपोज़र	
4	सभी डेरीवेटिव लेनदेनों के साथ संबद्ध प्रतिस्थापना मूल्य (जैसे कि पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन का निवल)	567
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों के साथ पीएफई संबद्ध हेतु अतिरिक्त राशियां	1552
6	जहां परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर तुलन पत्र आस्तियों से कटौतियां की गई हैं वहां डेरीवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस-अप	---
7	(डेरीवेटिव लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौतियां)	---
8	(ग्राहक-निपटान कारोबार एक्सपोज़र से सीसीपी लेग की छूट)	---
9	लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए अनुमानित राशि का प्रभावी समायोजन	---
10	(लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए समायोजित अनुमानित राशि ऑफसेट तथा अतिरिक्त कटौतियां)	---
11	**कुल डेरीवेटिव एक्सपोज़र (4 से 10 पंक्तियों का योग)**	**2120**
	प्रतिभूति वित्तीय लेनदेन एक्सपोज़र	
12	बिक्री खाता लेनदेनों के लिए समायोजित करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की कोई मान्यता नहीं है)	---
13	(सकल एसएफटी आस्तियो की नकद प्राप्तियों तथा नकद देयताओं की निवल राशि)	---

Table DF - 17

SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE (Rs. in crore)

Sr. No.	Item	Amount
1	Total consolidated assets as per published financial statements	337423
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	222
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	2120
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	12218
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	11876
7	Other adjustments	85517
8	**Leverage ratio exposure (1-2-3+4+5+6-7¬)**	**277898**

Table DF - 18

LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

(Rs. in crore)

Sr. No.	Item	Leverage ratio framework
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	337423
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(86722)
3	**Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)**	**250701**
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	567
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	1552
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	---
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	---
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	---
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	---
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	---
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**2120**
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	---
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	---

14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	12218
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोज़र	---
16	**कुल प्रतिभूतित वित्तीय लेनदेन एक्सपोज़र (12 से 15 पंक्तियों का योग)**	**12218**
	तुलनपत्र से परे अन्य मदें	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्र से परे एक्सपोज़र	27623
18	(क्रेडिट समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन)	(15746)
19	**तुलनपत्र से परे मदें (17 तथा 18 पंक्तियों का योग)**	**11876**
	पूंजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20	**टियर 1 पूंजी**	**14462**
21	**कुल एक्सपोजर (3,11,16 तथा 19 पंक्तियों का योग)**	**276915**
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लिवरेज अनुपात**	**5.22%**

14	CCR exposure for SFT assets	12218
15	Agent transaction exposures	---
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**12218**
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	27623
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(15746)
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**11876**
	Capital and total exposures	
20	**Tier 1 capital**	**14462**
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	**276915**
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**5.22%**

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट – 2020-2021

सेक्शन ए : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईनहीं)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
3. रजिस्टर्ड पता	763 अण्णा सालै, चेन्नई 600 002
4. वेबसाइट	www.iob.in
5. ईमेल	investor@iobnet.co.in
6. वित्तीय वर्ष रिपोर्ट	2020-21
7. कंपनी जिस क्षेत्र संबन्धित है (औद्योगिक गतिविधि कोडवार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ
8. तीन प्रमुख उत्पादों/ सेवाओं की सूची जोकि उत्पादकर्ता द्वारा विनिर्मित की जाती हैं (तुलनपत्र के अनुसार)	क) खुदरा बैंकिंग ख) कॉर्पोरेट बैंकिंग ग) अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग
9.कंपनी के व्यवसाय पालन हेतु कुल स्थानों की संख्या I. राष्ट्रीय II. अंतरराष्ट्रीय	31.03.2021 तक बैंक की 3217 शाखाएं हैं 4 (सिंगापुर, श्रीलंका, हांगकांग और बैंकॉक)
10. कंपनी द्वारा सेवित बाजारें –स्थानीय/ राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय	बैंक की शाखाएँ 28 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में हैं । बैंक की सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका, बैंकॉक में अंतर्राष्ट्रीय शाखाएँ हैं और मलेशिया में एक संयुक्त उद्यम है - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद (आइआइबीएमबी)।

खंड आ: कंपनी के वित्तीय विवरण

1) प्रदत्त पूंजी (रु.)	रू. 16436.99 करोड़
2) कुल व्यवसाय (रू.) /राजस्व	लागू नहीं
3) कर भुगतान के पश्चात कुल लाभ (रू.)	चौथी तिमाही हेतु: रू. 349.77 करोड़ एवं वित्तवर्ष 2020-21: रू. 831.47 करोड़
4) कर (%) के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	संचित हानि के कारण सीएसआर के तहत कोई खर्च नहीं
5) उन गतिविधियों की सूचना जिनमें उपर्युक्त 4 पर व्यय किया गया है ।	लागू नहीं

(रु. लाख में)

क्रम सं.	सीएसआर गतिविधि	विवरण	राशि
	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

खंड इ : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं	नहीं
2. क्या सहायक कंपनियां कार्यान्वयन हैं: मूल कंपनियों की बीआर पहलों को कार्यान्वित करती है, यदि हाँ तो ऐसी कंपनियों की संख्या इंगित करें यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनियां की संख्या इंगित करें ।	लागू नहीं
3. कोई अन्य इकाई/ संस्था (उदा. आपूर्तिकर्ता वितरकों आदि) जिसके साथ कंपनी व्यापार, कंपनी की बीआर पहल में सहभागिता करती है ? यदि हाँ, तो ऐसी इकाई/ संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें ? (30%, 30%-60%, 60% से अधिक)	नहीं

Indian Overseas Bank

Business Responsibility Report – 2020 - 2021

Section A: General Information about the Company

1.Corporate Identity Number: (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	INDIAN OVERSEAS BANK
3. Registered Address	763 ANNA SALAI, CHENNAI 600 002
4. Website	www.iob.in
5. Email	investor@iobnet.co.in
6. Financial Year Reported	2020 - 21
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	a) Retail Banking b) Corporate Banking c) International Banking
9. Total number of locations where: business activity is undertaken by the Company No. of Locations I. National II. International	 3217 branches as on 31.03.2021 4 (Singapore, Sri Lanka, Hongkong & Bangkok)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/ International	Bank has branches in 28 States and 6 Union Territories, Bank has International Branches in Singapore, Hong Kong, Sri Lanka, Bangkok and a joint venture in Malaysia - India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBMB).

Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR)	Rs. 16436.99 crore
2) Total Turn Over (INR) / Revenue	Not applicable
3) Total profit After Tax(INR)	For Q4: Rs.349.77 crore and FY 2020-21: Rs.831.47 Crore
4) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	No spending under CSR due to accumulated losses.
5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred	Not Applicable

(Rs.in Lakhs)

Sl. No.	CSR activity	Particulars	Amount
	NA	NA	NIL

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	No
2. Do the subsidiaries implement : BR initiatives of the parent company If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	Not applicable
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%)	No

खंड ई: बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

क. बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशकों / निदेशकों का विवरण

डीआइएन संख्या	लागू नहीं
नाम	अजय कुमार श्रीवास्तव
पद	कार्यपालक निदेशक

ख. बीआर प्रमुख का विवरण – नीचे दिया गया है :

क्रमांक	विवरण	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	**लागू नहीं**
2	नाम	**भुवन चंद्र**
3	पद	**महा प्रबन्धक एवं सीएफ़ओ**
4	दूरभाष	044-28519487
5	ई-मेल आइडी	Investor@iobnet.co.in / gmbcs@iobnet.co.in

2.2. 2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/ नीतियाँ (हाँ/ नहीं में जवाब)(जांच हेतु)

क्रम सं.	प्रश्न	व्यावसायिक नैतिकता	उत्पाद ज़िम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	हितधारकों का अनुबंध	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	समावेशी नीति	ग्राहक संबंध
1	क्या आपके पास सिद्धांतों के लिए नीति/ नीतियाँ हैं ?	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
2	क्या संबन्धित हितधारकों से परामर्श नीतियाँ तैयार की जाती हैं।	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ
3	क्या नीतियाँ किसी राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती हैं ? यदि हाँ तो निर्दिष्ट करें ? * (50 शब्द)	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ
4	क्या बोर्ड द्वारा नीति को मंजूरी दे दी गई है ? यदि हाँ, तो क्या इसे एमडी/ मालिक/ सीईओ/ उपर्युक्त बोर्ड/ निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है ?	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करें के लिए बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारी की निर्दिष्ट समिति है ?	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ
6	नीति कोई ऑनलाइन देखने के लिए लिंक इंगित करें ? @	हाँ	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ
7	क्या नीति को औपचारिक रूप से संबन्धित आंतरिक तथा बाह्य हितधारकों को सूचित किया गया है ?	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ
8	क्या कमनी के पास नीति/ नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है ?	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी के पास हितधारकों की नीति/ नीतियों से संबन्धित शिकायतों के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र है।	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ
10	क्या कंपनी ने बाहरी तथा आंतरिक एजेंसियों द्वारा इस नीति के संचालन के लिए अलग से लेखापरीक्षा/ मूल्यांकन किए हैं ?	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ

Section D: BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible for BR

a. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies

DIN Number	NA
Name	Ajay Kumar Srivastava
Designation	Executive Director

b. Details of the BR head – as below

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	Bhuwan Chandra
3	Designation	General Manager & CFO
4	Telephone no.	044-28519487
5	e-mail id	investor@iobnet.co.in / gmbcs@iobnet.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies (Reply in Y / N)(to check)

Sl No	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/ policies for principles	Y	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national/ international standards? If yes, specify? *(50 words)	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ Owner/ CEO/ appropriate Board Director	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online? @	Y	N	NA	N	NA	NA	NA	N	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	N	Y
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	NA	N	NA	NA	NA	N	Y

*समाज के लिए लाभकारी सरकारी नियमों और दिशा-निर्देशों की नीति पर विचार करना ।

@ www.iob.in

2क. यदि किसी सिद्धांत के विरुद्ध क्रमांक 1 का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया स्पष्ट करें कि क्यों: (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्रमांक	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धान्त को नहीं समझा है ।									
2	कंपनी उस चरण में नहीं है जहां वह खुद को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में पाती है									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं									
4	आगामी 6 माह की अवधि में इसके कार्यान्वयन की योजना है									
5	आगामी एक वर्ष की अवधि में इसके कार्यान्वयन की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)			#		&	%	$		

बैंक की अलग से कर्मचारी कल्याण नीति नहीं है। हालांकि बोर्ड की मंजूरी से कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी उपाय किए गए हैं ।

& बैंक की अलग से मानवाधिकार नीति नहीं है । हालांकि, इन्हें बैंक की मानव संसाधन नीतियों और व्यवहारों के तहत शामिल किया गया है ।

% बैंक की कोई लिखित नीति नहीं है लेकिन भारत सरकार द्वारा हरित पहल पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है ।

$ बैंक की कोई लिखित नीति नहीं है लेकिन बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक नीति को आकार देने के लिए नियामकों और नीति निर्माताओं के साथ जुड़ा हुआ है ।

3. बीआर से संबन्धित अधिकार

अ. उस अंतराल को इंगित करें जिसके पश्चात निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ कंपनी के बीआर प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मिलते हैं, 3 महीने, 3-6 महीने, सालाना, 1 वर्ष से अधिक	वार्षिक
ब. क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होता है ?	हाँ, यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता । बीआरआर को हमारी वेबसाइट www.iob.in पर देखा जा सकता है ।

खंड उ. सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धान्त 1: व्यवसाय को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्वयं का संचालन और संचालन करना चाहिए

1) क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या इसका विस्तार समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ गैर सरकारी संगठनों/ अन्य तक है?	इसमें बैंक के साथ-साथ इसके विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार आदि भी शामिल हैं । बैंक ने एक नैतिकता नीति का संचालन किया है जो अच्छे आचरण और नैतिक प्रथाओं के उच्चतम मानकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। बैंक के मूल मूल्यों को ग्राहक केंद्रितता, नैतिकता, पारदर्शिता, टीम वर्क और स्वामित्व के रूप में व्यक्त किया गया है । बैंक के सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेना आवश्यक है ▪ जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा और कानून के श्रेष्ठता का पालन करना; ▪ घूस न लेना और न देना; ▪ सभी कार्यों को ईमानदार और पारदर्शी तरीके से करना; ▪ जनहित में कार्य करना; ▪ व्यक्तिगत व्यवहार में ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए उदाहरण पेश करना; ▪ भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की सूचना उपयुक्त एजेंसी को देना ।

*Contemplating the Policy of Government rules and guidelines beneficial to the Society.

@ www.iob.in

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S. No	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)			#		&	%	$		

Bank does not have a separate Employees Welfare Policy. However several welfare measures for employees have been taken with Board approval.

& Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank

%Bank does not have a written policy but the guidelines issued by Government of India on Green Initiatives are being followed.

$ The Bank does not have a written policy but is associated with regulators and policy makers to shape public policy relating to banking sector

3. Governance related to BR

a. Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company, within 3 months, 3-6 months, annually, more than 1 year	Annually
b.Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	Yes, it is published on an annual basis. BRR could be viewed at website: www.iob.in

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1: Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1) Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	It covers the Bank as well as its vendors / suppliers / contractors etc. The Bank has operationalized an Ethics Policy which is a statement of the Bank's commitment to good conduct and highest standards of ethical practices. The Bank's core values have been articulated as Customer Centricity, Ethics, Transparency, Teamwork and Ownership. All employees of the Bank are required to take the Integrity Pledge committing ▪ To follow probity and rule of law in all walks of life; ▪ To neither take nor offer bribe; ▪ To perform all tasks in an honest and transparent manner; ▪ To act in public interest; ▪ To lead by example exhibiting integrity in personal behaviour; ▪ To report any incident of corruption to the appropriate agency

	सभी आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / बोलीदाताओं को अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी भी पूर्व-अनुबंध या अनुबंध के बाद के चरण के दौरान अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए या भविष्य में इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्ट प्रथाओं, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के सभी उपाय अपनाने के लिए एक पूर्व अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौते के निष्पादन की आवश्यकता है । बैंक, भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और इसलिए स्वेच्छा से ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धताओं की संहिता-जनवरी 2014 और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता - अगस्त 2015 को अपने ग्राहकों के साथ लेन-देन में उचित व्यवहार कोड के रूप में अपनाया है । संहिता की पूरी प्रति www.iob.in पर उपलब्ध है । **"नागरिक चार्टर"** बैंक की शाखाओं में ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं / सेवाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है । नागरिक चार्टर कोड ग्राहकों के साथ बैंक के व्यवहार में जवाबदेही, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा । बैंक की अपनी व्हिसिल ब्लोअर नीति है। **आइओबी विजिल:** जून 2013 के दौरान सतर्कता जागरूकता फैलाने के लिए एक त्रैमासिक गृह समाचार-पत्र शुरू किया गया था । **अन्य पक्ष इकाइयों के विरुद्ध:** बैंक अपनी इंट्रानेट वेबसाइट पर प्रतिबंधित तृतीय पक्ष संस्थाओं की सूची प्रकाशित करता है, जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट, मूल्यांकनकर्ता और वकील । **सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडबल्यू)** देश की सर्वोच्च सत्यनिष्ठा संस्था सीवीसी सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, बहु-आयामी दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। हमारे बैंक वीएडबल्यू में सीवीसीडी के निर्देशों के अनुसार 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक "ईमानदारी- एक जीवन शैली विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । ऑनलाइन ई-अखंडता प्रतिज्ञा की शुरुआत - सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा प्राप्त करने हेतु ई-अखंडता प्रतिज्ञा प्रक्रिया नाम की एक नई पहल के माध्यम से बैंक के कोर बैंकिंग समाधानों के साथ एकीकृत किया गया था, जो सीधे सीबीएस से सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने वाले ग्राहक के आवश्यक डेटा को एकत्र करने की सुविधा प्रदान करती है । जागृति, बैंक में प्रत्येक कंप्यूटर मॉनीटर के डेस्क टॉप पर प्रदर्शित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में कर्मचारियों के जागरूकता स्तर को बनाने और ताज़ा करने की एक पहल है ।	
2) पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों को संतोषजनक ढंग से हल किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में उपलब्ध कराएं।	हमें डिजिटल सेवाओं (एटीएम से संबंधित के अलावा) और गैर-डिजिटल लेनदेन में 89606 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 99% शिकायतों का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के साथ किया गया था ।	हितधारकों की शिकायतें
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	1366	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	89606	23
वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की	90065	23
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	907	0
% शिकायतों का समाधान किया गया	99%	100%

सिद्धान्त 2:

व्यवसाय को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान दें ।

1. अपने अधिकतम 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकार, जोखिम और/या अवसर शामिल हैं ।	बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है जिनमें सामाजिक सरोकार और अवसर शामिल हैं: **वित्तीय साक्षरता** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 23 स्थानों पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों (स्नेहा) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाती है । इन केंद्रों के सलाहकार ग्रामीण

	All suppliers / contractors / bidders are required to execute a Pre Contract Integrity Pact to commit to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it. Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has therefore voluntarily adopted the Code of Banks' Commitments to Customers-January 2014 and Code of Commitment to Micro and Small enterprises – August 2015 as its Fair Practice Code in dealings with its customers. Complete copy of the Code is available at www.iob.in **"Citizens' Charter"** provides key information of various facilities/ services provided to customers in the branches of the Bank. The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers. The Bank has a Whistle Blower Policy in place. **IOB Vigil:** A quarterly in-house news letter to spread vigilance awareness was launched during June 2013. **Action against Third Party Entities:** Bank publishes on its intranet website the list of banned third party entities viz., Chartered Accountants, Valuers and Lawyers. **Vigilance Awareness Week (VAW)** CVC the apex integrity institution of the country endeavors to promote integrity transparency and accountability in public life, observes Vigilance Awareness Week every year as part of the multi-pronged approach. As per the directions of CVC in our Bank VAW observed from 27th October to 2nd November, 2020 with the theme **"Integrity –a way of Life.** Introduction of Online E-Integrity Pledge – through a new initiative of E-Integrity Pledge process of obtaining Integrity Pledge was integrated with Core Banking Solutions of the Bank facilitating collecting the required data of the customer who is taking integrity pledge directly from the CBS. Jagrithi, an initiative to create and refresh the awareness levels of the staff in various sensitive areas through objective type questions displayed on desk top of every computer monitor in the bank.

2) How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	We have received 89606 Customer Complaints in Digital services (other than ATM related) and Non-digital transactions out of which 99% of the complaints were resolved to the satisfaction of the customers.	Shareholder Complaints
No. of complaints pending at the beginning of the year	1366	0
No. of complaints received during the year	89606	23
No. of complaints redressed during the year	90065	23
No. of complaints pending during the year	907	0
% age of complaints resolved	99%	100%

Principle 2: Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	Bank offers the following financial services which have incorporated social concerns and opportunities: **Financial Literacy** Financial Literacy is imparted through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 23 locations under Corporate Social Responsibility. The counsellors of these centers are educating the people in rural and urban areas with regard to various financial products

	और शहरी क्षेत्रों के लोगों को औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में शिक्षित कर रहे हैं, आमने-सामने वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं और ऋणी व्यक्तियों को ऋण परामर्श प्रदान करते हैं । वे विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर शिविर भी लगा रहे हैं । 31 मार्च 2021 तक, एफएलसी द्वारा स्थापना के बाद से 74,102 क्रेडिट परामर्श प्रदान किए गए हैं । स्थापना के बाद से बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर 11,445 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए । स्थापना के बाद से 96,636 एसबी खाते खोले गए हैं । 1,47,208 लाभार्थियों को कवर करके वित्तीय प्रणाली में शामिल नए लोगों के लिए 1,295 विशेष शिविर आयोजित किए गए । लक्षित समूह यथा एसएचजी, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, किसान और सूक्ष्म और लघु उधायमियों के लिए 1,834 शिविर आयोजित किए गए जिनके तहत 2,28,307 लाभार्थियों को कवर किया गया । **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)** ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने कमजोर वर्गों से संबंधित किसानों, एसएचजी के सदस्यों, एसजीएसवाइ के तहत लाभार्थियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सभी प्रमुख जिलों में कुल 12 आरसेटी की स्थापना की थी । आरसेटी का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित स्नेहा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरसेटी ने 5550 प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के मुकाबले 5775 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है । बैंक ने 70% का संचयी निपटान और 52% का संचयी ऋण निपटान हासिल किया है जो क्रमशः 68% और 43% के राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है ।
2. प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में उत्पाद का प्रति इकाई (ऐच्छिक) प्रदान किया जाता है: i) सोर्सिंग/ उत्पादन/ वितरण पिछले वर्ष के दौरान मूल्य श्रृंखला से कटौती की गई? ii) उपभोक्ताओं (ऊर्जा पानी) द्वारा उपयोग के दौरान कटौती पिछले वर्ष से हासिल की गई है?	लागू नही लागू नही
3. क्या टिकाऊ सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कंपनी की कार्यवाही हो रही है । i) यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत किसने स्थिरता को सोर्स किया था ? इसके बारे में 50 शब्दों में भी विवरण प्रदान करें ।	लागू नही लागू नही सभी वित्तीय उत्पाद है जिनका उद्देश्य संपूर्ण परिचालानात्मक क्षेत्र प्राप्त करना है।
4. क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाए हैं, जिनमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं ? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	नहीं लागू नही
5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट रीसायकल करने के लिए एक तंत्र है? यदि हां तो उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग का प्रतिशत क्या है ? (अलग से <5%, 5% -10%) । इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें।	लागू नही

सिद्धांत 3: व्यापार को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें	निदेशक रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.03.2021 तक – 23,579

	and services available from formal financial institutions, provide face-to-face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places. As on 31st March 2021, 74,102 credit counselling have been conducted by the FLCs since inception. 11,445 Financial Literacy camps were conducted on various aspects of Banking since inception. 96,636 SB accounts have been sourced and opened since inception. 1,295 Special camps for newly included people in the financial system were conducted by covering 1,47,208 beneficiaries. 1,834 camps were conducted for the target group viz. SHGs, Students, Senior Citizens, Farmers and Micro & small entrepreneurs by covering 2,28,307 beneficiaries. **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)** In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Govt of India, the Bank had set up total 12 RSETIs in all Lead Districts, to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, educated unemployed youths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. The RSETIs are managed by SNEHA Trust established by the Bank. During the year under review, the RSETIs have trained 5775 candidates as against the target of 5550 trainees. Bank has achieved cumulative settlement of 70% and cumulative credit settlement of 52% which are well above the national average of 68% and 43% respectively.

2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	NA NA
3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NA NA All are financial products aiming to reach the entire operational area.
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	No Not Applicable
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Not applicable.

Principle 3: Business should promote the well-being of all employees.

1.Please indicate the total number of employees	23,579 – as on 31.03.2021 as per Director’s Report

<table>
<tr><td>2. कृपया अस्थायी/ संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर कर्मचारियों की पूर्ण संख्या इंगित करें</td><td colspan="5">शून्य</td></tr>
<tr><td>3.कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें</td><td colspan="5">निदेशक रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.03.2021 तक – 8320</td></tr>
<tr><td>4. स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या इंगित करें</td><td colspan="5">निदेशक रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.03.2021 तक – 519</td></tr>
<tr><td>5. क्या आपके पास एक कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?</td><td colspan="5">हाँ
कर्मचारियों के लिए – ऑल इण्डिया ओवरसीज़ बैंक एम्प्लॉयी यूनियन
अधिकारियों के लिए –इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ</td></tr>
<tr><td>6. आपके कितने प्रतिशत कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य है?</td><td colspan="5">कर्मचारी – ऑल इण्डिया ओवरसीज़ बैंक एम्प्लॉयी यूनियन – 90.80%
अधिकारी – इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ – 99.20%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7. कृपया वित्तीय वर्ष के अंत में बाल मज़दूरी, जबरन मज़दूरी, अनैच्छिक मज़दूरी, पिछले वित्तीय वर्ष में यौन उत्पीड़न और लंबित शिकायतों की संख्या इंगित करें।</td><td>क्र. सं.</td><td>प्रवर्ग</td><td>वित्तीय वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या</td><td>वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज़ शिकायतों की संख्या</td><td>वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या</td></tr>
<tr><td>1</td><td>बाल मजदूरी/जबरन श्रम/ अनैच्छिक मज़दूरी।</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2</td><td>यौन उत्पीड़न</td><td>2</td><td>2</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>भेदभावपूर्ण रोजगार</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8. उल्लिखित कर्मचारियों का कितने प्रतिशत सदस्यों को पिछले वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?</td><td colspan="2">स्थायी कर्मचारी</td><td colspan="3">52.97% - (12491/23579 – बिना दोहराए आंतरिक एवं बाहरी दोनों सहित कुल 12491 को प्रशिक्षित किया गया)
(कोविड महामारी के मद्देनजर, बैंक वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में कोई प्रशिक्षण का आयोजन नहीं कर सका । आगे, भौतिक प्रशिक्षणों पर लगे प्रतिबंध के कारण, अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सभी प्रशिक्षण ऑनलाइन / वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था ।</td></tr>
<tr><td colspan="2">स्थायी महिला कर्मचारी</td><td colspan="3">53.40% - (4443/8319 – बिना दोहराए आंतरिक एवं बाहरी दोनों सहित कुल 4443 को प्रशिक्षित किया गया; कुल महिला कर्मचारी – 8319)</td></tr>
<tr><td colspan="2">आकस्मिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी</td><td colspan="3">कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया ।</td></tr>
<tr><td colspan="2">विकलांग कर्मचारी</td><td colspan="3">47.01% - (244/519 – बिना दोहराए आंतरिक एवं बाहरी दोनों सहित कुल 244 विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों में को प्रशिक्षित किया गया; कुल विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों – 519)</td></tr>
<tr><td colspan="6">खुदरा और एसएमई क्षेत्र के अग्रिमों में अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली के लिए बैंक ने दृष्टिबाधित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करना जारी रखा है । एसएमए-1 और 2 खातों की पूरी सूची इन सदस्यों को प्रदान की जाती है जो संपर्क करने और पुनर्प्राप्ति के लिए सॉफ़्टवेयर (जेएडब्ल्यूएस) का उपयोग करते हैं । यह पहल सुनिश्चित करती है कि दृष्टिबाधित कर्मचारियों का संगठन द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है और मनोबल बढ़ाने में भी मदद किया जाता है ।</td></tr>
</table>

2.Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis	Nil
3. Please indicate the number of permanent women employees	8320 - as on 31.03.2021 as per Director's Report
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	519 - as on 31.03.2021 as per Director's Report
5. Do you have an employee association that is recognized by the management	Yes Workmen – All India Overseas Bank Employees Union Officers – Indian Overseas Bank Officers Association
6. What is the percentage of your employees is members of this recognized employees association	Workmen – All India Overseas Bank Employees Union – 90.80% Officers – Indian Overseas Bank Officers Association – 99.20%

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year

Sr. No.	Category	No. of complaints pending as on the start of the financial year	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of the financial year
1	Child Labour/ forced labour/ involuntary labour	Nil	Nil	Nil
2	Sexual Harassment	2	2	Nil
3	Discriminatory Employment	Nil	Nil	Nil

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Permanent employees	52.97% - (12491/23579 – count of 12491 trained includes both Internal & External without duplicates) (In view of Covid pandemic, Bank could not conduct any trainings in Q1 of FY 2020-21. Further, due to restrictions on physical trainings, all trainings are conducted in online / virtual mode only, considering safety of our employees).
Permanent women employees	53.40% - (4443/8319 – count of 4443 trained women employees includes both Internal & External without duplicates; 8319 – total women employees)
Casual/ Temporary/ Contractual employees	No Training given
Employees with disabilities	47.01% - (244/519 – count of 244 trained employees with disabilities includes both Internal & External without duplicates; 519 – total employees with disabilities)

Bank is continuing to utilize the services of visually impaired staff for follow up and recovery in Retail and SME sector advances. The entire list of SMA-1 & 2 accounts is provided to these members who use the software (JAWS) to contact and follow up for recovery. This initiative ensures that visually impaired staff are utilized effectively by the organization and also helps to build up morale.

सिद्धांत 4 : व्यापार हितकरों और सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, खासतौर पर वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं ।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को मैप किया है ? हाँ / नहीं	शेयरधारकों को विभिन्न श्रेणियों जैसे सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड, बैंक, व्यक्तियों आदि में वर्गीकृत किया जाता है । ग्राहकों को बड़े कार्पोरेट, मध्य कार्पोरेट, छोटे और माध्यम उद्यमों और खुदरा ग्राहकों में विभाजित किया जाता है । मानव संसाधन विभाग बैंक के कर्मचारियों के हितों की देखभाल करता है ।
2. उपर्युक्त उपभोक्ता में से, कमजोर और हाशिये वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है ? यदि हाँ, विवरण प्रदान करें ।	हाँ बैंक ने वंचित, कमजोर और हाशिये वाले हितधारकों की पहचान की है जिनमें छोटे और सीमांत किसान, किरायेदार और पट्टे पर लिए गए किसान, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण महिला शामिल है । उन्हें क्रेडिट कार्ड, कृषि आभूषण ऋण, स्वयं सहायता समूह, प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) आदि जैसी विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाती है । पदोन्नति हेतु पात्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडी जातियों के स्टाफ सदस्यों के लिए प्री प्रमोशन ट्रेनिंग बैंक के विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित की गई थी । 12,287 कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण दिया गया था । प्रशिक्षित कुल कर्मचारियों में से 2,411 अनुसूचित जाति (अ.जा.) और 1,192 अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबन्धित थे ।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिये वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है ? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें ।	**प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)** बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार पीएमजेडीवाई का कार्यान्वयन किया । यह योजना भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था । बैंक द्वारा कुल 52,76,992 बीएसबीडी खाते खोले गए है, जिसमें से 42,30,678 खाते सक्रिय हैं । हमने 31 मार्च 2021 तक सक्रिय खातों में 38,81,642 रूपे डेबिट कार्ड जारी किया है और इस योजना के तहत सक्रिय पीएमजेडीवाई सक्रिय खातों के 29,98,874 कार्ड (77.6%) सक्रिय हैं । **वित्तीय समावेशन** भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार, बैंक ने गावों तक न पहुँचे हुए लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 2,739 कारोबार संवादियों की नियुक्ति किया है । बैंक ने ग्राहकों को पीएमजेजेबीवाइ, पीएमएसबीवाइ जैसी जनसुरक्षा योजना के तहत और पेंशन योजना यथा अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन किया है । **आधार नामांकन केंद्र** यूआईडीएआइ के दिशानिर्देश के तहत, बैंक ने अपने प्रशिक्षित और प्रमाणित स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति और अपने स्वयं के कौशल के माध्यम से आधार नामांकन केंद्र स्थापित किया है ।

सिद्धान्त 5: व्यवसायों में मानव अधिकारों का सम्मान तथा प्रचार होना चाहिए ।

1. क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्ति कर्ताओं / ठेकेदारों / गैर सरकारी संगठनों / अन्य लोगों तक पहुँचती है?	बैंक की नीतियाँ और प्रधाएं किसी भी नस्ल, धर्म, वैवाहिक स्थिति लिंग, सामाजिक स्थितियाँ, किसी भी अन्य आधार पर कानून के निषिद्ध आधार पर भेदभाव नहीं करती है । बैंक के सभी कार्यालयों / शाखाओं में अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों की निगरानी और संबंध बनाए रखा जा सके तथा समय – समय पर अनुशासन को लागू करने, नीतियों का पालन आदि करने के संबंध में परिपत्र / विवाद भी उत्पन्न होता है, विभाग उचित रूप से सदस्यों के बीच समझौता / परामर्श द्वारा सुलझाता हा या निपटारे की शर्तों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा नियम प्रभावित करता है जो औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए हो । कर्मचारी सदस्यों के आईआर मामलों से संबन्धित शिकायतों / मामलों के संबंध में जहां भी आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने हेतु व बैंक के अनुशासन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों को बनाए रखने के लिए गड़बड़ करने वाले सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई थी । एचआरएमडी – आइआर अनुभाग, केंद्रीय कार्यालय ने यूनियनों / एशोसिएशनों के साथ द्विपक्षीय समझौते के साथ कर्मचारियों / अधिकारियों के शिकायतों का निवारण करने के लिए और पंचाट स्टाफ के लिए पदोन्नति, स्थानान्तरण, लाभ इत्यादि के संबंध में मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ समझौता किए थे ।

Principle 4 : Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ no	Shareholders are classified into different categories viz., Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks, individuals, etc. Customers are segmented into large corporate, mid-corporate, Small and Medium Enterprises and Retail customers. Human Resource Department looks after the interest of the Bank's employees.
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders	Yes Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stake holders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kissan Credit Card, Agri Jewel Loan, Self Help Groups, Prime Ministers Jan Dhan Yojana (PMJDY), etc. Pre Promotion Training for SC/ST/OBC and Persons with Permanent Disability (PWD) staff members who are eligible for promotion was conducted at various Staff Training Centers of the Bank. Internal training was imparted to 12,287 Staff. Of the total staff trained 2,411 belonged to Scheduled Caste (SC) and 1,192 belonged to Scheduled Tribe (ST).
3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof.	**Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY)** The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 52,76,992 BSBD Accounts out of which 42,30,678 are operative accounts. We have issued 38,81,642 RuPay Debit Cards in operative accounts till 31st March 2021 and activated 29,98,874 cards (77.6%) in the operative PMJDY accounts under this scheme. **Financial Inclusion** Bank has engaged 2,739 Business Correspondents as per the guidelines of Reserve Bank of India for providing banking facilities in un-banked villages. The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes like PMJJBY, PMSBY and Pension schemes like Atal Pension Yojana. **Aadhaar Enrollment Centres** Subject to the UIDAI guidelines, the Bank has established Aadhaar Enrollment Centres by engaging our trained and certified staff members and by deploying our own kits.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ suppliers/Contractors/ NGOs/Others?	The Bank's policies and practices do not discriminate on the basis of race, religion, marital status, gender, social status or any other basis prohibited by law. In order to monitor and maintain good industrial relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed, etc. Wherever dispute arises between the Employer & Employee and among Employees, the department amicably settles by conciliation/counseling members or initiates disciplinary proceedings, if required, according to the terms of the settlement and regulations in force to maintain industrial harmony. With regard to complaints/matters pertaining to IR matters committed by staff members, disciplinary action, wherever necessary, had been initiated against erring members to maintain discipline and harmonious industrial relations in the Bank. HRMD-IR Section, Central Office had entered into settlement with the recognized union for award staff regarding promotion, transfer, benefits, etc. to redress the grievances of employees/Officers through collective bargaining with Unions/Associations..

	औद्योगिक संबंध वाले वातावरण संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक को सौहार्दपूर्ण और अनुकूल बनाए रखना है । कर्मचारी मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी दिशानिर्देश हमारे कर्मचारियों के लिए परिपत्र जारी करके त्वरित रूप में लागू किए जाते हैं । कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार तथा एचआरएमडी – आइआर अनुभाग के तहत सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केंद्रीय, अंचल व क्षेत्रीय कार्यालय) में आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है । समिति की संस्तुति के अनुसार, शिकायत के निवारण हेतु उचित कार्रवाई की जाती है ।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें मिली हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत को संतोषजनक ढंग से हल किया गया था ?	वर्ष 20202-2021 के दौरान कर्मचारियों के शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है: 31.03.2020 तक लंबित शिकायत – शून्य 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायत – 23 2020-21 के दौरान निपटाए गए शिकायत – 23 31.03.2021 तक लंबित शिकायत

सिद्धान्त 6 : कारोबार द्वारा पर्यावरण को सम्मान व सुरक्षा प्रदान करने के साथ- साथ उसे पुनर्जीवित करने के भी प्रयास करने चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य तक विस्तारित है।	लागू नहीं
2. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए रणनीति/पहल है? हाँ या ना । यदि हां, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें	पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण को रोकने के लिए बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए हैं: राष्ट्रीय लक्ष्यों और सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के संदर्भ में, बैंक सामाजिक बुनियादी ढांचे (स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, पेयजल सुविधाओं, घरेलू जल स्तर में सुधार सहित स्वच्छता सुविधाओं) और नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा आधारित बिजली जनरेटर, पवन चक्की, सूक्ष्म जल विद्त संयंत्र और गैर पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं ,स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और दूरदराज के ग्रामीण विद्तीकरण जैसे क्षेत्रों के लिए जोखिम बढ़ाने का प्रयास करता है| । बैंक अपने परिसर में भी हरियाली बढ़ाने हेतु सार्थक कदम उठा रहा है । **डिजिटल पहल के माध्यम से कागज की खपत को कम करने के उपाय:** • हरित पहल के मद्देनज़र बैंक पेपरलेस बैंकिंग की ओर बढ़ रहा है जिससे लागत में कमी होने के साथ-साथ समय की भी बचत होगी। • **मोबाइल बैंकिंग** वर्ष 2009 में शुरु किया गया ग्राहक हित व उन्नत सुविधाओं के साथ इसका नया संस्करण 2020 में जारी किया गया उत्पाद में सभी उन्नत सुविधाएं हैं जैसे कि • शाखा में आए बिना स्व-पंजीकरण • अधिक सुरक्षा और पहुंच के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके लॉगिन करें • विवरण देखने और डाउनलोड करने के लिए एमपासबुक सुविधा उपलब्ध है • आवाज सहायता सुविधा • जमा खोलना, उनका नवीनीकरण, समय पूर्व समाप्ति और उन्हें बंद करना • भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) एकीकरण. • पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई बीमा पंजीकरण • बाद में भुगतान/स्थायी निर्देश सुविधा • 10 क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन 31.03.2021 तक किए गए पंजीकरणों की संख्या 36.26 लाख है ।

	The industrial relations environment for the Bank remained cordial and conducive for achieving organization's objectives. The guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees. Internal complaints committees were constituted at all Administrative offices (Central, Zonal & Regional Office) under the instruction of HRMD-IR Section, as per the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. As per the recommendation of the Committees, appropriate action has been taken to redress the grievances
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	The following are the details of employee complaints during the year 2020 – 2021: Complaints pending as on 31.03.2020 - Nil Complaints received during 2020-21 - 23 Complaints disposed during 2020-21 - 23 Complaints pending as on 31.03.2021

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	NA
2. Does the Company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc	Bank has initiated certain important measures to protect the environment and prevent pollution : In terms of national goals and socio-economic objectives, Bank endeavors to increase exposure to sectors such as social infrastructure (schools, health care facilities, drinking water facilities, sanitation facilities including house hold water level improvement) and renewable energy, ie., for purposes such as solar based power generators, wind mills, micro hydel plants and for non-conventional energy based public utilities, viz., street lighting systems and remote village electrification. The Bank is also taking steps to increase green cover in Bank's premises. **Measures to reduce consumption of paper through Digital Initiatives :** • As a part of Green Initiative, the Bank is moving towards paperless banking, which will reduce the cost as well as save time. • **MOBILE BANKING** Launched in the year 2009 New version with customer friendly and enhanced features released in 2020 Product has all the advanced features such as o Self-registration without visiting branch o Login using Biometric authentication for enhanced security and access o mPassbook facility available to view and download statements o Voice assistance facility o Deposit opening , renewal, pre-closure and closure o Bharat Bill Payment System (BBPS) integration. o PMJJBY/PMSBY insurance enrolment o Pay Later/Standing Instructions facility o Mobile Banking application in 10 regional languages Number of registrations made till 31.03.2021 are 36.26 lakhs

	• **भीम आइओबी यूपीआई** वर्ष 2016 से पेश किया गया बचत या चालू खाते को लिंक करके, ग्राहक निम्न सुविधा प्राप्त कर सकते हैं i. वीपीए, खाता संख्या और आईएफएससी कोड, क्यूआर कोड का उपयोग करके पैसे भेजना ii. प्रेषक वीपीए का उपयोग करके धन प्राप्त करना अधिक सुरक्षा हेतु प्रत्येक खाते के लिए अलग 6 अंकों के अलग पिन की सुविधा की शुरुआत की गई । एक बारगी अधिदेश का सृजन व एएसबीए की सुविधाएँ 31.03.2021 तक किए गए पंजीकरणों की संख्या 39.64 लाख है । • **इंटरनेट बैंकिंग** इन-हॉउस विकसित सॉफ्टवेयर को वर्ष 2003 में पेश किया गया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं -बैलेंस पूछताछ, लेनदेन विवरण, एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस आदि का उपयोग करके फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन टैक्स और उपयोगिता भुगतान बिल भुगतान, आईपीओ, प्रीपेड कार्ड का टॉप अप और क्रेडिट कार्ड भुगतान । इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है । 31.03.2021 तक कुल 22.16 लाख पंजीकरण हुए हैं । • **डेबिट कार्ड** वीज़ा , रुपे और मास्टर कार्ड के तहत विभिन्न प्रकार के (गोल्ड , प्लैटिनम व सिग्नेचर) कार्ड जारी किए जाते हैं। ग्राहकों को इंस्टा व पर्सनलाइज़्ड कार्ड जारी किए जाते हैं । डेबिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन (कागजीकृत पिन के स्थान पर) की शुरुआत की गई । कार्डधारकों को बैंक की वेबसाइट , इंटरनेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने की सुविधा प्रदान की गई है । कार्ड धारकों को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पीओएस/एटीएम/ईकॉम लेनदेन/संपर्क रहित लेनदेन पर सभी प्रकार के लेनदेन - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय के लिए कार्ड को चालू/बंद करने और लेनदेन सीमा, यदि कोई हो, सेट/संशोधित करने का विकल्प दिया गया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) को रुपे श्रेणी में पेश किया गया है जिसका उपयोग संपर्क रहित लेनदेन के लिए भी किया जा सकता है। • **एटीएम/ कैश रिसाइकलर /पासबुक कियोस्क का प्रबंधन** आइओबी के पास 31.03.2021 तक 3145 मशीनें थीं, जिनमें से 1927 एटीएम हैं और 1218 कैश रिसाइकलर हैं। कुल 3145 मशीनों में से 2720 ऑनसाइट हैं और 425 ऑफसाइट हैं| कुल 3129 मशीनों में से 2700 शाखा प्रबंधित (सीएपीईएक्स मॉडल) हैं और 445 विक्रेता प्रबंधित (ओपीईएक्स मॉडल) हैं। बैंक के पास चार वेंडरों के 2109 पासबुक कियोस्क हैं जो पूरे भारत में कार्यरत हैं। • **बैंक ऑन व्हील्स** ईज़ (एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस) के तहत बैंक की प्रतिबद्धता के मद्देनज़र हमारे बैंक ने आंध्र प्रदेश के एक जिले विजयवाड़ा के अलावा तमिलनाडु के 13 जिलों और केरल के एक जिले में "बैंक ऑन व्हील्स" (मोबाइल एटीएम) की शुरुआत की है जहां आइओबी अग्रणी बैंक है। प्रत्येक बैंक ऑन व्हील में बैंक के विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए एक कैश डिस्पेंसर, एक पासबुक कियोस्क और 55 इंच एलईडी स्क्रीन उपलब्ध है। इन स्क्रीन का उपयोग आम जनता को वित्तीय समावेशन संदेश देने या कोई शिक्षाप्रद श्रृंखला दिखाने के लिए भी किया जाता है। बैंक की योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए वाहन में एक कारोबार संवादी भी मौजूद होगा।

	• **BHIM IOB UPI** Introduced from the year 2016 By Linking Savings or Current account, customer can c. Send money using VPA, A/c No and IFSC Code, QR Code d. Collect money using remitters VPA Introduced separate 6 digit PIN for each account for enhanced security. Has the facilities of One Time mandate creation and ASBA Number of registrations made till 31.03.2021 are 39.64 lakhs • **INTERNET BANKING** The software developed in house introduced in the year 2003 Some of features are Balance Enquiry, Transaction details, Funds Transfer using NEFT/RTGS/IMPS etc, Online Tax and Utility Payments Bill Payments, IPOs, Top Up of Prepaid Cards and Credit Card Payments Internet Banking application in 10 regional languages Total registrations till 31.03.2021 are 22.16 lakhs • **DEBIT CARDS** Cards are issued in different flavours (Gold, Platinum and Signature) under VISA, Rupay and Master Card Both Insta and Personalized cards are issued to customers Green Pin (in place of Paper pin) for Debit Cards introduced. Facility has been provided to card holders for blocking Debit Cards through Bank Web Site, Internet Banking and Mobile Banking. Option given to card holders to switch ON/Off and set/modify transaction limit, if any, for all types of transactions - Domestic and International, at POS/ATMs/Ecom transactions/contactless transactions through Internet banking and Mobile banking. National Common Mobility Card (NCMC) introduced in RUPAY category which can also be used for contactless transactions. • **Management of ATMs/Cash Recyclers/Passbook Kiosks** IOB is having 3145 machines as on 31.03.2021 of which 1927 are ATMs and 1218 are Cash Recyclers. Of the total 3145 machines 2720 are Onsite and 425 are Offsite Out of total 3129 machines, 2700 are Branch Managed (CAPEX model) and 445 are vendor managed (OPEX model) Bank is having 2109 Passbook Kiosks belonging to four vendors, functioning PAN INDIA • **Bank on Wheels** As part of Bank's Commitment under EASE (Enhanced Access and Service Excellence), Our Bank has launched "Bank on Wheels" (Mobile ATMs) in 13 districts of Tamil Nadu and one district of Kerala where IOB is the Lead Bank besides one district in Andhra Pradesh (Vijayawada) Each Bank on Wheel is equipped with one Cash Dispenser, one Passbook Kiosk and 55" LED Screens for marketing of various products of the Bank. These Screens are also utilized for delivering Financial Inclusion messages or any educative series to the general public. A Business Correspondent will also available in the vehicle to popularise the bank schemes.

	• **आरटीजीएस / एनईएफटी** ग्राहक और अंतर बैंक लेनदेन के लिए उपलब्ध ग्राहक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एनई-एफटी और आरटीजीएस का लाभ उठा सकते हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस चैनल 24 X 7 कार्यरत हैं । • **आइओबी पे** इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई इन हॉउस विकसित और एग्रीगेटर्स के साथ एकीकृत यह उत्पाद एक एकीकृत ऑन लाइन भुगतान है जो शुल्क भुगतान, व्यापारी भुगतान, दान, इत्यादि की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही यह व्यापारियों द्वारा भुगतान एकत्र करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है । मर्चेंट वेब साइट के साथ या उसके बिना विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए ऑनलाइन भुगतान सक्षम करने के लिए लक्षित। 470 संस्थान आइओबी पे के तहत पंजीकृत हैं ।
3.क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान व मूल्यांकन करती है ? हाँ या नहीं	हाँ
4. क्या कंपनी के पास स्पष्ट विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि हाँ तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे अधिक में विवरण प्रदान करें । साथ ही , यदि हाँ है तो तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन दायर किया गया है ?	लागू नहीं
5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है। हाँ या नहीं | यदि हाँ, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें|	जी हाँ , कुछ पहल की गई हैं जो कि निम्नवत हैं : क. बैंक में ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों के इस्तेमाल की शुरुआत की गई । ख. हमारे सभी परिसरों में ऊर्जा बचाने के लिए 5 स्टार रेटेड विद्त उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ग. पतले मॉनिटर लगाए गए हैं। घ. कर्मचारियों को उपयोग में न होने पर बिजली के उपकरणों/उपकरणों को बंद करने के लिए निर्देश दिया गया है। जहां तक संभव हो, बैंक हाई-एंड इको-फ्रेंडली तकनीक का उपयोग कर रहा है।
6. क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्स-र्जन/अपशिष्ट के संबंध में रिपोर्ट किया जा रहा है?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो लंबित (अर्थात जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ) हैं?	शून्य

सिद्धान्त 7- जब कोई कारोबार आम जनता व विनियामक नीति को प्रभावित करता है तो उसे जिम्मेदार रूप में किया जाना है ।

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या एसोसिएशन का सदस्य है? यदि हां, तो केवल उन्हीं प्रमुख कंपनियों के नाम बताएं जिनसे आपका कारोबार संबंधित है:	बैंक निम्नलिखित का सदस्य / से संबंधित है : 1. भारतीय बैंक संघ (आइबीए) 2. भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आइआइएफबी) 3. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) 4. राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) 5. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) 6. सेंटर पॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएएफआरएएल) 7. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) 8. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआई) 9. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) 10. स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशंस सेमिनार (एसआइबीओएस)

	• **RTGS/NEFT** Available for Customer and Inter Bank transactions Customers can avail NEFT channels through Mobile Banking and NEFT and RTGS through Internet Banking. NEFT & RTGS channels functioning 24 X 7 • **IOB PAY** Introduced in the year 2017 Developed in house and integrated with Aggregators The product is an integrated on line payment which offers fee payments, merchant payments, donations. An easy and effective way of collecting payments by the merchants. Targeted to enable Online Payments for different type of merchants with or without merchant web site. 470 Institutions have been registered in IOB Pay.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Not applicable.
5. Has the company undertaken any other initiative on clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc	Yes. Some of the initiatives taken are as follows: a. Energy efficient LED light fixtures have been introduced in the Bank b. 5 Star rated electrical equipment's are used to save energy at all our premises. c. Thin Monitors are introduced. d. Staff are sensitized to switch off electrical gadgets / appliances when not in use As far as possible, the bank is using high-end eco-friendly technology.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with::	Bank is a member/ associated with the following: 1. Indian Banks Association (IBA) 2. Indian Institute of Banking & Finance (IIFB) 3. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) 4. National Institute of Bank Management (NIBM) 5. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) 6. Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL) 7. National Payments Corporation of India (NPCI) 8. The Clearing Corporation of India Ltd (CCI) 9. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) 10. Swift International Banking Operations Seminar (SIBOS)

2. क्या आपने सार्वजनिक भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत /पैरवी की है? हाँ नही; यदि हां, तो क्षेत्र निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)।	बैंक ने समय-समय पर बैंकिंग उद्योग से संबंधित मामलों पर नीति निर्माताओं और नीति-निर्माण संघों को अपना सुझाव/योगदान दिया है।

सिद्धांत 8 कारोबारों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए

1. क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हाँ तो उसका विवरण दें	**वित्तीय समावेशन** हमारे बैंक ने व्यतिगत बीसी मॉडल के तहत 2,739 कारोबार संवादियों को नियुक्त किया है। आवंटित एसएसए में 2,572 बीसी और गैर-आवंटित एसएसए में 126 बीसी और शहरी क्षेत्रों में 41 बीसी तैनात हैं। कारोबार संवादी छोटे मूल्य की जमाराशियों के संग्रह, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई जैसी जन सुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों का पंजीकरण , माइक्रो पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत पंजीकरण, सौंपे जाने की स्थिति में ऋण खातों में वसूली सहित एनपीए/एसएमए खातों में वसूली, आधार सीडिंग, तीसरे पक्ष की जमा राशि और आरडी किस्त, नकद भुगतान और रसीदें, निधि अंतरण आदि कार्य कर रहे हैं । यह उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार के समंवय में आइओबी स्मार्ट कार्ड बैंकिंग द्वारा लगभग 3.30 लाख वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को उनकी मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है और 61 शिविरों में रह रहे लगभग 0.25 लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को उनके दरवाजे पर मासिक सहायता पहुँचाई जा रही है। 1 अक्टूबर 2018 को, हमारे बैंक ने चयनित शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग शुरूआत की है।
	प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई): वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई की शुरुआत की गई । इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। बैंक ने 52,76,992 बीएसबीडी खाते खोले हैं, जिनमें से 42,30,678 परिचालन में हैं। हमने 31 मार्च 2021 तक ऑपरेटिव खातों में 38,81,642 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं और ऑपरेटिव पीएमजेडीवाई खातों में 29,98,874 कार्ड (77.6%) सक्रिय किए हैं।
2. क्या कार्यक्रम / परियोजनाएं इन –हॉउस टीम / स्वयं के फाउंडेशन / बाहरी एनजीओ / सरकारी संरचनाओं/ किसी अन्य संस्थान के माध्यम से की जाती है ?	वित्तीय समावेशन कार्यक्रम इन-हाउस टीम के साथ-साथ बैंक द्वारा नियुक्त किए गए कारोबार संवादियों के माध्यम से किया जा रहा है।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है। यदि हां, तो उसका विवरण दें।	**प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई की शुरुआत की गई । इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। बैंक ने 52,76,992 बीएसबीडी खाते खोले हैं, जिनमें से 42,30,678 परिचालन में हैं। हमने 31 मार्च 2021 तक ऑपरेटिव खातों में 38,81,642 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं और ऑपरेटिव पीएमजेडीवाई खातों में 29,98,874 कार्ड (77.6%) सक्रिय किए हैं। **वित्तीय समावेशन** बैंक ने बैंकिंग सुविधा रहित गांवों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2,739 कारोबार संवादियों को नियुक्त किया है। बैंक द्वारा जन सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और पेंशन योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों का पंजीकरण किया जा रहा है। **आधार नामांकन केंद्र** यूआईडीएआई के दिशा-निर्देशों के अधीन बैंक ने आधार नामांकन केंद्र की स्थापना अपने किट का प्रयोग करते हुए की है साथ ही वहाँ अपने प्रशिक्षित और प्रमाणित स्टाफ सदस्यों को नियुक्त किया है ।

2. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)..	The Bank from time to time has given suggestions / contribution to policymakers and policy-making associations on matters relating to banking industry.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes / initiatives / projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof	**Financial Inclusion** Our Bank has engaged 2,739 Business Correspondents under Individual BC model. 2,572 BCs are deployed in allotted SSAs &126 BCs in un-allotted SSA and 41 BCs in Urban areas. BCs are engaged in collection of small value deposits, enrolment of customers under JanSuraksha Schemes like PMJJBY and PMSBY, enrolment under Micro Pension Scheme (APY), recovery in loan accounts including recovery in NPA/SMA accounts on assignment, Aadhaar seeding, third party deposits and RD instalment, Cash Payment and Receipts, Funds transfer etc It is noteworthy to state that in coordination with Government of Tamil Nadu, IOB Smart Card Banking has been enabling about 3.30 lakh old age pensioners to get their monthly pension and about 0.25 lakh Sri Lankan Tamil Refugees in 61 camps to obtain their monthly dole at their doorstep. On 1st October'2018, our Bank has launched Doorstep Banking for the Senior Citizens in the selected Branches
	Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY): The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 52,76,992 BSBD Accounts out of which 42,30,678 are operative accounts. We have issued 38,81,642 RuPay Debit Cards in operative accounts till 31st March 2021 and activated 29,98,874 cards (77.6%) in the operative PMJDY accounts under this scheme.
2. Are the programmes / projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/government structures/any other organization?	The Financial Inclusion programme has been undertaken through in-house team as well as Business Correspondents engaged by the Bank.
3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof.	**Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY)** The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 52,76,992 BSBD Accounts out of which 42,30,678 are operative accounts. We have issued 38,81,642 RuPay Debit Cards in operative accounts till 31st March 2021 and activated 29,98,874 cards (77.6%) in the operative PMJDY accounts under this scheme. **Financial Inclusion** Bank has engaged 2,739 Business Correspondents as per the guidelines of Reserve Bank of India for providing banking facilities in un-banked villages. The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes like PMJJBY, PMSBY and Pension schemes like Atal Pension Yojana. **Aadhaar Enrollment Centres** Subject to the UIDAI guidelines, the Bank has established Aadhaar Enrollment Centres by engaging our trained and certified staff members and by deploying our own kits.

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?	**योजनाएँ**	**वर्ष 2020-2021 के दौरान पंजीकरण की स्थिति**	**को 31.03.2021 पंजीकरण की (स्थिति (संचयी**	**योजनाएँ**
	पीएमजेजेबीवाई	1,42,759	12,28,764	पीएमजेजेबीवाई
	पीएमएसबीवाई	2,51,822	33,51,473	पीएमएसबीवाई
	कुल	**3,94,581**	**45,80,237**	**कुल**
4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान, राशि आईएनआर में, क्या है? इस संबंध में आरंभ की गई परियोजनाओं का विवरण प्रदान करें।	शून्य			
5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है या नहीं ? कृपया 50 शब्दों या उससे अधिक में बताएँ।	लागू नहीं			

सिद्धान्त 9: व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए

I. वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें लंबित हैं?	1.00%
2. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद की जानकारी को उत्पाद लेबल पर प्रदर्शित करती है? हां/नहीं/ लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के संबंध में किसी भी हितधारक द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है जो कि वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है? यदि हां, तो उसके ब्यौरे, शब्दों या उससे अधिक में उपलब्ध कराएं	शून्य
4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियों को अंजाम दिया?	हाँ। बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया था।

3. Have you done any impact assessment of your initiative?	**Schemes**	**Status of Enrolment during the year 2020-2021**	**Status of enrolment as on 31.03.2021 (Cumulative)**	**Schemes**
	PMJJBY	1,42,759	12,28,764	PMJJBY
	PMSBY	2,51,822	33,51,473	PMSBY
	Total	3,94,581	45,80,237	Total
4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	Nil			
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Not applicable			

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints are pending as on the end of financial year	1.00%
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No./N.A/Remarks(additional information)	Not applicable
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	Nil
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Yes. Customer satisfaction survey was conducted by the bank for the year 2020-21.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाभांश वितरण नीति

I. नीति की आवश्यकता और उद्देश्य:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 08 जुलाई 2016 को सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 (एलओडीआर) में विनियमन 43 ए अंतर्निविष्ट किया है, जिसे लाभांश वितरण नीति तैयार करने के लिए बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध संस्थाओं की आवश्यकता होती है, (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को संगणित), जो उनकी वार्षिक रिपोर्टों और उनकी वेबसाइटों पर प्रकट की जाएगी। लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित पैरामीटर शामिल होंगे :

(ए) परिस्थितियां जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नही कर सकते।

(बी) वित्तीय पैरामीटर जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जा सकता है ;

(सी) आंतरिक और बाह्य कारक जिन पर लाभांश की घोषणा करने के लिए विचार किया जा सकता है;

(डी) नीति जिसके तहत धारित आय को कैसे उपयोग में लाया जाए; और

(इ) पैरामीटर जो शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में अपनाए जाएंगे:

बशर्ते कि सूचीबद्ध इकाई खंड (ए) से (ई) के अतिरिक्त पैरामीटर के आधार पर लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव रखती है या ऐसे पैरामीटर में शामिल ऐसे अतिरिक्त पैरामीटर या लाभांश वितरण नीति को बदलने का प्रस्ताव करती है, तो वह ऐसे परिवर्तनों (उसके संबंध में उनके तर्क सहित) का खुलासा अपनी वार्षिक रिपोर्ट व वेबसाइट पर करेगी ।

सेबी (एलओडीआर) विनिमय के विनिमय 43ए के संबंध में, लाभांश वितरण नीति बनाना हमारे बैंक के लिए अनिवार्य है, जैसा कि बाज़ार पूँजीकरण के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2016 को हमारा बैंक शीर्ष 500 सौ सूचीबद्ध संस्थाओं के अंतर्गत आता है और हमारा शेयर बीएसइ और एनएसइ लिमिटेड में सूचीबद्ध है । तदनुसार निम्नलिखित ''लाभांश वितरण नीति'' बनाई गई है जिसे बैंक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अंगीकृत किया है।

हमारे बैंक को बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1970 के

उपक्रमों का अंतरण अधिग्रहण व प्रावधानों के तहत गठित किया गया है,जो लाभांश भुगतान के संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।

II. परिभाषा:

ए) लाभांश	लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है। सामान्य प्रावृत्ति में, `लाभांश' का मतलब बैंक का लाभ है, जिसे कारोबार में नही रखा जाता है और शेयरधारकों के बीच उनके द्वारा धारित शेयर के लिए भुगतान की गई राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है।
बी) सीआरएआर	यह बैंक की पूँजी का अपने परिसंपत्ति भारित जोखिम का अनुपात है।
सी) लाभांश देय अनुपात	`लाभांश देय अनुपात' की गणना 'वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ' के लिए एक वर्ष (लाभांश कर को छोड़कर) में देय लाभांश के प्रतिशतता की जाती है।
डी) बोर्ड	`बोर्ड' का मतलब निदेशक मंडल जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित है।

(III) नीति:

1. नीति को''आइओबी लाभांश नीति ' के 'नाम से जाना जाएगा।

2. लाभांश वितरण के संबंध में बैंक के सामान्य नियम:

बैंक का इरादा शेयरधारकों को बैंक का लाभ देकर पारितोषिक देना है, तथापि यह भी सुनिश्चित करना है कि बैंक के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि बनाई रखी गई । आम बैठक में शेयर धारकों द्वारा घोषणा के लिए और बैंक के वित्तीय प्रदर्शन, भविष्य की योजनाओं, आंतरिक एवं बाह्य कारक,वैधानिक प्रतिबंध इत्यादि को ध्यान में रखकर बोर्ड द्वारा भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत अपने विवेकाधिकार पर प्रत्येक वर्ष के लिए लाभांश की सिफारिश की जाएगी। बोर्ड अपने विवेकाधिकार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है।

3. लाभांश की घोषणा के लिए पात्रता मानदंड;

दिनांक 04 मई 2005 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों मास्टर परिपत्र दिनांकित 01.07.2015 और परिपत्र दिनांक 10.01.2019 के अनुसार, बैंक लाभांश घोषित करने के लिए तभी पात्र होगा, जब वह निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है;

i. बैंक के पास :

- पिछले दो पूर्ण वर्ष के लिए और लेखांकन वर्ष , जिसके लिए बैंक लाभांश की घोषणा करने का प्रस्ताव रखता है , के लिए प्रभावी सीआरएआर सीसीबी सहित न्यूनतम 9% होना चाहिए ।
- निवल एनपीए 7% से कम होना चाहिए।

यदि बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, लेकिन लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 9% प्लस लागू सीसीबी का सीआरएआर है जिसके लिए यह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, तो वह लाभांश घोषित करने के योग्य होगा,बशर्ते इसका नेट एनपीए 5% से कम हो।

ii. बैंक धारा 15 के प्रावधानों (जो लाभांश के भुगतान को तब तक प्रतिबंधित करता है जब तक सभी पूंजीकृत व्यय निसरित नही किए गए हैं) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (जो सांविधिक आरक्षित निधि के लाभ को निर्दिष्ट हिस्से के हस्तांतरण को निर्धारित करता है) का पालन करेगा।

iii. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा नियमों / दिशानिर्देशों का पालन करेगा जिसमें परिसंपत्तियों और कर्मचारियों सेवानिवृत्ति लाभों की कमी के लिए पर्याप्त प्रावधान, सांविधिक रिज़र्व को लाभ अंतरण शामिल है।

iv. प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ से देय होना चाहिए।

v. लाभांश की घोषणा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगा होना चाहिए।

यदि कोई बैंक उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो रिजर्व बैंक

IOB DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

I. NEED AND OBJECTIVE OF THE POLICY:

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has on July 08, 2016, inserted Regulation 43A in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), which requires the top five hundred listed entities based on Market Capitalization, (calculated as on March 31 of every financial year), to formulate a Dividend Distribution Policy which shall be disclosed in their annual reports and on their websites. The Dividend Distribution Policy shall include the following parameters:

(a) the circumstances under which the shareholders of the listed entities may or may not expect dividend;

(b) the financial parameters that shall be considered while declaring dividend;

(c) internal and external factors that shall be considered for declaration of dividend;

(d) policy as to how the retained earnings shall be utilized; and

(e) parameters that shall be adopted with regard to various classes of shares:

Provided that if the listed entity proposes to declare dividend on the basis of parameters in addition to clauses (a) to (e) or proposes to change such additional parameters or the dividend distribution policy contained in any of the parameters, it shall disclose such changes along with the rationale for the same in its annual report and on its website.

In terms of Regulation 43A of SEBI (LODR) Regulations, it is mandatory for our Bank to frame the Dividend Distribution Policy, as our Bank falls within the top 500 listed entities as on March 31, 2016 in terms of Market Capitalization and our shares are listed in BSE & NSE Limited. Accordingly, the following 'Dividend Distribution Policy' has been framed and been approved and adopted by the Board of Directors of the Bank.

Our Bank is formed under the provisions of Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, is following the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India in respect of dividend payments.

II. DEFINITIONS:

a) Dividend	Dividend includes interim dividend. In common parlance, 'Dividend' means the profit of the Bank, which is not retained in the business and is distributed among the shareholders in proportion to the amount paid up on the shares held by them.
b) CRAR	It is the ratio of the Bank's capital to its risk weighted assets.
c) Dividend Payout Ratio	'Dividend Payout Ratio' is calculated as a percentage of 'dividend payable in a year (excluding dividend tax) to 'net profit during the year'.
d) Board	'Board' means Board of Directors of the Bank constituted in terms of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

III. POLICY:

1. The Policy will be called as **"IOB Dividend Distribution Policy."**

2. **General Principles of the Bank regarding distribution of dividend:**

The intent of the Bank is to reward the shareholders of the Bank by sharing a portion of the profits, whilst also ensuring that sufficient funds are retained for growth of the Bank. The dividend for each year would be recommended by the Board at its discretion within the set guidelines of Government and Reserve Bank of India and after taking into account the financial performance of the Bank, its future plans, internal and external factors, statutory restrictions etc. for declaration by the shareholders in general meeting. The Board may also declare interim dividend at its discretion.

3. **Eligibility Criteria for declaration of dividend:**

As per the guidelines dated May 04, 2005 issued by Reserve Bank of India, Master Circular dated 01.07.2015 & Circular dated 10.01.2019 by Reserve Bank of India, the Bank will be eligible to declare dividends only when it complies with the following minimum prudential requirements;

i. The Bank should have:

- CRAR of at least 9% plus applicable CCB for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend.
- Net NPA less than 7%.

In case the Bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% plus applicable CCB for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA is less than 5%.

ii. The Bank shall comply with the provisions of Sections 15 (which prohibits payment of dividend until all capitalized expenses have been written off) and Section 17 (which stipulates transfer of specified portion of profit to statutory reserve fund) of the Banking Regulation Act, 1949.

iii. The Bank shall comply with the prevailing regulations / guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc.

iv. The proposed dividend should be payable out of the current year's profit.

v. The Reserve Bank of India should not have placed any explicit restrictions on the Bank for declaration of dividends.

In case any bank does not meet the above eligibility criteria no

से कोई विशेष छूट उपलब्ध नहीं होगी।

4. देय लाभांश की मात्रा:

ए. **भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश:** बैंक, यदि यह उपरोक्त अनुच्छेद संख्या 3 में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करता है, तो निम्नलिखित के अधीन लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकता है:

i. लाभांश भुगतान अनुपात 40% से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुलग्नक 1 में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होना चाहिए।

ii. यदि प्रासंगिक अवधि हेतु लाभ में कोई अतिरिक्त सामान्य लाभ / आय शामिल है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन के लिए ऐसे अतिरिक्त मदों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।

iii. वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण जिनके लिए बैंक लाभांश घोषित कर रहा है, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी योग्यता से मुक्त होना चाहिए, जिसका उस वर्ष के लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ता है।उस प्रभाव के लिए किसी भी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय शुद्ध लाभ उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

iv. बेसल ।।। अनुरूप बांड पर ब्याज की अदायगी न करने या सीसीबी सहित बेसल- ।।। सीआरएआर अनुपात की गैर-उपलब्धि के मामले में, आरबीआई ने इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए बेसल ।।। कैपिटल रेगुलेशन पर मास्टर सर्कुलर में लाभांश पर प्रतिबंध लगाता है।

बी. भारत सरकार के दिशानिर्देश:

भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को अपनी इक्विटी (यानी प्रदत्त पूंजी) का का न्यूनतम 20% या कर पश्चात लाभ का 20% जो भी अधिक हो, लाभांश देना होगा। यदि, कोई भी बैंक अंतरिम लाभांश का भुगतान करने का फैसला करता है, तो वार्षिक परिणामों के आधार पर बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए। आगे इन अनुदेशों के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की छूट के लिए सरकार की विशिष्ट पूर्वानुमति आवश्यक है ।

5. आंतरिक और बाहरी कारक:

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाहरी करकों पर भी निर्भर करता है जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, वैधानिक और विनियामक प्रावधान, कर नियम इत्यादि, जो लाभांश की घोषणा के समय लागू हो । उपरोक्त बाह्य कारकों के अलावा, बोर्ड अन्य आंतरिक कारको को ध्यान में रखता है जैसे कि व्यापार विकास योजनाएं, भविष्य की पूंजी आवश्यकताएं, पूंजीगत संपत्तियों के प्रतिस्थापन इत्यादि। लाभांश के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

6. अर्जित आय का उपयोग:

अर्जित आय का उपयोग मुख्य रूप से बैंक की विकास योजनाओं के उद्देश्य के लिए और अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाना है । जो भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं ।

7. शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान:

वर्तमान में बैंक के पास केवल एक शेयर वर्ग अर्थात् इक्विटी शेयर है। भविष्य में किसी भी अन्य वर्ग के शेयर जारी करने के मामले में, पैरामीटर उचित समय पर बैंक द्वारा उचित रूप से तय किए जाएंगे।

8. लाभांश के भुगतान का तरीका :

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार, बैंक द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग किया जाना है । जहाँ भी इलेक्ट्रोनिक भुगतान मोड का उपयोग संभव नही होने पर तब` सममूल्य पर देय' वारंट या मांग ड्राफ्ट पात्र शेयरधारकों को जारी किए जाएंगे।

9. प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग:

क) पॉलिसी को बैंक के वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में वेब लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

ख) आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार बैंक आरबीआई को लेखांकन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के विवरण की रिपोर्ट करेगा।

ग) बैंक केवल प्रति शेयर आधार पर लाभांश को घोषित और प्रकट करेगा जैसा कि सेबी(एलओडीआर) विनियमों के तहत निर्दिष्ट है।

10. नीति की वैधता एवं समीक्षा

विनियामक प्राधिकरणों द्वारा संशोधन तक पॉलिसी लागू नही होगी। पॉलिसी और नियामक दिशानिर्देशों के बीच किसी भी विसंगति या असंगतता की स्थिति में, विनियामक दिशानिर्देश प्रभावी होंगे।

बोर्ड वार्षिक आधार पर नीति की समीक्षा / नवीनीकरण करेगा और यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर नीति में संशोधन कर सकता है।

अनुलग्नक- 1

लाभांश देय अनुपात की अधिकतम अनुमत सीमा के लिए मानदंड का मैट्रिक्स

प्रवर्ग	सीआरएआर	निवल एनपीए अनुपात			
		शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से अधिक और 5% से कम	5% से अधिक और 7% से कम
		लाभांश देय अनुपात की सीमा			
A	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
B	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
C	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष केलिए 09% या अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
D	वर्तमान वर्ष में 9% या अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

special dispensation shall be available from the Reserve Bank.

4. **Quantum of dividend payable:**

A. **RBI guidelines:** The Bank, if it fulfills the eligibility criteria set out at paragraph No.3 above, may declare and pay dividends subject to the following:

i. The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished in Annexure 1.

ii. In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits / income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.

iii. The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

iv. In case of nonpayment of interest on Basel-III compliant bonds or non-achievement of the Basel-III CRAR ratio including CCB, RBI puts restrictions on the dividend in the Master Circular on Basel III Capital Regulations issued for this purpose.

B. Government of India guidelines:

As per extant guidelines of Government of India, the Bank is required to pay a minimum dividend of 20% of its equity (i.e. paid up capital) or 20% of its post–tax profits, whichever is higher. In case, any Bank decides to pay interim dividend, the total dividend to be paid by the Bank based on the annual results should be as per the above guidelines. Further, any relaxation from the provisions of these instructions requires specific prior permission of the Government.

5. Internal and External Factors:

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory provisions, tax regulations, etc, as may be applicable at the time of declaration of the dividend. Apart from the aforesaid external factors, Board will also take into account various internal factors, such as business growth plans, future capital requirements, replacement of capital assets, etc. The decision of the Board regarding dividend shall be final.

6. Utilisation of Retained Earnings:

The retained earnings will mainly be utilized for the purpose of the Bank's growth plans and such other purposes as per the guidelines issued by RBI and Government of India from time to time.

7. Provisions with regard to various classes of shares:

The Bank currently has only one class of shares, namely Equity Shares. In case of issuance of any other class of shares in future, the parameters shall be decided suitably by the Bank at the appropriate time.

8. Manner of Payment of dividend:

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic modes of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends. Where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or Demand Drafts will be issued to the eligible shareholders.

9. Disclosure and Reporting:

a) The Policy will be disclosed on the website of the Bank and a web link shall be provided in the Annual Report.

b) The Bank shall report the details of dividend declared during the accounting year to RBI as per timeline specified by RBI.

c) The Bank shall declare and disclose the dividend on per share basis only as specified under SEBI (LODR) Regulations.

10. Validity and Review of Policy

The Policy will be in force, until further amendments made by Regulatory Authorities. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Policy and Regulatory guidelines, the regulatory guidelines will prevail.

The Board will review / renew the Policy on an annual basis and if found essential may amend the Policy from time to time.

Annexure - 1

Matrix of Criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio

Category	CRAR	Net NPA Ratio			
		Zero	More than zero but less than 3%	From 3% to less than 5%	From 5% to less than 7%
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the current year	Up to 10		Up to 5	Nil

"Worth a while with Golden Smile"

IOB GOLD LOAN

Loan against
GOLD ORNAMENTS
For All Your Needs

Scan QR code to apply online

- Express Speed of Sanction
- Lower processing Charge
- No Closure Charge
- No Documentation Charge & many more...

Avail Gold Loan through our Bank's Website, Mobile Banking or Internet Banking facility

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Goverment of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good People to grow with

Toll free : 1800 425 4445 (24 x 7)	Website : www.iob.in	/IOBIndia	@iobindia	IOBIndia

Central office Address :
763, Anna Salai, Chennai - 600 002. Phone : +91-44-2852 4212

MSME Loan Scheme

Hassle free financial assistance for
Micro Small & Medium Enterprises (MSME)

IOB MSE Plus
- Ideal for manufacturing and service enterprises under MSME Category
- Quantum of loan: Loan up to ₹100 lakh

IOB Engineer
- Ideal for Civil Engineer professionals
- Quantum of loan: Depends on category, requirement on case to case basis

IOB SME Mahila Plus
- Ideal for Micro or Small enterprises
- Quantum of loan: ₹2 crore.

IOB Micro One
- Ideal for new Micro Enterprises
- Quantum of loan: ₹50.00 lakh

IOB CA
- Ideal for Chartered Accountants
- Quantum of loan: Loan up to ₹125 lakh

For further, details please contact the nearest branch.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Goverment of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good People to grow with

Toll free : 1800 425 4445 (24 x 7)	**Website : www.iob.in**	**/IOBIndia**	**@iobindia**	**IOBIndia**

Central office Address :
763, Anna Salai, Chennai - 600 002. Phone : +91-44-2852 4212